रजिस्ट्री सं० बी० (डी०)-73

Registered No. D. (D)73

CENTRAL SECT... GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 25, 1978/चैत्र 4, 1900
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 25, 1978/CHAITRA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1978

सा०का०नि० 388—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 41 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग या वर्णन के शस्त्रास्त्रों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रवर्तन से छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	व्यक्तियों के वर्ग	शस्त्रास्त्रों के प्रवर्ग या वर्णन	शर्तें
1	2	3	4
1	महामहिम भूटान नरेश और भूटानी राज परिवार के सदस्य	सभी शस्त्रास्त्र, उनसे भिन्न जो आयुध नियम, 1962 की अनुसूची I के प्रवर्ग 1 (क) में विनिर्दिष्ट है।	--
2.	भूटानी सेना/पुलिस कार्मिक, भारत से होकर भूटान में दो स्थानों के बीच आते-जाते समय, या भारत में प्रशिक्षण आदि के लिए आते-जाते समय, चाहे अकेले या समूह में।	सभी शस्त्रास्त्र	छूट, भूटानी राज सेना के किसी अधिकारी द्वारा जिसे भूटान नरेश द्वारा कमीशन प्राप्त हो या रायल भूटान पुलिस के तत्सम रैंक के किसी अधिकारी द्वारा गमनागमन आदेश/कमान प्रमाणपत्र जारी करने पर दी जा सकेगी।

[सं० 15/2/76-जी पी ए-5]
एच० बी० राय, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th March 1978

G. S. R. 388—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 41 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby exempts the classes of persons specified in column (2) of the Table below from the operation of the provisions of sections 3 and 4 of the said Act in respect of the category or description of arms and ammunition, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, subject to the condition specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Classes of persons	Category or description of arms and ammunition	Conditions
1	2	3	4
1.	His Majesty the King of Bhutan and members of the Bhutanese Royal family.	All arms and ammunitions except those specified in category I (a) in Schedule I to the Arms Rules, 1962.	
2.	Bhutanese Army/Police personnel moving individually or in groups either during journey between two points in Bhutan through Indian territory or for attending training, etc. in India.	All arms and ammunition.	Exemption shall be subject to the issue of a movement order/command certificate issued by an Officer of Royal Bhutanese Army Commissioned by the King of Bhutan or an Officer of corresponding rank in the Royal Bhutan Police.

[No. 15/2/76—GPA.-V]

H. B. Roy, Under Secy.

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1978

सा० का० नि० 389—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में संयुक्त निदेशक, (व्यावहारिक प्रशिक्षण) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, संयुक्त निदेशक (व्यावहारिक प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है —

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
संयुक्त निदेशक (व्यावहारिक प्रशिक्षण)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	1500-60-1800 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' के अधिकारी जिन्होंने इस रूप में 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो, या केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी-1 के अधिकारी जिन्होंने इस रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य हो और जिन्हें अधिमानतः मनोविज्ञान या व्यावहारिक विज्ञान में पढ़ाने का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	जब तक भर्ती नियम के उपबंधों को किसी समय शिथिल करने की आवश्यकता न हो, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

[सं० 13012/6/76-स्था०I]

एम० बी० भमभानी, डेस्क अधिकारी

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 8th March, 1978

G.S.R. 389.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating method of recruitment to the post of Joint Director (Behavioural Training) in the Institute of Secretariat Training and Management, Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Institute of Secretariat Training and Management Joint Director (Behavioural Training) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Joint Director (Behavioural Training)	1	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1500-60-1800	Not applicable	Not applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its compositions	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Not Applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation: Officers from the Central Services Group 'A' with 7 years' regular service as such or officers of Grade I of Central Secretariat Service with 3 years' regular service as such and possessing a degree of a recognised University or equivalent and preferably having experience of teaching in Psychology or Behavioural Sciences. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 4 years.)	Not Applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary unless it is intended to relax, at any time, the provisions of the recruitment rules.

[No. 13012/6/76—Trg. I]

M. B. BHAMBHANI, Desk Officer

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1978

सा० का० नि० 390—संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी, पुणे के कार्यालय व निवास स्थान के लिये पुणे स्थित "मधु मालती" नामक सम्पत्ति खरीदने के वास्ते सहायक आसूचना ब्यूरो, बम्बई के उप निदेशक का सेल डीड निष्पादित करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

[सं 1/सी०11/73(जे०)-10(एफ०पी०5)]
पी० प्रसाद, निदेशक

New Delhi, the 9th March, 1978

G.S.R 390.—In exercise of the powers confered by clause (1) of Article 299 of the Constitution, the President is pleased to authorise the Deputy Director, Subsidiary Intelligence Bureau, Bombay to execute a sale deed for purchase of property known as 'Madhu Malti" at Pune, for use as office-cum-residence of the Deputy Central Intelligence Officer, Pune.

[No 1/CII/73(J)-10(F P V)]
P PRASAD, Director

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1978

सा० का० नि० 391—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस में लिपिकीय अनुभाग में कतिपय अराजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस (लिपिकीय अनुभाग के अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 लागू होना—ये नियम इससे उपबन्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबन्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

4 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

5 निरर्हताएं—यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6 नियम शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7 व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सूबेदार लिपिक	5	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय पुलिस रैंक।	550-20-650-25-750ई०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होना	दो वर्ष	(1) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, (2) 60 प्रतिशत जमादार लेखा, स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा या भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा	प्रोन्नति द्वारा ऐसे जमादार मुख्य लिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आयोजित सामान्य/लेखा पाठ्यक्रम पूरा किया हो। स्थानान्तरण द्वारा ऐसे जमादार लेखापालों में से जिन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आयोजित लेखा पाठ्यक्रम पूरा किया हो और उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण. समतुल्य/सदृश्य रैंक धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्हें अन्य केन्द्रीय सरकार के विभागों में लिपिकीय और लेखाकार्य का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक हो) पुनर्नियोजन : समतुल्य प्रास्थिति के सेवा निवृत्त या निर्मुक्त ऐसे सेवा कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा लेखा और लिपिकीय कार्य का अनुभव हो।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे — 1. उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय)—अध्यक्ष। 2. कमांडेंट (कर्मचारी-वृन्द) (पी)—सदस्य। 3. कमांडेंट (कर्मचारी-वृन्द) (टी)—सदस्य। 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना)—सचिव	लागू नहीं होता

[सं० आई० 12013/1/77-स्थापना/पर्स-I]

ब० चक्रवर्ती, निदेशक

New Delhi, the 15th March, 1978

G.S.R. 391.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain non-gazetted posts of Clerical Section in the Indo-Tibetan Border Police, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police (Non-Gazetted posts of Clerical Section) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their issue.

2. Application :—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay :—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

4. Method of recruitment, age limit and qualification etc. :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Disqualification :—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expendient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7 Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
4. Subedar Clerk	Five	General Central Service, Group-C (Non-Gazetted), Ministerial Police Rank	Rs. 550-20-650-25-750	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee	Period of probation if any	Method of recruiting whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruiting by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/ deputation transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No applicable	Two years	(i) 40% by promotion ; (ii) 60% by transfer of Jamadar Accounts, failing both by transfer on deputation/transfer or by re-employment of Ex-Army personnel.	By promotion : From amongst Jamadar Head Clerks with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and who have also undergone the General/ Accounts Course organised by Indo-Tibetan Border Police. By transfer : From amongst Jamadar Accountants who have undergone the General/Accounts Course organised by Indo-Tibetan Border Police and have also rendered not less than 5 years' service in the grade. By transfer on deputation/ Transfer : Persons holding equivalent/ analogous rank, having experience in Clerical and Accounts work in other Central Government Departments. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years). Re-employment : By re-employment of retired or released Army personnel of equivalent status, having experience in Accounts as well in Clerical works.	Group-C— Departmental Promotion Committee consist of :- 1 Deputy Inspector General (Headquarters) —Chairman 2. Commandant Staff (P) —Member 3. Commandant Staff(T) —Member 4. Senior Administrative Officer (Establishment) —Secretary	Not applicable

[No. I. 12013/1/77-Estt./Pers.-I]
C. CHAKRABARTY, Director

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1978

सा०का०नि० 392—दिनांक 10 दिसम्बर, 1977 के सा० का० नि० सं० 1655 के अधीन भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० 11039/4/77-अ०भा०से० (1) में पैरा 1 मे आये हुए "(2) वे तत्कालीन प्रभाव से लागू होंगे" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए :—

"(2) ये राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।"

[सं० 11039/4/77-अ०भा०से० (1)]

आर० एन० दत्ता, डैस्क अधिकारी

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th March, 1978

G.S.R. 392.—In the Ministry of Home Affairs notification No. 11039/4/77-AIS(I), published in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (i) under G.S.R. No 1655 dated 10th December, 1977, for the entry—"(2) They shall come into force with immediate effect" appearing in para 1 thereof following entry may be substituted :—

"(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette."

[No. 11039/4/77-AIS(I)]

R. N. DATTA, Desk Officer.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 393.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 312/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 नवम्बर, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना मे पैरा 2 में "31 मार्च, 1978" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 1979" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 83/78-के० उ०शु० फा० सं० 102/7/77-के०उ०शु० 3]

एन० राजा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 25th March 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R.393.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 312/77--Central Excises, dated the 4th November, 1977, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words "31st day of March, 1978", the figures, letters and words "31st day of March, 1979", shall be substituted.

[No. 83/78-C. E.-F. No. 102/7/77-CX. 3]

N. RAJA, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1978

सा० का० नि० 394—भारत के संविधान के अनुच्छेद 299 की धारा (i) के साथ पठित अनुच्छेद 77 की धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

भारत सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच हुए निम्नलिखित विकास ऋण करारों तथा भारत सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के बीच हुए उधार करार अर्थात् :—

(1) विकास ऋण करार संख्या 685-आई०एन० (सिंगौली तापीय विद्युत परियोजना)

(2) विकास ऋण करार संख्या 720-आई०एन० (पैरीयार वेगाई सिंचाई परियोजना)

(3) विकास ऋण करार संख्या 736-आई०एन० (महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना)

(4) विकास ऋण करार संख्या 740-आई०एन० (उड़ीसा सिंचाई परियोजना)

(5) उधार करार संख्या 1472-आई०एन० (बम्बई अपतट विकास परियोजना)

के उपबन्धों के अनुसरण मे संघ की कार्यकारी शक्तियो का प्रयोग करते हुए सभी आवेदन-पत्र, प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज जिन पर हस्ताक्षर किए जाने हों या जिन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति हो अथवा जिन्हे निष्पादित किया जाना हो या जिन्हे निष्पादित करने की अनुमति हो, राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के किसी भी वरिष्ठ लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, निष्पादित और अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

राष्ट्रपति के आदेश तथा नाम से

[संख्या एफ० 6(5) 77—एफ०बी० 5]

जे० के० मित्रल, उप-सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 13th March, 1978

G.S.R. 394.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 77, read with clause (1) of Article 299 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules, namely :—

All applications, certificates or other documents required or permitted to be signed or executed in exercise of the executive power of the Union in pursuance of the provisions of the following Development Credit Agreements entered into between the Government of India and the International Development Association and Loan Agreement enterd into between the Government of India and the International Bank for Reconstruction and Development viz :—

(1) Development Credit Agreement No. 685-IN (Singrauli Thermal Power Project)

(2) Development Credit Agreement No. 720-IN (Periyar Vaigai Irrigation Project)

(3) Development Credit Agreement No. 736-IN (Maharashtra Irrigation Project)

(4) Development Credit Agreement No. 740-IN (Orissa Irrigation Project)

(5) Loan Agreement No. 1472-IN (Bombay High Offshore Development Project).

shall be signed or executed and authenticated on behalf of the President by any of the Senior Accounts Officers or Accounts Officers in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

By order and in the name of the President.

No. F. 6(5)77-FB. V

J. K. SIBAL Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1978

सा०का०नि० 395.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रैस, देवास, अवर्गीकृत औद्योगिक संवर्ग पद) भारतीय नियमावली, 1975 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1. (i) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रैस, देवास, अवर्गीकृत औद्योगिक संवर्ग पद) भर्ती संशोधन नियमावली, 1978 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रेस, देवास, अवर्गीकृत औद्योगिक संवर्ग पद), भरती नियमावली, 1975 की अनुसूची में, "कनिष्ठ मशीन सहायक (इन्क फैक्टरी)" के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 7 के सामने, वर्ग II के शीर्षक के अंतर्गत कालम 12 में की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को अंकित कर दिया जाएगा अर्थात् :—

"210-290 रुपए के वेतनमान में परिचार (अटैण्डेण्ट, इन्क फैक्टरी) के रूप में 4 वर्ष की सेवा"

[संख्या एफ 4/5/78-बैंक नोट प्रैस]

New Delhi, the 3rd February, 1978

G.S.R. 395.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Unclassified Industrial Cadre posts) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Unclassified Industrial Cadre posts) Recruitment Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Unclassified Industrial Cadre posts) Recruitment Rules, 1975, under the heading 'Group II', against Serial Number 7 relating to the post of "Junior Machine Assistant (Ink Factory)", in column 12, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

"Attendant (Ink Factory) with 4 years service in the grade of Rs. 210-290".

[F. No. 4/5/78-BNP]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1978

सा० का० नि० 396.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा भारत सरकार टकसाल (श्रेणी III के पद) भर्ती नियमावली, 1976 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों को भारत सरकार टकसाल (श्रेणी III के पद) भरती (संशोधन) नियमावली 1978 कहा जाएगा।

(2) यह नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 भारत सरकार टकसाल (श्रेणी III के पद) भरती नियमावली, 1976 की अनुसूची में :—

(क) कालम II में क्रम संख्या 12 के सामने की गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :—

"टिप्पणी :—चुने गए प्रत्याशियों को—

(i) 30,000 रुपए नकद प्रतिभूति जमा करनी पड़ेगी; और

(ii) दो 15,000-15,000 रुपए के व्यक्तिगत जमानती और बीमा कम्पनी से 30,000 रुपए के निष्ठापत्र देने पड़ेंगे।"

(ख) कालम II में क्रम संख्या 13 के सामने की गई प्रविष्टियों के उपरान्त निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ दी जाएगी, अर्थात :—

"टिप्पणी :—चुने गए प्रत्यासी को 3,000 रुपए नकद जमानत जमा करनी पड़ेगी।

[संख्या एफ० 3/17/77-कोइज]

एस० एल० दत्त, अवर सचिव

New Delhi, the 6th March, 1978

G.S.R. 396.—In exercise of the powers conferred the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the India Government Mints (Class III Posts) Recruitment Rules, 1976, namely :—

1. (1) These Rules may be called the India Government Mints (Class III Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Government Mints (Class III Posts) Recruitment Rules, 1976,—

(a) against Serial No. 12, in column 11, after the entry, the following note shall be inserted, namely :—

"Note : The selected candidate will have to—

(i) deposit in cash a security of Rs. 30,000 ; and

(ii) furnish two personal sureties of Rs. 15,000 each and a fidelity bond for Rs. 30,000 from an insurance company." :

(b) against Serial No. 13, in column 11, after the entry the following note shall be inserted, namely :—

"Note : The selected candidate will have to deposit in cash a security of Rs. 3,000".

[No. F. 3/17/77-Coin]

S. L. DUTT, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1978

सा०का०नि० 397.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र प्रशासन, विदेश व्यापार मंत्रालय (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1971 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र प्रशासन, विदेश व्यापार मंत्रालय (अराजपत्रित पद) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र प्रशासन, विदेश व्यापार मंत्रालय (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम 1971 में,—

(i) नियम 1 के उपनियम (1) में, "विदेश व्यापार" शब्दों के स्थान पर "वाणिज्य" शब्द रखा जाएगा।

(ii) नियम 6 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"7 व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों को प्रभावी नहीं करेगी।"

(iii) अनुसूची में,—

(क) "निरोधक अधिकारी, श्रेणी 1 के पद से सम्बन्धित क्रम सं० 2 के सामने—

(क) स्तम्भ 4 में, "वर्ग 3" शब्द और अंक के स्थान पर, "समूह 'ग'" शब्द और अक्षर रखा जाएगा।

(ख) स्तम्भ 5 में की मद के स्थान पर, मद "425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द०रो०-25-800 रु०" रखी जाएगी।

(ग) स्तम्भ 11 में की मद के स्थान पर, "मद 33 1/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा तथा 66 2/3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा" रखी जाएगी।

(घ) स्तम्भ 12 में की मद के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"(1) ऐसे निरोधक अधिकारी, श्रेणी 2 से प्रोन्नति जिसका उस श्रेणी में 7 वर्ष का अनुभव हो,

(2) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में तत्सम श्रेणी के उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी);

(ङ) स्तम्भ 13 में की मद के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात—

"समूह 'ग'" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे

1. विकास आयुक्त—अध्यक्ष
2. सहायक कलक्टर, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य
3. सहायक कलक्टर, कांडला—सदस्य
4. लेखा अधिकारी—सदस्य-सचिव
5. प्रशासन अधिकारी—सदस्य-सचिव

(ख) 'कार्यालय अधीक्षक' पद से सम्बन्धित क्रम सं० 3 के सामने—

(क) स्तम्भ 4 में, "वर्ग 3" शब्द और अंक के स्थान पर, "समूह 'ग'" शब्द और अक्षर रखा जाएगा,

(ख) स्तम्भ 5 में की मद के स्थान पर, मद "550-20-650-25-750 रु० रखी जाएगी।

(ग) स्तम्भ 11 में की मदों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात—

"ऐसे प्रधान लिपिक तथा लेखापाल की, जिसका 5 वर्ष का अनुभव हो, तथा विकास आयुक्त के ऐसे वैयक्तिक सहायक, जिसका 7 वर्ष का अनुभव हो, प्रोन्नति द्वारा";

(घ) स्तम्भ 13 में की मद के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे;

1. विकास आयुक्त—अध्यक्ष
2. सहायक कलक्टर, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य
3. सहायक कलक्टर, कांडला—सदस्य
4. लेखा अधिकारी, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य
5. प्रशासन अधिकारी—सदस्य-सचिव"

ग. 'प्रधान लिपिक' पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 5 के सामने—

(क) स्तम्भ 4 में, "वर्ग 3" शब्द और अंक के स्थान पर "समूह 'ग'" शब्द और अक्षर रखा जाएगा;"

(ख) स्तम्भ 5 में की मद के स्थान पर, मद "425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०" रखी जाएगी;

(ग) स्तम्भ 12 में की मदों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों की प्रोन्नति द्वारा जिनकी उस श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा हो।"

(घ) स्तम्भ 13 में की मद के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिनमें निम्नलिखित होंगे :—

1. विकास आयुक्त—अध्यक्ष
2. सहायक कलक्टर, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य
3. सहायक कलक्टर, कांडला—सदस्य
4. लेखा अधिकारी, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य
5. प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव।"

(घ) 'अग्नि शामक' अधीक्षक पद से सम्बन्धित क्रम सं० 7 के सामने—

(क) स्तम्भ 4 में, "वर्ग 3" शब्द और अंक के स्थान पर, "समूह 'ग' " शब्द और अक्षर रखा जाएगा;

(ख) स्तम्भ 5 में की मद के स्थान पर, "425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०" रखी जाएगी।

(ग) स्तम्भ 11 में की मद के स्थान पर, "प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा" रखी जाएगी;

(घ) स्तम्भ 12 में की मद के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"ऐसे अग्नि शामक जमादार की प्रोन्नति द्वारा जिसे 10 वर्ष का अनुभव हो जिसके पास एन०एफ०एस० सी० का कनिष्ठ अधिकारियों के कोर्स का प्रमाणपत्र हो ;"

(ङ) स्तंभ 13 में की मद के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. विकास आयुक्त—अध्यक्ष
2. सहायक कलक्टर, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य
3. सहायक कलक्टर, कांडला—सदस्य
4. लेखा अधिकारी, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य
5. प्रशासन अधिकारी, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य-सचिव"।

(ङ) निरोधक अधिकारी, श्रेणी 2, पद से संबंधित क्रम सं० 8 के सामने—

(क) स्तंभ 4 में, "वर्ग 3" शब्द और अंक के स्थान पर, "समूह 'ग' " शब्द और अक्षर रखा जाएगा ;

(ख) स्तंभ 5 में की मद के स्थान पर, मद "330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०" रखी जाएगी ;

(ग) स्तंभ 11 में की मद के स्थान पर, मद "स्थानान्तरण द्वारा" रखी जाएगी ;

(घ) स्तंभ 12 में की मद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों को स्थानान्तरण द्वारा जिनकी उनकी अपनी अपनी श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो ।";

(च) 'उच्च श्रेणी लिपिक' पद से संबंधित क्रम सं० 9 के सामने—

(क) स्तंभ 4 में, "वर्ग 3" शब्द और अंक के स्थान पर, "समूह 'ग' " शब्द और अक्षर रखा जाएगा ;

(ख) स्तंभ 5 में की मद के स्थान पर, मद "330-10-380-द०रो० 12-500-द०रो०-15-560" रखी जाएगी,

(ग) स्तंभ सख्या 11 में की मद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ;

(2) 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा ;

(3) 25 प्रतिशत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, जो ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों या परिचार तक सीमित होगी जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो" ;

(घ) स्तंभ 12 में की मद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसे निम्न श्रेणी लिपिकों या परिचारकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो ।"

"ऐसे निरोधक अधिकारी, श्रेणी 2 में से स्थानान्तरण द्वारा जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो ।",

(ङ) स्तंभ 13 में की मद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. विकास आयुक्त—अध्यक्ष
2. सहायक कलक्टर, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य
3. सहायक कलक्टर, कांडला—सदस्य
4. लेखा अधिकारी, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य
5. प्रशासन अधिकारी, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य सचिव ।"

(छ) 'अग्निशामक जमादार' पद से संबंधित क्रम सं० 15 के सामने—

(क) स्तंभ 4 में, "वर्ग 3" शब्द और अंक के स्थान पर, "समूह 'ग' " शब्द और अक्षर रखा जाएगा ;

(ख) स्तंभ 5 में की मद के स्थान पर, मद "260-6-290 द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400 रु०" रखी जाएगी ;

(ग) स्तंभ 6 में की मद के स्थान पर, मद "अचयन" रखी जाएगी ;

(घ) स्तंभ 8 में की मदों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"आवश्यक

1. मैट्रिकुलेशन या समकक्ष ।
2. एन०एफ०एस० महाविद्यालय से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आदि
3. अभ्यर्थियों में नीचे वर्णित शारीरिक मान होने चाहिए ;

ऊंचाई : 5'—5"

सीना : न्यूनतम 33"

सीना, फुलाने पर : 35"

वजन : न्यूनतम 110 पौंड

किसी संगठित अग्निशामक सेवा में अग्निशामक के रूप में कम से कम एक वर्ष की सेवा ।"

(ङ) स्तंभ 13 में की मद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे,

1. विकास आयुक्त—अध्यक्ष
2. सहायक कलक्टर, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र—सदस्य
3. सहायक कलक्टर, कांडला—सदस्य
4. लेखा अधिकारी—सदस्य
5. प्रशासन अधिकारी, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र :—सदस्य-सचिव ।"

(ज) 'चपरासी' के पद से संबंधित क्रम सं० 21 के सामने—

(क) स्तंभ 4 में, "वर्ग 4" शब्द और अंक के स्थान पर, "समूह 'च'" शब्द और अक्षर रखा जाएगा ;

(ख) स्तंभ 5 में की मद के स्थान पर, मद "196-3-220-द०रो०-3-232 रु०" रखी जाएगी ;

(ग) स्तंभ 11 में की मद के स्थान पर, मद "25% स्थानान्तरण द्वारा, 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा" रखी जाएगी ;

(घ) स्तंभ 12 में की मद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसे झाड़ूकशों, चौकीदारों तथा फराशों में से स्थानान्तरण द्वारा, जिनकी उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा है और जो सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं न रखते हों किन्तु जो प्राथमिक रूप से साक्षर हों और हिन्दी, अंग्रेजी या प्रादेशिक भाषा को लिख और पढ़ सकने का प्रमाण साधारण लिखित परीक्षा के आधार पर दे सकते हों ।"

[सं० 1/35/71-एफ० टी० जैड]

यू० आर० कुरमेकर, अवर सचिव ।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 8th March, 1978

G.S.R. 397.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Kandla Free Trade Zone Administration, Ministry of Foreign Trade (Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Kandla Free Trade Zone Administration, Ministry of Foreign Trade (Non-Gazetted Posts) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Kandla Free Trade Zone Administration, Ministry of Foreign Trade (Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1971,

(i) in sub-rule (i) of rule 1, for the words "Foreign Trade", the word "Commerce" shall be substituted ;

(ii) after rule 6, the following shall be inserted namely :—

"7. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard." ;

(iii) In the Schedule,—

(A) against S. No. 2 relating to the post of 'Preventive Officer Fr. I' ;

(a) in column 4, for the word and figures "Class III", the word and letter "Group 'C'" shall be substituted ;

(b) for the entry in column 5, the entry "Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800" shall be substituted ;

(c) for the entry in column 11, the entry "33-1/3 per cent by promotion and 66-2/3 per cent by deputation" shall be substituted ;

(d) for the entry in column 12 the following shall be substituted, namely :—

"(1) Promotion from Preventive Officer Gr. II having 7 years' experience in the grade.

(2) Deputation of suitable officers of corresponding grade from Customs and Central Excise Department (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)." ;

(e) for the entry in column 13, the following shall be substituted, namely :—

"Group 'C' D.P.C. the composition of which is as under :—

1. Development Commissioner	— Chairman
2. Asstt. Collector, KAFTZ	— Member.
3. Asstt. Collector, Kandla	— Member.
4. Accounts Officer	— Member-Secretary
5. Administrative Officer	— Member-Secretary.

(B) against S. No. 3, relating to the post of 'Office Superintendent' ;—

(a) in column 4, for the word and figures "Class III" the word and letter "Group 'C'" shall be substituted ;

(b) for the entry in column 5, the entry "Rs. 550-20-650-25-750" shall be substituted. ;

(c) for the entries in column 11, the following shall be substituted, namely :—

"By promotion from Head Clerk and Accountant with 5 years' experience and Personal Assistant to Development Commissioner with 7 years' experience" ;

(d) for the entry in column 13, the following shall be substituted, namely :—

"Group 'C' D.P.C. The composition of which is as under :—

1. Development Commissioner	— Chairman
2. Asstt. Collector, KAFTZ	— Member.
3. Asstt. Collector, Kandla	— Member.
4. Accounts Officer, KAFTZ.	— Member.
5. Administrative Officer	— Member-Secretary.

(C) against S. No. 5 relating to the post of 'Head-Clerk',

(a) in column 4, for the word and figures "Class III" the word and letter "Group 'C'" shall be substituted ;

(b) for the entry in column 5, the entry "Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700." shall be substituted ;

(c) for the entries in column 12, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion from Upper Division Clerks and Stenographers with minimum 5 years' service in the grade." ;

(d) for the entry in column 13, the following shall be substituted namely :—

"Group 'C' D.P.C., the composition of which is as under :—

1. Development Commissioner	— Chairman
2. Asstt. Collector, KAFTZ.	— Member
3. Asstt. Collector, Kandla	— Member
4. Accounts Officer, KAFTZ.	— Member
5. Administrative Officer	— Member-Secretary." ;

(D) against S. No. 7 relating to the post of 'Fire Superintendent' :—

(a) in column 4 for the word and figures "Class III", the word and letter "Group 'C'" shall be substituted ;

(b) for the entry in column 5, the entry "Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700" shall be substituted ;

(c) for the entry in column 11, the entry "By promotion failing which by direct recruitment" shall be substituted ;

(d) for the entry in column 12, the following shall be substituted, namely :—

"Promotion from Fireman Jamadar with experience of 10 years and having certificate of Junior Officers' course and NFSC." ;

(e) for the entry in column 13, the following shall be substituted, namely :—

"Group 'C' D.P.C., The composition of which is as under :—

1. Development Commissioner	— Chairman
2. Asstt. Collector, KAFTZ	— Member
3. Asstt. Collector, Kandla	— Member
4. Accounts Officer, KAFTZ	— Member
5. Administrative Officer, KAFTZ	— Member-Secretary." ;

(E) against S. No. 8 relating to the post of 'Preventive Officer Gr. II' ;—

(a) in column 4, for the word and figures "Class III", the word and letter "Group 'C'" shall be substituted ;

(b) for the entry in column 5, the entry "Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560" shall be substituted ;

(c) for the entry in column 11, the entry "By Transfer" shall be substituted ;

(d) for the entry in column 12 the following shall be substituted, namely :—

"By transfer from Upper Division Clerks or Stenographers having 3 years' service in the respective grade." ;

(F) against S. No. 9 relating to the post of 'Upper Division Clerk' ;—

(a) in column 4, for the word and figures "Class III" the word and letter "Group 'C'" shall be substituted ;

(b) for the entry in column 5, the entry "Rs. 330 10-380-EB-12-500-EB-15-560" shall be substituted ;

(c) for the entry in column 11, the following shall be substituted, namely :—

(1) 50 per cent by promotion ;

(2) 25 per cent by transfer ;

(3) 25 per cent by Limited Competitive Examination confined to Lower Division Clerks or Caretakers with 5 years' service in the grade" ;

(d) for the entry in column 12, the following shall be substituted, namely :—

"By promotion from Lower Division Clerks or Caretakers with 5 years' service in the grade." ;

"By transfer from Preventive Officer Gr. II with 3 years' service in the grade.";

(e) for the entry in column 13, the following shall be substituted, namely :—

"Group 'C' D.P.C., the composition of which is as under :—

1. Development Commissioner	— Chairman
2. Asstt. Collector, KAFTZ.	— Member
3. Asstt. Collector, Kandla.	— Member
4. Accounts Officer, KAFTZ	— Member
5. Administrative Officer, KAFTZ	— Member-Secretary." ;

(G) against S. No. 15 relating to the post of 'Fireman Jamadar' ;—

(a) in column 4, for the word and figures "Class III" the word and letter "Group 'C'" shall be substituted ;

(b) for the entry in column 5, the entry Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400." shall be substituted ;

(c) for the entry in column 6, the entry "Non-Selection" shall be substituted ;

(d) for the entries in column 8, the following shall be substituted, namely :—

"Essential.

1. Matriculation or equivalent.

2. Certificate of Training from NFS College etc.

3. Candidate should possess physical standard as mentioned below :

Heigth : 5'-5" Chest Minimum 33"

Chest expanded 35" Weight minimum 110 lbs. At least one year service as fireman in organised fire service" ;

(e) for the entry in column 13, the following shall be substituted namely :—

"Group 'C' D.P.C., the composition of which is as under :—

1. Development Commissioner	— Chairman
2. Asstt. Collector, KAFTZ	— Member
3. Asstt. Collector, Kandla	— Member
4. Accounts Officer	— Member
5. Administrative Officer, KAFTZ.	— Member-Secretary." :

(H) against S. No. 21, relating to the post of 'Peon' ;—

(a) in column 4, for the word and figures "Class IV" the word and letter "Group 'D'" shall be substituted ;

(b) for the entry in column 5, the entry "Rs. 196-3-220-EB-3-232" shall be substituted ;

(c) for the entry in column 11, the entries "25 per cent by transfer ; 75 per cent by direct recruitment" shall be substituted ;

(d) for the entry in column 12, the following shall be substituted, namely :—

"Transfer from the grade of Sweepers, Chowkidars, Farashes having 5 years service in the grade and who do not possess the qualification prescribed for direct recruitment but possess the elementary literacy and give the proof of ability to read and write in Hindi English or Regional Language on the basis of a simple written test".

[No. 1/35/71/FTZ]

U. R. KURLEKAR, Under Secy.

सा०का०नि० 398.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन में तलाशियों में सहायता करने के लिए परिचारक के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ --(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तलाशियों आदि (आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) में सहायता करने के लिए परिचारक भर्ती नियम 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान --उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि --उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी ।

4 निरर्हताएं --वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 नियम शिथिल करने की शक्ति --जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति --इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
परिचारक तलाशियों आदि में सहायता करने के लिए	5	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अलिपिक वर्गीय, अराजपत्रित	260-6-326-द०रो०-8-350 रु०	अचयन	25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी : 1. प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी । 2. ऐसे पदों की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	मैट्रिकुलेशन या उसके समतुल्य ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
शैक्षिक अर्हताएं—हां आयु—नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में निम्नलिखित समूह 'घ' के कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा जिनके पास स्तंभ 7 में विहित शैक्षिक अर्हताएं हो और जिन्होंने नीचे उपदर्शित श्रेणी में अर्हक सेवा कर ली हो । 1. चयन श्रेणी दफ्तरी 2. गेस्टेटनर प्रचालक 3. एड्रेसोग्राफ मशीन प्रचालक 4. दफ्तरी (1 से 4) 3 वर्ष 5. जमादार और 6. चपरासी (5 और 6) 5 वर्ष	आयात और निर्यात (प्रशासन) का संयुक्त मुख्य नियंत्रक —अध्यक्ष आयात और निर्यात का उप मुख्य नियंत्रक —सदस्य तकनीकी विकास महानिदेशालय का उपनिदेशक —सदस्य नियंत्रक —(प्रशासन) सदस्य सचिव	लागू नहीं होता

[सं० ए-12018/57/6-ई-III]

G.S.R. 398.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Attendants for assisting in Searches etc. in the Import and Export Trade Control Organisation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Attendants for Assisting in Searches etc. (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule :

Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Attendants for assisting in searches etc.	5 (five)	General Central Services Group 'C' Non-Ministerial Non-gazetted.	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	Non-selection	25 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years) Note :— (1) The crucial date for determining the age limit will in each case be the closing date for receipt of applications from candidates in INDIA (other than the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). (2) In respect of the posts the appointments to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Matriculation or its equivalent.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Educational Qualifications Yes Age—No.	2 years	By Promotion, failing which by direct recruitment	Promotion of the following Group 'D' employees in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports possessing the educational qualifications prescribed in column 7 and having qualifying service in the grade as indicated below:— 1. Selection Grade Daftry 2. Gestetner Operator 3. Addressograph Machine Operator — 3 years 4. Daftry 5. Jamadar and 6. Peon — 5 years	Joint Chief Controller of Imports and Exports (Administration) —Chairman Deputy Chief Controller of Imports and Exports—Member Deputy Director, Directorate General of Technical Development—Member Controller (Administration)—Member Secretary	Not applicable

[No. A-12018/5/76-E III]

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1978

सा०का०नि० 399—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्वेषक (आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती नियम, 1976, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्वेषक (आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अन्वेषक (आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन) भर्ती नियम, 1976 की अनुसूची में,—

(क) स्तम्भ 6 में, अंक, शब्द और कोष्ठक "30 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)" के स्थान पर "20-26 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)" अंक शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ख) स्तम्भ 7 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि जिसमें अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित एक विषय के रूप में रहा हो" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा० सं० ए०12018/2/77-वी० III]

New Delhi, the 14th March, 1978

G.S.R. 399.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Investigators (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Investigators (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Investigators (Import and Export Trade Control Organisation) Recruitment Rules, 1976,—

(a) in column 6, for the figures, words and brackets "30 years (relaxable for Government servants)", the figures, words and brackets "Between 20-26 years—(Relaxable upto 35 years for Government employees.)" shall be substituted ;

(b) In column 7, for the existing entry, the entry "Degree with Economics or Statistics or Mathematics as a subject from any recognised University." shall be substituted.

[File No. A-12018/2/77-E. III]

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1978

सा०का०नि० 400.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन (सांख्यिकीय अन्वेषक श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन (सांख्यिकी अन्वेषक, श्रेणी 2) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन (सांख्यिकी अन्वेषक, श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची :—

(क) स्तम्भ 6 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, "20-26 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)" रखी जाएगी :

(ख) स्तम्भ 7 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि जिसमें अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित एक विषय के रूप में रहा हो," प्रविष्टि रखी जाएगी :

[फा० सं० ए-12018/2/77-बी III]

के० आर० श्रीनिवासन, अवर सचिव।

New Delhi, the 15th March, 1978

G.S.R. 400.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Import and Export Trade Control Organisation (Statistical Investigator, Grade II) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Import and Export Trade Control Organisation (Statistical Investigator, Grade II) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Import and Export Control Organisation (Statistical Investigator, Grade II) Recruitment Rules, 1973,—

(a) in column 6, for the existing entry, the entry "between 20-26 years. (Relaxable upto 35 years for Government employees.)" Shall be substituted ;

(b) in column 7, for the existing entries, the entry "Degree with Economics or Statistics or Mathematics as a subject from any recognised University." Shall be substituted.

[File No. A-12018/2/77-E. III]

K. R. SRINIVASAN, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1978

सा० का० नि० 401.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, विदेश मन्त्रालय में वर्ग 'ग' में भर्ती के तरीके को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है ; यथा :—

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ—(1) ये नियम विदेश मन्त्रालय (रिकार्ड कीपर वर्ग 'ग') भर्ती नियम, 1977 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान—पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतनमान वही होगा जो उक्त अनुसूची के कालम 3 से 5 तक में बताया गया है।

3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य मामले.—उक्त पद पर भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हतायें और इससे संबद्ध अन्य मामले वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कालम 6 से 11 तक में बताये गये है।

4. अयोग्यता —कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधित समझौता किया हो, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विधित समझौता किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नही होगा।

परन्तु यदि केन्द्र सरकार इस बात से आश्वस्त हो कि इस तरह का विवाह उस व्यक्ति पर तथा इस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्ति के कानून के अधीन अनुज्ञेय है, तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो सरकार इस नियम से किसी भी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. ढील देने का अधिकार —जहा केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और उचित है, वहां यह, आदेश द्वारा इसके कारण लिखित रूप मे रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियो से सबद्ध इन नियमो के किसी भी प्रावधान मे ढील दे सकती है।

6 बचाव —अनुसूचित जातियो जनजातियो तथा दूसरे विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियो को केन्द्र सरकार द्वारा इस सबध मे समय-समय पर जारी किए गए आदेशो के अनुसार आरक्षण सबधी तथा दूसरी जो रियायते दी जाती है, उन पर इन नियमो की किसी बात का असर नही पडेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदो की सख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताए
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिकार्ड कीपर	5 (पाच)	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' (अराजपत्रित)	225-5-260-6-290-द ब-6-308	प्रवरण	लागू नही होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले मे लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका। सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीको से भरे जाने वाले रिक्तपदो की प्रतिशतता	पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले मे किन वर्गों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाता है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	वे परिस्थितियां जिनमे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है।
9	10	11	12	13	14
लागू नही होता	दो वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा	विदेश मत्रालय के वर्ग 'घ' के अमले मे से पदोन्नति जो निम्नलिखित अर्हतायें रखते हो — अनिवार्य मिडिल पास वर्ग 'घ' में कम से कम 14 वर्ष की सेवा सहित परन्तु इस शर्त मे विदेश मत्रालय मे रिकार्ड सार्टर (वर्ग 'घ') के मामले मे ढील दी जाए जिसने उक्त वर्ग मे कम से कम पाच वर्ष की सेवा उस वर्ष की 1 जनवरी को पूरी कर ली हो जिस वर्ष विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होगी। वैकल्पिक : (क) रिकार्ड सार्टर/दफ्तरी/ जमादार/चपरासी के रूप मे किये गये कार्य का अनुभव। (ख) अग्रेजी और/अथवा हिन्दी मे लिपिकीय दैनिक कार्य को निपटाने की योग्यता हो।	कनिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति उप सचिव अवर सचिव अवर सचिव।	लागू नही होता

[स० क्य०/पीई/578/34/77/83/पीई/78]

एन० श्रीनिवासन, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 2nd February, 1978

G.S.R. 401.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' post in the Ministry of External Affairs, namely :—

1. Short title & Commencement :—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs (Record Keeper Group 'C') Recruitment Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 3 to 5 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit and other matters :—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification :—No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is pemissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Posts	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection posts	Age for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Record Keeper	5 (Five)	General Central Services Group 'C' (Non-Gazetted)	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308	Selection	Not Applicable	Not-applicable

Whether age & educational qualification prescribed for direct recruit will apply in the case of promotion	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By promotion 100%	Promotion from amongst Group 'D' Staff of the Ministry of External Affairs, having the following qualifications: — Essential :— Middle Pass with a minimum of 15 years service in a group 'D' post(s) : provided that this condition may be relaxed in the case of Record Sorters (Group 'D') in the Ministry who have put in not less than five years' service in the said grade on 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee meets. Desirable : (a) Experience of having worked as Record Sorter/ Daftry/Jamadar/Peon. (b) Capable of handling routine clerical jobs in English and/or Hindi.	Junior Departmental Promotion Committee— Deputy Secretary Under Secretary Under Secretary	Not applicable

[No. Q/PE/578/34/77/83/PE/78]

N. SRINIVASAN, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1978

सा० का० नि० 402—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (ज्येष्ठ विश्लेषक और कनिष्ठ विश्लेषक) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ विश्लेषक के पद से है, अधिक्रांत करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) पद भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पावधि संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पावधि संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या वे अधिकारी जिन्होंने 700-1300 रु० या समतुल्य	लागू नहीं होता	केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'ख' के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के किसी

8	9	10	11	12	13
			वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की हो या जिन्होंने 650-1200 रु० के वेतनमान मे समूह 'ख' (राजपत्रित पदो पर 8 वर्ष नियमित सेवा की हो या जो समतुल्य पदो पर हो, जिसके न हो सकने पर राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमो से समतुल्य श्रेणी के अधिकारी— (क) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य हो; (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान, कार्य अध्ययन रक्षा संस्थान मे कार्य अध्ययन वृत्तिक पाठ्यक्रम/उच्च प्रबन्ध सेवा पाठ्यक्रम में, या किसी अन्य संस्था में समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। या जिन्हें प्रयोग या अध्ययन कार्य/संगठन और प्रक्रिया/विश्लेषणात्मक/सांख्यिकीय/संक्रियात्मक अनुसंधान या अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकी में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि साधारणतः 6 वर्ष से अधिक नहीं होगी)		अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा से परामर्श आवश्यक होगा।

[सं० ए० 12018/5/77-प्रशासन 1]
एस०एल० मेंहदीरत्ता, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi, the 14th March, 1978

G.S.R. 402.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science and Technology (Senior Analyst and Junior Analyst) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Senior Analyst, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Analyst (Work Study) in the Department of Science and Technology, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Department of Science and Technology [Senior Analyst (Work Study)] Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Senior Analyst (Work study) in the Department of Science and Technology

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Analyst (Work Study)	One	General Central Service, Group 'A' Gazetted	Rs. 1100-50-1600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any,	Method of recruitment whether direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation (inlcuding short-term-contract)	Transfer on deputation (including short-term-contract) : Officers holding analogous posts or with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent or with 8 years' regular service in Group 'B' (Gazetted) posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent under the Central Government, failing which officers of equivalent grades from State Governments or Public Sector Undertakings who have— (a) Degree of a recognised University or equivalent; (b) successfully completed training in the Work Study Practitioners' Course/Advance Management Services Course of the Institute of Secretariat Training and Management, Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other institution. OR have at least 3 years experience in the application or Work Study /Organisation and methods/Analytical/Statistical/Operations Research or other management research techniques. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 6 years).	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission will be necessary while appointing a Group 'B' Officer Under the Central Government, an Officer from State Government or an Officer from Public Sector Undertaking.

[No. A-12018/5/77-Adm. I]

S. L. MEHNDIRATTA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1978

सा०का०नि० 403—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के अधीन प्रशासन अधिकारी की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है —

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का नाम अण्डमान और निकोबार प्रशासन (प्रशासन अधिकारी) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान —पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की विधि, आयु सीमा अर्हताएं आदि —उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट है ।

4. अनर्हता :—कोई व्यक्ति—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं है/होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

6. व्यावृत्ति :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासन अधिकारी	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित अनु-सचिवीय	रुपये 650-30-740-35-880-द०रो०-40-960	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी ?	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिन में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	ऐसे अधीक्षक जो अंडमान और निकोबार प्रशासन के मिलाये गए क्लेरिकल संवर्ग में हों और जिन्होंने ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् सम्बन्धित ग्रेड में तीन वर्ष सेवा की हो ।	संवर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :— 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य —अध्यक्ष 2 स्वा० विभाग का कोई अधिकारी जो भारत सरकार के अधीन संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं । 3. मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह ।	आवश्यक नहीं

[सं० 16-2/72-के०स०स्वा०यो० (अस्पताल)]

राजकुमार जिंदल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 6 March, 1978

G.S.R. 403.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer under the Andaman and Nicobar Islands Administration, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Andaman and Nicabor Administration (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay.— The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Administrative Officer	1	General Central Service, Group 'B' (Gazetted, Ministerial)	Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960.	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various method	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By promotion	Superintendents borne on the Amalgamated Clerical Cadre of the Andaman and Nicabor Administration with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:— (i) Chairman or a member of U.P.S.C. —Chairman (ii) an Officer of Deptt. of Health not below the rank of Joint Secretary, Government of India; and (iii) Chief Secretary to the Andaman and Nicabor Islands.	Not necessary.

[No. 16-2/72-CGHS(H)]

R. K. JINDAL, Under Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1978

सा० का० नि० 404.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अधिनियम, 1966 (1966 का 51) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस संस्थान से परामर्श लेने के पश्चात् स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के नियम, 1967 में आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, नियम, 1967 में नियम 7 के उप-नियम (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु सह-आचार्य के पद से ऊपर का कोई भी शिक्षण पद केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लिये बगैर न बनाया जाए।"

[संख्या वी० 17011/2/77-एम०ई० (पी०जी०)]
का० रा० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

(Department of Health)

New Delhi, the 13th March, 1978

G.S.R. 404.—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act 1966 (51 of 1966), the Central Government, after consultation with the Institute, hereby makes the following rules further to amend the Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post-graduate Institute of Medical Education and Research (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Rules, 1967 in rule 7, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that no teaching post above the rank of Associate Professor may be created except with the previous approval of the Central Government".

[No. V. 17011/2/77-M E.(PG)]
C. R. KRISHNAMURTHI, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1978

सा०का०नि० 405.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि विभाग (उप निदेशक लेखा) (उर्वरक) और लेखा अधिकारी (बजट) भर्ती नियम 1976 का अधिक्रमण करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप निदेशक लेखा (उर्वरक) और उप निदेशक (बजट लेखा) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि विभाग उप निदेशक लेखा (उर्वरक) और उप निदेशक (बजट लेखा) भर्ती नियम 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक मे विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

5 निरर्हताएं :— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6 शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ, वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति —इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए, उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. उप निदेशक लेखा (उर्वरक)	3	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क'	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होना	लागू नही होता	लागू नहीं होता
2. उप निदेशक (बजट लेखा)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क'	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नती की दशा में लागू होगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति-भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	1. प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : किसी संगठित लेखा विभाग से अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग और भारतीय डाक व तार लेखा तथा वित्त विभाग में ऐसे लेखापाल/लेखा-परीक्षण अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से 3 वर्ष सेवा की हो। नोट :—प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारण तथा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायेगा।
लागू नही होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : किसी संगठित लेखा विभाग से अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग और भारतीय डाक तार लेखा और वित्त विभाग में ऐसे लेखा/लेखा परीक्षण अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित रूप से 5 वर्ष सेवा की हो । नोट :—प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी ।	लागू नही होता।	चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

[सं० ए० 12018/5/72-स्था० I]

टी० सी० बहल, अवर सचिव ।

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 4th March, 1978

G.S.R. 405.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture (Deputy Director of Accounts) (Fertiliser) and Accouts Officer (Budget) Recruitment Rules, 1976, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director of Accounts (Fertiliser) and Deputy Director (Budget Accounts) in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), namely:—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Department of Agriculture Deputy Director of Accounts (Fertiliser) and Deputy Director (Budget Accounts) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed in these rules.

3. Number, Classification and scale of pay: The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Column 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.:- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification:— No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax:— Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any cases or category of persons.

7. Saving:—Nothing in these rules shall effect reservations and other connections required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Deputy Director of Accounts (Fertiliser)	3	General Central Service, Group 'A'	Rs. 1100-50-1600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	1. Transfer on deputation: Accounts/Audit Officers with 5 years' regular service in the grade from any of the organised Accounts Departments, *Viz.* Indian Audit and Accounts Department, Indian Railway Accounts Department, Indian Defence Accounts Department and Indian Posts Telegraphs Accounts and Finance Department. Note:—The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.	Not applicable	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

1	2	3	4	5	6	7
2. Deputy Director (Budget Accounts)	1	General Central Service, Group 'A'	Rs. 1100-50-1600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation: Accounts/Audit Officers with 5 years' regular service in the grade from any of the organised Accounts Departments, viz. Indian Audit and Accounts Department, Indian Railway Accounts Department, Indian Defence Accounts Department and Indian Posts Telegraphs Accounts and Finance Department. Note:—The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.	Not applicable	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. A.12018/5/72-Estt.I]
T. C. BAHL, Under Secy.

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1978

सा० का० नि० 406.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1972 में,—

(1) शब्द और अंक 'वर्ग 4' जहां कहीं वे आए हों, के स्थान पर शब्द और अक्षर 'समूह घ' रखे जाएंगे;

(2) अनुसूची में, दफ़्तरी के पद के सामने स्तम्भ, 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:—

निदेशक (भार साधक प्रशासन) . . .	अध्यक्ष
एक उपनिदेशक	सदस्य
प्रशासन अधिकारी	संयोजक"

[फा० सं० एफ० सी० 47/20/77]

(Department of Irrigation)

New Delhi, the 7th March, 1978

G.S.R. 406.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ganga Flood Control Commission (Class IV posts) Recruitment Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ganga Flood Control Commission (Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ganga Flood Control Commission (Class IV posts) Recruitment Rules, 1972 :—

(1) for the word and figure "Class IV", wherever they occur, the word and letter "Group 'D'" shall be substituted ; and

(2) in the Schedule, against the post of Daftry, in column 12, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of—

Director (Incharge of Administration)	— Chairman
One Deputy Director	— Member
Administrative Officer	— Convener."

[File No. FC-47(20)/77]

सा० का० नि० 407:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (वर्ग 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1972 में.—

(1) शब्द और अंक 'वर्ग 3', जहां कहीं वे आए हों, के स्थान पर शब्द और अक्षर 'समूह ग' रखा जाएगा;

(2) अनुसूची में :—

(क) ज्येष्ठ नक्शानवीस, ज्येष्ठ अभिकलक और कनिष्ठ नक्शानवीस के पदों से संबंधित क्रम सं० 1 और 3 के सामने, स्तम्भ 12 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :—

निदेशक (भार साधक प्रशासन)	अध्यक्ष
एक उप निदेशक	सदस्य
प्रशासन अधिकारी	सयोजक"

(ख) कनिष्ठ अभिकलक के पद से संबंधित क्रम सं० 4 के सामने, स्तम्भ 4, 7 और 10 में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

स्तम्भ 4 "रुपये 260-6-290-ई०बी०6-326-8-366-ई०बी० 8-390-10-400"

स्तम्भ 7 :

(1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य;

(2) की छिद्रण परीक्षा (आई० सी० एल० हस्त-छिद्रण मशीन 30 मिनट में 42 कार्ड/आई० बी० एम० विद्युत् मशीन-30 मिनट में 84 कार्ड)

स्तम्भ 10

"अधीनस्थ सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा"

[फा० सं० एफ०सी०47/20/77]

के० आर० चन्द्रशेखरन, उप सचिव

G.S.R. 407.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ganga Flood Control Commission (Class III posts) Recruitment Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ganga Flood Control Commission (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ganga Flood Control Commission (Class III posts) Recruitment Rules, 1972 :—

(1) for the word and figure "Class III", wherever they occur, the word and letter "Group 'C'" shall be substituted;

(2) in the schedule,—

(a) against serial numbers 1 to 3, relating to the posts of Senior Draftsman, Senior Computor and Junior Draftsman, in column 12, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of—

Director (Incharge of Administration)	— Chairman
One Deputy Director	— Member
Administrative Officer	— Convenor."

(b) against serial number 4, relating to the post of Junior Computor, for the entries in columns 4, 7 and 10, the following entries shall be respectively substituted, namely :—

Column 4 :

"Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400".

Column 7 :

"(1) Matriculation or equivalent.

(2) should have passed a key punching test (in the I.C.L. Hand-punching machine—42 cards in 30 minutes. In the I.B.M. Electric Machine—84 cards in 30 minutes.)"

Column 10 :

"By direct recruitment through Subordinate Service Commission."

[File No. FC-47(20)/77]

K. R. CHANDRASEKHARAN, Dy. Secy.

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1978

सा० का० नि०408—धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिये कतिपय नियमों का प्रारूप धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 17 दिसम्बर, 1977 के पृष्ठ 3428 से 3429 पर, भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1696, तारीख 12 दिसम्बर, 1977 के साथ प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिस तारीख को उक्त राजपत्र जनता को उपलब्ध कर दिया जाता है, पैंतालीस दिनों की अवधि के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ।

और उक्त राजपत्र जनता को 17 दिसम्बर 1977 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अत, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 में, अनुसूची में, प्ररूप 4 में, पैरा 3 में, शर्त (3घ) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात्:—

"परन्तु 30 अप्रैल, 1975 के पूर्व अनुज्ञप्त किसी चावल मिल की दशा में, अनुज्ञापन अधिकारी पर्याप्त कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, उक्त अवधि को, पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष तक और बढ़ा सकता है।"

[सं० 15(7)/77-डी० एण्ड आर० (I)/56]

के० बालकृष्णन, उप सचिव

(Department of Food)

New Delhi, the 16th March, 1978

G.S.R. 408.—Whereas certain draft rules further to amend the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, were published as required by sub-section (1) of section 22 of the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (12 of 1958), at page 3429 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 17th December, 1977, under the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), No. G.S.R. 1696, dated the 12th December, 1977, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days

from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public ;

And Whereas the said Gazette was made available to the public on 17th December, 1977 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, in the Schedule, in Form IV, in paragraph 3, in condition (3 D), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that in the case of a Rice Mill licensed prior to the 30th April, 1975, the Licensing Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, further extend the said period by another five years, beyond the date of expiry of the period of five years.".

[No. 15(7)/77-D & R(I)-56]
K. BALAKRISHNAN, Dy. Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1978

सा०का०नि० 409.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय (श्रेणी III तथा श्रेणी IV पद के लिए) भर्ती नियम 1971 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय संग्रहालय (श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 कहा जाए ।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. राष्ट्रीय संग्रहालय (श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पद) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में, रसायन सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 तथा इससे संबधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित लिखा जाएगा, अर्थात :--

1	2	3	4	5	6	7
"4क कार्यशाला पर्यवेक्षक	1	केन्द्रीय सामान्य सेवा श्रेणी III अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	425-15-500-द०रो० 15-560-20-700 रुपये	चयन	18-30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए ढील दी जा सकती है) (बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के विषय मे निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में ढील दी जाए)	अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बढ़ईगीरी का प्रमाण-पत्र तथा व्यवसाय में तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । अथवा किसी सरकारी विभाग में चार वर्ष का अनुभव और माडल निर्माण के पैटर्न डिजाइन का पूर्ण ज्ञान । (ii) कार्य-कार्डों के रिकार्ड, बढ़ईगीरी कार्यशाला के अन्य रिकार्ड रखने तथा बढ़ईगीरी स्टाफ मे अनुशासन बनाए रखने की योग्यता । वांछनीय : मिडिल क्लास पास ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा वाले संग्रहालय निर्माणकार (कैबीनेट निर्माता)	श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे -- (1) निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय—अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय —सदस्य (3) अध्यक्ष द्वारा यथानामांकित बाह्य तकनीकी एसोशिएट--सदस्य (4) श्री एन० सिकदर, सहायक शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग, (अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए) --सदस्य (5) संबंधित अधिकारी, राष्ट्रीय संग्रहालय--सदस्य (6) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय संग्रहालय --सदस्य सचिव	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4ख फोटो मुद्रक	2	केन्द्रीय सामान्य सेवा श्रेणी III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	330-10-380-द०रो० 12-500-द०रो०-15-560 रु०	चयन	28 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए ढील दी जा सकती है) (बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के विषय में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में ढील दी जाए)।	अनिवार्य : (1) मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष योग्यता। (2) किसी सरकारी विभाग अथवा विख्यात फोटो स्टूडियो में फोटोग्राफर के रूप में 2 वर्ष के व्यावहारिक अनुभव के साथ-साथ फोटोग्राफी में प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण द्वारा : फोटो अनुभाग में कार्य कर रहे तथा कालम नं० 8 में उल्लिखित योग्यताएं रखने वाले परिचरों (फोटो) में से फोटोग्राफी की एक परीक्षा के माध्यम से।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।"

[सं० एफ० 2-30/77-सी०ए० 1(5)]

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Culture)

New Delhi, the 10th March, 1978

G.S.R. 409.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Museum (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Musium (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the National Museum (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971, after S.No. 4 relating to the post of Chemical Assistant and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
"4A	Workshop Supervisor	1	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Selection	18-30 years (Relaxale for Government servants) (provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.)	Essential: (i) Certificate of carpentary from a recognised Institution with three years' practical experience in the trade OR Four years' experience in any Government Department and thorough knowledge of pattern design of model making. (ii) Ability to keep records of job cards, other records of carpentary Workshop and to enforce discipline among carpentary staff Desirable: Middle Class Pass.

9	10	11	12	13	14
No	2 years	By promotion, failing which by direct recruitment	By promotion: Museum Preparators (Cabinet Makers) with three years' service in the grade	Class III Departmental Promotion Committee consisting of:— (1) Director, National Museum—Chairman. (2) Assistant Director, National Museum.—Member. (3) External Technical Associate as Nominated by the Chairman—Member. (4) Shri N. Sikdar, Assistant Educational Adviser, Department of Culture. (for Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates)—Member. (5) Officer concerned, National Museum—Member. (6) Administrative Officer, National Museum—Member Sectary.	Not Applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
4B	Photo Printer	2	General Central Service Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Selection	28 years. (Relaxable for Government servants) *(Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government)	Essential: (i) Matriculation or equivalent qualification. (ii) Certificate of training in photography with 2 years' practical experience as Photographer in a Government Department or reputed photo studio.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By transfer, failing which by direct recruitment	By transfer:— Through a test in Photography work among Attendants (Photo) working in the Photo Section and possessing the qualifications mentioned in column 8	Not applicable.	Not applicable.

[No.F.2-30/77-CAI(5)]

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1978

सा०का०नि० 410.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, अनुसंधान सहयोगी (प्रकाशन) के पद से संबंधित क्रम सं० 13 (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

1	2	3	4	5	6	7
"13 (घ) अनुसंधान सहयोगी (रिसर्च असोसिएट) (प्रकाशन)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित	550-25-750-द० रो०-30-900 रु०	चयन	30 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उन से भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य। (2) अन्तिम मुद्रण आदेश दिए जाने तक के सभी प्रक्रमों पर मुद्रणालय के माध्यम से प्रकाशन को देखने की सामर्थ्य। टिप्पणी 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित

1	2	3	4	5	6	7
					की अतिम तारीख होगी।	अनुजातियो के अभ्यर्थियो की दशा मे सघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इन समुदायो से, उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानो को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियो के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की सभावना नही है। वांछनीय : उस विभाग मे, जहां वैज्ञानिक प्रकाशन निकाले जाते है, पूर्वतन अनुभव।

8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा प्रकाशन सहायक, जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति 1 सयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग—अध्यक्ष 2 निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण—सदस्य 3 उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग—सदस्य 4 अवर सचिव/सहायक शिक्षा सलाहकार—सदस्य	सीधी भर्ती करते समय सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

[सं० फा० 9-35/77-सी ए आई (1)]
जे० एम० गुगनानी, सहायक शिक्षा सलाहकार

New Delhi, 13th March, 1978

G.S.R.410.—In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967, namely :—

1. (i) These rules may be called the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967, for serial No. 13(d) relating to the post of Research Associate (Publication) and the entries relating thereto, the following shall be Substituted namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"13. Research Associate (d) (Publication)	1	General Central Service Group B Non-Gazetted	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Selection	30 years (Relaxable for Govt. Servants) Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essential :** (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Competence to see the publication through the press in all stages leading to the final print orders. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable :** Previous experience in Deptt. where Scientific publications are issued.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion :** Publication Assistant with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Group B D.P.C. 1. Jt. Secy./Jt. Edu. Adviser, D/O Culture—Chairman. 2. Director, Anthropological Survey of India—Member. 3. Dept. Secy./Dep. Edu. Adviser, D/O Culture—Member. 4. Under Secy./Asst. Edu. Adviser—Member.	Consultation with the U.P.S.C. will be necessary while making direct recruitment."

[No. F. 9-35/77-CAI(I)]

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1978

सा० का० नि० 411.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती (—संशोधन) नियम 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम 1967 में, क्रम सं० 11 (ज) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
11(क) हिन्दी अधिकारी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क, अराजपत्रित, अनिपिकवर्गीय	550-25-750-ई० रो-० 30-900	चयन	30 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप मे रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	**आवश्यक :** (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप मे अंग्रेजी के साथ हिन्दी में या हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर वैकल्पिक विषयों के रूप मे हिन्दी और अंग्रेजी के साथ किसी भी विषय मे मास्टर की उपाधि की समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से किसी विषय में मास्टर की उपाधि या समतुल्य और डिग्री स्तर पर एक विषय अंग्रेजी रहा हो। (ii) हिन्दी में शब्दावली सम्बन्धी कार्य का या अंग्रेजी से हिन्दी में या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का 2 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 अर्हतायें अन्यथा सुझाहित अभ्यर्थियों की दशा मे संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 अनुभव सम्बन्धी अर्हता अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियो की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उन समुदायो से, अपेक्षित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के, उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध होने की संभावना नही है। **वांछनीय :** (1) प्रशासनिक अनुभव। (2) संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति हिन्दी अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण करते हों या जिनकी 425-700 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष की सेवा हो और जिनके पास सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिये अधिकथित अर्हतायें और अनुभव हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति 1 संयुक्त सचिव/या संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग—अध्यक्ष 2 निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण—सदस्य 3 उपसचिव या उप शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग—सदस्य 1 अवर सचिव या सहायक शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग—सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा० सं० 9-61/76 सी० ए० 1(1)]

जे० एम० गुगनामी, सहायक शिक्षा सलाहकार

New Delhi, 14th March, 1978

G. S. R. 411—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President, hereby makes the following rules further to amend the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967, namely —

1. (1) These rules may be called the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the Anthropological Survey of India (General Central Service Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967, after Serial Number 11(h) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely —

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
"11(i) Hindi Officer	1	General Central Service Group B Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs 550-25-750-EB-30-900	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants) Note The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	**Essential :** (i) Master's Degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject or in English with Hindi as a subject at degree level OR Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as elective subjects at degree level OR Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at degree level (ii) 2 years' experience of terminological work in Hindi or Translation work from English to Hindi and from Hindi to English

1	2	3	4	5	6	7
						Note 1. : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable :** (i) Administrative experience (ii) Knowledge of Sanskrit and other Indian languages.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	**Promotion :** Hindi Translaters with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Transfer on Deputation :** Officers under the Central Government holding analogous posts or with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent and possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee: 1. Joint Secretary or Joint Educational Advise —Chairman. 2. Department of Culture.—Chairman 2. Director, Anthropological Survey of India —Member. 3. Deputy Secretary or Deputy Educational Adviser, Department of Culture—Member. 4. Under Secretary or Assistant Educational Adviser, Department of Culture—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission neceassry while making direct recruitment."

[No. F. 9-6/76-CAI(I)]

J. M. GUGNANI, Assistant Educational

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1978

सा० का० नि० 412.—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 39) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अरूणाकान्त शाह को, पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के लिए, कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड का न्यासी नियुक्त करती है।

[फ़ा० सं० पी० टी० वी० 1/77]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 4th March, 1978

G.S.R. 412.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri Arunkant Shah to be a Trustee on the Board of Trustees of the Port of Kandla, representing labour employed in the Port for the period upto the 31st March, 1979.

[F. No. PTB-1/77]

सा० का० नि० 413—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अरुणकान्त शाह को, पत्तन में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के लिए, कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड का न्यासी नियुक्त करती है।

(फा० सं० पी० टी० बी० 1/77)
सुरेन्द्र प्रकाश जैन, उप सचिव

G.S.R. 413.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints Shri Arunkant Shah to be a Trustee on the Board of Trustees of the Port of Kandla, representing labour employed in the Port for the period upto the 31st March, 1979.

[F. No. PTB-1/77]
S. P. JAIN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर 1977

सा० का० नि० 414—मारमुगाओ पत्तन (संशोधन) नियम, 1966 का प्रारूप, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 916, तारीख 23 मार्च, 1976 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (i), तारीख 26 जून, 1976 के पृष्ठ 1741 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी,

और उक्त राजपत्र 12 जुलाई, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार को जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मारमुगाओ पत्तन नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मारमुगाओ पत्तन (संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मारमुगाओ पत्तन नियम, 1966 के नियम 32 के खण्ड (ङ) में, मद VII और VIII के सामने, तृतीय स्तम्भ में 'दिन' शीर्षक के नीचे स्थानीय संकेतों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"तूफान संकेत संख्या VII

तूफान संकेत संख्या VIII

[F. No. PGL-63/75]
वाई० एम० राव, निदेशक

New Delhi, the 13th October, 1977

G.S.R. 414.—Whereas the draft of the Mormugao Port (Amendment) Rules, 1976, was published as required by sub-section (2) section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), at page 1741 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 26th June, 1976, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. G. S. R., 916, dated the 23rd March, 1976, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of that notification in the Official Gazette;

And whereas said Gazette was made available to the public on 12th July, 1976;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mormugao Port Rules, 1966, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Mormugao Port (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In clause (d) of the rule 32 of the Mormugao Port Rules, 1966, against items VII and VIII, for the local signals under the heading "Day" in the third column, the following shall respectively be substituted, namely :—

Signal No. VII
Cyclone

Signal No. VIII
Cyclone

[F. No. PGL-63/75]
M. Y. RAO, Director.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1978

सा० का० नि० 415—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ज्येष्ठ पतालेखी मशीन-चालक (हिन्दी) भर्ती नियम, 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (ज्येष्ठ पतालेखी मशीन-चालक (हिन्दी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 कहा जाएगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ज्येष्ठ पतालेखी-चालक (हिन्दी) भर्ती नियम, 1976 की अनुसूची में —

(क) स्तम्भ 6 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक।

टिप्पणी : (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष वर्ग के उम्मीदवारों का, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

(2) प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को उम्मीदवार नाम निर्दिष्ट करने को कहा जाए"।

(ख) स्तम्भ 7 की प्रविष्टि के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् —

"(नियुक्ति अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव सम्बन्धी योग्यता में छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी प्रक्रम पर यह अनुभव किया जाता है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों के आवश्यक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है)"।

[संख्या ए० 12018/11/77-स्थापना/डी० एस० (ए०)]

टी० आर० सभरवाल, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 2nd February, 1978

G.S.R. 415.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Advertising & Visual Publicity, Senior Adressograph Operator (Hindi) Recruitment Rules 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the DAVP (Senior Addressograph Operator (Hindi) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising & Visual Publicity Senior Addressograph Operator (Hindi) Recruitment Rules, 1976—(a) for the entry in column 6, the following entries shall be substituted, namely :—

"Between 18 and 25 years (relaxable for Government Servants upto 35 years).

Note :—(1) The upper age limit may be relaxed in favour of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.

(2) The crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date upto which the Employment Exchange were asked to nominate candidates";

(b) In the entry in column 7, the following shall be inserted at the end, namely :—

"(The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of appointing authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them)".

[No. A. 12018/11/77-Est./DS(A)]

T. R. SABHARWAL, Dy. Secy.

(गवेषणा और सन्दर्भ विभाग)

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1978

सा० का० नि० 416.—संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार के अनुसार राष्ट्रपति ने गवेषणा और सन्दर्भ विभाग, (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) में प्रलेख अधिकारी के पद पर नियुक्ति के तरीके के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियम बनाये हैं :—

1. नाम और शुरूआत—(क) इन नियमों को गवेषणा और सन्दर्भ विभाग (प्रलेख अधिकारी) नियुक्ति नियम, 1978 कहा जा सकता है।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू समझे जायेंगे।

2 संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उपरोक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में उल्लिखित नियमों के अनुसार होंगे।

3 नियुक्ति का तरीका, आयु सीमा और योग्यतायें आदि:—उपरोक्त पद के लिये, नियुक्ति का तरीका, आयु सीमा, योग्यतायें तथा इस पद से संबंधित अन्य बातें उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में उल्लिखित नियमों के अनुसार होंगी।

4 अयोग्यता:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे आदमी/औरत से शादी कर ली है या शादी करने की बात पक्की कर ली है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, या

जिसकी पत्नी/पति जीवित है और उसने किसी अन्य पुरुष/महिला से शादी कर ली है या शादी करने की बात पक्की कर ली है, उपरोक्त पद के लिये अयोग्य समझा जायेगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि सम्बन्ध व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत उस व्यक्ति को विवाह की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के कुछ अन्य कारण भी है, तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दी जा सकती है।

5. छूट देने का अधिकार—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि छूट देना आवश्यक और वांछनीय है, वहां वह इसके लिये लिखित में कारण बता कर किसी भी वर्ग या स्तर के व्यक्ति के लिये इन नियमों में छूट देने का आदेश दे सकती है।

6. बचाव:—केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के लोगों के लिये किये जाने वाले आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

गवेषणा और सन्दर्भ विभाग में प्रलेख अधिकारी पद के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारो के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारो से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यतायें
1	2	3	4	5	6	7
प्रलेख अधिकारी	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'बी' राजपत्रित गैर-मंत्रालय	650-30-740-35-810 ई० बी० 35-880-40-1000-ई० बी-40-1200	चयन	35 वर्ष से अधिक आयु का न हो (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट) नोट—आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले उम्मीदवारो से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारो को छोड़ कर)	आवश्यक : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या उसके समकक्ष। 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या संस्था से लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या डिप्लोमा। 3. किसी अच्छे स्तर की लाइब्रेरी में पांच वर्षों का प्रलेख कार्य का अनुभव। 4. मसौदे बनाने की योग्यता संघ लोक सेवा आयोग पर निर्भर करता है कि वह उच्च योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामलों में, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पदों के मामलों में अनुभव में छूट दे सकता है। वांछनीय : पत्रकारिता में डिप्लोमा।

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित आयु तथा योग्यतायें पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती द्वारा, या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियो से भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
नही	दो वर्ष	पदोन्नति के द्वारा, नही तो डेप्युटेशन पर स्थानान्तरण के द्वारा और यदि दोनो संभव न हो तो सीधी नियुक्ति के द्वारा	नियुक्ति के बाद स्थाई रूप में संबंधित ग्रेड में 8 या 5 वर्ष की सेवा वाले की पुस्तकालयाध्यक्ष या प्रलेख सहायक के पद पर पदोन्नति	वर्ग 2 विभागीय पदोन्नति समिति : 1. संयुक्त सचिव—अध्यक्ष 2 निदेशक (आई०पी०)—सदस्य 3. निदेशक, गवेषणा और सन्दर्भ विभाग—सदस्य	सीधी नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

[सं० ए०-11018/2/76-प्रशा०]

जगन्नाथ, अवर सचिव

(Research and Reference Division)

New Delhi, the 17th January, 1978

G.S.R. 416.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Documentation Officer in the Research and Reference Division, (Ministry of Information and Broadcasting), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Research and Reference Division (Documentation Officer) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Documentation Officer in the Research and Reference Division

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Documentation Officer	2	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essential:** (i) Degree of a recognised University or equivalent (ii) Degree/Diploma in Library Science of a recognised University/Institution. (iii) 5 years' experience of Documentation work in a Library of standing. (iv) Ability to prepare briefs. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). **Desirable:** Diploma in Journalism.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumtances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No.	2 years	By promotion, if not, by transfer on deputation failing both by direct rectt.	After apptt. persons with 5 or 8 years service in the concerned grade will be promoted to the post of Librarian or Asstt. Documentation Officer.	Grade II Departmental Promotion Committee consisting of:— 1. Jt. Secretary—Chairman 2. Director (I.P.)—Member. 3. Director, Research and Reference Division—Member.	consultation with U.P.S.C. is necessary for direct rectt.

[No. A-11018/2/76-Admn.]
JAGAN NATH, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1978

सा० का० नि० 417—नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (ओ०) के साथ पठित उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) नियमावली, 1976 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये है, नामत —

1 (1) इन नियमो को नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) दूसरा संशोधन नियमावली, 1978 कहा जाये।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2 नगर, भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) नियमावली, 1976 की अनुसूची के भाग 1 मे पजाब राज्य से सबधित क्रम सख्या 6 मे कालम (2) के इन्दराजो मे —

(i) "(क) धारा 8 के अधीन आदेश" के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज किये जायेंगे, नामत —

"(क) धारा 8 के अधीन या धारा 30 की उपधारा (2) या धारा 18 के अधीन आदेश जहा ऐसे आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये हो जो उप आयुक्त न हो अथवा धारा 21 की उप धारा (2) के अधीन आदेश।"

(ii) "(ख) धारा 27 के अधीन आदेश" के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज किये जायेंगे, नामत —

"(ख) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन आदेश या धारा 18 के अधीन आदेश जहा ऐसे आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये हो जो उप आयुक्त हो, अथवा धारा 27 के अधीन आदेश।"

[सख्या 4/5/77/यू० सी० यू०]
एस० महादेव अय्यर, उप सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 16th March, 1978

G S R. 417.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (o) of sub-section (2), of section 46 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Urban Land (Ceiling and Regulations) Rules, 1976, namely —

1 (1) These rules may be called the Urban Land (Ceiling and Regulation) Second Amendment Rules, 1978

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In Schedule II of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Rules, 1976, in Part I, against serial number 6 relating to the State of Punjab, in the entries in column (2), -

(i) for the entry '(a) Orders under Section 8", the following entry shall be substituted, namely :—

"(a) orders under section 8 or sub section (2) of section 10, or orders under section 18 where such orders are made by a competent authority not being a Deputy Commissioner, or orders under sub-section (2) of section 21";

(ii) for the entry "(b) Orders under section 27" the following entry shall be substituted, namely —

"(b) orders under section (5) of section 10, or orders under section 18 where such orders are made by a competent authority who is a Deputy Commissioner, or orders under section 27.".

[F No 4/5/77-UCU]
S MAHADEVA AYYAR, Deputy Secy.

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1978

सा० का० नि० 418—राष्ट्रपति सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय इजीनियरी सेवा, वर्ग 2, भर्ती नियम, 1954 मे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमो का नाम केन्द्रीय इजीनियरी सेवा, वर्ग-2, भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 "केन्द्रीय इजीनियरी सेवा, वर्ग 2, भर्ती नियम,

(1) भाग 2 मे नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

'3 सेवा मे भर्ती निम्नलिखित पद्धतियो मे से किसी एक द्वारा की जाएगी —

(क) इन नियमो के भाग 3 के अनुसार भारत मे प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।

(ख) इन नियमो के भाग 4 के अनुसार प्रोन्नति द्वारा।"

(2) भाग 4 और उसके अन्तर्गत नियम 23 का लोप किया जाएगा।

(3) भाग 5 और उसके अन्तर्गत नियम 24 को क्रमश भाग 4 और नियम 23 के रूप मे पुनसंख्याकित किया जाएगा।

(4) भाग 6 और उसके अन्तर्गत नियम 25 का लोप किया जाएगा।

[स 22110क (5)/76-ई० डब्ल्यू०आई०]

New Delhi, the 8th March, 1978

G.S.R 418—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Engineering Service, Class II, Recruitment Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called 'Central Engineering Service, Class II, Recruitment (Amendment)) Rules, 1978'.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the "Central Engineering Service, Class II, Recruitment Rules",—

(i) In part II, for Rule 3, the following shall be substituted, namely :—

"3 Recruitment to the service shall be made by any of the following methods :—

(a) by competitive examination in India in accordance with part III of these Rules.

(b) by promotion in accordance with part IV of these rules".

(ii) Part IV and Rules 23 thereunder shall be omitted;

(iii) Part V and Rule 24 thereunder shall be renumbered as Part IV and Rule 23;

(iv) Part VI and Rule 25 thereunder shall be omitted.

[No. 22011A(5)/76-EWI]

सा० का० नि० 419—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा, वर्ग 2, भर्ती नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा, वर्ग 2, भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 "केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा, वर्ग 2, भर्ती नियम," में,

(1) भाग 2 में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"3 सेवा में भर्ती निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक द्वारा की जाएगी —

(क) इन नियमों के भाग 3 के अनुसार भारत में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।

(ख) इन नियमों के भाग 4 के अनुसार पोन्नति द्वारा"

(2) भाग 4 और उसके अन्तर्गत नियम 23 का लोप किया जाएगा

(3) भाग 5 और उसके अन्तर्गत नियम 24 को क्रमशः भाग 4 और नियम 23 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा

(4) भाग 6 और उसके अन्तर्गत नियम 25 का लोप किया जाएगा।

[सं० 22011 क (5)/76-ई० डब्ल्यू० आई०]
एच० भट्टाचार्य अवर सचिव

G.S.R 419.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby make the following rules further to amend the Central Electrical Engineering Service, Class II, Recruitment Rules, 1954, namely :—

1 (1) These rules may be called "Central Electrical Engineering Service, Class II, Recruitment (Amendment) Rules, 1978"

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the "Central Electrical Engineering Service, Class II, Recruitment Rules",—

(i) In part II, for Rule 3, the following shall be substituted, namely —

"3 Recruitment to the service shall be made by any of the following methods :—

(a) by competitive examination in India in accordance with part III of these Rules,

(b) by promotion in accordance with part IV of these rules".

(ii) Part IV and Rule 23 thereunder shall be omitted,

(iii) Part V and Rule 24 thereunder shall be renumbered as Part IV and Rule 23,

(iv) Part VI and Rule 25 thereunder shall be omitted.

[No 22011A(5)/76-EWI]

H. BHATTACHARYA, Under Secy

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1978

सा० का० नि० 420—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के अधीन मुख्य विकास-एवं-पुनर्वास आयुक्त अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के कार्यालय में इंजीनियरी ओवरसियर के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) ये नियम मुख्य विकास-एवं-पुनर्वास आयुक्त के कार्यालय में (इंजीनियरी ओवरसियर के पदों पर) भर्ती नियम, 1978 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान —इन पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिए गए हैं।

3 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और योग्यताएं इत्यादि —उपर्युक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और इनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं।

4 अयोग्यताएं —कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5 रियायत देने की शक्ति —यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश देकर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत कर सकती है।

6 अपवाद.—इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों को इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के आधार पर दिये जाने वाले आरक्षण तथा रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदो की सख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारो के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारो से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताए
1	2	3	4	5	6	7
इजीनियर ओवरसीयर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	550-25-750-ई०बी०-30-900 रुपए	चयन पद	अधिक से अधिक 30 वर्ष। (सरकारी कर्मचारियो के लिए छूट है) टिप्पणी —आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत मे उम्मीदवारो से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अतिम तारीख होगी (इसमे अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल नही है)	अनिवार्य क (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इजीनियरिंग मे डिग्री या उसके समकक्ष (ii) सिचाई और भू-सरक्षण मे कुछ अनुभव। या ख (i) किसी मान्यता प्राप्त सस्था से सिविल इजीनियरिंग मे डिप्लोमा या उसके समकक्ष। (ii) सिचाई और भू-सरक्षण मे 3 वर्ष का अनुभव। (अन्य रूप से योग्य उम्मीदवारो के मामलो मे सघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से योग्यताओ मे छूट दे सकता है. विशेषकर अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो को उनके लिए आरक्षित पदो के लिए अनुभव की योग्यता मे छूट दी जा सकती है।)

क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारो के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताए पदोन्नति वाले उम्मीदवारो पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि/सीधी भर्ती द्वारा, या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण द्वारा तथा विभिन्न विधियो से भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी सरचना क्या है	परिस्थितिया जिनमे भर्ती के लिए सघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
8	9	10	11	12	13
आयु नही शैक्षिक योग्यता हा	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनो के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति ऐसे सर्वेक्षको मे से जिन्होने नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद अपने ग्रेड मे 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारो या सघ शासित क्षेत्रो के समान पदो पर काम कर रहे अधिकारी या सीधी भर्ती के लिए कालम 7 मे निर्धारित योग्यताए रखने वाले और 425-700 रुपये के वेतनमान के पदो पर नियुक्त ऐसे अधिकारी जिन्होने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी।)	1 मुख्य विकास एव पुनर्वास आयुक्त—अध्यक्ष 2 कृषि निदेशक—सदस्य 3 विशेष कार्य अधिकारी (कृषि)—सदस्य 4 भू-सरक्षण अधिकारी (पुनर्वास)—सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और राज्य सरकार से किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति करते समय सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[स० 4(18)/76-प्रशा० III]
सोहन लाल मेदीरत्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 7th March, 1978

G.S.R. 420.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Engineering Overseer in the Office of the Chief Development-cum-Rehabilitation Commissioner, Andaman and Nicobar Islands, under the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Chief Development-cum-Rehabilitation Commissoner (Engneering Overseer) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of Recruitment, Age Limit, Qualification etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Engineering Overseer	1	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-700.	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).	Essential: A. (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Some experience in irrigation and soil conservation. OR B. (i) Diploma in Civil Engineering from a recognised Institution or equivalent. (ii) 3 years' experience in irrigation and soil conservation. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified; in particular the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them).

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age: No. Educational Qualifications: Yes	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion: Surveyor with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories holding analogous posts or with 5 years service in posts in the scale of Rs. 425—700 and possessing qualifications prescribed for direct recruits in column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	1. Chief Development-cum-Rehabilitation Commissioner—Chairman 2. Director of Agriculture—Member. 3. Officer on Special Duty (Agriculture)—Member. 4. Soil Conservation Officer (Rehabilitation)—Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer from State Government on deputation.

[No.4(18)/76-Adm.III]
S. L. MEDIRATTA, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1978

सा० का० नि० 421.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) कोयला खान श्रमिक आवास और साधारण कल्याण निधि (वर्ग 3 और 4 पदों पर भर्ती) नियम, 1960 (ii) लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1967, (iii) अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1967, और (iv) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि (समूह ग और समूह घ पद) सेवा की शर्तें और भर्ती नियम, 1976 को, जहां तक उन नियमों का संबंध सहायक कल्याण प्रशासक के पदों से है, अधिक्रांत करते हुए, श्रम मंत्रालय के अधीन विभिन्न श्रम कल्याण संगठनों में सहायक कल्याण प्रशासक के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रमिक कल्याण संगठन (सहायक कल्याण प्रशासक) भर्ती नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ में 1 विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकेगी ।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5 नियम शिथिल करने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति —इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

(नियम 2 देखिए)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1 सहायक कल्याण प्रशासक	38	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द०रो०-25-800 रु०	चयन पद	25 वर्ष सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है । परन्तु विहित अधिकतम आयु सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकेगी । भर्ती नियमों के स्तम्भ 6 में उल्लिखित आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में स्टाफ चयन आयोग द्वारा भारत में के अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न, जो अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी ।	आवश्यक . किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञानों, जैसे अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र में से किसी एक में उपाधि । वांछनीय . ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने खान नियम, 1955 के अधीन भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त सामाजिक कार्य में प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो । ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनके पास श्रमिक कल्याण कार्य में पर्याप्त अनुभव हो और ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनके पास अन्य सामाजिक और प्रशासनिक कार्य का अनुभव हो, भी अधिमान दिया जाएगा ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति (भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं	दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । 33⅓ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा, और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 16⅔ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति 425-700 रु० के वेतनमान वाले ऐसे प्रधान लिपिक-एवं लेखापाल और 425-640 रु० के वेतनमान वाले ऐसे कल्याण निरीक्षक, जिन्होंने उस श्रेणी में क्रमश. तीन वर्ष और पांच वर्ष सेवा की हो । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो और जिनके पास लेखा/स्थापन और श्रमिक कल्याण मामलों में अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत. तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति । संरचना : 1 कल्याण आयुक्त (मुख्यालय)—अध्यक्ष 2 अवर सचिव—सदस्य 3 कल्याण प्रशासक—सदस्य 4 अनुभाग अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

[फा० सं० ए-12018/2/77-एम-4]

टी० सी० गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th March, 1978

G.S.R. 421.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the (i) Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund (Recruitment of Class III and IV Posts) Rules, 1960, (ii) Iron Ore Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV Posts) Recruitment Rules, 1967, (iii) Mica Mines Labour Welfare Fund (Class III and IV Posts) Recruitment Rules, 1967 and (iv) Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund (Group C and Group D Posts) Condition of Service and Recruitment Rules, 1976, so far as these rules relate to the posts of Assistant Welfare Administrator, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and conditions of service of persons appointed to the posts of Assistant Welfare Administrator in the various Labour Welfare Organisations under the Ministry of Labour, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Labour Welfare Organisations (Assistant Welfare Administrator) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule :

Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in favour of the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes or other special category of persons in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(See Rule 2)

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Assistant Welfare Administrator.	38	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.	Selection post.	25 years. Relaxable upto 35 years in case of Government servants. Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in favour of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or other special category of persons in accordance with the instructions issued by the Central Govt. from time to time in this regard. The cruical date for determining the age limit mentioned in column 6 of the Recruitment Rules shall in each case be the closing date for receipt of applications from Candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) by the Staff Selection Commission.	Essential: Degree of a recognised University in one of the Social Sciences, such as Economics, Commerce or Sociology. Desirable: Preference will be given to candidates who have successfully undergone a course of training in social work recognised by the Govt. of India under the Mines Rules, 1955. Preference will also be given to candidates having adequate experience of Labour Welfare work and candidates having experience of other social and Administrative work.

Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age:—No. Educational Qualifications:— No.	Two years.	50% by promotion 33⅓% by transfer on deputation or transfer, failing which by promotion and failing both by direct recruitment : 16⅔% by direct recruitment.	Promotion: Head Clerks-cum-Accountants in the scale of Rs. 425—700 and Welfare Inspectors in the scale of Rs. 425—640 with three years and five years service in the grade respectively. Transfer on deputation or transfer. Officers under the Central Government holding analogous posts with five years service in the grade and having experience in accounts/establishment and Labour Welfare matters (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee. Composition. 1. Welfare Commissioner (HQ) -Chairman. 2. Under Secretary—Member. 3. Welfare Administrator Member. 4. Section Officer—Member.	Not applicable.

[No. A.12018/2/77-M.IV]
T. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1978

सा० का० नि० 422.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान श्रम आवास और सामान्य कल्याण निधि (कुछ पदों पर भर्ती) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान श्रम आवास और सामान्य कल्याण निधि (कुछ पदों पर भर्ती) नियम, (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कोयला खान श्रम आवास और सामान्य कल्याण निधि (कुछ पदों पर भर्ती) नियम, 1959 की अनुसूची में, क्रम सं० 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"27 कनिष्ठ विश्लेषक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अलिपिक वर्गीय, राजपत्रित	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होना।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्पावधि सविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पावधि सविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन के समूह 'ख' के किसी भी अधिकारी या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में समतुल्य श्रेणी के अधिकारी (i) जिनके पास विश्वविद्यालय की उपाधि या उसके समतुल्य हो। (ii) जिनकी राजपत्रित पद या समतुल्य श्रेणियों में 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा या अराजपत्रित या समतुल्य श्रेणियों में 8 वर्ष की न्यूनतम सेवा हो, और (iii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान, कार्य अध्ययन रक्षा संस्थान का कार्य अध्ययन व्यवसाय में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो या किसी अन्य संस्था में समतुल्य प्रशिक्षण	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।"

8	9	10	11	12	13
			लिया हो। या जिनके पास कार्य अध्ययन के उपयोजनों या संगठन और पद्धति या विश्लेषणात्मक या सांख्यिकीय या संक्रिया अनुसंधान तथा अन्य प्रबन्ध अनुसंधान तकनीकों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि साधारणतः 6 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		

[सं० ए०-12018/1/75-एम०-II]
पी० के० सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 13th March, 1978

G.S.R. 422.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund (recruitment to certain posts) Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund (recruitment to certain posts) (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Scheduled the Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund (recruitment to certain posts) Rules, 1959; after serial number 26 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"27 Junior Analyst	1	General Central Service Group 'B', Non-Ministerial Gazetted.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation (including short-term contract).	Transfer on deputation (including short-term contract) : Officers from any Group 'B' post under Central Government or State Government or equivalent grade in Public sector undertaking who have :— (i) A University Degree or its equivalent. (ii) A minimum of 5 years' service in a gazetted post or equivalent grades or a minimum of 8 years' service in non-gazetted or equivalent grades; and (iii) Successfully completed trainirg in the work study practitioners course of the Institute of Secretariat Training and Management, Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other institution. OR Have at least one years' experience in the application of work study or Organistion and methods analytical statistical or operations research and other management research techniques. (Period of deputation or contract shall ordinarily not exceed 6 years).	Not applicable	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service common."

[No. A-12018/1/75-M. II]
P. K. SEN, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 25, अक्तूबर, 1977

(वाणिज्य पोत परिवहन)

सा०का०नि० 423.—कतिपय नियमो का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हे केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 436 के साथ पठित धारा 311 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, और भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (भार रेखा) नियम, 1974 का अधिक्रमण करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है । जो व्यक्ति इससे प्रभावित हो सकते है, उन सभी की जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 311 की अपेक्षानुसार, उन नियमो को इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप के सबध मे जो आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त होगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

भाग I प्रारंभिक

1 सक्षिप्त नाम, प्रारभ और लागू होना —(क) इन नियमो का सक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (भार रेखा) नियम, 1976 है ।

(2) ये नियम तुरन्त लागू होगे ।

(3) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होगे—

(क) युद्ध पोत, मछली पकडने वाले पोत, क्रीडा नौका और पाल पोत के अलावा प्रत्येक भारतीय पोत चाहे वह किसी भी स्थान पर हो,

(ख) भारतीय पोत के अलावा कोई भी अन्य पोत जो युद्ध पोत जो मछली पकडने वाला पोत या क्रीडा नौका या पाल पोत न हो, जब वह भारत मे किसी पत्तन या स्थान पर हो या भारत के भूभागीय समुद्र की सीमा मे हो और जो

(i) कुल 150 टन या उससे अधिक का विद्यमान पोत हो, या

(ii) 24 मीटर या अधिक लम्बाई का नया पोत हो,

परन्तु ये नियम भारतीय पोत से भिन्न किसी पोत पर इस कारण से लागू नही होगे क्योकि वह भारत के किसी पत्तन या स्थान पर या भारत की भूभागीय समुद्र की सीमा मे आ गया है और वह पोत उस स्थान या पत्तन पर नही आता यदि उस पर मौसम या अन्य किसी परिस्थिति का दबाव न होता और उस पोत के मास्टर या स्वामी या चार्टरकर्त्ता उन परिस्थितियो आदि का न तो निवारण कर सकते थ और न ही पूर्वानुमान ।

2 परिभाषाए —इन नियमो मे, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) 'अधिनियम' से अभिप्राय वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) है,

(2) 'पोत मध्य' से अभिप्राय लम्बाई (ल) के मध्य से है,

(3) 'अनुमोदित' से अभिप्राय है केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित,

(4) 'समनुदेशन प्राधिकारी मे अभिप्राय उस महानिदेशक या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति मे है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, इन नियमो के प्रयोजनो के लिए, राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा, समनुदेशन प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो,

(5) 'घनत्व गुणाक' या चिह्न (cb) से अभिप्राय है सूत्र

$$cb = \frac{V}{L.B.D.}$$ से प्राप्तघनत्व गुणाक

जहा—

उभार रहित, पोत के मोल्डेड विस्थापन का आयतन V है, धातु खोल सहित पात या, जैसा भी मामला हो, खोल किसी भिन्न धातु का हो, के खोखू के बाह्यावरण तक का विस्थापन आयतन दोनो d' के दुभाव के समय लिए गये है और d' कम से कम खडी मोल्डेड गहराई के 85 प्रतिशत होना चाहिए ।

(6) 'चौडाई' या चिह्न (B) से पात की अधिकतम चौडाई जो पोत मध्य से पात के धातु आवरण की मोल्डेड रेखा तक या जैसा भी मामला हो, पोत जिसका आवरण किसी अन्य धातु का हो के खोखू के बाह्य पृष्ठ भाग तक नापी गई हो अभिप्रेत है,

(7) "फ्रीबोर्ड के लिए गहराई" या चिह्न (D) से (क) उपनियम (ख) मे विनिर्दिष्ट पोतो से भिन्न पोत के सबध म पात-मध्य की खडी गहराई अधिक फ्रीबोर्ड डैक की लब पट्टी, जहा लगाई गई हो, की मोटाई अधिक पद $\frac{T(L-S)}{L}$ का मूल्य यदि, खुला फ्रीबोर्ड डैक अधिसरचना मे पूर्णतया आच्छादित है, अभिप्रेत है जहा—

'T' से अभिप्रेत है डैक मुखो से स्पष्टत दृश्यमान आवरण की मोटाई, और

'S' से अभिप्रेत है अधिसरचना की कुल लबाई, और

(ख) पोत, जिसमे पोत की चौडाई (B) के चार प्रतिशत से अधिक त्रिज्या का वृत्ताकार गनल हो, के सबध मे या पोत जिसके शीर्ष भाग अनियमित रूप के हो के सबध मे अभिप्रेत है पोत, जिसमे उर्ध्वाधर शीर्षभाग हो और धरन उतने ही व्यास का तथा शीर्ष भाग का क्षेत्रफल पोत मध्य भाग के क्षेत्रफल के बराबर हो ।

(8) "सक्षम अधिसरचना" से अधिसरचना जिसमे सक्षम बनाव के पोतभीत हो, ऐसे पोतभीतो मे खुलने वाले मार्ग देहलो तथा जलरोक द्वारो स फिट किए गए हो और ऐसे अधिसरचना के पार्श्व तथा छार के अन्य सभी खुले मार्ग सक्षम जलरुद्ध तरीको से बद किए गए हो, अभिप्रेत है, परन्तु इन आवश्यकताओ को पूर्णता करने वाले पुल या पूप इसमे समाविष्ट नही है जब तक कि उनके लिए मार्ग, जिसमे कर्मीदल मशीनरी तक पहुच सके रखा गया हो या पुल या पूप के अन्य कार्यस्थल तक पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन सभी समय जब पुल या पूप के पोतभीतो मे खुलने वाले मार्ग बद होते हो, उपलब्ध हो

(9) "विद्यमान पोत" या "विद्यमान पाल पोत" से पोत या पाल पोत जिसका पठाण 21 जुलाई, 1968 के पूर्व डाला गया हो, अभिप्रेत है,

(10) "सपाट डैक पोत" से पात जिसके फ्रीबोर्ड डैक पर अधिसरचना न हो,

(11) "फ्रीबोर्ड" से इन नियमो के नियम 15 मे उपवर्णित डैकरेखा के ऊपरी किनारे मे पोतमध्य मे उर्ध्वाधर रूप मे नीचे की ओर उचित भार-रेखा अवन के ऊपरी किनारे तक की नापी हुई दूरी अभिप्रेत है,

(12) "फ्रीबोर्ड डैक" से डैक जिससे फ्रीबोर्ड नियत किया जाता है अभिप्रेत है जो या तो—

(क) उच्चतम सपूर्ण डैक मौसम तथा समुद्र अभिदर्शित करे जिस पर उसके खुले भागो के सभी खुले मुख बद करने के स्थायी साधन हों और जिसके निम्न भाग में पोत की बाजू के सभी खुले मुख जलरोक द्वारो से बद करने के स्थायी साधन हो । पोत, जिसमे विछिन्न फ्रीबोर्ड डैक है, में खुले डेक की निम्नतम रेखा और उस रेखा से डेक के ऊपरी भाग तक के समानान्तर को फ्रीबोर्ड डेक माना जाता है, या—

(ख) स्वामी के आवेदन पर तथा नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन के अध्यधीन डेक जो परिच्छेद (क) मे उपवर्णित से कम हो परन्तु वह पूर्ण और आगे से पीछे तक कम से कम मशीनरी, जगह और शिखर पोत भीतों और आड़े तक अविछिन्न हो । जब यह निम्न डेक, डेक की निम्नतम रेखा पर पैड़ी रखता है और उस रेखा से अविरत एव डेक के ऊपरी भाग तक समानान्तर होता है तब उस समानान्तर को फ्रीबोर्ड डेक माना जाता है;

(13) "अधिसंरचना की ऊचाई" से अधिसरचना डेक धरन के शीर्ष की बाजू से फ्रीबोर्ड डेक धरन के शीर्ष तक नापी हुई न्यूनतम ऊर्ध्वाधर ऊचाई अभिप्रेत है;

(14) "लम्बाई" या चिह्न (L) से पठाण के शीर्ष, या मदान के अग्रभाग से जलरेखा, यदि वह बड़ी हो, पर के रडार स्टाक के अक्ष तक नापी हुई न्यूनतम मोल्डेड गहराई के पच्चासी प्रतिशत के बल जलरेखा पर कुल लबाई की छियानब्बे प्रतिशत लबाई अभिप्रेत है;

(15) "अधिसंरचना की लंबाई" से अधिसंरचना के भाग, जो लम्बाई (L) में हो, की लम्बाई अभिप्रेत है;

(16) पोत संबधित "मोल्डेड गहराई" से पठाण के शीर्ष से फ्रीबोर्ड डैक धरन के शीर्ष की बाजू तक की नापी हुई ऊर्ध्वाधर दूरी अभिप्रेत है;

परन्तु

(क) काष्ठ या मिश्र पोत के सबध मे, वह पठाण खाचे के निम्न किनारे से नापी जाएगी जहा पोतमध्य खण्ड के निम्न भाग का आकार खोखले स्वरूप का हो, या जहां मोटी लम्ब पट्टिया लगाई गई हो, दूरी उस बिन्दु, जहा तल के सपाट मैदान की रेखा अर्न्तमुख होकर पठाण की बाजू को काटती है, से नापी जाएगी ।

(ख) पोत जिनमे वृत्ताकार गनल हो वह डैक की मोल्डेड रेखाओ के छेदन बिन्दु और बाजू के प्लेटिंग तक नापी जाएगी, रेखाएं ऐसी बढ़ती है कि मानो गनल कोणीय आकार का हो;

(ग) पोतों जिनमे फ्रेबोर्ड डैक पैड़ी रखता है और डैक का उभरा भाग उस तक विस्तारित होता है और जहां खड़ी गहराई बिन्दु निश्चित करती है, खड़ी गहराई डेक जो डैक के उभरे भाग की समान्तर रेखा के साथ हो, के निम्न भाग से विस्तारित संदर्भ रेखा तक नापी जाएगी,

(17) "नया पोत" या 'पाल पोत' से पोत या पाल पोत जिसका पठाण 21 जुलाई, 1968 को या तदुपरांत डाला गया हो, अभिप्रेत है;

(18) "लम्ब" से अग्र और पश्च लम्ब जो लंबाई (L) के अगले और पिछले छोर पर हों, अभिप्रेत है ;

(19) "प्रधान अधिकारी" से संबधित जिले के वाणिज्यिक समुद्री विभाग का प्रधान अधिकारी अभिप्रेत है ,

(20) "पाल पोत में सभी पोत जिनमें केवल पालों के अधीन नौचालन के लिये पर्याप्त पाल क्षेत्र दिया गया हो चाहे उनमें नौका के यांत्रिक लगाए गए हो या न हों ;

(21) "अनुसूची" से इन नियमो के साथ सलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(22) "अधिसंरचना" से फ्रीबोर्ड डैक के ऊपर के डैक सरचना जो दोनो ओर से विस्तारित हो, प्लेटिंग खोल प्लेटिंग के अदर की बाजू मे चौड़ाई (B) के चार प्रतिशत से अधिक न हो, और उभरे किलिन रेक से समाविष्टित हो, अभिप्रेत है –

(23) "प्रकाष्ठ डेक स्थोरा" से काष्ठ लुगदी या तत्सम स्थोरा जो फ्रीबोर्ड या अधिसंरचना डैक के अनाच्छादित भाग मे वहन किया जाता है से भिन्न प्रकाष्ठ स्थोरा अभिप्रेत है ;

(24) "वर्ग क पोत" और "वर्ग ख पोत" से ऐसे पोत अभिप्रेत है जिनका निर्वचन प्रथम अनुसूची में दिया गया है ;

(25) पोत के फ्रीबोर्ड डैक के नीचे के भाग के संबंध में "जलरोक" से दाब या अन्यथा के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, पोत के उस भाग की कार्यकारिणी अपेक्षाओं की ओर उचित ध्यान देते हुए, पानी की किसी भी दिशा में मार्ग को रोकने मे समर्थ, अभिप्रेत है ;

(26) पोत के फ्रीबोर्ड डैक के ऊपर के किसी भाग के संबंध में 'वर्षारोक' से अभिप्रेत है कि समुद्र और उस पर एकाएक आने वाली वर्षा को किसी भी स्थिति में पानी उस भाग में प्रवेश न कर सके ।

भाग II

सर्वेक्षण तथा प्रमाणपत्र

3. **सर्वेक्षण के लिए आवेदनपत्र** :—(1) पोत पर फ्रीबोर्ड नियत करने और पोत को भार रेखा प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से पोत के सर्वेक्षण के लिए आवेदन पत्र पोत के स्वामी या उसकी ओर से समनुदेशन प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा । आवेदनकर्ता नीचे लिखे समनुदेशन प्राधिकारी को उसके द्वारा मंगाए जाने पर पोत के डिजाइन और निर्माण सबधी नक्शे, ड्राइंग विशिष्ट विवरण और अन्य दस्तावेज तथा उनसे सम्बद्ध जानकारी भेजेगा :—

(क) महानिदेशक की ओर से प्रधान अधिकारी ; और

(ख) इन नियमों के उद्देश्यो के लिए शासकीय राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति हो, भेज दे ।

4. **भार रेखा सर्वेक्षण** :—(1) आवेदन-पत्र तथा नियम 3 के अधीन अपेक्षित सम्बद्ध अन्य जानकारी सहित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद समनुदेशन प्राधिकारी किसी सर्वेक्षक द्वारा पोत का सर्वेक्षण कराएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि :—

(क) पोत इन नियमो के भाग iv और प्रथम अनुसूची में उल्लेखित अपेक्षाओं की पूर्ति करता है या नही, और

(ख) ऐसा अन्य विवरण जो आवश्यक हो—

(i) इन नियमो के भाग IV और द्वितीय अनुसूची के अनुसार पोत पर फ्रीबोर्ड नियत करने के लिए ; और

(ii) इन नियमों के भाग VI और तृतीय अनुसूची के अनुसार पोत के कप्तान को स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जानकारी दी जाए—

आवश्यक हो ।

(2) उप-नियम (i) के संबंधों के अनुसार पोत के सर्वेक्षण के दौरान, पोत और उसका कोई फिटिंग ऐसे परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे जो समनुदेशन प्राधिकारी के मत से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि पोत उपनियम (i) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । पोत की स्थिरता से सम्बद्ध कोई परीक्षण नियम 31 की अपेक्षाओं के अनुसार होगा ।

(3) यदि पोत का स्वामी या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति नियम 3 के अधीन पोत के सर्वेक्षण के लिए आवेदन करेगा तो वह ऐसे सर्वेक्षण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा और समनुदेशन प्राधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर समनुदेशन प्राधिकारी के उपयोग तथा पोत को आवश्यकतानुसार रोके रखने के लिए उसे ऐसे अन्य दस्तावेज और जानकारी देगा जो समनुदेशन प्राधिकारी आवश्यक समझे।

5. **सर्वेक्षण की रिपोर्ट** :—(1) सर्वेक्षण की समाप्ति पर, सर्वेक्षक समनुदेशन अधिकारी को सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें सर्वेक्षण के परिणामों तथा नियम 4 की अपेक्षाओं के संदर्भ में पोत की स्थिति के बारे में उसके निष्कर्षों का उल्लेख किया जाएगा ।

(2) सर्वेक्षण की रिपोर्ट के साथ नियम 26 की अपेक्षाओं के अनुसार समनुदेशन की शर्तों का अभिलेख संलग्न किया जाएगा । यह अभिलेख चौथी अनुसूची में निर्धारित किए गए फार्म में दिया जाएगा । इसके अलावा रिपोर्ट के साथ इन नियमों के भाग V एवं दूसरी अनुसूची की अपेक्षाओं का पालन करने हुए फ्रीबोर्ड के अभिकलन भी दिए जाएंगे ।

(3) किसी ऐसे पोत की स्थिति में जिसे स्थिरता संबंधी तृतीय अनुसूची के भाग-I की अपेक्षाओं का पालन करना है, सर्वेक्षक केन्द्रीय सरकार को ऐसी जानकारी देगा जो इस बात को निश्चित करने के लिए आवश्यक होगी कि क्या पोत इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है या नहीं ।

6. **पोत के लिए फ्रीबोर्ड नियत करना** :—(1) समनुदेशन प्राधिकारी :—

(क) यदि सर्वेक्षण की रिपोर्ट की संवीक्षा से सन्तुष्ट हो कि पोत इन नियमों के भाग IV की प्रयोज्य अपेक्षाओं और प्रथम अनुसूची का पालन करता है, और

(ख) उस पोत परिवहन महानिदेशक से यह सूचना प्राप्त हो जाए कि वह इस बात से संतुष्ट है कि पोत इन नियमों के भाग VI और स्थिरता संबंधी तृतीय अनुसूची की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है ।

तो वह इन नियमों के भाग V और दूसरी अनुसूची के अनुसार पोत के लिए फ्रीबोर्ड नियत करेगा ।

(2) फ्रीबोर्ड नियत करने के बाद, समनुदेशन प्राधिकारी पोत के स्वामी को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा—

(क) इस प्रकार नियत किए गए फ्रीबोर्ड के विवरण ;

(ख) निम्नलिखित के बारे में हिदायतें देगा—

(i) इन नियमों के भाग III की अपेक्षाओं के अनुसार पोत पर अंकित की जाने वाली भार रेखाएं ;

(ii) वह स्थिति जिसमें भार-रेखाएं और भार रेखा चिन्ह अंकित किए जाएंगे ; और

(ग) समनुदेशन की शर्तों के अभिलेख की दो प्रतियां ।

7 **भार-रेखा प्रमाणपत्र और उसके प्रपत्र जारी करना** .—नियम 12 के उपबंधों के अनुसार समनुदेशन प्राधिकारी को जब यह तसल्ली हो जाए कि नियम 6 के अधीन स्वामी को दी गई हिदायतों के अनुसार पोत को ठीक तरह से अंकित किया गया है, तो वह अधिनियम की धारा 316 की अपेक्षाओं के अनुसार पांचवी अनुसूची में बताए गए फार्म में अन्तर्राष्ट्रीय भार-रेखा प्रमाण-पत्र, (1966) या भारतीय भार-रेखा प्रमाणपत्र, जारी करेगा ।

8. **प्रमाणपत्रों की अवधि** :—इन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक भार-रेखा प्रमाणपत्र तब तक वैध माना जाएगा जब तक समनुदेशन प्राधिकारी उसकी तारीख निर्धारित नहीं करेगा । किन्तु नियम 4 के अधीन पोत के सर्वेक्षण की समाप्ति की तारीख से पांच वर्षों से अधिक अवधि निर्धारित नहीं की जाएगी। समनुदेशन अधिकारी जो प्रमाणपत्र जारी करेगा, उनमें से प्रत्येक प्रमाण पत्र पर निर्धारित तारीख का उल्लेख किया जाएगा । ऐसा न करने पर प्रमाण पत्र वैध नहीं माना जाएगा ।

9 **भार-रेखा प्रमाणपत्र को बढ़ाना** :—(1) यदि पोत का स्वामी वर्तमान प्रमाणपत्र की अन्तिम तारीख की समाप्ति पर नया प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन करता है और किसी ऐसे पोत का सर्वेक्षण कर लिया जाता है जिस पर भार-रेखा प्रमाणपत्र लागू होता हो, तो यदि समनुदेशन प्राधिकारी—

(i) सर्वेक्षण की रिपोर्ट की संवीक्षा से संतुष्ट हो जाए कि पोत इन नियमों के भाग V की अपेक्षाओं और समनुदेशन की शर्तों से संबंधित प्रथम अनुसूची का पालन करता है, और

(ii) केन्द्रीय सरकार से सूचना मिलने पर कि पोत स्थिरता संबंधी तृतीय अनुसूची की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है ,

तो वह पोत के वर्तमान प्रमाणपत्र की वैधता अधिक से अधिक पांच महीनों की अवधि के लिए उस स्थिति में बढ़ा सकता है यदि उसका यह विचार हो कि उचित रूप में नया प्रमाणपत्र जारी करना उपयोगी नहीं होगा । ऐसे प्रत्येक मामले में, नया प्रमाणपत्र वर्तमान प्रमाणपत्र की बढ़ाई गई वैधता की तारीख के समाप्त होने पर जारी किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन जब तक समनुदेशन अधिकारी, जिस तारीख तक प्रमाण-पत्र की वैधता की तारीख बढ़ाई गई है, उस तारीख के विवरण तथा तारीख बढ़ाए जाने के स्थान के विवरण और तारीख बढ़ाने की मंजूरी देने की तारीख के विवरण वर्तमान प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकित नहीं करता तब तक बढ़ाई गई तारीख प्रभावी नहीं होगी ।

(3) उपनियम (1) के अधीन अन्ततोगत्वा पोत को जारी किए गए नये प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि उप-नियम (1) में उल्लिखित सर्वेक्षण के समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

10 **भार-रेखा प्रमाण-पत्रों का रद्द होना** .—(1) जहां केन्द्रीय सरकार को समनुदेशन प्राधिकारी या सर्वेक्षक की रिपोर्ट से या किसी अन्य कारण से यह तसल्ली हो जाए कि—

(i) जिस पोत, से प्रमाण-पत्र संबंधित है, वह पोत समनुदेशन की शर्तों की पूर्ति नहीं करता ; या

(ii) पोत का संरचना बल इतना कम है जो पोत को असुरक्षित बनाए हुए है ; या

(iii) जिस जानकारी के आधार पर पोत में वे फ्रीबोर्ड नियत किये गये थे, सामग्री के महत्व की दृष्टि से वही जानकारी गलत साबित हुई है,

तो केन्द्रीय सरकार पोत के स्वामी को अपना अभिवेदन करने के बारे में समुचित अवसर देने के पश्चात् इन नियमों के अधीन जारी किया गया कोई भी भार-रेखा प्रमाणपत्र रद्द कर सकेगी या रद्द करा सकेगी ।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार की नजर में यह आये कि—

(i) पोत का प्रमाण-पत्र नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार पृष्ठांकित नहीं किया गया है ; या

(ii) पोत के संबंध में नया प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ; या

(iii) अधिनियम की परिभाषा के अन्तर्गत पोत भारतीय नहीं रहा है ;

तो वह पोत के स्वामी को अपना अभिवेदन करने के लिए समुचित अवसर देने के पश्चात् इन नियमों के अधीन जारी किया गया कोई भी भार-रेखा प्रमाण-पत्र रद्द कर सकेगी या रद्द करा सकेगी ।

11. पोतों का आवधिक निरीक्षण :—(1) इस नियम के उपबंधों के अनुसार जिस पोत का भार-रेखा प्रमाण-पत्र लागू है, उस पोत का सर्वेक्षक, द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा कि—

(क) जुड़नार (फिटिंग्स) और खुले मुखों के सुरक्षा साधित्र, रक्षा छड़, निकास द्वार और पोत में कर्मीदल आवासों के प्रवेश मार्ग कार्यक्रम स्थिति में है ; और

(ख) पोत के खोलों या अधिसंरचनाओं में कुछ बदल नहीं किये गये हैं या नहीं हो गये हैं जिससे वह विवरण गलत हो जाए, जिसके आधार पर पोत के फ्रीबोर्ड नियत किये गये थे ।

(2) आवधिक निरीक्षण के लिए पोत के स्वामी या उनकी तरफ से समनुदेशन प्राधिकारी को आवेदन-पत्र भेजा जाएगा जो निरीक्षण करने के लिए सर्वेक्षक को नियुक्ति करेगा ।

(3) ऐसे किसी निरीक्षण के दौरान सर्वेक्षक ऐसे परीक्षण कर सकता है जो उसके विचार से यह निश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि पोत उप-नियम (1) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है ।

(4) इस नियम के अधीन किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण—वार्षिक आधार पर किए जाएंगे । यह सर्वेक्षण 9 से 15 महीने की अवधि के भीतर किए जाएंगे और यह अवधि प्रत्येक वर्ष उस तारीख से 3 महीने पहले पड़ने वाली तारीख से शुरू होगी और उस तारीख के 3 महीने बाद पड़ने वाली तारीख को समाप्त होगी जब जहाज का वह सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ था जिसके आधार पर उसे वर्तमान भार-रेखा प्रमाण-पत्र जारी किया गया था ।

यदि केन्द्रीय सरकार की यह तसल्ली हो जाए कि परिस्थितियों की ऐसी मांग है तो सरकार, निर्दिष्ट अवधि से पूर्व या उसके पश्चात् निरीक्षण करने की अनुमति दे सकती है ।

(5) यदि निरीक्षण के बाद सर्वेक्षक को यह तसल्ली हो जाए कि पोत-उपनियम (1) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तो वह भार-रेखा प्रमाण-पत्र में उस प्रयोजन से छोड़े गए स्थान पर उस सर्वेक्षण का अभिलेख पृष्ठांकित करे और यह प्रमाणित करे कि—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय भार-रेखा (1966) प्रमाण-पत्र के संबंध में यह प्रमाणित करे कि अनुबंध के संबंधित उपबंधों की पूर्ति करता हुआ पाया गया ; और

(ख) भारतीय भार-रेखा प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में यह प्रमाणित करे कि पोत इन नियमों के सम्बद्ध उपबंधों की पूर्ति करता हुआ पाया गया ।

ऐसे प्रत्येक पृष्ठांकन पर निरीक्षण करने वाला सर्वेक्षक हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा और उस समनुदेशन प्राधिकारी का उल्लेख करेगा जिसकी ओर से निरीक्षण किया गया था ।

12. छूट तथा छूट प्रमाण-पत्र :—(1) यदि केन्द्रीय सरकार किसी पोत को इस अधिनियम की धारा 316 के उपबन्धों के अनुपालन में छूट देती है, तो पोत परिवहन महा-निदेशक उस पोत के संबन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय भार-रेखा छूट प्रमाण-पत्र पांचवीं अनुसूची में निर्धारित किए गए फार्म में जारी करेगा ।

(2) इन नियमों के विपरीत अपेक्षित किसी अन्य छूट की शर्तों और उसके स्वरूप को छोड़ कर नियम 1 से 6 तक और 8 से 11 तक के उपबन्ध इस प्रकार छूट-प्राप्त किसी भी पोत पर और किसी भी ऐसे पोत के लिए इस प्रकार जारी किए गए किसी छूट प्रमाण-पत्र पर उसी तरीके से लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य पोत पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि—

(i) उपर्युक्त नियमों में समनुदेशन प्राधिकारी को किए गए संदर्भ केन्द्रीय सरकार को किए गए संदर्भ माने जाएंगे ; और

(ii) नियम 11 का उप-नियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा ; अर्थात्:—

"(5) यदि निरीक्षण के बाद सर्वेक्षण को तसल्ली हो जाती है कि पोत को जिन शर्तों के अधीन छूट दी गई थी, वह उन शर्तों का पालन कर रहा है, तो सर्वेक्षक खाली छोड़े गए स्थान पर छूट प्रमाण-पत्र का समर्थन कर देगा तथा उस समर्थन पर तारीख सहित अपने हस्ताक्षर करेगा ।

भाग III

भार—रेखाएं और चिह्न

13. उपर्युक्त चिह्न :—इस भाग के प्रयोजन के लिए, पोत से सम्बद्ध "उपर्युक्त चिह्न" का अभिप्राय उन भार रेखाओं से है जो नियम 6 के उप नियम (2) के खंड (ख) और डेक रेखा और भार-रेखा चिह्न के अधीन पोत पर अंकित की जानी है ।

14. अंकन :—पोत स्वामी समनुदेशन प्राधिकारी से नियम 6 के उप-नियम (2) में उल्लिखित निदेशों और विवरणों को प्राप्त करने के बाद इन निदेशों और इस भाग की अपेक्षाओं के अनुसार पोत के हर तरफ उपयुक्त चिह्न अंकित कराएगा ।

15. डेक रेखा :—(1) डेक रेखा 300 मिली मीटर लम्बी और 25 मिली मीटर चौड़ी क्षैतिज रेखा होगी । इस नियम के उपबन्धों के अनुसार यह पोत के हर तरफ पोत-मध्य में अंकित होगी ताकि फ्रीबोर्ड डेक की स्थिति मालूम हो सके ।

नियम 15 में वर्णित आकृति

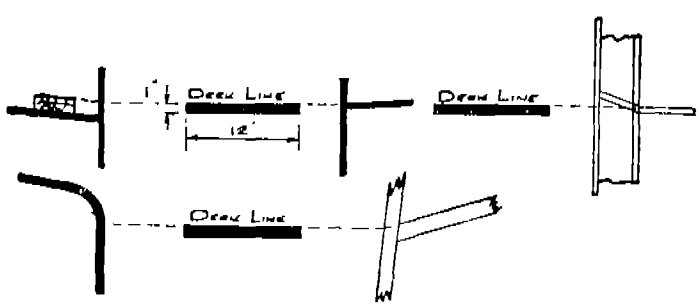

Fig 1. Deck Line

(2) पोत पार्श्व पर डेक रेखा उप-नियम (1) के उपबन्धों के अधीन इस तरह अंकित होगी कि उसका ऊपरी सिरा पोत मध्य बिन्दु से होकर जाए और जहां से--

(क) फ्रीबोर्ड डेक के ऊर्ध्व पृष्ठ या

(ख) फ्रीबोर्ड डेक के किसी आवरण

पर निर्गामी होगी। पोत के खोल के बाह्य पृष्ठ का कटान जैसे आकृति एक में दिया गया है होगा।

(3) जहां समनुदेशन प्राधिकारी के विचार में पोत के डिजाइन या अन्य किसी परिस्थिति के कारण उप-नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार डेक-रेखा का चिह्न लगाना अव्यवहारिक हो, वहां समनुदेशन प्राधिकारी नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन दिए गए निर्देशों में यह भी निदेश देगा कि पोत पार्श्व में अन्य बिन्दु के सम्बन्ध में डेक-रेखा अंकित की जाए, इस सबन्ध में जो भी उप-नियम (2) में उल्लिखित स्थिति सरल और व्यवहारिक हो, लागू होगी।

16 भार-रेखा चिह्न---भार-रेखा चिन्ह में जैसा आकृति 2 में दिखाया गया है, 300 मिली मीटर बाहरी व्यास और 25 मिली मीटर चौडाई वाला एक वलय होगा। इसका 450 मिली मीटर लम्बी और 25 मीली मीटर चौडी रेखा काटेगी, जिसका ऊपरी किनारा वलय केन्द्र से गुजरता है। वलय का केन्द्र डेक-रेखा के नीचे ऊर्ध्वाधर पोत-मध्य में अंकित किया जाएगा ताकि सिवाय जैसा अन्यथा नियम 29 में बताया गया है वलय केन्द्र से डेक-रेखा के ऊपरी किनारे तक दूरी पोत के निर्दिष्ट ग्रीष्म फ्रीबार्ड के बराबर होगी।

17 भार-रेखाएं---(1) उप नियम (2) और नियम 18 में दी गई भार-रेखाएं उस अधिकतम गहराई की सूचक मानी जाएंगी जिस गहराई तक उनसे अंकित पोत उपयुक्त भार रेखाओं, क्षेत्रों, जोनों और मौसमी अवधियों के संदर्भ में छठी अनुसूची में दी गई परिस्थितियों में लादा जा सकता है।

(2) नियम 15 और नियम 28 में दी गई व्यवस्था के अलावा, भार-रेखाएं जैसी आकृति 2 में दिया गया है, 230 मिली मीटर लम्बी और 25 मिली मीटर चौडी रेखाएं होगी, जो 25 मीली मीटर चौडी खडी रेखा के आगे या पीछे तक जाएंगी भार-रेखा चिन्ह के वलय के केन्द्र के आगे 540 मिलीमीटर और उस रेखा के समकोण पर अंकित होगी। अलग अलग भार-रेखाएं निम्नलिखित होंगी---

(i) ग्रीष्म भार रेखा जिसका पूर्वोक्त ऊर्ध्वाधर रेखा के आगे विस्तार होगा और उस पर 'S' अंकित किया जाएगा, यह पडी स्थिति में भार-रेखा चिन्ह के वलय के केन्द्र से गुजरने वाली रेखा के समान होगी,

(ii) शीत भार रेखा जिसका पूर्वोक्त खडी रेखा के आगे विस्तार होगा और उस पर "-W-" अंकित किया जाएगा,

(iii) शीत उत्तरी अटलांटिक भार-रेखा जिसका पूर्वोक्त खडी रेखा के आगे विस्तार होगा और उस पर 'NA" अंकित किया जाएगा

(iv) उष्ण कटिबंधीय भार-रेखा जिसका पूर्वोक्त खडी रेखा के आगे विस्तार होगा और उस पर "-T-" अंकित किया जाएगा;

(v) मीठा पानी भार-रेखा जिसका पूर्वोक्त खडी रेखा के पीछे विस्तार होगा और उस पर "-F-" अंकित किया जाएगा,

(vi) उष्ण कटिबंधीय मीठा पानी भार-रेखा जिसका पूर्वोक्त खडी रेखा के पीछे विस्तार होगा और इस पर "-TF-" अंकित किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) में उल्लिखित लदान की अधिकतम गहराई उपनियम (2) में दी गई उपयुक्त भार-रेखा के ऊपरी किनारे द्वारा सूचित गहराई होगा।

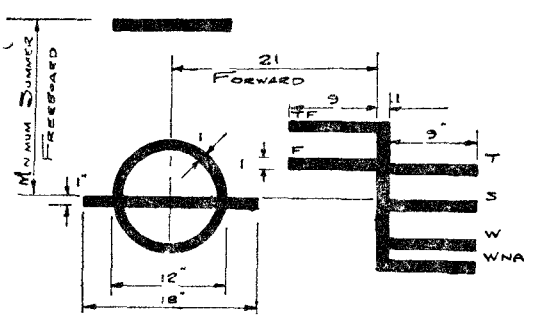

आकृतियां

नियम 16 और 18 में वर्णित आकृतियां

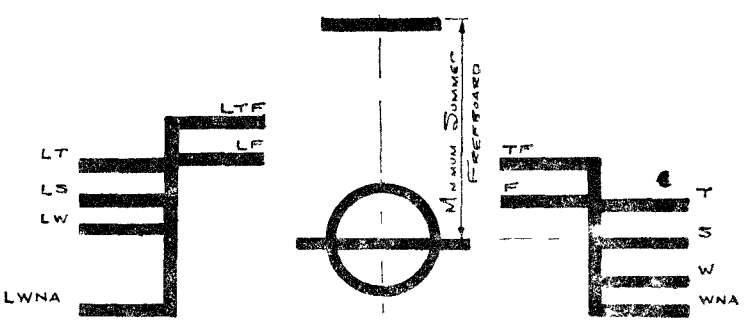

Fig 2 Load Line Mark and lines to be used with this mark

Fig 3 [illegible]

18 काष्ठ भार-रेखाएं—(1) काष्ठ भार-रेखाएं, जैसी आकृति 3 में दिखाई गई है, नियम 17 की ऐसी रेखाओं के संबन्ध में विनिर्दिष्ट परिमापों की पट्टी रेखाएं होंगी। यह उस नियम में ऐसी रेखा के लिए बनाए गए परिमापों की खड़ी रेखा के आगे या पीछे तक रेखा बढ़ी होंगी। यह भार रेखा चिन्ह के वलय मध्य के पीछे 540 मिली मीटर और उस रेखा के समकोण पर अंकित होगी। अलग अलग काष्ठ भार-रेखाएं इस प्रकार होंगी—

(i) ग्रीष्म काष्ठ भार-रेखा जिसका उक्त खड़ी रेखा के पीछे विस्तार होगा और उस पर '–LS–' अंकित होगा।

(ii) शीत भार रेखा जिसका उक्त खड़ी रेखा के पीछे विस्तार होगा और उस पर '–LW–' अंकित होगा,

(iii) शीत उत्तरी अटलांटिक काष्ठ भार-रेखा जिसका उक्त खड़ी रेखा के पीछे विस्तार होगा और उस पर '–LWNA–' अंकित होगा,

(iv) उष्ण कटिबंधीय काष्ठ भार-रेखा जिसका उक्त खड़ी रेखा के पीछे विस्तार होगा और उस पर '–LT–' अंकित होगा।

(v) मीठा पानी काष्ठ भार-रेखा जिसका उक्त खड़ी रेखा के आगे विस्तार होगा और उस पर '–LF–' अंकित होगा,

(vi) उष्ण कटिबंधीय मीठा पानी काष्ठ भार-रेखा जिसका उक्त खड़ी रेखा के आगे विस्तार होगा और उस पर 'LTF' अंकित होगा,

(2) नियम 17 के उपनियम (1) में उल्लिखित लदान को अधिकतम गहराई उपयुक्त काष्ठ भार-रेखा के ऊपरी किनारे पर सूचित गहराई होगी।

19 उपयुक्त भार-रेखा—पोत के संबन्ध में उपयुक्त भार-रेखा छठवीं अनुसूची के अनुबंधों के अनुसार किसी विशेष स्थान और समय पर निश्चित की जाएगी।

20 भार-रेखाओं की स्थिति—पोत पर हर भार-रेखा अंकित करना अपेक्षित है, यह पोत के हर तरफ ऐसी स्थिति में अंकित की जाएगी कि डेक-रेखा के ऊपरी किनारे से नीचे की ओर खड़ी मापित दूरी भार-रेखा के ऊपरी किनारे तक पोत के नियत फ्रीबोर्ड के बराबर होगी जो उस भार-रेखा का उपयुक्त है।

21 अंकन की प्रणाली—(1) उप-नियम (2) (और (3) की अपेक्षाओं के अनुसार पोत के हर तरफ उपयुक्त चिह्न इस तरह अंकित किया जाएगा कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

(2) यदि पोत के पार्श्व धातु के हों तो उपयुक्त चिन्ह काट किये जाएंगे या मध्य पंच या वेल्ड किये जाएंगे यदि पोत के पार्श्व काष्ठ के हों तो फलक पर चिन्ह कम से कम 3 मिली मीटर गहराई में काट किये जाएंगे, यदि पार्श्व अन्य पदार्थों के बने हों और अंकन की यह प्रणालियां प्रभावशाली नहीं थे, तो पोत के पार्श्व पर मोड़ देकर या अन्य कुछ प्रभावी प्रणाली से स्थायी तौर पर चिन्ह लगाए जाएंगे—

(3) यदि पृष्ठभूमि गहरी हो तो उपयुक्त चिन्ह सफेद या पीले रंग से और यदि पृष्ठभूमि हलकी हो तो काले रंग से चित्रित किया जाएगा।

22. उपयुक्त चिन्हों को हटाने आदि का प्राधिकार—पोत पर उपयुक्त चिन्ह अंकित होने के पश्चात् समनुदेशन प्राधिकारी के प्राधिकार के बिना ऐसे चिन्ह न रद्द किए जाएंगे, न हटाए या मिटाए जाएंगे और न ही उनमें कोई परिवर्तन किया जाएगा।

23 समनुदेशन प्राधिकारी का चिन्ह—(1) उपनियम (2) में दिए गए समनुदेशन प्राधिकारी का चिन्ह पोत के हर तरफ भार-रेखा चिन्ह के साथ उस चिन्ह की खड़ी रेखा के ऊपर या नीचे अंकित होना चाहिए।

(2) समनुदेशन प्राधिकारी का चिन्ह, प्राधिकारी का नाम पहिचानने के लिए चार अक्षरों से अधिक नहीं होना चाहिए, हर अक्षर की ऊंचाई लगभग 115 मिली मीटर और चौड़ाई 75 मिलीमीटर होनी चाहिए।

भाग IV

समनुदेशन की शर्तें

24 फ्रीबोर्ड का समनुदेशन—(1) सिवाय जैसा अन्यथा उप-नियम (2) और (3) में दिया गया है प्रत्येक पोत जिसका फ्रीबोर्ड इन नियमों के अधीन समनुदेशित है, प्रथम अनुसूची के भाग-1 के अधीन लागू अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(2) टाइप 'क' का प्रत्येक पोत जिस पर प्रथम अनुसूची के भाग-2 की अपेक्षाएं लागू होती है, टाइप 'ख' प्रत्येक पोत जिस पर प्रथम अनुसूची के भाग 3 की अपेक्षाएं लागू होती है या काष्ठ फ्रीबोर्ड समनुदेशित प्रत्येक पोत जिस पर प्रथम अनुसूची के भाग 4 की अपेक्षाओं का पालन करेगा जब तक कि उक्त अनुसूची के भाग II, III या IV के अनुसार अन्यथा करना आवश्यक न हो।

(3) प्रत्येक विद्यमान पोत, जो ऐसा पोत नहीं है जिस पर नियम 28 की धारा (ख) के परन्तुक के साथ पठित इसी नियम की धारा (क) के अनुसार फ्रीबोर्ड समनुदेशित करना अपेक्षित है पोत के फ्रीबोर्ड के समनुदेशन की ऐसी अपेक्षाओं का पालन करेगा, जो इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले लागू कानून के अधीन पालन की जानी थी।

25. समनुदेशन की शर्तों का पालन—(1) सिवाय जैसा अन्यथा उपनियम (2) में दिया गया है, पोत निम्नलिखित स्थितियों में समनुदेशन की शर्तों का पालन करता हुआ नहीं समझा जाएगा (क) यदि किसी समय फ्रीबोर्ड के समनुदेशन के पश्चात् पोतों के खोल, अधिसंरचनाएं, जुड़नार (फिटिंग्स) या उपकरणों में कोई परिवर्तन इस सीमा तक होता है कि—

(i) नियम 24 के अधीन पोत पर लागू किसी अपेक्षा का पालन नहीं किया गया है, या

(ii) नियम 26 के अनुसरण में पोत के संबन्ध में बनी समनुदेशन की शर्तों का अभिलेख काफी गलत दिया गया है या

(ख) यदि नियम 26 के उपनियम (2) के अनुसार पोत पर समनुदेशन की शर्तों का अभिलेख नहीं रखा गया हो।

(2) पोत में उपनियम (1) की धारा (क) में वर्णित कोई परिवर्तन होने पर भी पोत समनुदेशन की शर्तों का पालन करता हुआ समझा जाएगा, यदि—

(क) परिवर्तनों के पश्चात् नया फ्रीबोर्ड पोत की शर्तों को उपर्युक्त है और इस पर भार-रेखा अंकित है और उसके स्वामी को नया प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है; या

(ख) समनुदेशन प्राधिकारी की ओर से परिवर्तन का निरीक्षण किया गया है और समनुदेशन प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि यह परिवर्तन ऐसा नहीं है जिसके लिए पोत के समनुदेशित फ्रीबोर्डों में कोई बदलाव अपेक्षित हो और परिवर्तन के सम्पूर्ण विवरण सहित निरीक्षण की तारीख और स्थान, समनुदेशन की शर्तों के अभिलेख में सर्वेक्षक द्वारा पृष्ठांकित किया गया है।

26 समनुदेशन की शर्तों का अभिलेख—(1) चौथी अनुसूची में दिए गए फर्म में उस पोत के खोल, अधिसंरचनाएं, जुड़नार (फिटिंग्स) और उपकरणों का अभिलेख, जिसका फ्रीबोर्ड समनुदेशित है उस फर्म में होगा जो चौथी अनुसूची में दिया गया है, या परिस्थितियों के अनुसार उससे यथासंभव मिलते जुलते फार्म में होगा और उसमें उस फार्म में अपेक्षित ब्यौरे दिए जाएंगे। ये ब्यौरे अभिलेख के साथ सर्वेक्षण रिपोर्ट

की एक प्रति लगा कर और अभिलेख में इस रिपोर्ट के उद्धरण देकर दिए जा सकते है जिसमे सम्बन्धित ब्यौरे दिए गए है ।

(2) सर्वेक्षक नियम 4 के अनुसरण में पोत का सर्वेक्षण निष्पादन करते हुए अभिलेख पूरा करेगा और उसे नियम 5 के अनुबन्धो के अनुसार समनुदेशन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । समनुदेशन प्राधिकारी अभिलेख सहित विवरण और निदेशो की दो प्रतियां पोत के स्वामी को भेजेगा, जो नियम 6 द्वारा प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(3) पोत स्वामी को समनुदेशन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत समनुदेशन की शर्तों के अभिलेख, विवरण और निदेशो की एक प्रति हर समय पोत पर कप्तान की अभिरक्षा मे रखनी होगी ।

भाग V

फ्रीबोर्ड

27 फ्रीबोर्डों के प्रकार (टाइप) :—नियम के अधीन किसी पोत का निम्नलिखित फ्रीबोर्ड समनुदेशित किए जा सकते है :—

(i) ग्रीष्म फ्रीबोर्ड;

(ii) उष्म कटिबन्धीय फ्रीबोर्ड ;

(iii) शीत कालीन फ्रीबोर्ड ;

(iv) शीत कालीन उत्तरी अटलाटिक फ्रीबोर्ड ;

(v) मीठा पानी फ्रीबोर्ड ;

(vi) उष्म कटिबन्धीय मीठा पानी फ्रीबोर्ड ;

(vii) ग्रीष्म काष्ठ फ्रीबोड ;

(viii) शीतकालीन काष्ठ फ्रीबोर्ड ;

(ix) शीतकालीन उत्तरीय अटलाटिक काष्ठ फ्रीबोर्ड ;

(x) ग्रीष्म काष्ठ फ्रीबोर्ड ;

(xi) मीठा पानी काष्ठ फ्रीबोर्ड ; और

(xii) उष्म कटिबन्धीय मीठा पानी काष्ठ फ्रीबोर्ड ।

28. फ्रीबोर्ड का निर्धारण :—जैसा अन्यथा नियम 29 में दिया ii या है, उसके सिवाय—

(क) नए पोत को समनुदेशित किए जाने वाले फ्रीबोर्ड द्वितीय अनुसूची के अनुबन्धो के अनुसार निर्धारित किए जाएगे ।

(ख) विद्यमान पोत को समनुदेशित किए जाने वाले फ्रीबोर्ड को इन नियमो के लागू होने से तत्काल पूर्व लागू नियमो के अधीन पोत पर लागू अनुबन्धो के अनुसार निर्धारित किया जाएगा :

लेकिन यदि विद्यमान पोत इस प्रकार निर्मित या परिवर्तित है जिससे कि इस प्रकार के नए पोत पर लागू प्रथम अनुसूची की अपेक्षाओ का पालन हो रहा है और द्वितीय अनुसूची के अनुबन्धो के अनुसार निर्धारित फ्रीबोर्ड के समनुदेशित के लिए ऐसे पोत के सम्बन्ध में आवेदन किया जाए तो पोत को ऐसे फ्रीबोर्ड समनुदेशित किए जा सकते है ।

29 फ्रीबोर्ड सम्बन्धी आपवाद :—(1) न्यूनतम फ्रीबोर्ड से अधिक :— कोई पोत, स्वामी के उस विषय मे आवेदन करने पर नियम 28 के अनुसार अवधार्य न्यूनतम फ्रीबोर्ड से महत्तर निम्नलिखित शर्तों पर समनुदेशित किया गाए, अर्थात् :—

(क) नियम 4 के अनुसरण में पोत के सर्वेक्षण पर, समनुदेशन प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि पोत —

(i) इन नियम के भाग IV ;

(ii) इनसे अन्य प्रथम अनुसूची से सम्बन्धित स्थिरता ;

(iii) इन नियमों के भाग 5 जहां तक स्थिरता सम्बन्ध है ; और

(iv) तृतीय अनुसूची जहां तक स्थिरता से सम्बन्ध है ;

की अपेक्षाओं का पालन करता है ।

(ख) पोत काष्ठ फ्रीबोर्ड से समनुदेशित नही है ।

(ग) यदि पोत को न्यूनतम फ्रीबोर्ड के अधिक समनुदेशित किया जाने वाला फ्रीबोर्ड इस तरह है कि पोत के पार्श्व मे भार रेखा की स्थिति उस फ्रीबोर्ड से उपयुक्त है जो उसके अनुकुल या उससे नीचे होगी और वह स्थिति जिस पर उस पोत के लिए भार रेखाओ के निम्नतम उपयुक्त न्यूनतम फ्रीबोर्ड को अंकित किया जाएगा :—

(i) पोत के पार्श्वों मे भार-रेखा उपयुक्त न्यूनतम फ्रीबोर्ड से अधिक और अग्रवण जल फ्रीबोर्ड अंकित करना चाहिए ।

(ii) भार-रेखा उपयुक्त न्यूनतम फ्रीबोर्ड से अधिक 'सर्व मौसमी भार रेखा' कही जाएगी जिसकी अनुरुप रेखा चिन्ह पर काटने वाली है तदनुसार इस पर चिन्ह लगाए जाएगे ;

(iii) नियम 17 के उप-नियम (2) मे बताई गई उष्णधिर रेखा छोड़ दी जाएगी ; और

(iv) धारा (3) के उपबन्धो के अधीन अग्रवण जल भार रेखा जैसे नियम 17 के उप नियम (2) मे दी गई है तदनुसार अंकित कर दी जाएगी ।

(2) न्यूनतम फ्रीबोर्डो से कम :—(1) हापर टाइप पोत के स्वामी के उस विषय मे आवेदन करने पर जो अन्तराष्ट्रीय जलयात्राओ से अन्य जलयात्राओ मे आबद्ध है, जो किसी समय भी जमीन के निकट पूर्व से 20 मील से आगे नही जा सकता है द्वितीय अनुसूची के भाग IV में दी गई शर्तों के अधीन नौवहन महानिदेशक ऐसे पोतो को न्यूनतम फ्रीबोर्डो से इस तरह कम किया गया न्यूनतम फ्रीबोर्ड समनुदेशित कर सकता है :—

(i) द्वितीय अनुसूची के भाग में दिए गए टेबुल 'ख' के अनुसार उपयुक्त न्यूनतम फ्रीबोर्ड का पाच बटे आठ ; या

(ii) द्वितीय अनुसूची की धारा 4 या धारा 5 के अनुसार उपयुक्त न्यूनतम फ्रीबोर्ड की आधा;

शर्त यह है कि किसी मामले में ऐसा फ्रीबोर्ड 150 मिलीमीटर से कम नही होगा ।

30. भार रेखा की विशेष स्थिति और फ्रीबोर्डों की शुद्धि :—ऐसे मामले मे जिसमें भार रेखा नियम 15 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अनुसार पोत पार्श्वों पर अंकित की जानी है, पोत के समनुदेशित फ्रीबोर्डों को उस उष्णधिर कूरी की अनुमति के लिए संशोधित किया जाएगा, जिससे भार रेखा की स्थित नियम 15 के उपनियम (3) के अनुबंधो के आधार पर परिवर्तित हो । बिन्दु की स्थिति के जिसके सदर्भ में डैक रेखा इस प्रकार अंकित की गई है और उस डैक की पहचान जो फ्रीबोर्ड डैक माना गया है, ऐसे पोत के सबन्ध मे जारी किए गए भार रेखा प्रमाण पत्र में दी जाएगी ।

भाग IV

स्थिरता और लदान

31. पोत की स्थिरता के बारे मे जानकारी :—(1) हर पोत का स्वामी जिस पोत के फ्रीबोर्ड इन नियमो के अधीन समनुदेशित है, पोत कप्तान के निर्देशन के लिए, इस नियम के अनुबंधो के अनुसार पोत की स्थिरता संबन्धी जानकारी देगा ।

(2) ऐसी जानकारी मे, पोत की स्थिरता के समुचित विवरण, तृतीय अनुसूची के भाग II मे निर्दिष्ट सभी मामले सम्मलित होगे तथा परिकलन प्रक्रिया और विवरणों का फार्म जहां तक व्यवहार्य हो उस अनुसूची के भाग III या उसके तुल्य अनुसूची के अनुसार होना चाहिए । स्थिरता

लक्षण उक्त तृतीय अनुसूची के भाग-1 में बताए गए मापदण्डों के अनुसार होंगे ।

(3) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन, जब जानकारी पहली बार दी जाएगी, यह झुकावी परीक्षण द्वारा स्थिरता निर्धारित करने के आधार पर होगी, जब तक महानिदेशक अन्यथा अनुमति न दे। इसे महानिदेशक द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक की उपस्थिति में कार्यान्वित किया जाएगा। जब कभी पोत के परिवर्तन द्वारा उसकी विणुद्धता पर्याप्त रूप से प्रभावित होगी पहली बार दी गई जानकारी के स्थान पर नई जानकारी दी जाएगी। यदि महानिदेशक ऐसे आदेश दे, तो ऐसी ताजी जानकारी अगले झुकावी परीक्षण के आधार पर होगी ।

(4) महानिदेशक—

(क) किसी पोत के मामले में अनुमति दे सकते हैं कि जानकारी झुकावी परीक्षण के द्वारा युगल पोत की स्थिरता निर्धारण पर आधारित की जा सकती है ,

(ख) किसी पोत के मामले में जो झुकावी परीक्षण के साथ विमुक्त द्रवों या खुला कच्चा लोहा वहन करने के लिए विशेषतया डिजाइन किया हुआ है, झुकावी परीक्षण को छोड़ सकता है यदि उसी प्रकार के पोतों के संबंध में उपलब्ध जानकारी से, वह संतुष्ट हो जाए कि पोत के अनुपात और व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कि सभी सम्भाव्य लदान की शर्तों में पर्याप्त से अधिक स्थिरता प्राप्त होगी , और

(5) जानकारी, उपनियम (3) के उपबन्धों के अनुसरण में उसके बदले कोई ताजी जानकारी, कप्तान को भेजने से पूर्व, स्वामी द्वारा या उनकी ओर से महानिदेशक को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाए इसके साथ एक प्रति उनके अभिलेख के लिए प्रस्तुत की जाए और किसी विशेष मामले में जैसा महानिदेशक का आदेश हो ऐसे परिवर्धन और संशोधन समाविष्ट किए जाएं ।

(6) इस नियम के पिछले अनुबंधों के अनुसरण में दी गई जानकारी स्वामी पुस्तक के रूप में कप्तान को भेजेगा और उसको कप्तान की अभिरक्षा में हर समय पोत रखा जाएगा ।

32 पोत के लदान और नौरम के बारे में जानकारी —(1) किसी ऐसे पोत का स्वामी, जो पोत 150 मीटर से अधिक लम्बा है और विशेषतया द्रवों या खुला कच्चा लोहा वहन करने के लिए डिजाइन किया हुआ जिसके फ्रीबोर्ड इन नियमों के अधीन समनुदेशित है, ऐसे पोत कप्तान की जानकारी के लिए उपनियम (2) और (1) के अनुबंधों के अनुसार पोत लदान और नौरम संबन्धी जानकारी देगा ।

(2) ऐसी जानकारी में विस्तार से काम करने के ढंग विनिदिष्ट करने वाले अनुदेश शामिल होंगे जिसमें पोत का लदान और नौरम भी है ताकि उनकी संरचना में अवांछनीय प्रतिबल बनने से रोका जा सके और इसमें पोत के लिए अधिकतम स्वीकार्य प्रतिबल बताए जाएंगे।

(3) नियम 31 के उपनियम (5) के अनुबन्ध उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित जानकारी की तरह लागू होंगे। नियम 31 के उपनियम (6) के अनुबंधों के अनुसरण में पोत के कप्तान को महानिदेशक द्वारा विधिवत् अनुमोदित पुस्तक के रूप में अन्तर्विष्ट जानकारी दी जाएगी तथापि नियम 31 और 32 द्वारा वह जानकारी हर नियम के शीर्ष और संख्या विनिर्दिष्ट करने वाले पृथक के शीर्षों अधीन पृथक दिखाई जाती है।

प्रथम अनुसूची

(नियम 4, 6, 9, 24, 28 और 29 देखें)

समनुदेशन की शर्तें

भाग I

1 निर्वचन **सामान्य**

(1) 1 और 2 स्थितियां —इस अनुसूची के लिए फलकामखों, द्वार मार्गों और रोशनदानों की दो स्थितियां निम्न प्रकार से परिभाषित हैं

स्थिति 1 —खुले फ्रीबोर्ड और उठी छतरी पर और अग्र लंब से पोत की लम्बाई के एक चौथाई पर अवस्थित बिंदु से आगे स्थित खुले अधिसंरचना डेकों के ऊपर।

स्थिति 2 —अग्र लंब से पोत की लम्बाई के एक चौथाई पीछे स्थित अधिसंरचना डेकों के ऊपर।

(2) वर्ग 'क' के पोत

(i) वर्ग 'क' का पोत वह है जो खुले द्रव वहन करने के लिए डिजाइन किया हुआ है जिसमें माल टांकियों के केवल छोटे खुले मार्गों को जलरोक गारंटेट किए हुए इस्पात के आवरणों या समान पदार्थों से बंद किया गया है। ऐसे पोत की अनिवार्यतः अन्तर्भूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं

(क) खुले डेक की उच्च अखंडता और

(ख) लदी हुई माल जगहों की कम पारगम्यता और साधारणतः दिए गए उपविभाजन के अंश से होने वाले आप्लावन के विरुद्ध उच्च कोटि की सुरक्षा।

(ii) वर्ग 'क' का पोत यदि लंबाई में 150 मीटर से अधिक है और जब ग्रीष्म भार रेखा तक लादा गया हो रिक्त कक्ष रखता हुआ डिजाइन किया हुआ हो, इन रिक्त कक्षों के किसी एक का आप्लावन को 0.95 गृहीत पारगम्यता पर सह सकेगा और संतुलन की संतोषजनक तैरता रहेगा तो जब तक नौवहन महानिदेशक द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो निम्नलिखित धारा (iii) के अनुसार होगा। शर्त यह है कि यदि पोत की लम्बाई 225 मीटर से अधिक है, उसका मशीनरी जगह उक्त आप्लावन योग्य विभागों में से एक मानी जाएगी परन्तु पारगम्यता 0.85 समझी जाएगी ।

(iii) आप्लावित प्रकार व संतुलन की अंतिम दशा ।

पोत कम से कम निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा—

(क) आप्लावन के पश्चात अन्तिम जल रेखा किसी भाग के निचले किनारे से नीचे है जिससे वर्धमान आप्लावन हो सकता है,

(ख) असमामित आप्लावन से झुकाव का अधिकतम कोण 15 अंश है,

(ग) स्थिर विस्थापित प्रक्रिया द्वारा परिकलित होने पर, आप्लावित दशा में मेटा केन्द्री ऊंचाई कम से कम 50 मिली मीटर हो

(घ) पोत का अन्तिम आप्लावित दशा में पर्याप्त अवशिष्ट स्थिरता है।

(3) वर्ग 'ख' के पोत

सभी पोत जो उक्त उप-पैरा (2) में वर्ग 'क' के पोतों की परिधि में नहीं आते हैं, उन्हें वर्ग 'ख' के पोत समझा जाएगा।

2 समतुल्य और छूट

समनुदेशन प्राधिकारी नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन पर—

(1) पोत पर क्रमशः किसी जुड़नार, सामग्री, साधित्र, उपकरण या विशेष व्यवस्था जो इस अनुसूची के अनुबंधों में से किसी एक के अधीन अपेक्षित है, के स्थान पर किसी जुड़नार साधित्र या उपकरण फिट करने की अनुमति दे सकता है, यदि वह उसकी जांच से या अन्यथा संतुष्ट है कि वह वैसा अपेक्षित है कम से कम वैसा प्रभावी है ही।

(3) इस अनुसूची के उक्त उपबंधों के किसी एक की अपेक्षाओं से किसी विशिष्ट मामले में छूट देने की शर्त यह है कि पोत के समनुदेशित फ्रीबोर्डों को ऐसे हद तक बढ़ाएं कि पोत को सुरक्षा और कर्मीदल को संरक्षण मिले जो यथास्थिति कम प्रभावी नहीं समझा जाएगा, यदि पोत फ्रीबोर्ड के सामान्य नियम के साथ उन अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन करें।

भाग-II

सभी पोतों के लिए समनुदेशन की सामान्य शर्तें

3. पोत सामर्थ्य:—पोत का डिजायन और स्थिति ऐसी होगी कि उसका सामान्य संरचनात्मक सामर्थ्य उसके समनुदेशित फ्रीबोर्ड के लिए पर्याप्त होगा।

4. पोत स्थिरता:— पोत का डिजाईन और निर्माण ऐसा सुनिश्चित होगा कि उसकी स्थिरता सभी संभाव्य लदान की शर्तों में उसके समनुदेशित फ्रीबोर्डों के लिए छठवीं अनुसूची में दी गई संगणनाओं की प्रक्रियाओं तथा स्थिरता के मापदण्ड के अनुसार अभीष्ट सेवाओं के लिए पर्याप्त होगा।

5. जलरोक दरवाजे:—(i) पोत भीतों के सभी खुले मार्ग संवृत्त अधिसंरचना के छोरों या किसी अन्य पोतभीतों या पार्श्वों और आवरणों के छोरों पर जहां ऐसे जलरोक दरवाजे प्रयुक्त होना अपेक्षित है वहां इस्पात या अन्य सामग्री के दरवाजे स्थाई तौर पर और मजबूती से पोतभीत के साथ संलग्न और चौखट, स्थिर और प्रयुक्त किए जाएंगे ताकि सारी संरचना अछेद्य पोत भीत के तुल्य सामर्थ्य की हो और जब बंद हों, वर्षारुद्ध हों। इन जलरोक दरवाजों की सुरक्षा के लिए साधनों में गास्केट और क्लैंप साधन या अन्य समतुल्य साधन होंगे और वे पोतभीतों या उनके दरवाजों पर स्थाई तौर पर संलग्न होंगे और वे दरवाजे इस तरह व्यवस्थित होंगे कि पोतभीत के दोनों पार्श्वों से संचालित हो सके।

(ii) सिवाय जैसा अन्यथा इस अनुसूची में उपबंधित है पोतभीतों में खुले मार्गों के देहल की ऊंचाई संवृत्त अधिसंरचना के किनारों पर कम से कम 380 मि० मी० डेक के ऊपर होगी।

6. अधिसंरचना के अन्तिम पोतभीत :—संलग्न अधिसंरचनाओं के अन्तिम अभिदर्शित पोतभीतों पर सक्षम निर्माण होगा।

7. फलकामुखों की सामान्य अपेक्षाएं :—(1) माल की और अन्य फलकामुखों को 1 और 2 स्थितियों में वर्षारुद्ध बनाने के लिए निर्माण और साधन कम से कम पैरा 8 और 9 की अपेक्षाओं के तुल्य होंगे।

(2) अधिसंरचना डेक के ऊपरी डेकों पर अभिदर्शित फलकामुखों के आच्छादन और फलकामुख आवरण ऐसे निर्माण होंगे और फलकामुख को वर्षारुद्ध रखने के लिए उनमें ऐसे साधन फिट होंगे जैसे उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त हैं।

8. सुवाह्य आवरणों द्वारा बंद और तिरपाल और पट्टी साधनों द्वारा वर्षारुद्ध फलकामुख:—(1) फलकामुख आडवाल हर फलकामुख पर्याप्त निर्माण के आडवाल का होगा। जब तक अन्यथा अनुमति न हो आडवाल का निर्माण नरम इस्पात का होगा। डेक के ऊपर आडवाल की ऊंचाई कम से कम निम्नलिखित होगी :

यदि फलकामुख स्थिति 1 में हो, 600 मिली मीटर।

यदि फलकामुख स्थिति 2 में हो, 450 मिली मीटर।

(2) फलकामुख आवरण : (क) फलकामुख आवरणों के लिए हरेक सतह की चौड़ाई कम से कम 65 मिली मीटर होगी।

(ख) जहां आवरण काष्ठ के बने हों, वहां उसकी परिसज्जित मोटाई कम से कम 60 मिली मीटर होगी जो विस्तार साहचर्य में अधिक से अधिक 1.5 मीटर तक होगी और बड़े विस्तारों के लिए आवरण की मोटाई विस्तार के 1.5 मीटर के लिए 60 मिलीमीटर के अनुपात से वृद्धि होगी। काष्ठ आवरणों के छोरों को सक्षमतापूर्वक अस्तरदार इस्पात पट्टियों से संरक्षित रखा जाएगा।

(ग) जहां आवरण नरम इस्पात के बने हों वहां उनका सामर्थ्य निम्न सारणी के अनुसार गृहीत भारों के साथ परिकलित किया जाएगा और इस प्रकार परिकलित अधिकतम प्रतिबल के गुणनफल और 4.25 घटक सामग्री के न्यूनतम अंतिम सामर्थ्य से अधिक नहीं होंगे। आवरण भी ऐसे डिजाइन किए होंगे कि विचलन सीमा का इन भारों के अधीन विस्तार 0.0028 गुने से अधिक नहीं होगा।

भारों की सारणी

(प्रति वर्ग मीटर)

पोत की लम्बाई (L)	स्थिति 1 में फलकामुख	स्थिति 2 में फलकामुख
24 मीटर	1 मीटरी टन	0.75 मीटरी टन
100 मीटर या अधिक	1.75 मीटरी टन	1.30 मीटरी टन
24 मीटर से अधिक लेकिन 100 मीटर से कम	रेखीय अन्तर्वेशन द्वारा अभिनिश्चित की जाएगी	

(3) सुवाह्य धरण :—जहां सहायक फलकामुख आवरणों के लिए सुवाह्य धरन नरम इस्पात के बने हों वहां ऐसे धरनों का सामर्थ्य उपयुक्त गृहीत भार के साथ परिकलित होगा जो उक्त उप-पैरा (2) की सारणी के अनुसार अभिनिश्चित होगा और इस प्रकार परिकलित अधिकतम प्रतिबल का गुणनफल और घटक 5 सामग्री के न्यूनतम अंतिक सामर्थ्य से अधिक नहीं होगा। साथ ही ऐसे धरनों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि उक्त गृहीत भारों के अधीन विचलन सीमा विस्तार के 0.0022 गुने से अधिक न हो।

(4) पीपा आवरण—(क) जहां नरम इस्पात के पीपा आवरण सुवाह्य धरनों और आवरणों के स्थान पर इस्तेमाल हुए हों वहां उनका सामर्थ्य उपर्युक्त गृहीत भार के साथ परिकलित होगा जो उप-पैरा (2) की सारणी के अनुसार अभिनिश्चित होगा और इसी प्रकार परिकलित अधिकतम प्रतिबल का गुणनफल और गुणक 5 सामग्री के न्यूनतम अंतिम सामर्थ्य से अधिक नहीं होगा। साथ ही ऐसे धरनों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि विचलन सीमा विस्तार के 0.0022 गुने से अधिक न हो।

(ख) ऐसे आवरणों के शीर्ष पर नरम इस्पात प्लेटबंदी मोटाई में पुश्ती बारों के मध्य स्थानों के एक प्रतिशत या 6 मिली मीटर, इन में से जो अधिक है, से कम नहीं होगी।

(5) आधार अथवा खोल:—सुवाह्य धरनों के लिए आधार या खोल निर्माण पर्याप्त होंगे और धरनों की पर्याप्त फिटिंग और सुरक्षा करने के लिए साधन होंगे—जहां बेलनाकार धरन इस्तेमाल हुए हैं वहां व्यवस्थाओं से सुनिश्चित करना होगा कि जब फलकामुख बंद हों तब धरन यथास्थिति होंगे।

(6) क्लीट :—क्लीट ऐसे सेट किए जाएंगे कि वेज के टेपर को फिट कर सकें, वे कम से कम 65 मिली मीटर चौड़े और फलका से अधिक से अधिक 150 मिली मीटर तक अन्तर पर होंगे।

(7) पट्टी और वेज :—पट्टियां और वेज सक्षम और अच्छी हालत में होने चाहिये। वेज कठोर काष्ठ या अन्य तुल्य सामग्री का होना चाहिए। उनके अधिक से अधिक 6 में 1 तक टेपर होने चाहिए और खुरी पर 13 मिली मीटर से कम मोटा नहीं होना चाहिए।

(8) तिरपाल:—तिरपालों की कम से कम दो तह अच्छी हालत में स्थिति 1 या 2 में हर फलकामुख के लिए दी जानी चाहिए। तिरपाल जल सह और पर्याप्त सामर्थ्य के होने चाहिए। वे उस सामग्री के बने होंगे जो वजन और गुण में कम से कम अनुमोदित स्तर के हों।

(9) फलकामुख आवरणा की सुरक्षा —सभी फलकामुख के लिए 1 या 2 स्थिति मे सक्षमतापूर्वक के लिए इस्पात छड़ या अन्य समाई साधन दिए जाने चाहिए और तिरपाल पट्टीवार बनाने के पश्चात् फलकामुख आवरणो का हर खड स्वतन्त्रतापूर्वक सुरक्षित होना चाहिए । लम्बाई मे 1 5 मीटर से अधिक फलकामुख आवरण अन्तिम ऐसे दो निश्चित साधनो द्वारा सुरक्षित रखे जाने चाहिये।

(10) सामग्री —यदि किसी फलकामुख के अडवालो, आवरणो और धरना के निर्माण की सामग्री नरम इस्पात से इतर सामग्री से बनी हो, तो ऐसी सामग्री से बने अडवाल, आवरण और धरन ऐसी सामर्थ्य और दुर्नम्यता के होगे जैसी नरम इस्पात के लिए इस अनुसूची मे विनिर्दिष्ट है।

9 इस्पात के जलरोक आवरणो द्वारा या अन्य गास्केटो और क्लैंपिंग साधनो के साथ प्रयुक्त तुल्य सामग्री द्वारा बद फलकामुख —(1) फलकामुख अडवाल ·

(क) फलकामुखो के अडवालो का पर्याप्त निर्माण होना चाहिए। अडवालो की कम से कम ऊचाई —
स्थिति 1 मे 600 मिली मीटर
स्थिति 2 मे 450 मिली मीटर
होनी चाहिए।

(ख) बशर्ते कि यदि नौवहन महानिदेशक अनुमोदित कर दें, अडवालो की ऊचाई कम की जा सकती है या अडवाल विशिष्ट परिस्थितियो मे हटा दिया जा सकता है, इस शर्त पर कि पोत की, बहुत खराब समुद्र और तूफानी अवस्था मे सेवा मे लगे पोत से भिडन्त होने के फलस्वरूप क्षति से सुरक्षा को हानि नही पहुचेगी।

(2) जलरोक आवरण, (क) नरम इस्पात के बने तीन जलरोकी आवरणो का सामर्थ्य पैरा 6(2) के भारो की सारणी के अनुसार गृहीत भार के साथ परिकलित किया जाएगा और इस तरह परिकलित अधिकतम प्रतिबल के गुणनफल और घटक 4 25 सामग्री के न्यूनतम अन्तिम सामर्थ्य से अधिक नही होगे । साथ ही ऐसे आवरणो की इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि विचलन सीमा इन भारो के अधीन विस्तार के 0 0028 गुने से अधिक नही होगी।

(ख) ऐसे आवरणो के शीर्ष पर नरम इस्पात प्लेटबदी मोटाई मे पुश्तीवारा के मध्य स्थानो के एक प्रतिशत या, यदि वह अधिक है, 6 मिलीमीटर से कम नही होगी ।

(3) वर्षारुद्धता सुरक्षित के लिए साधन फलका आवरण गास्केटो और क्लैंपिंग साधनो के जुडनार (फिटिंग) द्वारा वर्षारुद्ध बनाए जाएगे । यदि कोई तुल्य व्यवस्था अपनाई जाएगी तो सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी सामग्री स्थिति मे रुद्धता बनाई रखी जा सकती है, इस हेतु रुद्धता के लिए परीक्षण प्रारंभिक सर्वेक्षण पर अपेक्षित होगे और आवधिक सर्वेक्षणो और वार्षिक निरीक्षणो पर या बारबार अधिक समयान्तरालो पर अपेक्षित होगे ।

10 मशीनरी जगह के मार्ग —(1) मशीनरी जगह के मार्ग स्थिति 1 या 2 मे पर्याप्त सामर्थ्य के इस्पात खोल द्वारा उचित रीति से निर्मित और सक्षमतापूर्वक सलग्न होगे, उस सीमा का ध्यान रखा जाएगा, जिससे खोल अन्य सरचनाओ द्वारा सरक्षित है ।

(2) इस अनुसूची के पैरा 5 का अनुपालन करते हुए ऐसे खोलो मे हर द्वार मे इस अनुसूची के पैरा 5 के अनुसार दरवाजे लगे होगे, जिसके देहलो की कम से कम निम्नलिखित ऊचाई होगी —

यदि मार्गस्थिति 1 मे है तो डेक से ऊपर 600 मिलीमीटर

यदि मार्गस्थिति 2 मे है तो डेक से ऊपर 380 मिलीमीटर,

ऐसे खोल मे अन्य मार्गो पर स्थायी तौर पर इस्पात के सलग्न आवरण प्रयुक्त होगे जिनके द्वारा यह वर्षारुद्ध बद किया जा सकता है और सिवाय ऐसे आवरण के मामले मे जो बोल्टो से जडी प्लेट से बने है, दोनो पार्श्वों से परिचालित होने की क्षमता रखता है ।

(3) किसी फिडले, फिनेल या सवाती मशीनरी जगह के अडवाल, फ्रीबोर्ड या अधिसरचना डेक पर खुली स्थिति मे जैसा व्यवहार्य हो, और इसकी स्थिति और समुद्र से पर्याप्त सुरक्षा का ध्यान म रखत हुए डेक से अधिक से अधिक ऊचाई पर होगे ।

11 फ्रीबोर्ड और अधिसरचना डेको मे विविध मार्ग (1) नर मोखे और सम्प्रवाह मार्ग स्थिति 1 या 2 मे सलग्न अधिसरचना से इतर अधिसरचना मे जलरोक बनाने म समर्थ आवरणा द्वारा बद किए जाएगे। जब तक ये पास-पास लगी चटखनियो से सुरक्षित न हो, ये आवरण स्थाई तौर पर सलग्न किए जाएगे ।

(2) डेक म फलकामुख, मशीनरी जगह क मार्ग, नर मोखा और सम्प्रवाह मोखा से अन्य मुख—

(क) यदि फ्रीबार्ड डेक पर स्थित हो तो शीत और वर्षारुद्धता मे पृष्ठांकित अधिसरचना के तुल्य सलग्न अधिसरचना या डेक घर या डेक सीढ़ी द्वारा सुरक्षित होगे,

(ख) यदि पृष्ठांकित अधिसरचना के ऊपर डेक मे खुली स्थिति मे स्थित हो, और उसी अधिसरचना मे अभिगम्य जगह देते हुए या फ्रीबार्ड डेक म डेक घर के शीर्ष पर और फ्रीबोर्ड-डेक के नीचे अभिगम्य जगह देते हुए हो, तो वर्षारुद्ध दरवाजे लगे दक्ष डेक घर या डेक-सीढ़ी द्वारा सुरक्षित होगे

(ग) यदि सलग्न अधिसरचना के ऊपर डेक मे ऊपर डेक मे खुली स्थिति मे स्थित हो, और उस अधिसरचना मे अभिगम्य जगह देते हुए हो, तो उप पैरा (ख) की अपेक्षाओ के अनुसार या उसकी स्थिति का ध्यान मे रखते हुए किसी कम मात्रा मे सुरक्षित होगे ।

(3) ऐसे दक्ष डेक-घर, डेक-सीढ़ी या सलग्न अधिसरचना मे द्वारो पर जैसे उप पैरा (2) मे वर्णित है, पैरा 5 की अपेक्षाओ का अनुपालन करते हुए दरवाजे फिट होगे और देहल की न्यूनतम ऊचाई निम्नलिखित होगी —

स्थिति 1 मे 600 मिलीमीटर

स्थिति 2 मे 380 मिलीमीटर ।

12 सवाती —(1) फ्रीबोर्ड डेक या सलग्न अधिसरचना के डेको के नीचे की जगहो की स्थिति 1 या 2 मे सवाती इस्पात के अडवालो या अन्य तुल्य धातु के होगे। इनका निर्माण पर्याप्त होगा और दक्षतापूर्ण डेक से सबद्ध होगे।

(2) (1) सवाती क अडवालो की कम से कम ऊचाई निम्नलिखित होगी—

(क) यदि स्थिति 1 मे सवाती हो तो डेक से ऊपर 900 मिलीमीटर,

(ख) यदि स्थिति 2 मे सवाती हो तो डेक से ऊपर 760 मिलीमीटर,

परन्तु जब सवाती ऐसी स्थिति मे स्थित है कि उस पर विशेष रूप से मौसम और समुद्र का प्रभाव पडेगा तो अडवाल की ऊचाई उक्त न्यूनतम ऊचाई से पर्याप्त मात्रा मे बढा दी जाएगी ताकि इसकी स्थिति को ध्यान मे रखत हुए इसे पर्याप्त सुरक्षा मिल ।

(11) जहा किसी सवाती क अडवाल ऊचाई म 900 मिलीमीटर से अधिक हो तो वहा यह ब्रेकेटा, रस्सियो या अन्य साधनो से सक्षमता पूर्वक थामकर रखा जाएगा।

(3) सलग्न अधिसरचनाओ से अन्य अधिसरचनाओ मे गुजरने वाली स्थिति 1 या 2 मे सवाती इस्पात के अडवाल या अन्य तुल्य धातु के

होंगे । इनका निर्माण पर्याप्त होगा और ये फ्रीबोर्ड डेक से संबद्ध होंगे और उस डेक के ऊपर कम से कम 760 मिलीमीटर ऊपर होंगे।

(4) उप-पैरा (5) के अधीन स्थिति 1 या 2 में खुलने वाले हर संवाती के साथ ऐसा सक्षम उपकरण होगा जिसमें यह बंद और वर्षारुद्ध रखा जा सके । ऐसा हर बंद करने का उपकरण जो 100 मीटर तक लंबाई वाले पोत पर लगाया जाएगा, स्थाई रूप से उस पर सलग्न होगा और अन्य पोत के मामले में या तो उसी तरह सलग्न होगा या जिस संवाती के यह फिट किया गया है, उस संवाती के पास सुविधानुसार रखा जाएगा।

(5) (क) स्थिति 1 में संवाती जिसका अडवाल डेक के ऊपर ऊंचाई में 1.5 मीटर से अधिक हो और स्थिति 2 में संवाती जिसका अडवाल डेक के ऊपर ऊंचाई में 2.3 मीटर से अधिक हो उनमें बंद करने के उपकरण फिट करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि—

(i) यह मशीनरी जगहों या माल कक्ष के लिए प्रयुक्त न होता हो, या

(ii) ऐसे उपकरण का जुड़नार, परिस्थितियों में आवश्यक न हो, ताकि पर्याप्त सुरक्षा मिल सके।

(ख) बैटरी कक्ष में मुख्य जगह की स्थिति 1 या 2 में संवाती के साथ बंद करने का उपकरण फिट नहीं होगा।

13 वायु नलियां :—(1) जहाँ नोरम और अन्य टंकियों की वायु नलियां फ्रीबोर्ड या अधिसंरचना डेक के ऊपर विस्तार से हो वहा नलियों के खुले भाग पर्याप्त निर्माण के होंगे और किसी ऐसी वायुनली के खुले मुखों को वर्षारुद्ध बन्द करने के लिए उनमें सक्षम साधन फिट होंगे जो इनके साथ स्थायी रूप से संलग्न होंगे।

(2) (i) डेक के ऊपर वायु नली मुख की ऊंचाई जिसके द्वारा पानी नीचे प्रवेश पा सके, निम्नलिखित होंगी :—

(क) यदि वह डेक फ्रीबोर्ड डेक है तो कम से कम 760 मिलीमीटर;

(ख) यदि वह डेक मानक ऊंचाई की अधिसंरचना के ऊपर है या 760 मिलीमीटर तक ऐसी किसी ऊंचाई की अधिसंरचना के ऊपर है जो अधिसंरचना की मानक से कम ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षा के लिए आवश्यक समझी जाए, तो कम से कम 450 मिली मीटर हो ।

(ii) परन्तु पिछले उप पैरा 2(i) में वर्णित ऊंचाई, किसी विशेष मामले में न्यूनतम विनिर्दिष्ट ऊंचाई से कम हो सकती है, यदि ऐसी ऊंचाई से पोत कार्य में अनुचित रूप से बाधा पड़े और यदि बंद करने की व्यवस्थाएं ऐसी हों कि निचली ऊंचाई तक समुद्र से पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित हो।

14. माल द्वार तथा अन्य उसी प्रकार के मुख :—(1) माल द्वारों और अन्य उसी प्रकार के मुखों की संख्या, फ्रीबोर्ड डेक के नीचे पोत पार्श्वों पर या उन अधिसंरचनाओं के छोरों, पर जो पोत के खोल की लगातार भाग है, पोत डिजायन और उसके उचित कार्य चालन के अनुरूप होगे।

(2) ऐसे माल द्वार और मुखों पर दरवाजे लगे होंगे जो इस तरह फिट और डिजायन किये गये होंगे कि यह सुनिश्चित हो जाये कि खोल की बाकी और की प्लेट बंदी के अनुसार जलरुद्धता और संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित हो सके।

(3) जब तक नौवहन महानिदेशक परिस्थितियों में ऐसी अनुमति न दें तब तक ऐसे मुखों के निचले कोर फ्रीबोर्ड डेक के एक और समान्तर खींची गई रेखा से नीचे नहीं होंगे जिसके निम्नतम बिन्दु पर सर्वोच्च भार रेखा का ऊपरी छोर है।

15. परनाले अन्तर्गम और नाली :—

(1) निम्नलिखित में से किसी से पोत के खोल में होकर बोर्ड पर ले जाये गये सभी नलों पर—

(क) फ्रीबोर्ड डेक के नीचे जगह, या

(ख) संलग्न अधिसंरचना के अन्दर जगह, या

(ग) फ्रीबोर्ड डेक पर किसी ऐसे डेक घरों के भीतर जगह जिनमें पैरा 5 के अनुसार वर्षारोक दरवाजे लगे हों ।

पानी अन्दर आने से रोकने के लिये निम्नलिखित उप-पैरा के अनुसार सक्षम और सुलभ साधन फिट होंगे।

(2) (क) धारा (ख) और (ग) के अधीन बन्द करने के ऐसे साधनों में, खोल पर एकल स्वचालित एकतरफा वाल्व होगा और फ्रीबोर्ड डेक से ऊपर की स्थिति से उसमें बंद करने का वास्तविक साधन होगा। ऐसी स्थिति तुरन्त पहुंच योग्य होगी और इसके साथ एक सूचक लगा होगा जिससे पता चल सके कि वाल्व खुला है या बंद है।

(ख) यदि ग्रीष्म जल भार रेखा से निकास पाइप के बोर्ड के अन्दर वाले छोर तक खड़ी ऊंचाई $0.0L$ से अधिक हो तो निकास पाइप में बंद करने के निश्चित साधनों के बिना दो स्वचालित एक तरफ वाल्व हो सकते हैं जिनमें से बोर्ड के अन्दर की ओर वाला वाल्व परीक्षा के लिये आसानी से पहुंच योग्य होना चाहिये, तथापि जहां खड़ी ऊंचाई $0.02L$ से अधिक हो वहां बन्द करने के निश्चित साधन के बिना एकल स्वचालित एकतरफा वाल्व लगाया जा सकता है, यदि वह परिस्थितियों में समान प्रभावी हों । एकल वाल्व और बाहरी वाल्व जहा दोनों ही हों वहां वे जहां तक व्यवहार्य हों, खोल के नजदीक से नजदीक लगाये जायें और पर्याप्त रूप से जोड़े जाये ।

(ग) किसी भी स्तर से शुरू होने वाले और खोल के अन्दर फ्रीबोर्ड-डेक से नीचे 550 मिलीमीटर से अधिक तक जाने वाले या ग्रीष्म जल भार रेखा के ऊपर 600 मिलीमीटर से कम तक जाने वाले मपर और निकास पाइपों में खोल पर एक ही एक तरफा वाल्व होगा ।

यदि नलों का निर्माण काफी अच्छा हो और खंड (क) के अनुसार वाल्व लगाना आवश्यक न हो तो, वाल्व को छोड़ा जा सकता है ।

(3)(क) कर्मीदलयुक्त मशीनरी जगह में स्थित और मुख्य या सहायक समुद्र प्रवेश द्वार या नितल प्रवेश प्रणाली के रूप में काम कर रहे किसी वाल्व के नियंत्रण ऐसे स्थान पर लगाये जायेंगे कि सेवा स्थिति में वे हर समय तुरन्त पहुंच योग्य रहे । निम्नलिखित उप पैरा में उल्लिखित वाल्व में एक सूचक लगा होगा जिससे पता चल सके कि वाल्व खुला है या बन्द है ।

(ख) कर्मीदल रहित मशीनरी जगह में स्थित और समुद्र प्रवेश द्वार या नितल प्रवेश प्रणाली के रूप में काम कर रहे किसी वाल्व के नियंत्रण ऐसे स्थान पर लगाये जायेंगे कि सेवा स्थिति में वे हर समय तुरन्त पहुंच योग्य हों । पहुंचने या परिचालक नियंत्रण से संभाव्य देरी के संबंध में विशेषतया ध्यान दिया जाये । इसके अतिरिक्त जिस मशीनरी जगह में वाल्व स्थित है उसमें सक्षम चेतावनी साधन लगा होगा ताकि सामान्य परिचालन के परिणाम स्वरूप मशीनरी के आने वाले पानी से इतर किसी अन्य तरीके से मशीनरी जगह में पानी आने की उपयुक्त नियंत्रण स्थिति पर चेतावनी मिल सके।

(ग) इस उप-पैरा में "कर्मीदल रहित मशीनरी जगह" का अर्थ है ऐसी मशीनरी जगह जो समुद्र पर पोत के सामान्य परिचालन के दौरान किसी समय के लिये कर्मीदल रहित हो और "कर्मीदल युक्त मशीनरी जगह" का अर्थ है कर्मीदल रहित मशीनरी जगह से इतर मशीनरी जगह ।

5 सलग्न अधिसंरचना से ऊपर अधिसरचना में आने वाले या ऐसे डेक-घर द्वार से जिनमें वर्षारोक दरवाजे न हो, आने जाने सभी परनाले बोर्ड के ऊपर जायेंगे ।

6 इस पैरा के उपबन्ध द्वारा अपेक्षित सभी वाल्व और खोल जुडनार इस्पात काष्ठ या अन्य उपयुक्त तुल्य सामग्री के होंगे और सभी पाइप जो इस पैरा में उल्लिखित है इस्पात या अन्य तुल्य सामग्री होंगे ।

16 पार्श्व मोखा —(1) फ्रीबोर्ड डेक की निचली जगहों में या सलग्न अधिसरचनाओ के अन्दर की जगहो मे बने पार्श्व मोखो मे सक्षम अन्दरूनी अधौटिया फिट होंगी ताकि वे प्रभावी रूप से वर्षारोक रखी जा सके और बन्द की जा सके ।

(2) एक पार्श्व मोखा किसी भी ऐसी स्थिति नही होंगे ताकि उनको देहल एक और फ्रीबोर्ड डेक के समानान्तर खीची गई रेखा के नीचे हो और उसका निम्नतम बिंदु ग्रीष्म भार रेखा के ऊपर चौडाई (बी०) का 2 5 प्रतिशत या 500 मिलीमीटर, जो भी अधिक दूरी हो, हो।

(3) पार्श्व मोखा अपने काच सहित, यदि कांच लगे हों और अधौटियां पर्याप्त और अनुमोदित प्रकार से निर्मित होंगी।

17 निकास मोखा : (1) जहा फ्रीबोर्ड डेक के खुले मार्गो मे अडवाल या अधिसरचना डेक कूप आकृति के हो वहा डेक से जल हटाने और उसे शीघ्रता से निकालने के लिये पर्याप्त व्यवस्था होगी । पोत के हर पार्श्व में फ्रीबोर्ड डेक पर हर कूप के लिये निकास मोखा क्षेत्र (ए) को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिये जायेंगे (क-1) उठाने के साथ फ्रीबोर्ड डेक पर कूप के मार्ग मे मानक सै उठान के बराबर या उसमे अधिक

जहां एल० 20 मीटर या कम हो—

वहां ए = 0 7 + 0 035 एल० (वर्ग मीटर)

जहां एल 20 मीटर से अधिक हो

वहा ए = 0 07 एल० (वर्ग मीटर)

अडवाल की उंचाई (एल) 0 7 एल से अधिक किसी दो मामले मे लेने की आवश्यकता नही है ।

(ख) यदि अडवाल की ऊंचाई (एच) 1.2 मीटर से अधिक या 0 9 मीटर से कम हो तो निकास मोखा क्षेत्र निम्नलिखित मात्रा मे बढ़ाये या घटाये जाये ।

जहा एच 1 2 मीटर से अधिक हो वहा उक्त-पैरा (क) मे ए निम्नलिखित द्वारा बढाया जाये ।

ए = (एच—1 2) × 0.004 × एल० वर्ग मीटर

जहा एच 0 9 मीटर से कम हो वहा उक्त उप-पैरा (क) मे ए निम्नलिखित द्वारा घटाया जाये ।

ए = (0 9—एच) × 00004 एल० वर्ग मीटर ।

(ग) अधिसरचना डेको पर निकास मोखा क्षेत्र पैरा (क), पैरा (ख) द्वारा यथा सशोधित द्वारा प्राप्त क्षेत्र के केवल आधा होगा।

(घ) बिना उठान वाले पोतों मे पैरा (क) और (ख) से परिकलित क्षेत्र 50 प्रतिशत रैखीय अन्तर्वेशन द्वारा प्राप्त होगा ।

(2) ऐसी अधिसरचना वाले पोत मे जिसके दोनो मे से एक या दोनो छोर खुले हो, ऐसे अधिसंरचनाओ के अन्दर निकास जगह की पर्याप्त व्यवस्था समनु. प्राधिकारी की तसल्ली के अनुसार की जायेगी ।

(3) अपेक्षित निकास मोखा क्षेत्र का दो बटे तीन उठान वक्र मे न्यूनतम बिंदु के निकटस्थ कूप के आधे मे दिया जायेगा।

(4) निकास मोखा का निचला छोर, जहा तक व्यवहार्य होगा डेक के निकटतम होगा ।

(5) अडवाल मे ऐसे सभी मार्गों को लगभग 230 मिलीमीटर जगह मे पृथक जगला या छडो से सुरक्षित रखा जायेगा । यदि निकास मोखो प्रयुक्त किये जाते है तो कसने के लिये पर्याप्त रखा जायेगा । कब्जे असक्षारी धातु के पिन या मरूक के होंगे । यदि शहरो मे मजबूती से बन्द करने के उपकर लगे है तो उन का निर्माण अनुमोदित प्रकार का होगा ।

18 कर्मीदल का संरक्षण :—(1) कर्मीदल आवास के लिये प्रयुक्त डेक घर की क्षमता यथास्थिति नौवहन महानिदेशक या अन्य किसी समनुदेशन प्राधिकारी, की तसल्ली के अनुसार होगी।

(2) सक्षम जगला या अडवाल फ्रीबोर्ड डेको के सभी खुले मार्गों की परि-सीमाओ पर प्रयुक्त होंगे । अडवाल या जंगले की ऊंचाई कम से कम एक मीटर होगी । परन्तु यदि इस ऊंचाई से कुछ विशेष विस्तार पर पोत के सामान्य परिचालन के समय हस्तक्षेप हो और समनुदेशन प्राधिकारी पूर्ण संतुष्ट हो जाये कि विकल्प या पर्याप्त सरक्षण दिया हुआ है तो उस विस्तार के ऊपर कम ऊंचाई अनुमोदित की जा सकती है। समनुदेशन प्राधिकारी खुली डेक के विनिर्दिष्ट क्षेत्रो मे जगले के बदले बचाव तार के प्रयोग की अनुमति दे सकता है ।

(3) जगले या बचाव तारो के निम्नतम भाग के नीचे का मुख 230 मिलीमीटर से अधिक नही होगा । अन्य भागो के बीच की दूरी 380 मिलीमीटर से अधिक नही होगी। गोल गनलो वाले पोत के मामलों मे सीखचें, डेक की चपटी सीमा पर बांधे जायेंगे ।

(4) कर्मीदल को पोत के आवश्यक कार्य मे इस्तेमाल किये जाने वाले भागो, उनके आवासो और मशीनरी जगहो मे आने जाने में सुरक्षा प्रदान करने के लिये जगलो, बचाव तार, रक्षा रस्सियो, गलियारे या डेक के नीचे के मार्गों की व्यवस्था की जायेगी ।

(5) जब डेक माल ले जाया जा रहा हो इस अनुसूची मे दी गई समनुदेशनो की शर्तों के साथ हस्तक्षेप नही होगा और न यह किसी भी तरह कर्मीदल के लिये बचाव साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ।

भाग-III

वर्ग 'क' पोतके लिए समनुदेशन की विशिष्ट शर्तें

19 मशीनरी खोल .—वर्ग 'क' पोतो की मशीनरी खोल (I) संलग्न पूप तथा पूल जो कम से कम मानक ऊंचाई का है, या (II) समान ऊंचाई और तूल्य सामर्थ्य तथा जल रोकता के डेक घर से अभिरक्षित होगा, लेकिन निम्न स्थितियो मे यह अपेक्षा लागू नही होगी और खोल तदनुसार खुला होगा—

(क) यदि खोल मे कोई ऐसा द्वार नही है जिससे फ्रीबोर्ड डेक से मशीनरी जगह तक सीधा प्रवेश किया जा सके।

(ख) यदि खोल के एकमेव मार्ग का दरवाजा पैरा 5 के अनुसार इस्पात का जलरोक दरवाजा है और ऐसी खुली जगह या गलियार की ओर खुलने वाला है जो उतना ही सक्षम निर्मित है जितना कि खोल और सीढी से मशीनरी जगह का एक दूसरे समान इस्पात जलरोक दरवाजे द्वारा अलग किया गया हो ।

20 गलियारा और प्रवेश मुख —(1) वर्ग 'क' पोतो के लिए इस पैरे में किए गए पूप या असम्बद्ध पूल विषयक सदर्भो मे पूप या असम्बद्ध पूल के स्थान पर प्रयुक्त और उनका कार्य करने वाले डेक घर भी शामिल है ।

(2) पूप और असम्बद्ध पुल के बीच का पहुंचमार्ग निम्नलिखित में से एक होगा--

(क) उप-पैरा 1 की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले गलियारे, या

(ख) उप-पैरा 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अवरडेक मार्ग, या

(ग) अन्य समान प्रभावी और समतुल्य अनुमोदित प्रवेश द्वार।

(3) पोत, जिसके कर्मीदल को अपने कर्त्तव्यों के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति में असम्बद्ध पूल के आगे के स्थान या स्थानों की ओर या, जहां असम्बद्ध पूल नहीं होता वहां पूप के आगे की ओर जाना होता है और सभी कर्मीदल आवास तथा मशीनरी जगहें पोत की पिछली ओर स्थित होती है, के मामले में, ऐसी जगहों के लिए प्रवेश मुख निम्नलिखित में से कोई एक होगा

(क) उप-पैरा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले गलियारे या

(ख) उप-पैरा (5) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अवर-डेक मार्ग, या

(ग) उप-पैरा (6) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली पगडंडी।

(4) गलियारा विनिर्दिष्ट अधिसंरचना या उसके बदले डेक घर जो जोड़ने वाला, और इस भाग के अधीन अपेक्षित, निम्न अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा--

(क) गलियारा अधिसंरचना के स्तर पर स्थायी और सक्षम रूप से निर्मित हो। हरेक सिरे के पास गलियारे स्तर के डेक घर तक के प्रवेश के सक्षम साधन रखे जाएंगे।

(ख) गलियारा प्लेटफार्म कम से कम चौड़ाई में 1 मीटर होगा और न फिसलने वाली सामग्री का होगा। प्लेटफार्म उसकी पूरी लम्बाई में हर बाजू पर जंगलो या बचाव तारों से थम द्वारा लगाया जाएगा ऐसे जंगले या तार कम से कम तीन रद्दों के होंगे, निम्नतम रद्दा 230 किलोमीटर प्लेटफार्म के ऊपर और मध्य 380 मिली मीटर तक की दूरी पर परन्तु सर्वोच्च प्लेटफार्म से 1 मीटर तक की दूरी पर हो। जंगलो या बचाव तारों को आलम्बित करने वाले थम 1.5 मीटर तक की दूरी पर होंगे।

(5) अवरडेक प्रवेश मार्ग विनिर्दिष्ट अधिसंरचनाओं या उनके बदले डेकघरों को जोड़नेवाले और अबाधित प्रवेश देने वाले, और इस भाग के अधीन अपेक्षित निम्न अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले होंगे।

(1) मार्ग फ्रीबोर्ड डेक के तुरन्त नीचे तलरोक और गैसरोक निर्मित होगा और संप्रकाशित तथा यांत्रिक संवातन द्वारा पर्याप्त संचालित होगा। इन मार्ग में समर्थ गैस परिचयन यंत्र लगाया होगा।

(ख) मार्ग, पोत की बाजू से पोत की चौड़ाई (बी) के एक बटे पांच की दूरी पर अपनी पूरी लंबाई में स्थित होगा परन्तु जब कोई पोत इस तरह बना हो कि इस अपेक्षा की पूर्ति करना व्यवहार्य न हो, तो उसके संबंध में दो अवरडेक मार्ग रखे जाएंगे, एक बायां और जमना बाजू जिसमें से हर एक इस खंड को छोड़कर सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा।

(ग) गली से फ्रीबोर्ड डेक तक जाने के लिए निर्गम के साधन इस प्रकार स्थित हो कि जो यथासंभव व्यवहार्य हो, कर्मीदल के कार्यक्षेत्रों के नजदीक हो परन्तु किसी भी हालत में 90 मीटर से अधिक की दूरी पर न लगाए गए हो और उनमें बन्द तथा त्वरित खोल देने लायक सक्षम साधन लगे हो और दोनों ओर से फ्रीबोर्ड डेक पर प्रचालनक्षम हो। निर्गम को सुरक्षित रखने वाली डेक सीढ़ी या फ्रीबोर्ड डेक पर का डेक घर इस अनुसूची के पैरा 5 की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला इस्पात दरवाजा लगा हो।

(6) यदि आवश्यक हो तो स्थायी बाधा पर उन्नत मार्ग के साधनों द्वारा अबाधित मार्ग देने वाली और इस भाग के अन्तर्गत अपेक्षित पगडंडी निम्न अपेक्षाओं की पूर्ति करेगी--

(क) यह पगडंडी यथासंभव पोत की मध्य रेखा के पास स्थित होगी और चौड़ाई में 1 मीटर से कम न होगी और इसमें इस पैरे के उप-पैरा (4) (ख) में उल्लिखित अपेक्षाओं के समान अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले जंगलो या बचावतार लगे होंगे।

(ख) इस पगडंडी में फ्रीबोर्ड डेक तक और उससे आने जाने के लिए मुक्त द्वार होंगे और वह ऐसे जंगलो या बचावतारों द्वारा कार्यक्षेत्रों के यथासंभव निकटतम होगी ताकि ऐसे द्वार पगडंडी के हर तीसरे में होंगे और दोनों बाजू पर एक दूसरे से अधिक 90 मीटर तक की दूरी पर हो।

(ग) यदि खुले डेक की अनुप्रस्थ लंबाई 70 मीटर से अधिक होती है तो पगडंडी पर पर्याप्त निर्मित आश्रम 45 मीटर तक की दूरी पर लगाए जाएंगे। ऐसा हर आश्रम कम से कम एक व्यक्ति को स्थान देने में समर्थ और इस प्रकार निर्मित हो कि आगे, दाबा और जमना बाजू से मौसम से रक्षा कर सके।

21. फलकामुख आवरण : फ्रीबोर्ड डेक पर खुली स्थिति में फलकामुखों का आवरण, फनी डेक या विस्तारित चौमौखे के शीर्ष पर, इस्पात के सक्षम निर्मित और वर्षारोक हो।

22. निकास व्यवस्थाएं : (1) फ्रीबोर्ड डेक के सभी खुले भागों और वर्ग 'क' पोत की अधिसंरचनाओं में डेक पोत बाजुओं की लंबाई के आधे पर अडवालिया अन्य तुल्य प्रवासी निकास, व्यवस्थाओं के बदले जंगलो या बचाव तार लगाए जाएंगे। ऐसे जंगले या बचाव तार इस भाग के पैरा 20 के उप पैरा (4) (ख) में उनके लिए अपेक्षित अपेक्षाओं की पूर्ति करे और उठान पट्टी का ऊपरी किनारा यथासंभव नीचे हो।

(2) यदि वर्ग क पोतों की अधिसंरचनाएं ट्रक से सम्बद्ध हो तो ट्रंक के मार्ग के फ्रीबोर्ड डेक के खुले भागों में पोत बाजू के पास इस भाग के पैरा 20 के उप-पैरा (4) (ख) में उनके लिए उल्लिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले जंगलो या बचावतार लगाए जाएंगे।

(3) यदि पोत इस प्रकार निर्मित हो कि पोत निकास मोखों और व्यवस्थाओं के होने पर भी उसमें सेवास्थिति में फ्रीबोर्ड डेक पर काफी पानी इकट्ठा होने की निहीतरूप से संभावना हो तो डेक पर उपयुक्त स्थितियों में सक्षम पनकट लगाए जाएंगे।

भाग IV

वर्ग 'ख' के कम फ्रीबोर्ड वाले पोत के लिए समनुदेशन की विशेष शर्तें

23. गलियारा और प्रवेश मुख : जब तक वर्ग ख का कम फ्रीबोर्ड वाले पोत पैरा 20 की अपेक्षाओं की इसी प्रकार पूर्ति न करें जैसा कि वह वर्ग क का पोत होने पर करता, ऐसा पोत निम्न पैरों की अपेक्षाओं की पूर्ति करे --

(1) इस पैरे में दिए गए पूप या असम्बद्ध पुल विषयक संदर्भों में पूप या असम्बद्ध पुल के स्थान पर लगाए गए और उनका काम करने वाले डेक घर शामिल है।

(2) पूप और असम्बद्ध पुल के बीच आने जाने के लिए उन संरचनाओं को जोड़ने वाले पर्याप्त बल के सक्षमतापूर्वक पूर्व निर्मित गलियारे पोत के मध्य रेखा पर या उसके पास होंगे। गलियारा चौड़ाई में कम से कम 1 मीटर होगा और उनकी दूरी लम्बाई में हर बाजू पर ऐसे जंगलों या बचावतार जो पैरा 20(4)

(ख) में उल्लिखित ऐसे जंगलो या तारों के लिए अपेक्षित अपेक्षाओं की पूर्ति करें, लगाए जाएंगे। यदि गलियारे की लम्बाई 70 मीटर से अधिक हो तो गलियारे के मार्ग मे पैरा 20(6) (ग) में उल्लिखित आश्रय सम्बन्धी अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले आश्रय बनाए जाएंगे।

(3) जिस पोत के कर्मीदल को अपने कर्त्तव्यों के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति में असम्बद्ध पुल के आगे के स्थान या स्थानों की ओर या जहां असम्बद्ध पुल नही होता वहा धूप के आगे की ओर जाना होता है और कर्मीदल आवास तथा मशीनरी जगहें पोत की पिछली ओर स्थित होती है। उनके मामलो में ऐसे स्थानों को प्रवेश इस पैरे के उप-पैरे (2) के अन्तर्गत अपेक्षित साधनों द्वारा होगा।

परन्तु जिस पोत फलका अडवाल डेक से ऊंचाई में 600 मिली मीटर या अधिक हों, उक्त स्थानों को प्रवेश देने वाली और निम्न अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली दो पगडंडियां दी जाएंगी—

(1) ये पगडंडियां पर्याप्त रूप से निर्मित्त समाधानपूर्वक बल की होंगी,

(2) ये पगडंडियां हर एक चौड़ाई से कम से कम 1 मीटर हो और फ्रीबोर्ड डेक पर फलकामुख अडवाल संरचनाओं के बाह्य बाजू के पास, एक फलकामुखों की बाबा बाजू और दूसरा जमना बाजू हों,

(3) हर पगडंडी पर फलकामुखों के बाह्य बाजू पर पैरा 20(4) (ख) में ऐसे जंगलों या बचावतारों के लिए दी गई अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले जंगलों या बचाव तार लगाए जाएंगे।

24. निकास व्यवस्थाएं:—पोत इस अनुसूची के पैरा 22 की अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगा।

भाग VI

काष्ठ फ्रीबोर्ड धारक पोत के लिए समनुदेशन की विशेष शर्तें

25. अधिसंरचना :—(1) पोत की गलही कम से कम संलग्न अधिसंरचना की मानक ऊंचाई की और कम से कम 0.7– की लंबाई होनी चाहिए।

(2) यदि पोत लंबाई में 100 मीटर से कम हो तो उस पर कम से कम मानक ऊंचाई पूप या छतरी जिस पर या तो डेक घर या मजबूत इस्पात हुए हों, लगाया जाएगा, ताकि उसकी कुल ऊंचाई संलग्न अधि-संरचना की मानक ऊंचाई से कम न हो।

26. दुहरे तल की टंकियां :—दुहरे तल की टंकियां जहां पोत मध्य में पोत की आधी लम्बाई में लगाई गई हों, तो उन पर संतुष्टिजनक अनुदैर्घ्य वर्षारोक प्रमाण होने चाहिए।

27. अडवाल और टंकियां :—(1) पोत पर या तो स्थायी अडवाल जो कम से कम ऊंचाई में 1 मीटर हों, विशेषत: ऊपरी किनारे पर अनम्य हो और डेक से संलग्न मजबूत अडवाल रस्सों से टिका हो, लगाया जाएगा और इसमें इस अनुसूची के पैरा 17 की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले निकास मोखे होंगें।

(5) पोत पर सक्षम जंगले और कम से कम 1 मीटर ऊंचाई के विशेष मजबूत निर्माण के और पैरा 18(2) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले होने चाहिए

द्वितीय अनुसूची

(नियम 4, 5, 6, 28, 29 देखिए)

फ्री बोर्ड

भाग I

सामान्य

1. लागू होना :—(1) जैसा अन्यथा उप-पैरा (2) और (3) में दिया गया है, उसके सिवाय पोत के काष्ट फ्रीबोर्ड से भिन्न नियत किए जाने वाले फ्रीबोर्ड, इस अनुसूची के भाग II के अनुबंधो के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे, और पोत के नियत किए जाने वाले काष्ट फ्रीबोर्ड भाग-III के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

(2) उप-पैरा (1) के अनुसार निर्धारित फ्रीबोर्ड वे फ्रीबोर्ड हैं जो पोत के लिए उचित है और जिसका संरचनीय सामर्थ्य समनुदेशन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित उच्चतम मानक की पूर्ति करने वाला हो और पोत के लिए नियत किए जाने वाले फ्रीबोर्ड जिसका संरचनीय सामर्थ्य उस मानक की पूर्ति नही करता, वे होंगें जो इस प्रकार नियत किए जाएंगे परन्तु हर मामले में ऐसी मात्रा से बढ़ाए जाएंगे जैसे कि नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से समनुदेशन प्राधिकारी नियत करे जो पोत के संरचनीय सामर्थ्य के अनुपात में हों।

(3) पोत की लंबाई के अनुपात में सारणी बद्ध फ्रीबोर्ड इस अनुसूची के भाग में वर्ग क पोतो के लिए सारणी क में और वर्ग ख के पोतो के लिए सारणी ख में दिखाए गए हैं।

(4) ऐसे टगो या कर्मीदल रहित वार्जो के लिए जिन पर फ्रीबोर्ड डेक के रुप में केवल एक छोटा सा जलरुद्ध बंद मार्ग हो या असाधारण संरचनीय प्रकृति के पोतो के लिए निर्धारित किए जाने वाले फ्रीबोर्ड इस अनुसूची के भाग V के उपबंधों के अनुसार नियत किए जाऐगे।

भाग II

काष्ठ फ्रीबोर्डों से भिन्न प्रकार के फ्रीबोर्ड

2. फ्री बोर्डों की संगणना :—(1) ग्रीष्म फ्रीबोर्ड इस अनुसूची के पैरा 3 और 4 के उपबंधों के अनुसार नियत किया जाएगा :

बशर्ते कि इस प्रकार प्राप्त किया फ्रीबोर्ड, किन्तु बिना कोई डेक-रेखा के लिए शुद्धि के जैसा कि पैरा 6 में दिया है, 50 मिली मीटर से कम न होगा सिवाय ऐसे पोत के मामले में जिसकी स्थिति 1 में फलके मुखहें जो प्रथम अनुसूची के पैरा 8(4), 9 या 21 की अपेक्षाओं की पूर्ति नही करते, फ्रीबोर्ड 150 मिलीमीटर से कम न होगा।

(2) उष्णकटिबंधीय फ्रीबोर्ड उस पोत को लागू होने वाले ग्रीष्म फ्रीबोर्ड से ग्रीष्मीय डुबाव के एक बटा अड़तालीस (1/48) कम करके प्राप्त किया जाएगा।

बशर्ते कि इस प्रकार प्राप्त किया फ्रीबोर्ड, परन्तु बिना कोई डेकरेखा के लिए शुद्धि के जैसा कि पैरा 6 में दिया है, 50 मिलीमीटर से कम न होगा सिवाय ऐसे पोत के मामले में जिसकी स्थिति 1 मे फलके मुख हैं जो प्रथम अनुसूची के पैरा 8(4) 9 या 21 की अपेक्षाओं की पूर्ति नही करते, फ्रीबोर्ड 150 मिलीमीटर से कम न होगा।

(3) शीत फ्रीबोर्ड पोत को लागू होने वाले ग्रीष्म फ्रीबोर्ड में ग्रीष्म का एक बटा अड़तालीस (1/48) जोड़कर प्राप्त किया जाएगा।

(4) जो पोत लंबाई में 100 मीटर से अधिक नही है, उनके लिए शीत उत्तर अटलांटिक फ्रीबोर्ड पोत को लागू होने वाले शीत फ्रीबोर्ड में 50 मिलीमीटर जोड़कर प्राप्त किया जाएगा। अन्य पोतो के लिए शीत उत्तर अटलांटिक फ्रीबोर्ड शीत फ्रीबोर्ड होगा।

(5)(क) मीठा पानी फ्रीबोर्ड, उप पैरा (ख) के अधीन ग्रीष्म फ्रीबोर्ड मे मात्रा—

$$\frac{\Delta}{\Delta T} \quad \text{मिलीमीटर}$$

कम कर के प्राप्त किया जाएगा जहां △ खारा पानी में मेट्रिक टनों में ग्रीष्म भार जलरेखा के पास विस्थापन है, और T खारा पानी में उस जलरेखा के पास डुबाव प्रति सेंटीमीटर मैट्रिक टन है ।

(ख) किसी भी मामले में जहां उस जल रेखा के पास विस्थापन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कर्म. पोत के ग्रीष्म डुबाव के एक बटा अड़तालीस (1/48) होगी ।

3. 'क' वर्ग पोतों के लिए ग्रीष्म फ्रीबोर्ड :—'क' वर्ग पोत के लिए ग्रीष्म फ्रीबोर्ड निम्न प्रकार निश्चित किया जाएगा :—

(1)(क) प्रथमता पोत की लम्बाई के अनुपात में सारणीबद्ध फ्रीबोर्ड निश्चित किया जाएगा ।

(ख) जिन पोतो का घनत्व गुणांक (cb) 0.68 से बढ़कर नहीं है, उनके लिए मूल फ्रीबोर्ड सारणीबद्ध फ्रीबोर्ड होगा, और जिनका घनत्व गुणान्क (cle) 0.68 से बढ़कर है, उनके लिए मूल फ्रीबोर्ड सारणीबद्ध फ्रीबोर्ड को घटक $\left(\frac{cb+0.68}{1.36}\right)$ से गुणा से प्राप्त किया जाएगा ।

(2) मूल फ्रीबोर्ड इस अनुसूची के पैरा 5 से 14 तक की अपेक्षाओं के अनुसार विधिवत शुद्ध किया जाएगा ।

(3) पैरा 2(1) के उपबंध के अधीन इस प्रकार शुद्ध किया गया फ्रीबोर्ड वर्ग क पोत के लिए समनुदेशित किया जाने वाला ग्रीष्म फ्रीबोर्ड होगा ।

4. वर्ग 'ख' पोतों के लिए ग्रीष्म फ्रीबोर्ड :—वर्ग 'ख' पोत के लिए ग्रीष्म फ्रीबोर्ड निम्न प्रकार निश्चित किया जाएगा :

(1) प्रथमतः पोत की लंबाई के अनुपात मे सारणीबद्ध फ्रीबोर्ड निश्चित किया जाएगा ।

(2)(क) यदि पोत पर स्थिति 1 में फल के मुख हों, जिनके आवरण प्रथम अनुसूची के पैरा 8 (4) पैरा 9 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं, सारणीबद्ध फ्रीबोर्ड इस पैरे के उप पैरा (3) से (7) तक के ऐसे उपबंधों जो कि पोत को लागू हों, के अनुसार शुद्ध किए जाएंगे ।

(ख) यदि पोत पर स्थिति 1 में फलके मुख हो, जिनके आवरण प्रथम अनुसूची के पैरा 8 की, उप पैरा (4) को छोड़कर, अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करते है सारणीबद्ध फ्रीबोर्ड इस पैरे के उप पैरा (8) के उपबंधों के अनुसार शुद्ध किए जाएंगे ।

(3) पोत का सारणीबद्ध फ्रीबोर्ड, जिसको उप-पैरा (2)(क) लागू होता है और जो लंबाई में 100 मीटर से बढ़कर हो, उप पैरा (4) में विहित संख्या से कम किया जाएका, यदि समनुदेशन प्राधिकारी संतुष्ट है कि—

(क) गलियारा और प्रवेश मुख प्रथम अनुसूची के पैरा 20 के अनुसार है,

(ख) कर्मीदल की सुरक्षा के साधन प्रथम अनुसूची के पैरा 1 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं,

(ग) निकास मोखों की व्यवस्थाएं प्रथम अनुसूची के पैरा 17 की अपेक्षाओं की पूर्ति करती हैं,

(घ) स्थितियां 1 और 2 में फल का मुखों के सभी आवरण प्रथम अनुसूची के पैरा 9 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं,

(ङ) पोत, जब ग्रीष्म भार जलरेखा तक नौभरित हो, किसी इकहरे क्षतिग्रस्त कक्ष, उप पैरा (6) में उपवर्णित संतुलन की स्थिति में गृहीत 0.95 की पारगम्यता की मशीनरी जगह से भिन्न के जलप्लावित होने के बाद तैरता रहेगा ।

परन्तु यदि पास की लंबाई 225 मीटर से अधिक हो तो मशीनरी जगह इस अपेक्षा के उद्देश्यो के लिए 0.85 की गृहीत पारगम्यता की जलप्लावित होने योग्य जगह मानी जाएगी ।

(4) उप पैरा (5) के अधीन उप पैरा (3) के अनुसार फ्रीबोर्ड की कमी फ्रीबोर्ड सारणी 'क' और फ्रीबोर्ड सारणी 'ख' के अधीन पोत की लंबाई की उचित सारणी बद्ध फ्रीबोर्ड के बीच के अन्तर के 60 प्रतिशत के अधिक नहीं होगी ।

(5) पिछले पैरे में उल्लिखित 60 प्रतिशत की कमी 100 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है यदि समनुदेशन प्राधिकारी को तसल्ली है कि—

पोत प्रथम अनुसूची के पैरा 10 और 22 की अपेक्षाओं का इस प्रकार पालन करता है जैसे कि वह वर्ग क का पोत है

(ख) पोत उप पैरा 3(क) से (घ) की अपेक्षाओं का पालन करता है और

(ग) पोत जब ग्रीष्म भार जल रेखा तक नौभरित हो और

(i) 0.95 की गृहीत पारमन्यता पर आगे और पीछे के सन्निकट के कोई दो कक्षों के प्लावित हो जाने के बाद जिसमें से एक भी मशीनरी जगह न हो, और

(ii) लंबाई में 225 मीटर से अधिक वाले पोत के मामले में गृहीत 0.85 की पारगम्यता पर केवल मशीनरी जगह प्लावित होने के बाद,

उप पैरा (6) में बातई गई संतुलन की स्थिति में तैरता रहेगा ।

(6) उपर्युक्त उप-पैरा (3) और (5) में उल्लिखित संतुलन की स्थिति इस प्रकार है :—

(क) प्लावन के उपरांत अंतिम जलरेखा किसी अग्रवाल संवातन के शीर्ष किसी वायु नलिका के मुख के निम्न किनारे वर्षा रोक दरवाजे लगे किसी प्रवेश मुख के देहल के ऊपरी किनारे और अन्य किसी मुख जिससे वर्षमान प्लावन हो सकेगा के निम्न किनारे नीचे हैं

(ख) असममित प्लावन से उत्पन्न नति कोण 15 अंश से अधिक नही होता

(ग) स्थिर विस्थापन प्रणाली का उपयोग करने से परिकलित चल-केन्द्री ऊंचाई का प्लावन के बाद उच्चांपर स्थिति में कम से कम 50 मिली मीटर धनमान है, और

(घ) पोत में पर्याप्त अविशिष्ट स्थिरता है ।

(7) उप-पैरा 3 (घ) और 5(ग) के अनुसार परिकलन के लिए निम्न धारणाएं की जाएंगी :

(क) क्षति का उर्ध्वाधार विस्तार क्षति के स्थान के पास से नापी गई, और पोत बाजू के पास पठाण के निम्नबाजू के फ्रीबोर्ड डेक से समाविष्टित पोत की गहराई के बराबर है,

(ख) क्षति का अनुप्रस्थ व्यापन पोत की चौड़ाई (B) के पंच-मांश से अधिक नहीं है यह अंतर पोतो में पोत बाजु से पोत की मध्यरेखा तक ग्रीष्म भार जलरेखा तक नापा जाता है, बशर्ते कि यदि कम विस्तार की क्षति से अधिक तीव्र स्थिति हो जाए तो ऐसा कम विस्तार स्वीकार्य होगा,

(ग) उप-पैरा 5(ग)(1) में उल्लिखित कक्षों के मामले के सिवाय कोई प्रमुख अनुप्रस्थ पोत भीत क्षतिग्रस्त नहीं है,

(घ) आधार रेखा के ऊपर गुरुत्व केन्द्र की ऊंचाई माल फलकों के समरूप नौभरण और उप-भोज्य द्रव तथा भंडारो की डिजाइन क्षमता के 50 प्रतिशत के लिए छूट देकर निर्धारित की गई है ।

(8) पोत का सारणी बद्ध फ्रीबोर्ड जिसको इस पैरे का उप-पैरा (2)(ख) लागू है, पोत की उपयुक्त लम्बाई में निम्न सारणी में दी गई मात्रा से बढ़ाया जाएगा ।

मध्यवर्ती लंबाई के पास फ्रीबोर्ड रेखीय प्रतिपावन द्वारा प्राप्त किया जाएगा । 200 मीटर से अधिक लंबाई के पोतों के मामले में वृद्धि ऐसी संख्या में होगी जो महानिदेशक प्रत्येक मामले में निर्धारित करे ।

(9)(क) यह उप पैरा वर्ग ख के लंबाई में 100 मीटर तक के ऐसे पोतो पर लागू होगा जिस पर संलग्न अधिसंरचनाओं की प्रभावकारी कुल लंबाई पोत की लंबाई (L) के 35 प्रतिशत से अधिक न हो ।

(ख) ऐसे पोत के संबंध में उपर्युक्त उप-पैरा (1), (2) और (8) के अनुसार परिकलित फ्रीबोर्ड मूल

7.5 (100.L) (0.35 E/L) मिली मीटर के अनुसार सुनिश्चित की गई संख्या से बढ़ाया जाएगा ।

(10) जिस पोत का घनत्व गुणांक (cb) 0.68 से अधिक है उसके मामले में उपर्युक्त उप-पैरा (1) से (9) के अनुसार परिकलित फ्रीबोर्ड घटक $cb+068/1.36$ से गुणा किया जाएगा ।

(11) वर्ग 'ख' पोत का आधारभूत फ्रीबोर्ड वह है जो उप-पैरा (1) से (10) के अनुसार हो । आधारभूत फ्रीबोर्ड इस अनुसूची के पैरा 5 से 14 के अनुसार विधिवत शुद्ध किया गया परंतु पैरा 2(1) के परन्तुक के अधीन पोत को ग्रीष्म फ्रीबोर्ड नियत किया जाएगा ।

5. गहराई के लिए शुद्धि :—(1) यदि फ्रीबोर्ड की गहराई D-L/15 से अधिक हो तो फ्रीबोर्ड R (D-L/15) मिलीमीटर से बढ़ाया जाएगा जहां R लंबाई 120 मीटर से कम पर L/0.48 और 120 मीटर और उससे अधिक पर 250 है ।

(2) यदि फ्रीबोर्ड की गहराई D-L/15 से कम हो, पोत में कमी नहीं की जाएगी सिवाय कि जहां पोत जिसपर कम से कम पोत मध्य अवच्छादित करने वाली अधिसरचना जिस पर पूर्ण चौमोखा, या संलग्न भिन्न अधिसंरचनाएं और चौमोखे जो आगे पीछे विस्तारित होते हैं का संयोग हो जहां फ्रीबोर्ड उपर्युक्त उप-पैरा (1) में विहित दर से कम कर दिया जाएगा ।

(3) जहां अधिसंरचना या चौमोखों की ऊंचाई मानक ऊंचाई से कम हो, वहा वास्तविक ऊंचाई मानक ऊंचाई के अनुपात में जैसे कि निम्न पैरा 7 मे दिया गया है कम कर दी जाएगी ।

6. डेक रेखा की स्थिति के लिए शुद्धि :—यदि डेक रेखा के ऊपरी किनारे तक की वास्तविक गहराई फ्रीबोर्ड D की गहराई से अधिक या कम हो, तो अंतर यदि अधिक हो तो पोत के आधारभूत फ्रीबोर्ड में जोड़ दिया जाएगा या कम हो तो उसमे से घटा दिया जाएगा ।

मानक अधिसंरचना और शुद्धि

7. अधिसरचनाओं की मानक ऊंचाई, लंबाई और प्रभावकारी लबाई :-

(1) अधिसंरचनाओं की मानक ऊचाई निम्न सारणी के अनुसार निर्धारित की गई पोत की लबाई L के अनुसार ऊंचाई होगी

पोत की लंबाई L(मीटर)	मानक ऊंचाई (मीटर)	
	उठी छतरी	अन्य सभी अधिसंरचनाएं
30 या कम	0.90	1.80
75	1.20	1.80
125 या अधिक	1.80	2.30

पोत की मध्यवर्ती लंबाई के लिए मानक ऊंचाईयां रेखीय अन्तर्वेशन द्वारा प्राप्त की जाएगी ।

(2)(क) उप-पैरा (ख) और (ग) के अधीन, अधिसरचनाओं की लबाई, अधिसंरचना के उन भागो के मध्य लबाई होगी जो पोत (L) की लंबाई के बीच होते है ।

(ख) ऐसी बंद अधिसंरचना, जिसमें अन्य पोतभीत जो उसके अधिसरचना की बाजुओं के साथ के छेदन के परे उचित वक्र मे विस्तृत है, के मामले मे अधिसरचना (ओ) की लबाई, उसकी उप-पैरा (क) के अनुसार निर्धारित समतुल्य समतल पोत भीत के आधार पर वक्रता के आगे पीछे के विस्तार की समतुल्य समतल पोत भी भीत के आधार पर वक्रता के आगे पीछे के विस्तार की दो तिहाई मात्रा से वर्धित लंबाई मानी जाएगी :

बशर्ते कि लेखो मे ली जाने वाली वक्रता की संख्या, अधिसंरचना के वक्र छोर उसकी बाजू के साथ छेदन बिंदु के पास अधिसरचना की चौड़ाई के आधे से अधिक नहीं होगी ।

(ग) ऐसी बंद अधिसंरचना जिसमें अन्त्य पोतभीत से विस्तार, जिसका विस्तार मध्य रेखा के हर बाजू पर पोत की चौड़ाई के कम से कम 30 प्रतिशत की चौड़ाई का हो, के मामले मे अधिसंरचना (ओ) की लंबाई उप-पैरा (ख) के अनुसार समतुल्य अन्त्य पोतभीत परवलय के आकार मे जो ऐसी अधिसंरचना और उसके विस्तार में पूर्णतः समाविष्ट है मानकर निर्धारित की जाएगी ।

(3) अधिसंरचना की प्रभावकारी लबाई (E) निम्न प्रकार होगी :

(क) उप-पैरा (ग) के अधीन, मानक ऊचाई की बंद अधिसरचना के मामले में E या तो —

(i) उसकी लबाई S होगी, या

(ii) यदि अधिसंरचना पोत की बाजुओं से बनायी हो, तो उसकी लबाई S अनुपात b/Bs मे यथा संशोधित होगी, जहां b अधिसरचना की उसकी लबाई के मध्य पर की चौड़ाई है और

Bs' अधिसंरचना (ओ) की लंबाई के मध्य पर पोत की चौड़ाई है ।

बशर्ते कि यदि अधिसरचना केवल उसकी लबाई के भाग पर ही बनाई गई है, तो ऐसा संशोधन सिर्फ उस भाग पर ही लागू होगा ।

(ख) उप-पैरा (ग) के अधीन मानक ऊचाई से कम की बंद अधिसंरचना के मामले मे E अधिसंरचना की वास्तव ऊंचाई उसकी मानक ऊंचाई के अनुपात मे कम कर के उसकी लंबाई S होगा ।

(ग) उठी छतरी सहित बंद अधिसरचना के मामले में, यदि डेक अविकल अग्र पोत भीत से लगाया है, E उसकी लंबाई S अधिकतम 0.6 L तक, और यदि इस प्रकार लगाया नही है तो उठी छतरी मानक ऊंचाई से कम के पूप जैसी मानकर निर्धारित की जाएगी ।

(घ) जो अधिसंरचना, बंद अधिसरचना नही है, उसकी प्रभावकारी लंबाई नही होगी ।

8. चौमोखों की मानक ऊचाई और प्रभावकारी लबाई :—(1) चौमोखों की मानक ऊंचाई उसी प्रकार निर्धारित की जाएगी जैसे कि पैरा 7(1) के अधीन उठी छतरी से भिन्न अधिसरचना की, की जाती है ।

(2) चौमोखो की प्रभावकारी लंबाई निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगी—

(i) चौमोखा जो उप-पैरा (3) मे बताए जैसा सक्षम चौमोखा न हो तो उसकी प्रभावकारी लबाई नही होगी :

(ii) सिवाय जैसे उप-पैरा (iii) में दिया है, सक्षम चौमोखो की प्रभावकारी लंबाई उसकी पूर्ण लंबाई उसकी मध्यवर्ती चौड़ाई और पोत की चौड़ाई B के अनुपात मे कम कर दी गई होगी।

(iii) यदि सक्षम चौमोखा की वास्तव ऊंचाई मानक ऊंचाई से कम हो, उसकी प्रभावकारी लंबाई उप-पैरा (ii) के अनुसार चौमोखों की वास्तव और मानक ऊंचाई के अनुपात मे कम करके परिकलित की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि पोत वर्ग ख का पोत हो और चौमोखों डेक पर फलकामुख अडवालो की ऊंचाई प्रथम अनुसूची के पैरा 8(1) या (9)(1) द्वारा अपेक्षित ऊंचाई से कम है, तो चौमोखे की वास्तव ऊंचाई से ऐसी संख्या, जो ऐसे अडवालो की वास्तव ऊंचाई और उनके लिए अपेक्षित ऊंचाई के अंतर के बराबर हो, कम कर दी जाएगी।

(3) चौमोखा सक्षम चौमोखा तब माना जाएगा जब कि वह निम्न शर्तों को पूरा करे ;

(i) यह उसी प्रकार मजबूत हो जैसे कि अधिसंरचना के अधीन सक्षम चौमोखा,

(ii) चौमोखों के मार्ग के फलके मुख चौमोखो डेक में है और फलकामुख अडवाल और आवरण प्रथम अनुसूची के पैरा 7 से 9 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं,

(iii) फलकों के मार्ग की चौमोखी डेक तब पट्टी की चौड़ाई से संतोषजनक गलियारा और पार्श्विक दुर्नम्यता प्राप्त होती है।

(iv) चौमोखे डेक या अधिसंरचनाओं से सक्षम स्थायी गलियारे द्वारा असंबद्ध चौमोखे संबद्ध करने से प्रथम अनुसूची के पैरा 20(4)(ख) के अधीन लागू होने वाली अपेक्षाओ की पूर्ति करने वाले जंगले या बचाव तारो द्वारा लगाया गया आगे पीछे का स्थायी कार्यक्षम प्लेटफार्म है,

(v) संवातन चौमुखे, अलरोक आवरण समतुल्य द्वारा सुरक्षित किए गये है;

(vi) फ्री-बोर्ड डेक के खुले मार्गों पर चौमोखे के मार्ग मे कम से कम उनकी आधी लंबाई पर खुले जंगले या बचाव तार लगाये है :

(vii) मशीनरी चौमुखे द्वारा या कम से कम मानक ऊंचाई की सलग्न अधिसंरचना द्वारा या उसी ऊंचाई और यल के डेक पर और ऐसी अधिसरचना के लिए उचित वर्षा रूद्धता के समतुल्य सुरक्षित किए गए है,

(viii) चौमोखे की चौड़ाई कम से कम पोत की चौड़ाई की 60 प्रतिशत है,

(ix) जहा अधिसंरचना नही है वहां चौमोखे की लंबाई कम से कम 0 6 L है।

9 अधिसंरचना और चौमोखों के लिए छूट :—(1) जहा पोत की अधिसंरचनाओं और चौमोखों की प्रभावकारी लम्बाई 1.0 (L) है, वहां पोत का मूल फ्रीबोर्ड निम्नसारणी के अनुसार पोत की लंबाई के लिए उचित माता से कम कर दिया जाएगा.

सारणी

पोत की लबाई (मीटर)	फ्रीबोर्ड मे कमी मिली मीटर
24	350
85	860
122	1070

पोत की मध्यवर्ती लंबाई के लिए फ्रीबोर्ड में कमी अन्तर्वेशन द्वारा प्राप्त की जाएगी।

(2) जहां अधिसरचना और चौमोखे की प्रभावकारी लबाई 1.0 (L) से कम है वहां पोत का मूल फ्रीबोर्ड निम्न प्रकार कम कर दिया जाएगा ·

(क) वर्ग क के पोत के मामले में निम्न सारणी से प्रतिशतता निर्धारित करके जिस पोत पर सारणी मे निर्दिष्ट के अनुसार मध्यवर्ती प्रभावकारी लबाई की अधिसंरचनाएं और चौमोखे है, उस के मामले में रेखीय अन्तर्वेशन द्वारा प्राप्त की जाती है—

सारणी

वर्ग 'क' पोत के लिए छूट की प्रतिशतता

अधिसरचनाओं और चौमोखो की कुल प्रभावकारी लबाई

	0	0.1L	0.2L	0.3L	0.4L	0.5L	0.6L	0.7L	0.8L	0.9L	1.L
सभी प्रकार की अधिसरचनाओं के लिए छूट की प्रतिशतता	0	7	14	21	31	41	52	63	75.3	87.7	100

(ख) वर्ग 'ख' पोत के मामले मे, निम्न सारणी के अनुसार प्रतिशतता और उसके संलग्न (i) से (ii) के निर्देशों के अनुसार जैसे परिस्थिति के अनुसार लागू हों, जिस पोत जिसमें सारणी मे निर्दिष्ट लम्बाई के मध्यवर्ती प्रभावकारी लम्बाई के चौमोखे और अधिसचरना है, उसके मामले मे प्रतिशतता रेखीय अन्तर्वेशन द्वारा प्राप्त की जाएगी।

सारणी

अधिसंरचनाओं और चौमुखों की कुल प्रभावकारी लंबाई

रेखा	0	0.1L	0.2L	0.3L	0.4L	0.5L	0.6L	0.7L	0.8L	0.9L	1.0L
फनी वाले या विलग पुल के सिवाय पुल के पोत	10	15	10	15	23.5	3 2	46	63	75.3	87.9	100
फ्रनी और विल पुल वाले पोत	110	6 3	12.7	19	27 5	36	43	63	75 3	87 7	100

(i) जहा पुल की प्रभावकारी लम्बाई पोत मध्य के आगे 0.1 L और पीछे 0 1L से कम आच्छादित हो, वहा प्रतिशतता रेखीय अन्तर्वेशन द्वारा प्राप्त की जाएगी।

(ii) जहा फनी की प्रभावकारी लम्बाई 0.4L से अधिक है, वहां प्रतिशतता रेखा II से प्राप्त की जाएगी।

(iii) जहा फनी की प्रभावकारी लम्बाई 0.07L से कम है, वह प्रतिशतता $5 \times \frac{(0.07L - f)}{0.07L}$ से कम कर दी जाएगी।

जहा F फनी की प्रभावकारी लम्बाई है।

मानक उठान और शुद्धियां

10 उठान का माप :—(1) उठान बाजू के डेक से पोतमध्य की उठान रेखा से पठाण तक समान्तर खींची संदर्भ रेखा तक नापा जाएगा।

(2) पठाण के झुकाव सहित डिजाइन किए हुए पोतो मे, उठान डिजाईन भार जल रेखा के समांतर खींची रेखा के अनुसार नापा जाएगा।

(3) फ्लश डेक वाले और विलग अधिसंरचनाओं वाले पोतों मे उठान फ्रीबोर्ड डेक पर मापा जाएगा।

(4) अनियमित शीर्ष बाजुओं के आकार, जिसमे पेरी या शीर्ष बाजुओं मे विलगाव है, ऐसे पोतो में, उठान पोतमध्य गहराई के अनुसार निर्धारित होगी।

(5) ऐसी मानक ऊंचाई की अधिसरचना जो फ्रीबोर्ड डेक की पूरी लबाई पर विस्तृत हो, वाले पोतो मे, उठान अधिसंरचना डेक के पास नापा जाएगा। जहां ऊंचाई मानक से बढ़कर है, वास्तव और मानक ऊचाई के बीच का न्यूनतम (Z) अन्तर हर सिरे के भुजमान में जोड़ा जाएगा। उसी प्रकार हर लंब से $\frac{1}{6}L$ और $\frac{1}{3}L$ के अन्तर पर मध्यवर्ती भुजमान क्रमशः $0.444Z$ और $0.111Z$ बढ़ाया जाएगा।

(6) जहां संलग्न अधिसंरचना के डेकपर कम से कम उसी प्रकार का उठान हो जैसे कि खुले फ्रीबोर्ड डेक पर होता है तो फ्रीबोर्ड डेक के संलग्न भाग का उठान शामिल नही किया जाएगा।

(7) जहां संलग्न पूप या गलहो मानक ऊचाई की हो और फ्रीबोर्ड डेक के उठान से अधिक उठान वाला हो या मानक ऊंचाई से अधिक हो, फ्रीबोर्ड डेक उठान में पैरा 12(4) के अनुसार बढ़ोत्तरी की जाएगी।

11. मानक उठान पार्श्विका :—मानक उठान पार्श्विका का भुजमान निम्न सारणी मे किया गया है :—

	स्टेशन	भुजमान (मि० मी० मे)	घटक
पश्च	उत्तर लब	25 (L/3+10)	1
	$\frac{1}{6}$L उत्तर लब से.	11.1 (L/3+10)	3
आधा	$\frac{1}{3}$L उत्तर लंब से	2.8 (L/3+10)	3
	पोत मध्य	0	1
	पोत मध्य	0	0
	$\frac{1}{3}$L उग्र लंब से	5.6 (L/3+10)	3
अग्र	$\frac{1}{6}$L अग्र लंब से	22.2 (L/3+10)	3
आधा	अग्र लंब	50 (L/3+10)	1

12. मानक उठान पार्श्विका से विचलन का नाप :—(1) जहां उठान पार्श्विका मानक से भिन्न होती है, वहा अग्र या पश्च अर्ध मे हर पार्श्विका के चार भुजमान, भुजमान की सारणी में दिए गए यथोचित घटकों से गुणा किए जाएंगे। अपने-अपने गुणनफल के जोड़ और मानक के जोड़ के बीच का अन्तर 8 से विभाजित करके अग्र या पश्च मे उठान की कमी या अधिकता नापी जाती है। अग्र या पश्च अर्धों मे अधिकता या कमी के समांतर मध्य से उठान की अधिकता या कमी नापी जाती है।

(2) जहां उठान पार्श्विका का पश्च अर्ध मानक से बढ़कर है और अग्र अर्ध मानक से घटकर है, वहां अधिक भाग के लिए कोई क्रेडिट स्वीकार नही किया जाएगा और केवल कमी नापी जाएगी।

(3) जहां उठान पार्श्विका का अग्र अर्ध मानक उठान पार्श्विका से बढ़कर होता है और उठान पार्श्विका का पश्च अर्ध मानक उठान पार्श्विका से 75 प्रतिशत कम है, वहां अधिक भाग के लिए क्रेडिट स्वीकार किया जाएगा।

जहां उठान पार्श्विका का पश्च अर्ध मानक उठान पार्श्विका के 50 प्रतिशत से कम है वहां अधिक अग्र उठान के लिए कोई क्रेडिट नही दिया जाएगा।

जहां उठान पश्च अर्ध में मानक उठान पार्श्विका के 50 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के बीच है, वहां अधिक अग्र उठान के लिए मध्यवर्ती छूट दी जाएगी।

(4) जहा पूप या गलहो के लिए उठान क्रेडिट दिया जाता है वहा निम्न सूत्र का उपयोग किया जाएगा :

$$S = \frac{Y}{3} \frac{L'}{\alpha}$$

जहा S = उठान क्रेडिट जो उठान की न्यूनता से घटाया जाता है या उठान की अधिकता में जोड दिया जाता है।

Y = अग्र और पश्च लंब के पास अधिसंरचना की वास्तव और मानक ऊंचाई के बीच का अन्तर।

L' = पूप या गलहो की मध्य संलग्न लबाई जो अधिकतम 0.5L की लम्बाई तक की हो।

उपर्युक्त सूत्र फ्रीबोर्ड डेक के पास वास्तव उठान वक्र को स्पर्शीय परवलय के रूप मे मान लेता है और वह अधिसंरचना डेक के नीचे ऐसे बिन्दु पर जहा अधिसरचना को मानक ऊंचाई के सम दूरी हो, अन्त्य भुजमान को काटता है। अधिसंरचना डेक वक्र के ऊपर किसी भी बिन्दु पर मानक ऊचाई से कम नही होगा। यह वक्र पोत के अग्र और पश्च अर्धों के लिए उठान पार्श्विका निर्धारित करते समय उपयोग मे लाया जाएगा।

13. मानक उठान से विचलनों के लिए शुद्धि :—(1) उठान के लिए शुद्धि होगी पैरा 12 के द्वारा निर्धारित न्यूनता या अधिकता—

$$\text{गुणा} \times \left(0.75 - \frac{S}{2L}\right)$$

(2) जहा उठान मानक से कम है, उठान की न्यूनता के लिए शुद्धि उप-पैरा (1) के अनुसार निर्धारित करके पोत के मूल फ्रीबोर्ड में जोड दी जाएगी।

(3) उप-पैरा (4) के अधीन उठान की अधिकता होने वाले पोत के मामले में :

(क) यदि संलग्न अधिसंरचना पोतमध्य के आगे (0.1)L और पीछे (0.1)L विस्तृत हो तो उठान की अधिकता के लिए उप-पैरा (1) के अनुसार निर्धारित शुद्धि पोत के मूल फ्रीबोर्ड से कम की जाएगी।

(ख) यदि पोतमध्य पर कोई संलग्न अधिसरचना न हो तो पोत के मूल फ्रीबोर्ड से कोई कमी नही की जाएगी।

(ग) यदि सलग्न अधिसंरचना पोत मध्य के आगे (0.1) और पीछे (0.1)L से कम विस्तृत हो, तो उठान की अधिकता के लिए उप-पैरा (1) के अनुसार निर्धारित शुद्धि (0.2)L पोत मध्यो की सख्या जो (0.2)L तक अधिसंरचना द्वारा आच्छादित हो, के अनुपात में परिवर्तित की जाएगी।

(4) उठान अधिकता के लिए अधिकतम कमी लम्बाई के 125 मिलीमीटर प्रति 100 मीटर लम्बाई (L) की दर से होगी।

14. न्यूनतम मंदान ऊंचाई के लिए शुद्धि :—(1) पोत की मंदान ऊचाई डिजाइन नति के पास पोत की ग्रीष्म भार जल रेखा और बाजू के पास खुले डेक के शीर्ष के बीच मे अग्र लंब के पास का उर्ध्वाधर अन्तर है जो निम्न प्रकार निश्चित की जाती है।

(क) जहां मंदान ऊचाई उठान को समाविष्ट करके प्राप्त की जाती है, वहा उठान पोत की लम्बाई (L) अग्र लम्ब से नापित कम से कम 15 प्रतिशत तक विस्तारित होगा।

(ख) जहा मदान ऊंचाई अधिसंरचना की ऊंचाई को समाविष्ट करके प्राप्त की जाती है वहां ऐसी अधिसरचना .

(i) मंदान से पोत की अग्र लंब से नापित कम से कम 0.07 लबाई (L) बिन्दु तक विस्तारित हो,

(ii) यदि पोत की लंबाई (L) 100 मीटर या कम हो, तब सलग्न अधिसंरचना होगी, और

(iii) यदि पोत की लंबाई (L) में 100 मीटर से अधिक होती है, बन्द करने में संतोषजनक बन्द करने के उपकरण लगाए जाते हैं।

(2) पोत की न्यूनतम मंदान ऊंचाई लंबाई (L) में 250 मीटर से कम लंबाई के पोत के मामले में सूत्र 1 से और 250 मीटर या उससे अधिक लंबाई (L) के पोत के मामले में सूत्र 2 से ली जाएगी :

सूत्र 1

$$56L\left(1-\frac{L}{500}\right)\frac{(1.36)}{c\ b\ 0.68}\ \text{मिली मीटर}$$

सूत्र-2

$$700^{\circ}\frac{(1.36)}{c\ b\ 0.68}\ \text{मिली मीटर}$$

बशर्ते कि 65 मीटर या उससे कम लंबाई के टग से भिन्न पोत जो पत्तन या पोताश्रय के पास लगा हो और पोत से किनारे तक की सेवा में लगाया गया है, के मामले में मंदान ऊंचाई सूत्र 1 से प्राप्त की जाएगी, पर इसमें अंक 56 के स्थान पर अंक 40 कर दिया जाएगा।

(3) जहां पोत की मंदान ऊंचाई पोत की यथोचित न्यूनतम मंदान ऊंचाई से कम हो, वहां पिछले पैरों के अनुसार फ्री-बोर्ड मंदान ऊंचाई और न्यूनतम मंदान ऊंचाई के बीच के अन्तर के बराबर की संख्या से बढ़ाई जाएगी।

(क) परन्तु तथापि ऐसे पोत के मामले में जो अपवादात्मक प्रचालन आवश्यकताओं को निभाने के लिए निर्मित है, इस उप-पैरा के अनुसार की जाने वाली शुद्धियां कम कर दी जाएंगी या छूट दे दी जाएगी यदि नौवहन महानिदेशक संतुष्ट है कि पोत के सेवाकाल में खराब समुद्र और मौसम की हालत के परिणामस्वरूप पोत की सुरक्षा क्षीण नहीं होगी।

(ख) जहां विद्यमान पोत इस प्रकार पुनर्निर्मित है कि वह नये पोत को लागू होने वाली प्रथम अनुसूची के समनुदेशन की सभी शर्तों को पूरा करे परन्तु उस पर

(i) गलही की लम्बाई (0.07) L से कम हो और/या

(ii) उठान पोत की अग्र लंब से नापित लंबाई के 15 प्रतिशत से कम तक विस्तृत हो।

पिछले पैरे के अनुसार पोत के लिए निर्धारित फ्री-बोर्ड प्रत्येक मामले में नौवहन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित मात्रा से बढ़ाया जाएगा।

भाग III

प्रकाष्ठ फ्री-बोर्ड

15. **ग्रीष्म काष्ठ फ्री-बोर्ड**:—(1) उप-पैरा (1) पैरा (4) के (2) के और 9 से 10, जो इस अनुसूची के पैरा 5 से 8 तक के उपबन्धों के अनुसार यथा आवश्यक शुद्धिकृत हैं के अधीन पोत के लिए उचित फ्री-बोर्ड निश्चित किया जाएगा।

(2) अधिसंरचनाओं की प्रभावकारी लंबाई के लिए कमी पैरा 9(1) और 9(2) (ख) के अनुसार उप-पैरा (1) की मान्यता से प्राप्त किए फ्री-बोर्ड से की जाएगी, परन्तु सारणी वर्ग 'ख' पोतों के लिए कमी की प्रतिशतता के बदले निम्न सारणी का उपयोग किया जाएगा।

सभी प्रकार की अधिसंरचना के लिए कमी की प्रतिशतता	अधिसंरचनाओं की कुल प्रभावकारी लंबाई									
	0	0.1L	0.2L	0.3L	0.4L	0.5L	0.6L	0.7L	0.8L	0.9L	0.10L
	20	31	42	53	64	70	76	82	88	94	100

अधिसंरचनाओं की मध्यवर्ती लंबाइयों के पास की प्रतिशतताएं रेखीय अन्तर्वेशन द्वारा प्राप्त की जाएंगी :

(3) पूर्ववर्ती-उपपैरों के अनुसरण में अभी तक प्राप्त फ्री-बोर्ड तदनन्तर इस अनुसूची के पैरा 10 से 13 तक के अनुसार शुद्ध किए जाएंगे और इस प्रकार शुद्ध किए फ्री-बोर्ड पोत को समनुदेशित किए जाने वाले ग्रीष्म काष्ठ फ्री-बोर्ड होंगे।

16. **अन्य काष्ठ फ्री-बोर्ड**: (1) शीत काष्ठ फ्री-बोर्ड ग्रीष्म काष्ठ फ्री-बोर्ड में पोत के ग्रीष्म काष्ठ डुबाव का एक बटा छत्तीस (1/36) जोड़ कर प्राप्त किया जाएगा

(2) शीत उत्तर अटलांटिक काष्ठ फ्री-बोर्ड वैसा ही होगा जैसा कि पोत के शीत उत्तर अटलांटिक फ्री-बोर्ड समनुदेशित किया है।

(3) उष्ण कटिबंधीय काष्ठ फ्री-बोर्ड ग्रीष्म काष्ठ फ्री-बोर्ड से पोत के ग्रीष्म काष्ठ का एक बटा अड़तालीस (1/48) कम करके प्राप्त किया जाएगा।

(1) (क) मीठा पानी काष्ठ फ्री-बोर्ड, उप-पैरा (ख) के अधीन ग्रीष्म काष्ठ फ्री-बोर्ड से मात्रा $\frac{\triangle}{41}$ मिलीमीटर कम करके प्राप्त किया जाएगा।

जहां △ जलरेखा के पास लवण जल से मेट्रिक टन में विस्थापन तब होगा जब भार रेखाएं पोत की बाजू पर ग्रीष्म काष्ठ भार रेखा के अनुरूप खींची हों, और

उस जल रेखा के पास लवण जल में प्रत्येक सेंटीमीटर निमज्जन के मेट्रिक टन का प्रति सूचक है।

(ख) किसी भी मामले में जिसमें उस जलरेखा के पास विस्थापन निश्चित नहीं किया जाता, कमी पोत के डुबाव के ग्रीष्म काष्ठ डुबाव के एक बटे अड़तालीस (1/48) होगी।

भाग IV

अन्य पोतों के लिए फ्री-बोर्ड

16. **टग** :—टगों के लिए समनुदेशित किए जाने वाले फ्री-बोर्ड वह फ्री-बोर्ड होंगे जो इस अनुसूची के भाग II के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित ऐसी संख्याओं से बढ़ाए जाएंगे जो हर मामले में नौवहन महानिदेशक निर्देशित करे।

17. **बिना कर्मीदल के बार्जे** :—बिना कर्मीदल के बार्जे जिनके फ्री-बोर्ड डेक पर इस्पात के जलरोक गास्केट ढक्कनों द्वारा बन्द किए केवल छोटे प्रवेश मुख हों उनके लिए समनुदेशित किए जाने वाले फ्री-बोर्ड वह फ्री-बोर्ड होंगे जो इस अनुसूची के भाग II के उपबन्धों के अनुसार पैरा 4 को छोड़कर निर्धारित किए गए हों।

18. **विशेष निर्माण लक्षण के पोत** :—विशेष निर्माण लक्षण के पोतों के लिए समनुदेशित किए जाने वाले फ्री-बोर्ड जैसे कि इस अनुसूची के अन्य भागों के अनुसार परिकलित किए फ्री-बोर्ड अनुचित या अव्यवहार्य हों, तो विशेषरूप से हर विशिष्ट मामले में नौवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

19. **न्यूनतम फ्री-बोर्ड से कम के फ्री-बोर्ड समनुदेशित करने की शर्तें** :—नौवहन महानिदेशक 150 मि०मी० (6 इंच) के न्यूनतम फ्री-बोर्ड और निम्न शर्तों के अधीन 5/8 (सारणी ख), 1/2 (सारणी ख-60) या 1/2 (सारणी

29,100) तक कम किए फ्री-बोर्ड के समनुदेशित करने के लिए प्राप्त आवेदनपत्र पर विचार करेंगे, अर्थात् :—

(क) पोत का बल जहां डुबाव से कम किया हुआ फ्री-बोर्ड सम्बद्ध है वहां पर्याप्त हो ।

(ख) पोत "हापर" वर्ग का हो अर्थात् खोल में तल दरवाजे लगाए गए हों या ऐसे ही अन्य साधन जो माल को समुद्र की सभी हालतों और आपत्काल में तुरन्त फेंक देने में क्षम हों लगाए गए हों । पोत पर माल विमुक्त करने की व्यवस्थाओं के लिए समनुदेशित फ्री-बोर्ड जो 5/8 (सारणी ख) से कम है, 4 मिनट में पर्याप्त माल फेंक देने में निम्न उप पैरा (झ) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने में समर्थ हों । हर मामले में व्यवस्थाओं के ब्यौरे परीक्षण तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।

(ग) प्रचालनात्मक सीमाएं सामान्यतः भू-भाग से 10 मीलों से अधिक न हों ।

(घ) अधिकल स्थिरता मापदंड, जैसे इस अनुसूची के भाग 1 में निर्दिष्ट है, प्रस्तावित कम किए हुए फ्री-बोर्ड के पास प्राप्त किया जाएगा ।

(ङ) (1) जब 1/2 (सारणी ख-60) के बराबर फ्री-बोर्ड समनुदेशित किया जाता है, तब पोत क्षति पहुंचने के बाद इस अनुसूची के भाग II के पैरा 4(3)(ङ) में निर्दिष्ट रीति से द्वितीय अनुसूची के भाग II के पैरा 4(6) में वर्णित किसी भी कक्ष (इंजन कक्ष से समाविशिष्टतः) की पूरी सीमा तक उत्तरजीवी होने में सक्षम हो ।

(2) जब 1/2 (सारणी ख-100) के बराबर फ्री-बोर्ड समनुदेशित होता है, तब पोत क्षति पहुंचने के बाद द्वितीय अनुसूची के भाग II के पैरा 4(5)(क) में निर्दिष्ट रीति से द्वितीय अनुसूची के भाग II के पैरा 4 (7) (क), 4(7)(ख) और 4(7)(ग) में वर्णित इंजन कक्ष या किन्हीं अन्य दो आगे/पीछे के संलग्न कक्षों की पूरी सीमा तक उत्तरजीवी होने में सक्षम हों ।

नोट :—क्षति स्थिरता परिकलनों में यह गृहीत किया जाए कि टक्कर के पश्चात् माल का एक अनुपात तत्काल उतारने मे सक्षम हों बशर्ते माल विमुक्ति की व्यवस्थाएं इस तरह डिजायन हों कि वे पोत के कुल गृहीत क्षति हो जाने के पश्चात् परिचालित रहें—

(च) डुबाव सूचक, 1/2 (ख-60) या कम के फ्री-बोर्डों के पोतों मे लगे होंगे ।

(छ) पोत पार्श्वों पर विशेष कार्यकारी भार रेखा चिन्ह, ऐसे मामलों में 762 मिलीमीटर डिस्क/पिछले साकेतिक चिन्हों के साथ लाल रंग मे अंकित होगा ।

20. **लम्बाई में 24 मीटर से 100 मीटर के विक्रमाल पोत** :—24 से 100 मीटर की लम्बाई वाले पोतो को, पोत और तट के मध्य या भारतीय तटों के मध्य देशी जलयात्राओं के लिए सेवा में आबद्ध निकर्षण पोतों हापरों, बजरों, कर्षनावो और जलयानो को बन्दरगाह अनुरक्षण में आबद्ध भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (भार रेखा) नियम, 1934, के अधीन समनुदेशित फ्री-बोर्ड जारी रखे जाएं, बशर्ते कि—

(1) समनुदेशक की शर्तें, फलक विशेषतर वह जो बन्द करने के उपकरणों से संबंधी है, जहां तक उचित और व्यवहार्य हो, इस नियमों की अपेक्षिताओं तक लाई जाएं ।

(2) इन नियमों की शर्तों के अनुसार ज्यामितीय फ्री-बोर्डों मे कमी के बराबर कमी ग्रीष्म डुबाव में नही की जाती है ।

21. **लंबाई में 60 मीटर के नीचे के न्यूनतम लवान ऊंचाई के तटीय पोत** :—भारत के तट व्यापार में आबद्ध ऐसे पोत जो लम्बाई में 60 मीटर से कम हों, इस अवधि के दौरान जलयात्रा निष्पादन करते समय जो भूमि के समीपस्थ 20 मील से अधिक दूरी पर न हो उनकी न्यूनतम मैदान की ऊंचाई सारणीबद्ध फ्री-बोर्ड पर और पोत को प्रोज्य आगल लंब उठान स्तर के योग से कम नहीं होगी ।

परन्तु अपवादात्मक परिचालन की अपेक्षाएं होने पर नौवहन महानिदेशक मैदान की न्यूनतम ऊंचाई की शर्त हटा सकता है ।

भाग V

सारणी बद्ध फ्री-बोर्ड

इस अनुसूची के भाग 1 पैरा 1 के उप-पैरा 1(3) में उल्लिखित फ्री-बोर्ड

सारणी क

सारणी क

वर्ग क के पोतों के लिए फ्री-बोर्ड सारणी

पोत की लंबाई (मी०)	फ्री-बोर्ड (मि०मी०)	पोत की लम्बाई (मी०)	फ्री-बोर्ड (मि०मी०)	पोत की लम्बाई (मी०)	फ्री-बोर्ड (मि०मी०)
1	2	1	2	1	2
24	200	64	626	104	1196
25	208	65	639	105	1212
26	217	66	653	106	1228
27	225	67	666	107	1244
28	233	68	680	108	1260
29	242	69	693	109	1276
30	250	70	706	110	1293
31	258	71	720	111	1309
32	267	72	733	112	1326
33	275	73	746	113	1342
34	283	74	760	114	1359
35	292	75	773	115	1376
36	300	76	786	116	1392
37	308	77	800	117	1409
38	316	78	814	118	1426
39	325	79	828	119	1442
40	334	80	841	120	1459
41	344	81	855	121	1476
42	354	82	869	122	1494
43	364	83	883	123	1511
44	374	84	897	124	1528
45	385	85	911	125	1546
46	396	86	926	126	1563
47	408	87	940	127	1580
48	420	88	955	128	1598
49	432	89	969	129	1615
50	443	90	984	130	1632
51	455	91	999	131	1650
52	467	92	1014	132	1667
53	478	93	1029	133	1684
54	490	94	1044	134	1702
55	503	95	1059	135	1719
56	516	96	1074	136	1736
57	530	97	1089	137	1753
58	544	98	1105	138	1770
59	559	99	1120	139	1787
60	573	100	1135	140	1803
61	587	101	1151	141	1820
62	600	102	1166	142	1837
63	613	103	1181	143	1853

1	2	1	2	1	2
144	1870	199	2602	254	3046
145	1886	200	2612	255	3042
146	1903	201	2622	256	3048
147	1919	202	2632	257	3054
148	1935	203	2641	258	3060
149	1952	204	2650	259	3066
150	1968	205	2659	260	3072
151	1984	206	2669	261	3078
152	2000	207	2678	262	3084
153	2016	208	2687	263	3089
154	2032	209	2696	264	3095
155	2048	210	2705	265	3101
156	2064	211	2714	266	3106
157	2080	212	2723	267	3112
158	2096	213	2732	268	3117
159	2111	214	2741	269	3123
160	2126	215	2749	270	3128
161	2141	216	2758	271	3133
162	2155	217	2767	272	3138
163	2169	218	2775	273	3143
164	2181	219	2781	274	3145
165	2198	220	2792	275	3153
166	2212	221	2801	276	3158
167	2226	222	2809	277	3163
168	2240	223	2817	278	3167
169	2254	224	2825	279	3172
170	2268	225	2833	280	3177
171	2281	226	2841	281	3181
172	2294	227	2849	282	3185
173	2307	228	2857	283	3189
174	2320	229	2865	284	3194
175	2332	230	2872	285	3198
176	2345	231	2880	286	3202
177	2357	232	2888	287	3207
178	2369	233	2895	288	3211
179	2381	234	2903	289	3215
180	2393	235	2910	290	3220
181	2405	236	2918	291	3224
182	2416	237	2925	292	3228
183	2428	238	2932	293	3233
184	2440	239	2939	294	3237
185	2451	240	2946	295	3241
186	2466	241	2953	296	3246
187	2474	242	2959	297	3250
188	2486	243	2966	298	3254
189	2497	244	2973	299	3258
190	2508	245	2979	300	3262
191	2519	246	2986	301	3266
192	2530	247	2997	302	3270
193	2541	248	3000	303	3274
194	2552	249	3006	304	3278
195	2562	250	3012	305	3281
196	2572	251	3018	306	3285
197	2582	252	3024	307	3288
198	2592	253	3030	308	3292

1	2	1	2	1	2
309	3295	331	3361	353	3417
310	3298	332	3363	354	3411
311	3302	333	3366	355	3416
312	3305	334	3368	356	3418
313	0	335	3371	357	3420
314	3312	336	3373	358	3422
315	3315	337	3375	359	3423
316	3319	338	3378	360	3425
317	3322	339	3380	361	3427
318	3325	340	3382	362	3428
319	3328	341	3385	363	3430
320	3331	342	3387	364	3432
321	3334	343	3389	365	3433
322	3337	344	3392		
323	3339	345	3391		
324	3342	346	3396		
325	3345	347	3399		
326	3347	348	3401		
327	3350	349	3403		
328	3353	350	3406		
329	3355	351	3408		
330	3358	352	3410		

पोत की मध्यवर्ती लम्बाई पर फ्री बोर्ड अनुरेखा अन्तर्वेशन द्वारा प्राप्त किया जाएगा ।

इस अनुसूची के भाग I के पैरा 1 के पैरा (3) में उल्लिखित फ्री-बोर्ड सारणी—ख

सारणी ख

वर्ग ख के पोतों के लिए फ्री बोर्ड सारणी

पोत की लम्बाई (मी०)	फ्री बोर्ड (मि०मी०)	पोत की लम्बाई (मी०)	फ्री बोर्ड (मि०मी०)	पोत की लम्बाई (मी०)	फ्री बोर्ड (मि०मी०)
1	2	1	2	1	2
21	200	41	314	58	544
25	208	42	355	59	559
26	217	43	364	60	573
27	225	44	374	61	587
28	233	45	385	62	601
29	242	46	396	63	515
30	250	47	408	64	629
31	258	48	420	65	644
32	267	49	432	66	659
33	275	50	443	67	674
34	283	51	455	68	689
35	292	52	467	69	705
36	300	53	478	70	721
37	308	54	490	71	738
38	316	55	503	72	754
39	325	56	506	73	769
40	334	57	530	74	784

1	2	1	2	1	2
75	800	131	1921	187	3044
76	816	132	1940	188	3062
77	833	133	1959	189	3080
78	850	134	1979	190	3098
79	868	135	2000	191	3116
80	887	136	2021	192	3134
81	905	137	2023	193	3151
82	923	138	2065	194	3167
83	942	139	2087	195	3185
84	960	140	2109	196	3202
85	978	141	2130	197	3219
86	996	142	2151	198	3235
87	1015	143	2171	199	3249
88	1034	144	2190	200	3264
89	1054	145	2209	201	3280
90	1075	146	2229	202	3296
91	1096	147	2250	203	3313
92	1116	148	2271	204	3330
93	1135	149	2293	205	3347
94	1154	150	2315	206	3363
95	1172	151	2334	207	3380
96	1190	152	2354	208	3397
97	1209	153	2375	209	3413
98	1229	154	2396	210	3430
99	1250	155	2418	211	3445
100	1271	156	2440	212	3460
101	1293	157	2450	213	3475
102	1315	158	2460	214	3490
103	1337	159	2500	215	3505
104	1369	160	2520	216	3520
105	1380	161	2540	217	3537
106	1401	162	2560	218	3554
107	1421	163	2580	219	3570
108	1440	164	2600	220	3586
109	1459	165	2620	221	3601
110	1479	166	2640	222	3615
111	1500	167	2660	223	3630
112	1521	168	2680	224	3645
113	1543	169	2698	225	3660
114	1565	170	2716	226	3675
115	1587	171	2735	227	3690
116	1609	172	2754	228	3705
117	1630	173	2774	229	3720
118	1651	174	2795	230	3735
119	1671	175	2815	231	3750
120	1690	176	2835	232	3765
121	1709	177	2855	233	3780
122	1729	178	2875	234	3795
123	1750	179	2895	235	3808
124	1771	180	2915	236	3821
125	1793	181	2933	237	3885
126	1815	182	2952	238	3849
127	1837	183	2970	239	3864
128	1895	184	2988	240	3880
129	1880	185	3007	241	3893
130	1901	186	3025	242	3900
243	3920	283	4432	323	4878
244	3944	284	4443	324	4890
245	3949	285	4455	325	4899
246	3965	286	4467	326	4909
247	3978	287	4478	327	4920
248	3992	288	4490	328	4931
249	4005	289	4502	329	4943
250	4018	290	4514	330	4955
251	4032	291	4525	331	4965
252	4045	292	4537	332	3975
253	4058	293	4548	333	4985
254	4072	294	4560	334	4995
255	4085	295	4572	335	5005
256	4098	296	4583	336	5015
257	4122	297	4595	337	5025
258	4125	298	4607	338	4035
259	4139	299	4618	339	5045
260	4152	300	4630	340	5055
261	4165	301	4642	341	5065
262	4177	302	4654	341	5075
263	4189	303	4665	343	5086
264	4201	304	4676	344	5097
265	4214	305	4686	345	5108
266	4227	306	4695	346	5110
267	4240	307	4704	347	5130
268	4252	308	4714	348	5140
269	4264	309	4725	349	5150
270	4276	310	4736	350	5160
271	4289	311	4748	351	5170
272	4302	312	4757	352	5180
273	4315	313	4768	353	5190
274	4327	314	4779	354	5200
275	4339	315	4790	355	5210
276	4350	316	4800	356	5220
277	4362	317	4812	357	5230
278	4373	318	4823	358	5240
279	4385	319	4834	359	5250
280	4397	320	4844	360	5260
281	4408	321	4855	361	5268
282	4420	322	4866	362	5276
				363	5285
				364	5294
				365	5303

पोत की अध्यवर्ती लम्बाई पर फीमोर्ड अनुरेखा अन्तर्वेशन द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

तृतीय अनुसूची

(नियम 4, 5, 6, 7, 9, 29, 31, देखें)

स्थिरता और लदान

भाग I

स्थिरता का मापदण्ड

1 पोत की स्थिरता सभी अभीष्ट लदान स्थितियों में सभी डुबावों पर पर्याप्त होगी । उपर्युक्त फ्री बोर्ड चिन्ह निमज्जन नहीं होने चाहिये । जब तक पोत की विशिष्ट डिजाइन और सेवा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक न हो, निम्नलिखित मानदण्डों का पालन करने पर पोत की स्थिरता संतोषजनक मानी जाएगी ।

(I) स्थिरक बलमाप (जी जैड) वक्र के अधीन क्षेत्र निम्नलिखित से कम न होगा

(क) 0 055 मीटर 40 अंश हील के कोण तक रेडियन,

(ख) 0 09 मीटर 40 अंश या कम हो तो क्यू एफ कोण के रेडियन । कोण क्यू एफ वह कोण है जिस पर किसी खोल अर्धसंरचनाओं या डेक घरों के द्वारों का निचला भाग पानी में डूब जाए, क्योंकि इन स्थानों के द्वारा मौसमरुद्ध बंद नहीं किए जा सकते और इनसे लगातार पानी आने की संभावना है ।

(ग) 0 03 मीटर हील के 30 और 40 अंश के कोणों के बीच और यदि ओ एफ 40 अंश से कम हो तो 30 और ओ एफ अंशों के बीच रेडियन

(II) स्थिरक बल माप (जी जैड) 30 या उससे अधिक अंश के हील कोण पर कम से कम 0. 20 मीटर होगा ।

(III) अधिकतम स्थिरक बल माप (जी जैड) कम से कम 30 अंश के हील के कोण पर होना चाहिये ।

(IV) प्रारम्भिक अनुप्रस्थ-बलकेन्द्री ऊंचाई 0 15 मीटर से कम नहीं होगी ।

2 केन्द्रीय सरकार, काष्ठ डेक माल पोत को माल भरण परिस्थितियों, रस्सी और अन्य सेवा स्थितियों पर पूरी तरह विचार करने के बाद पिछले पैरामों दिये गए स्थिरता मानदण्डों से कम मानदण्डों का पालन करने की अनुमति दे सकती है ।

3. उक्त पैरे 1 और 2 के उपबन्धों का पालन करने के अलावा पोत कप्तान को नौचालन, मालभरण और रस्सियों आदि के संबंध में विवेक और पूर्वोपाय का उचित उपयोग भी करना चाहिए

4 कोई पोत पैरा 1 और 2 में दिये गये स्थिरता मानदण्डों का पालन करता है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिये स्थिरता आकड़े उस पोत के झुकाव परीक्षण पर आधारित होंगे जैसा कि इस नियमावली के नियम 31 में दिया गया है, जब तक कि इस नियम से छूट न दी गई हो ।

भाग II

स्थिरता और लदान की शर्तें

इस अनुसूची के भाग 1 में दिए गए स्थिरता मानदण्डों का पालन करने के लिये कम से कम निम्नलिखित लदान और नीरम शर्तों वाले स्थिरता लक्षणों की बकायदा जांच की जाए ।

(1) प्रकाश शर्तें यदि पोत पर स्थाई नीरम हो तो प्रकाश शर्तें में दो शर्तें अर्थात (1) ऐसे नीरम सहित प्रकाश शर्तें (2) ऐसे नीरम के बिना प्रकाश शर्तें, सम्मिलित होना चाहिए ।

(2) नीरम शर्तें · इनमें भी दो शर्तों अर्थात (1) सारी सामग्री, मीठा पानी, ईंधन और अन्य उपभोज्य सामग्री सहित पर माल के बिना नीरम प्रस्थान शर्तें और केवल दस प्रतिशत सामग्री, (2) मीठा पानी, ईंधन और अन्य उपभोज्य सामग्री सहित नीरम आगमन शर्तें ।

(3) मानक लदान शर्तें : इनमें निम्नलिखित शामिल होनी चाहिए (1) ग्रीष्म भार रेखा तक लदे पोत की प्रस्थान शर्तें इस पोत में माल के लिए उपलब्ध सभी स्थानों में एक जैसा माल भरा हो, सिवाय ऐसे स्थानों के जहां यह उपयुक्त न हो, उदाहरण के लिए इस पोत के माल स्थानों के मामले में जो मात्र वाहनों और कंटेनरों को जाने के लिए प्रयोग में लाया जाना हो (2) इसी तरह से लदे पोत की आगमन शर्त लेकिन केवल 10 प्रतिशत भण्डार, ईंधन और अन्य उपभोज्य भण्डार, सहित मीठापानी ।

(4) संबंधित लदान शर्तें इनमें अतिरिक्त लदान शर्तों की प्रस्थान और आगमन शर्तें शामिल होनी चाहिए जिनके लिये पोत का डिजाइन बनाया गया है या जो सेवा शर्तें पोत स्वामियों द्वारा वांछित है ।

6 (1) यात्री पोतों के लिये यात्रियों की संपूर्ण संख्या और उनका सामान उक्त पैरा 5 की (2) से (4) की शर्तों में सम्मिलित करना चाहिए ।

(2) यात्री पोतों में यात्रियों के चलने फिरने के प्रभाव का और पोत की मुड़ते समय युक्तिचालन के दौरान नीति का पोत की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यथावत् परीक्षण किया जाएगा,

भाग III

स्थिरता गणना के रूप और पद्धति

7. स्थिरता और लदान से संबंधित इन नियमों के भाग VI के प्रयोजन के लिए स्थिरता गणनाओं की पद्धति और स्थिरता पुस्तिका का रूप जहां तक व्यवहार्य हो, निम्नलिखित पैरा के अनुसार होना चाहिए ।

8 स्थिता पुस्तिका में निम्नलिखित विवरण शामिल होना चाहिए –

(1) स्थिरता के आरम्भ में, पोत का नाम, अधिकारिक संख्या, रजिस्ट्री पत्तन, सकल और रजिस्टर टनभार, मुख्य परिमाप, विस्थापन, ग्रीष्म भार रेखा तक कुल भार और डुबाव उपयुक्त रूप से दिए जाए ।

(2) पोत की पार्श्व आकृति, और यदि व्यवहार्य हो, पैमाने के अनुसार बनाई गई मानचित्र आकृति जिसमें नाम के साथ सभी मुख्य कक्षों, टंकियों, भण्डारकक्षों और आवास जगहों की रूप रेखा दी गई हो ।

(3) माल, ईंधन, भण्डार, बायलर पानी, मीठा पानी और जल नीरम के लिए उपलब्ध कक्षों की क्षमता और उनके खड़े और अनुदैर्घ्य गुरुत्व केन्द्रों की स्थिति वाहन फैरी के मामले में, जिन कक्षों में वाहन ले जाए जाते है, उनका खड़ा गुरुत्व केन्द्र गाड़ियों के अनुमानित गुरुत्व केन्द्रों पर आधारित होगा न कि कक्षों के आयतनिक केन्द्रों पर ।

(4) (क) यात्रियों और उनके सामान और (ख) कर्मीदल और उनके सामान का कुल अनुमानित भार और ऐसे प्रत्येक कुल भार के गुरुत्व केन्द्र (अनुदैर्घ्य और खड़े) ऐसे गुरुत्व केन्द्र ज्ञात करने के लिये यात्रियों और कर्मीदल को पोत पर उन जगहों पर वितरित माना जाएगा जो जगहें वे सामान्यतः घेरेंगे, इनमें वे सबसे ऊंचे डेक भी शामिल है जहां दोनों या दोनों में से कोई एक जा सकता है ।

(5) पोत खुले डेक पर उचित रीति से अधिक से अधिक जितना डेक माल ले जा सकता है, उसका अनुमानित भार, विन्यास और गुरुत्व केन्द्र ऐसे डेक माल के मामले में जिसकी पानी सोखने की संभावना है, अनुमानित वजन में ऐसे सोखे जा सकने वाले और आगमन शर्तों में स्वीकार्य

पानी का अनुमानित भार शामिल होगा, काष्ट डेक माल के मामलो में यह भार 15 प्रतिशत माना जाएगा

(6) पोत मे ऐसी टंकियो के अवाध तल का स्थिरता पर प्रभाव जिन पर द्रव्यों को लेजाया जाए और अवाध चल प्रभाव के लिये चल केन्द्री ऊंचाई किस प्रकार ठीक की जाए, इसका उदाहरण ।

9 स्थिरता पुस्तिका मे निम्नलिखित आरेख या उसके स्थान पर अनुमोदित सारणीबद्ध विवरण दिए जाएं :—

(1) कुल भार विस्थापन स्केल का आरेख, जिसमे भाररेखा चिन्ह तदनुरूपी फ्री बोर्डों, विस्थापन हर सेंटीमीटर निमज्जन, मीटरटन के साथ भार रेखा, चिन्ह और भार रेखा और हलकी स्थिति मे पोत की जल रेखा और गहनतम भार रेखा सूचक जल रेखा के बीच माध्य डुबावो के अनुरूप कुल भार टन ।

(2) पोत मे द्रव-स्थैतिक विवरणों की आरेख या सारणीबद्ध विवरण—इसमे हलकी स्थिति मे पोत की जल रेखा और गहनतम भार रेखा सूचक जल रेखा के बीच माध्य डुबावो की श्रृंखला के लिये निम्नलिखित शामिल होगे.—

(1) आधार रेखा के ऊपर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थबलकेन्द्री की ऊंचाई,

(2) उत्प्लावकता केन्द्र दोनो ऊर्ध्वाधर और अनुदैर्ध्य की स्थितियां,

(3) प्लवन के अनुदैर्ध्य केन्द्रो की स्थितिया,

(4) एक सेंटीमीटर नति बदलने को घुर्ण का मान,

(5) आड़ी-काट क्षेत्र (बोनजियन वक्र) और जलस्तर क्षेत्र के मान ।

जह सारणीबद्ध विवरण प्रयुक्त हो वहा ऐसे डुबावो के मध्य अन्तराल काफी करीब होंगे ताकि सही अन्तर्वेशन हो सके । झुकने वाले पठाण के पोत के मामले मे, उत्प्लावकता और चल केन्द्रो की ऊंचाई के लिये वही माप प्रयुक्त होगे जैसे पैरा 9 में उल्लिखित गुरुत्व केन्द्रो के लिये होते हैं ।

(3) (1) स्थिरता के आड़ी-वक्रो का आरेख, जिसमें उन अक्षीय झुकाव पर पठाण बिन्दु स्पष्टतया दिखाए गए हो जहां से स्थिरक बल-माप मापा जाता है और नति को गृहीत किया जाता है । झुकने वाले पठाणो के पोत के मामले में जहां शीर्ष कील से इतर माप प्रयुक्त हो इसकी स्थिति की सही सूचना दी जाए ।

झुकाव कोणो की पर्याप्त दूरी के लिये पर्याप्त सख्या मे आड़ी-वक्रो और ऐसा हर वक्र गहनतम रेखा से पोत की हलकी अवस्था मे विस्थापन दूरी के ऊपर विस्तार होना चाहिए ताकि सभी धनात्मक दूरी के ऊपर स्थिरक बल मापो के सांख्यिकीय स्थिरता वक्र अन्तर्वेशन द्वारा पर्याप्त यथार्थता से प्राप्त किया जा सके ।

(2) आड़ी-वक्रो से स्थिरक बल माप वक्र (OZ) कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिये एक निदर्शी उदारण दिया जाए ।

10. इस अनुसूची के भाग II में अपेक्षित हर लदान शर्त के स्थिरता लक्षण स्थिरता पुस्तिका मे निम्नलिखित आरेखो और विवरणो द्वारा प्रदर्शित होगे ।

(i) पोत का अनुदैर्ध्य आरेख कुल भार के मुख्य घटको के निपटान को दिखाने वाले योग्य लघुमाप से खीचा गया,

(ii) हलकाभार, झुलभार का विन्यास और सघटको का घूर्ण, अन्तिम विस्थापन, गुरुत्व केन्द्र, चलकेन्द्र, अवाध तल प्रभाव और चल केन्द्री ऊंचाई को अवाध तल प्रभाव के लिए संशोधित की गई तदनुरूपी स्थिति ।

(iii) स्थिरक बल माप (GZ) के सांख्यिकीय स्थिरता वक्र का आरेख । जहां काष्ठ डेक माल की उत्प्लावकता के लिये मान्यता दी गई है वहां स्थिरक बल के वक्र दोनो के साथ और इस मान्यता के बिना, खिचना आवश्यक है । अवाध तल प्रभाव के लिये स्थिरक बलमाप के वक्र विधिवत सही किए जाएंगे ।

11. (1) स्थिरता के आकलन निकालने के लिये अधिसंरचना और कारगार चौमोखो से प्राप्त स्थिरता और उत्प्लावकता का भी ध्यान रखा जाए । ऐसी अधिसंरचनाएं द्वितीय अनुसूची के पैरा 7 और 8 मे बनाई गई हैं ।

(2) निम्नलिखित अधिसंरचनाओ द्वारा दी गई स्थिरता और उत्प्लावकता को भी आम वक्र निकालते समय ध्यान में रखा जाए और नौवहन महानिदेशक हर विशेष मामले में उनके स्थल, अखण्डता और बंद करने के साधन, को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनुमोदित करे :—

(1) अधिसंरचना डेक के ऊपर स्थित अधिसंरचना ।

(2) फ्रीबोर्ड डेक के चाहे संपूर्ण अथवा माल एक भाग में डेक पर,

(3) फ्री बोर्ड डेक के ऊपर अथवा उस पर फलकामुख संरचना ।

काष्ट डेक माल ले जाने वाले पोत के मामले मे अतिरिक्त रूप से यदि नौवहन महानिदेशक ऐसा अनुमोदित करे तो ऐसा माल ले जा रहे पोत के अनुरूप परक स्थिरता बल निकालने के लिए काष्ट डेक माल या उसके किसी अश का आयतन भी ध्यान मे रखा जाए ।

(3) जहां स्थिरता परिकलन के लिये अधिसरचना या अन्य किसी सरचना की उत्प्लावकता ली जाती है वहा गाडी-वक्रो पर सदा उचित पृष्ठांकन किया जाए और ऐसी मात्रा का स्पष्ट उल्लेख किय जाए । जलरोक दरवाजों के समीप या अन्य किसी विशेष मुख पर ऐसे नोटिस स्पष्ट रूप से लगाए जायेगे कि जब पास समुद्र मे हो तो ये मुख स्थिरता के लिये इस प्रकार बन्द रखे जाएंगे कि जलरुद्ध रहे ।

चतुर्थ अनुसूची

भारत

(नियम 5 और 26 देखिए)

अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा समझौता 1966

समनुदेशन की शर्तों का अभिलेख-भार रेखा सर्वेक्षण

पोत का नाम ----------सर्वेक्षण का पत्तन और तारीख----------अधिकारिक सख्या----------सर्वेक्षक के हस्ताक्षर ----------राष्ट्रीकता और रजिस्ट्री का पत्तन;----------

सर्वेक्षण सगठन

निर्माता और यार्ड स०----------निर्माण वर्ष----------

स्वामी ----------

पोत वर्ग (विद्यमान वर्ग क/वर्ग ख)-------- फ्रीबोर्ड की लबाई-----

सकल टन भार----------

1 पोतो भीतों की अधिसरचना (पैरा 6)

	सामग्री और घटक	मुखो का ब्यौरा	बद करने के उपकरण
पानी का फलका मुख			
पूत्र अग्र फलका मुख			
पुल पिछला फलका मुख			
धप फलका मुख			

क्या अधिसरचना का निर्माण कारगर है ।

2 फ्रीबोर्ड और अधिरचना डेकों में फलकामुख (पैरा 8 और 9)

विवरण	फलका सं०	फलका सं०	फलका सं०	फलका सं०	फलका सं०	फलका सं०
मुख का परिमाप						
अग्रवाल						
फलका वर्डी घटक माप और वेयरिंग तल						
अग्र और पिछले घटक						
फलका बाड पीपा आवरण						
वर्षारोधक फलका आवरण						

क्या नियम की अपेक्षाओं के अनुसार फलकों को बंद करने वाले साधन मजबूत या सक्षम हैं।

3 मशीनरी जगह के मुख (पैरा 10)

फिडन चिमनी रोशनदान और खोला की सामग्री और घटकों के विवरण	देहल और मुखों के विवरण बन्द करने वाले साधनों का विवरण

क्या मशीनरी खोला पर वातायन अच्छी तरह सुरक्षित है?

4 फ्रीबोर्ड और अधिरचनाओं डेकों पर विविध मुख (पैरा 11)

(क) नरमाखों और सपाट मोखों के मुखों और बंद वाले उपकरणों का विवरण दें। क्या ऐसे निर्माण सक्षम है,

(ख) डेक साक्षों का विवरण

5 फ्रीबोर्ड और अधिरचनाओं डेकों पर खुली स्थिति में वातायन (पैरा 12)

वातायनों की स्थितियां	मुखों का माप	अग्रवाल की ऊंचाई और मोटाई	सम्वातित जगह बंद करने के उपकरण

क्या वातायन ऐसी जगह है जो विशेषरूप से मौसम और समुद्र से प्रभावित हो सकती है यदि ऐसा है तो उनका बचाव कैसे किया गया है।

6 फ्रीबोर्ड और अधिरचना डेकों पर अभिदर्शित स्थिति में वायु नलियां (पैरा 13)

स्थिति	वायु नलिकों की संख्या और प्रकार	व्यास और ऊंचाई	बन्द करने के उपकरण

(क) मानक ऊंचाई से कम के अधिरचना डेक पर स्थित किसी वायु नली का

(ख) क्या सभी वायु नलियां मजबूती से निर्मित है?

7 पार्श्व में माल द्वार और ऐसे ही मुख (पैरा 14)

(क) फ्रीबोर्ड डेक के नीचे माल द्वारों और ऐसे ही मुखों की अनुदैर्ध्य स्थिति, आकार और संख्या है।

(ख) किसी ऐसे माल द्वारा या ऐसे ही मुख के, फ्रीबोर्ड डेक के पार्श्व से समांतर खींची गई और गहनतम भार रेखा के ऊपरी छोर से जाने वाली रेखा के संबंध में, निचले छोर की खड़ी दूरी बताएं।

(ग) ऐसे मुखों को बन्द करने के उपकरणों का ब्यौरा दें। क्या ऐसे बंद करने के उपकरणों से संरचना की अखण्डता और जलरुद्धता सुनिश्चित होती है।

8 परवाल, प्रवेश द्वार और नलियां (पैरा 15)

पाइप के प्रवेश के छोर की स्थिति	कक्ष/डेक जिनमें से होते हुए	पाइपों की संख्या और नलों का बाहरी व्यास और बन्द करने के उपकरणों और सामग्री के प्रकार
SLWL के ऊपर पठाण से 0.01L		
SLWL के ऊपर 0.01L से 0.02L		
SLWL के ऊपर 0.02 से अधिक		

(क) वाल्वों के नियंत्रण के स्थान और सुगमता का विवरण दें --

(क) प्रयोग में ली गई मशीनरी जगह और (2) प्रयोग में न ली गई मशीनरी जगह।

(ख) प्रयोग में न ली गई मशीनरी जगह में जल के प्रवेश पर चेतावनी देने वाले उपकरणों के विवरण दें।

9 मूका (पैरा 16)

(क) मूकों, अघाटियों और शीशा और उनके निर्माण का विवरण दें।

(ख) क्या सभी मूकों की देहलियों पर या फ्रीबोर्ड डेक पार्श्व से समांतर खींची गई रेखा के ऊपर है और उनका सबसे नीचा पाइट।

(1) ग्रीष्म भार रेखा के ऊपर B से 2.5 प्रतिशत है या

(2) ग्रीष्म भार रेखा के ऊपर 500 मिलीमीटर है।

10 निकास मोखा और व्यवस्थाएं (पैरा 17)

(क) खुले डेक पर निकास व्यवस्था

	मडवाल की लंबाई और ऊंचाई	निकास मोखो के आकार और संख्या	हर ओर का क्षेत्र	हर ओर निर्मित क्षेत्र
अग्र कूप				
पिछला कूप				

(ख) बंद अधिरचना से इतर अधिरचना से जल निकास के लिए की गई व्यवस्थाओं का विवरण दें। क्या ऐसी व्यवस्थाएं कारगर हैं।

11 कर्मीदल की सुरक्षा (पैरा 18)

(क) अधिसरचना डेको और खुले फ्री बोर्ड के परिमापो पर प्रयुक्त जगले, बचाव तार और खबो की ऊचाई सहित दी जाने वाली जगह का विवरण दे ।

(ख) सीढ़ी, प्रवर डेक गली और अन्य साधनो से कर्मीदल को उनके आवास, मशीनरी जगह और अन्य कार्य करने की जगहो के मध्य आने-जाने वाले साधनो का विवरण दे ।

(ग) रक्षा रस्सी, पहुंच सीढ़ियां, जगले, बचाव तार, हथपट्टियां और अन्य सुरक्षा जुड़नारो (फिटिंग्स) का विवरण दे ।

वर्ग क या वर्ग ख के पोतो, कम फ्रीबोर्ड के पोतो पर लागू विशेष अपेक्षाएं ।

12 मशीनरी खोल (पैरा 19)

यदि खोल स्थिति 1 या स्थिति 2 मे सलग्न मशीनरी जगह मुख, पूप पुल या डेक घर द्वारा सुरक्षित नही है, तो उसके कारण दे या अपनाए गए ऐसे ही सुरक्षा साधनो का विवरण दें ।

13. सीढ़ी और पहुच (पैरा 20 और 23)

जहा पोत के पूप असबद्ध पुल या ऐसे अगले भाग के मध्य जहा असम्बद्ध पुल नही है, पहुच स्थायी सीढ़ी से इतर साधनो द्वारा प्राप्त की जाती है, वहा की गई ऐसी ही व्यवस्था का विवरण दे ।

14 निकास व्यवस्थाए (पैरा 22 और 24)

(क) जहा जगले, बचाव तार और खबे फ्रीबार्ड और अधिसरचना डैको से कम से कम आधी लबाई के लिये नही दिए गये हो वहां ऐसी ही निकास व्यवस्था का विवरण दे ।

(ख) पनकट दीवारो के प्रकार और स्थितियां और सख्या यदि ऐसे जुड़नार सक्षम हो ।

काष्ठ फ्रीबोर्ड समनुदेशित पोतो पर लागू विशेष अपेक्ष ।

15 अडवाल जगले और खबे (पैरा 27)

(क) अडवलो के स्थिरक और आलबा का विवरण दे । क्या ऐसी व्यवस्था पर्याप्त, सबल और सक्षम है ।

(ख) जहां अडवाल प्रयुक्त न हो वहां उनके बदले मे दिये गये जगले और खबो का, यदि वे पर्याप्त रूप से मजबूत हो, विवरण दे ।

नोट —इस अभिलेख मे पैरो का सदर्भ, इन नियमा की प्रथम अनुसूची के पैरो का सदर्भ है ।

पांचवीं अनुसूची

फार्म एल० एल० (भारत) | प्रमाणपत्र सख्या——————

(नियम 7 और 12 देखिए)

अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा प्रमाणपत्र (1966)

भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन नौवहन महानिदेशक द्वारा भार रेखा पर अन्तर्राष्ट्रीय सगमन 1966 के उपबन्धो के अधीन जारी

पोत का नाम	सुस्पष्ट सख्या या अक्षर	रजिस्ट्री पत्तन	अनुच्छेद 2(8) मे परिभाषित लबाई

समनुदेशित फ्रीबोर्ड ।

+ { नए पोत / विद्यमान पोत }

+ { पोत वर्ग / वर्ग क / वर्ग ख / वर्ग ख के साथ कम किया गया फ्रीबार्ड / वर्ग ख के साथ बढाया गया फ्रीबोर्ड }

+जो लागू न हो, काट दे

डेक रेखा से फ्री बोर्ड		भार रेखा	
उष्ण कटिबधीय	मिलीमीटर ( ) (ग्रीष्म) से ऊपर		मिलीमीटर
ग्रीष्म	मिलीमीटर ( ) वलय मध्य से रेखा का ऊपरी छोर		मिलीमीटर
शीत	मिलीमीटर ( ) (ग्रीष्म) नीचे		मिलीमीटर
शीत उत्तर अटलांटिक	मिलीमीटर ( ) (ग्रीष्म) नीचे		मिलीमीटर
काष्ठ उष्णकटिबधीय	मिलीमीटर ( ) (प्रकाष्ठ ग्रीष्म) ऊपर		मिलीमीटर
काष्ठ ग्रीष्म	मिलीमीटर ( ) (ग्रीष्म) ऊपर		मिलीमीटर
काष्ठ शीत	मिलीमीटर ( ) (काष्ठ ग्रीष्म)		मिलीमीटर
काष्ठ शरद उत्तर अटलांटिक	मिलीमीटर ( ) (काष्ठ ग्रीष्म)		मिलीमीटर
नोट फ्री बोर्ड और भार रेखा जो प्रमाणपत्र मे प्रविष्ट करने की आवश्यकता नही है ।	काष्ठ फ्रीबार्ड के लिये		मिलीमीटर

काष्ठ से इतर सभी फ्री बोर्डों के लिए मीठे पानी की छूट

डेक रेखा के ऊपरी छोर जहा से फ्री बोर्ड मि०मी० है, काष्ठ फ्री बोर्डों के लिए---मि०मी० हैं। नापे गए है— मि० मी० है । डेक क पार्श्व पर

प्रारम्भिक या आवधिक सर्वेक्षण की तारीख————

प्रमाणित किया जाता है कि इस पोत का सर्वेक्षण कर दिया गया है और उपयुक्त समनुदेशित फ्री बार्ड और भार रेखाए भार रेखा अन्तर्राष्ट्रीय सगमन 1966 के अनुसार दिखाई गई हैं ।

यह प्रमाण पत्र संगमन के अनुच्छेद 14(1) (ग) के अनुसार आवधिक निरीक्षणों के अधीन———————— तक वैध है।

पत्तन————————तारीख————————जारी किया गया।

मैं घोषणा करता हूं कि मै सरकार द्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हूं।

नौवहन महानिदेशक,
नौवहन और परिवहन मंत्रालय

यह प्रमाणित किया जाता है कि संगमन के अनुच्छेद 14(1) (ग) द्वारा अपेक्षित आवधिक निरीक्षण पर यह पोत संगमन के संबद्ध उपबन्धों का पालन करते हुए पाया गया था,

स्थान———————— तारीख————————
सर्वेक्षण

स्थान———————— तारीख————————
सर्वेक्षण

स्थान———————— तारीख————————
सर्वेक्षण

स्थान———————— तारीख————————
सर्वेक्षण

यह पोत संगमन के उपबन्धों का पूर्णरूप से पालन करता है,
इस प्रमाणपत्र की वैधता संगमन के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार
———————— तक है।

स्थान———————— तारीख————————
सर्वेक्षण

नोट :

(1) जब पोत नदी या आन्तरिक जलक्षेत्र पर स्थित पत्तन से प्रस्थान करता है तो लदान की गहराई प्रस्थान पत्तन और समुद्र के मध्य ईंधन और अन्य सभी अपेक्षित सामग्री के वजन के अनुरूप होगी।

(2) जब पोत इकाई घनत्व के मीठे पानी में हो तो उपर्युक्त भार रेखा मीठे जल की उक्त दिखाई गई छूट की मात्रा से निमज्जित हो सकती है। जहां घनत्व एक से इतर हो, तो छूट 1.025 और वास्तविक घनत्व के मध्य अंतर अनुपात में होगी।

फार्म एल०एल० (भारत) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय भार रेखा प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र सं० ————————

पोत का नाम	सुस्पष्ट संख्या या अक्षर	रजिस्ट्री पत्तन	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 311 के अधीन बने नियमों द्वारा परिभाषित लम्बाई (L)	सकल टनभार

समनुदेशित फ्री बोर्ड	पोत वर्ग
नया पोत	वर्ग क
विद्यमान पोत	वर्ग ख
	वर्ग ख कम किये गये फ्री बोर्ड————के साथ
	वर्ग ख बढ़ाए गए फ्री बोर्ड————के साथ

जो लागू न हों, काट दें :

भार रेखा से फ्री बोर्ड		भार रेखा	
उष्ण कटिबंधीय	मि० मी०	(T) S(ग्रीष्म) से ऊपर	मी० मी०
ग्रीष्म	मि० मी०	(S) वलय मध्य से रेखा का ऊपरी छोर	
शीत	मि० मी०	(W) S(ग्रीष्म) से नीचे	मी० मी०

सभी फ्री बोर्ड के लिये मीठे जल की छूट————मि० मी०

नोट : जो फ्री बोर्ड और भार रेखा लागू न हो, उसे प्रमाणपत्र में भरने की आवश्यकता नहीं है।

भार रेखा के ऊपरी छोर जिससे ये फ्री बोर्ड नापे जाते हैं————मि० मी०————डेक पार्श्व पर।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस पोत का सर्वेक्षण कर लिया गया है और उक्त दिखाई गई भार रेखाएं और फ्री बोर्ड वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 311 के अधीन बने नियमो के अधीन समनुदेशित किए गए हैं।

यह प्रमाणपत्र वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 311 के अधीन बने नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार आवधिक निरीक्षण के अधीन ——————तक वैध है ।

——————पत्तन पर तारीख——————को जारी किया गया ।

नौवहन महानिदेशक
नौवहन और परिवहन मंत्रालय

नोट :

(1) जब पोत नदी या आन्तरिक जल क्षेत्र पर स्थित पत्तन से प्रस्थान करता है तो लदान की गहराई प्रस्थान पत्तन और समुद्र के मध्य ईंधन और सभी अपेक्षित सामग्री के वजन के अनुरूप होगी ।

(2) जब पोत इकाई घनत्व के मीठे पानी में हो तो उपर्युक्त भार रेखा मीठे जल की उक्त दिखाई गई छूट की मात्रा से निमज्जित हो सकती है । जहां घनत्व एक से इतर हो, तो छूट 1.025 और वास्तविक घनत्व के मध्य अनुपात में होगी ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 311 के अधीन बने नियमों द्वारा अपेक्षित आवधिक निरीक्षण पर यह पोत उक्त नियमों से संबद्ध उपबन्धों का पालन करते हुए पाया गया ।

स्थान—————— तारीख——————
सर्वेक्षण

स्थान—————— तारीख——————
सर्वेक्षण

स्थान—————— तारीख——————
सर्वेक्षक

स्थान—————— तारीख——————
सर्वेक्षक

फार्म एल०एल०(भारत) अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा छूट प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र संख्या ——————

भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन नौवहन महानिदेशक द्वारा भार रेखाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय संगमन, 1966 के उपबन्धों के अधीन जारी ।

पोत का नाम	सुस्पष्ट संख्या या अक्षर	रजिस्ट्री पत्तन

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरिलिखित पोत को उक्त संगमन के अनुच्छेद 6(2)/अनुच्छेद 6(4) द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अधीन 1966 के संगमन के उपबन्धों से छूट दी गई है ।

संगमन के उपबन्धों जिससे पोत को अनुच्छेद 6(2) के अधीन छूट दी गई है, निम्नलिखित हैं :—

जल यात्रा जिसके लिये अनुच्छेद 6(4) के अधीन छूट दी गई है
से——————
को——————

——————अनुच्छेद 6(2) या अनुच्छेद 6(4) के अधीन जो छूट दी गई है, उसके लिये शर्तें —

यह प्रमाणपत्र संगमन के अनुच्छेद 14(1)(ग) अनुसार उपर्युक्त आवधिक निरीक्षणों के अधीन——————तक वैध है ।

——————पत्तन पर तारीख ——————को जारी किया गया ।

मैं घोषणा करता हूं कि मैं उक्त सरकार द्वारा इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिये विधिवत प्राधिकृत हूं ।
जो लागू न हो काट दें ।

नौवहन महानिदेशक
नौवहन और परिवहन मंत्रालय

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह पोत उन शर्तों का अनुपालन करता है जिसके अधीन यह छूट दी गई थी ।

स्थान—————— तारीख——————
सर्वेक्षक

स्थान—————— तारीख——————
सर्वेक्षक

स्थान—————— तारीख——————
सर्वेक्षक

स्थान—————— तारीख——————
सर्वेक्षक

यह पोत उन शर्तों का अनुपालन कर रहा है जिसके अधीन छूट दी गई थी, और प्रमाणपत्र को वैधता, संगमन के अनुच्छेद 19(2)(क) के अनुसार ——————तक बढ़ा दी गई है ।

स्थान—————— तारीख——————
——————
सर्वेक्षक

छठवीं अनुसूची

(नियम 17 और 19 देखिए)

जोन, क्षेत्र और विशेष अवधियां

1 इस अनुसूची में जोन और क्षेत्र सामान्यतः निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर हैं

ग्रीष्म—बल 8 बोफर्ट (34 नाट) या अधिक की 10 प्रतिशत वायु तक

उष्ण कटिबंधीय—बल 8 बोफर्ट (34 नाट) या अधिक की 1 प्रतिशत वायु तक। किसी एक पृथक पंचाकमास में 5 अंश वर्ग के एक क्षेत्र में 10 वर्षों में एक उष्ण कटिबंधीय तूफान तक।

कुछ विशेष क्षेत्रों में व्यवहारिक कारणों के लिये कुछ अंश की छूट स्वीकार्य है।

इस अनुसूची पर निम्नपरिभाषित जोन और क्षेत्रों का चार्ट संलग्न है।

उत्तरी शीतकालीन मौसमी जोन और क्षेत्र

2 (1) उत्तरी शीतकालीन मौसमी जोन और क्षेत्र

(क) उत्तरी अटलांटिक शीतकालीन मौसमी जोन ग्रीनलैंड तट से 50 अंश पश्चिम देशान्तर से 45 अंश उत्तरी अक्षांश के याम्योत्तर वहां से 45 अंश उत्तरी अक्षांश के समान्तर 15 अंश पश्चिम देशान्तर, वहां से 15 अंश पश्चिम देशान्तर से 60 अंश उत्तरी, वहां से 60 अंश उत्तरी अक्षांश के समान्तर ग्रीनविच याम्योत्तर, और वहां से इस याम्योत्तर से उत्तर की ओर के भीतर है।

मौसमी अवधियां

शीतकाल 16 अक्टूबर से 15 अप्रैल

ग्रीष्मकाल 16 अप्रैल से 15 अक्टूबर

(ख) उत्तरी अटलांटिक शीतकालीन जोन दो, संयुक्त राज्य के तट से 68 अंश 30 अंश पश्चिमी देशान्तर से 40 अंश उत्तरी अक्षांश, के याम्योत्तर वहां से 36 अंश उत्तरी अक्षांश बिन्दु से रम्ब रेखा, 70 अंश पश्चिमी देशान्तर, वहां से 36 अंश उत्तरी अक्षांश के समान्तर से 25 पश्चिमी देशान्तर और वहां से रम्ब रेखा से कैप तरीनाना, के अन्तर्गत है।

इस जोन में उत्तरी अटलांटिक शीतकालीन जोन एक और स्कागेरक से स्काव के समान्तर अक्षांश द्वारा परिबद्ध बाल्टिक सागर शामिल नहीं है।

मौसमी अवधियां

शरद काल 1 नवम्बर से 31 मार्च

ग्रीष्मकाल 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर

(2) उत्तरी अटलांटिक शीत कालीन क्षेत्र

उत्तरी अटलांटिक शीतकालीन क्षेत्र की सीमा

संयुक्त राज्य के तट से 68 अंश 30° पश्चिमी देशान्तर से 40 अंश उत्तर अक्षांश के याम्योत्तर वहां से रम्ब रेखा, कनाडा और उसके पूर्वी तटों और संयुक्त राज्यों के तट के साथ 61 अंश पश्चिमी देशान्तर के याम्योत्तर के सुदूर दक्षिण भाग में कटान।

मौसमी अवधियां

100 मीटरों (328 मीटर) से अधिक की लम्बाई वाले पोतों के लिए।

शीतकाल 16 दिसम्बर से 15 फरवरी

ग्रीष्मकाल 16 फरवरी से 15 दिसम्बर

100 मीटरों (328 फीट) और उससे कम लम्बाई वाले पोतों के लिये

शीतकाल 1 नवम्बर से 31 मार्च

ग्रीष्मकाल 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर

(3) उत्तरी प्रशान्त महासागरीय शीतकालीन जोन

उत्तरी प्रशान्त महासागर के जोन की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित है —

रूस के पूर्वी तट से सखालिन के पश्चिम तट तक 50 अंश उत्तरी अक्षांश के समान्तर वहां से सखालिन के पश्चिमी तट से कुरिल की दक्षिणी अग्रान्त वहां से रम्ब रेखा के वक्कानाय, होक्काईडो, जापान, वहां से 145 अंश पश्चिमी देशान्तर से होक्काइडो के पूर्वी और दक्षिणी तट, वहां से 35 अंश उत्तरी अक्षांश से 145 अंश पूर्वी देशान्तर के याम्योत्तर वहां से 35 अंश उत्तरी अक्षांश से 150 अंश पश्चिमी देशान्तर और वहां से रम्ब रेखा डुल और अलास्का द्वीप की दक्षिणी अग्रान्त।

मौसमी अवधियां

शीतकाल 16 अक्तूबर से 15 अप्रैल

ग्रीष्मकाल 16 अप्रैल से 15 अक्तूबर

दक्षिणी शीतकालीन जोन

(1) दक्षिणी शीतकालीन जोन की उत्तरी सीमा निम्नलिखित है —

अमेरीका महाद्वीप के कैप ट्रेस पुन्टास पर पूर्वी तट से 34 अंश दक्षिणी अक्षांश 50 अंश पश्चिमी देशान्तर तक रम्ब रेखा, वहां से 34 अंश दक्षिणी अक्षांश से 17 अंश पूर्वी देशान्तर, के समान्तर, वहां से 35 अंश 10 दक्षिणी अक्षांश 20 अंश पूर्वी देशान्तर, के सुसंगत से रम्ब रेखा, वहां से रम्ब रेखा के साथ 35 अंश 30 दक्षिणी अक्षांश 118 अंश पूर्वी देशान्तर के सुसंगत और वहां से तस्मानिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर कैप ग्रिम से रम्ब रेखा, वहां से तस्मानिया के उत्तरी और पूर्वी तटों के साथ ब्रुनी द्वीप के सुदूर दक्षिणी बिन्दु, वहां से स्टीवर्ट द्वीप पर काला रोक बिन्दु से रम्ब रेखा, वहां से रम्ब रेखा 47 अंश दक्षिणी अक्षांश 170 अंश पूर्वी देशान्तर के सुसंगत, वहां से रम्ब रेखा साथ सुसंगत 33 अंश दक्षिणी अक्षांश, 170 अंश पश्चिमी देशान्तर, और वहां से अमेरीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से 33 अंश दक्षिणी समान्तर।

मौसमी अवधियां

शीतकाल 16 अप्रैल से 15 अक्तूबर

ग्रीष्मकाल 16 अक्तूबर से 15 अप्रैल

विनियम 48

उष्ण कटिबंधीय जोन

4 (1) उष्ण कटिबंधीय जोन की उत्तरी सीमा

उष्ण कटिबंधीय जोन की उत्तरी सीमा निम्नलिखित है —

अमेरीका महाद्वीप के 60 अंश पश्चिमी देशान्तर के पूर्वी तट से 13 अंश उत्तरी अक्षांश के समान्तर, वहां से रम्ब रेखा 10 अंश उत्तरी अक्षांश 58 अंश पश्चिमी देशान्तर के सुसंगत, वहां से 20 अंश पश्चिमी देशान्तर से 30 अंश उत्तरी अक्षांश को याम्योत्तर और वहां से अफ्रीका के पश्चिमी तट से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के समान्तर, अफ्रीका के पूर्वी तट से 8 अंश उत्तरी अक्षांश से 70 अंश पूर्वी देशान्तर से 13 अंश उत्तरी अक्षांश वहां से भारत के पश्चिमी तट से 13 अंश उत्तरी अक्षांश के समान्तर, वहां से भारत के पूर्वी तट पर 10 अंश 30′ उत्तर अक्षांश से भारत के दक्षिणी तट वहां से रम्ब रेखा 9 अंश उत्तरी अक्षांश 82 अंश पूर्वी देशान्तर के सुसंगत वहां से याम्योत्तर के 82 अंश पूर्वी देशान्तर से 8 अंश उत्तरी अक्षांश वहां से मलेशिया के पश्चिमी तट से 8 अंश उत्तरी अक्षांश के समान्तर, वहां से 10 अंश उत्तरी अक्षांश पर दक्षिण पूर्व एशिया के तट से वियतनाम के पूर्वी तट, वहां से 10 अंश उत्तरी अक्षांश से 145 अंश पूर्वी देशान्तर के समान्तर, वहां से 145 अंश पूर्वी देशान्तर से 13 अंश उत्तरी अक्षांश के

याम्योत्तर और वहां से अमेरीका महाद्वीप के पश्चिम तट से 13 अंश उत्तरी अक्षांश के समातर।

मौगोन की उष्ण कटिबंधीय जोन और मौसमी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की सीमा रेखा समझा जाता है।

(2) उष्ण कटिबंधीय जोन दक्षिणी सीमा

उष्ण कटिबंधीय जोन की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित है:—

सन्टोस, ब्राजील पत्तन से रम्ब रेखा उस बिन्दु पर जहां 40 अंश पश्चिमी देशातर के याम्योत्तर मकर रेखा को काटती है वहां से अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मकर रेखा, अफ्रीका के पूर्वी तट के समांतर मदगास्कर के पश्चिमी तट से 20 अंश दक्षिणी, अक्षाश, वहां से 50 अंश देशांतर से मदगास्कर के पश्चिमी और उत्तरी तट, वहां से 50 अंश पूर्वी देशातर से 10 अंश दक्षिणी अक्षाश के याम्योत्तर वहां से 10 अंश दक्षिणी अक्षांश से 98 अंश पूर्वी देशांतर के समातर, वहां से डर्विन पत्तन आस्ट्रेलिया को रम्ब रेखा, वहां से कैप वैस्सेल के पूर्व मे आस्ट्रेलिया और वैस्सेल द्वीप के तट वहां से कैपयार्क के पश्चिमी और 11 अंश दक्षिणी अक्षाश के समांतर, कैपयार्क के पूर्वी और से 11 अंश दक्षिणी अक्षांश से 150 अंश पश्चिमी देशांतर के समातर, वहां से रम्ब रेखा 26 अंश दक्षिणी अक्षांश 75 अंश पश्चिमी देशातर के सुसंगत और वहां से रम्ब रेखा अमेरीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश काक्विम्बो और सन्टोस उष्ण कटिबंधी और ग्रीष्म जोन की सीमा रेखा माने जाते है।

(3) उष्ण कटिबंधी जोन मे शामिल किए जाने वाले क्षेत्र उष्ण कटिबंधी जोन में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल समझा जाए:—

(क) स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी पोर्ट सईद से 45 अंश पूर्वी देशान्तर के याम्योत्तर अदन और बेरबेरा उष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधी मौसम जोन की सीमा रेखा माने जाते है।

(ख) फ़ारस की खाड़ी से 59 अंश पूर्वी देशातर के याम्योत्तर

(ग) आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से ग्रेट बारियर रीफ तक 22 अंश दक्षिण अक्षाश के समांतर परिबद्ध क्षेत्र, वहां से 11 अंश दक्षिणी अक्षाश से ग्रैट बारियर रीफ 1 क्षेत्र के उत्तरी सीमा उष्ण कटिबंध जोन की दक्षिणी सीमा है।

उष्ण कटिबन्धीय मौसमी क्षेत्र

3 उष्ण कटिबंधीय मौसमी क्षेत्र निम्नलिखित है:—

(1) उत्तरी अटलांटिक में उत्तर मे रम्ब रेखा से कैपकटोचे, युकतान से कैप सन् अन्टोनियो, क्यूबा 20 अंश उत्तरी अक्षांश के क्यूबा के उत्तरी तट और वहां से 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 20 अंश पश्चिमी देशांतर के समान्तर,

पश्चिम से अमेरिका महाद्वीप का तट

दक्षिण और पश्चिम मे उष्ण कटिबंधी जोन की उत्तरी सीमा से घिरा क्षेत्र

मौसमी अवधियां :

उष्ण कटिबंधी 1 नवम्बर से 15 जुलाई

ग्रीष्मकाल 16 जुलाई से 31 अक्तूबर

(2) अरब सागर मे—

पश्चिम मे अफ्रीका का तट, अदन की खाड़ी में 45 अंश पूर्वी देशांतर के याम्योत्तर, दक्षिणी अरब का तट और अदन की खाड़ी मे 59 अंश देशांतर के याम्योत्तर।

उत्तर और पूर्व में भारत और पाकिस्तान के तट

दक्षिण में उष्ण कटिबंधी जोन की उत्तरी सीमा से घिरा क्षेत्र

मौसमी अवधियां :

उष्ण कटिबंध . 1 सितम्बर से 31 मई

ग्रीष्मकाल . 1 जून से 31 अगस्त

(3) बंगाल की खाड़ी में:—

उष्ण कटिबंधी जोन की उत्तरी सीमा के उत्तर मे बंगाल की खाड़ी

मौसमी अवधियां :

उष्ण कटिबंध : 1 दिसम्बर से 30 अप्रैल

ग्रीष्मकाल 1 मई से 30 नवम्बर

(4) दक्षिणी हिंद महासागर मे

(क) उत्तर और पश्चिम मे और मदगास्कर के पूर्वी तट और दक्षिणी सीमा या उष्ण कटिबंध जोन दक्षिण मे 20 अंश दक्षिणी अक्षांश के समांतर, पूर्व मे 20 अंश दक्षिणी अक्षांश, 50 अंश पूर्वी देशान्तर बिन्दु से रम्ब रेखा, 15 अंश दक्षिणी अक्षांश, 51 अंश 30′ पूर्व देशांतर के सुसंगत, और वहां से 51 अंश 30′ पूर्व देशांतर से 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के याम्योत्तर से घिरा क्षेत्र।

मौसमी अवधियां .

उष्ण कटिबंधी : 1 अप्रैल से 30 नवम्बर

ग्रीष्मकाल 1 दिसम्बर से 31 मार्च

(ख) उत्तर में उष्ण कटिबंधीय जोन की दक्षिणी सीमा, पूर्व मे आस्ट्रेलिया का तट

दक्षिण में 15 अंश दक्षिणी अक्षाश मे 51 अंश 30′ पूर्व देशांतर, 15 अंश दक्षिणी अक्षांश के समांतर, में और वहां से आस्ट्रेलिया तट को 120 अंश पूर्व देशांतर के याम्योत्तर, पश्चिम मे 51 अंश 30′, पूर्व देशांतर के याम्योत्तर से घिरा क्षेत्र

मौसमी अवधियां :

उष्ण कटिबंधी : 1 मई से 30 नवम्बर

ग्रीष्मकाल . 1 दिसम्बर से 30 अप्रैल

(5) चीन सागर मे :—

वियतनाम के तट और सुएलपोर्ट (सुजेन द्वीप) पश्चिम और उत्तर में और 10 अंश उत्तर अक्षांश को सुजेन समर और लीएटे द्वीपों के पश्चिमी तट।

दक्षिण मे 10 अंश उत्तर अक्षांश के समांतर से घिरा क्षेत्र हायकाग और सुअल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ग्रीष्मकालीन जोन की सीमा समझे जाते हैं।

मौसमी अवधियां :

उष्ण कटिबंधी : 21 जनवरी से 30 अप्रैल

ग्रीष्मकाल : 1 मई से 20 जनवरी

(6) उत्तरी प्रशांत सागर में

उत्तर मे 25 अंश उत्तरी अक्षांश के समांतर

पश्चिम में 160 अंश पूर्व देशांतर के याम्योत्तर

दक्षिण में 13 अंश उत्तरी अक्षांश के समांतर

पूर्व मे 130 अंश पश्चिमी देशांतर के याम्योत्तर से घिरा क्षेत्र

मौसमी अवधियां .

उष्ण कटिबंधी . 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर
ग्रीष्मकाल . 1 नवम्बर से 31 मार्च

उत्तर और पूर्व में अमेरीका महाद्वीप का पश्चिमी तट

पश्चिम में 33 अंश उत्तरी अक्षांश से अमेरीका महाद्वीप के तट से 123 अंश पूर्वी देशान्तर के याम्योत्तर और 33 अंश उत्तर अक्षांश 123 अंश पश्चिमी देशान्तर के बिन्दु से 13 अंश उत्तरी अक्षांश, 105 अंश पश्चिमी देशांतर के सुसंगत रम्ब रेखा, दक्षिण में 13 अंश उत्तरी अक्षांश के समांतर से घिरा क्षेत्र।

मौसमी अवधियां .

उष्ण कटिबंधी . 1 मार्च से 30 जून और
1 नवम्बर से 30 नवम्बर

ग्रीष्मकाल . 1 जुलाई से 31 अक्तूबर
1 दिसम्बर से 28 /29 फरवरी

(7) दक्षिणी प्रशांत महासागर में .

(क) 11 अंश दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में कार्पेन्टारिका की खाड़ी ।

मौसमी अवधियां .

उष्ण कटिबंधी 1 अप्रैल से 30 नवम्बर

ग्रीष्मकाल : 1 दिसम्बर से 31 मार्च

(ख) उत्तर और पूर्व में उष्ण कटिबंधी जोन की दक्षिणी सीमा दक्षिण में आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से 150 अंश पश्चिमी देशान्तर तक मकर रेखा

वहां से 150 अंश पश्चिमी देशान्तर से 20 अंश दक्षिणी अक्षांश के याम्योत्तर और वहां से 20 अंश दक्षिणी अक्षांश के समान्तर से उस बिन्दु तक जहां यह उष्ण कटिबंधी जोन की दक्षिणी सीमा को काटती है, पश्चिम में उष्ण कटिबंध में शामिल ग्रेट बारियर रीफ के अन्तर्गत क्षेत्र की सीमाएं और आस्ट्रेलिया का पूर्वी तट से घिरा क्षेत्र

मौसमी अवधियां :

उष्ण कटिबंधी . 1 अप्रैल से 30 नवम्बर

ग्रीष्म काल : 1 दिसम्बर से 31 मार्च

6 ग्रीष्म जोन

बाकी क्षेत्र ग्रीष्म जोन में आते है

तथापि 100 मीटर (328) फुट और कम लंबाई वाले पोतों के लिये।

उत्तर और पश्चिम में संयुक्त राज्य का पूर्वी तट

पूर्व में 40 अंश उत्तरी अक्षांश से संयुक्त राज्य के तट से 68 अंश 30' पश्चिमी देशान्तर के याम्योत्तर और वहां से रम्ब रेखा 36 अंश उत्तरी अक्षांश, 75 अंश पश्चिमी देशान्तर के सुसंगत, दक्षिण में 36 अंश उत्तरी अक्षांश के समांतर, से घिरा क्षेत्र शीत कालीन मौसमी क्षेत्र है ।

मौसमी अवधियां

शरद काल 1 नवम्बर से 31 मार्च

ग्रीष्म काल . 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर

7. परिवेष्टित समुद्र .

(1) बाल्टिक सागर.—

स्काभरिक से स्काव के अक्षांश के समांतर द्वारा परिबद्ध यह सागर ग्रीष्म जोन में सम्मिलित है :

तथापि 100 मीटर (328 फुट) और कम लंबाई वाले पोतों के लिए यह शीत कालीन मौसमी क्षेत्र है।

मौसमी अवधियां .

शीतकालीन : 1 नवम्बर से 31 मार्च

ग्रीष्मकाल : 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर

(2) काला सागर :

यह सागर ग्रीष्म जोन में सम्मिलित है।

तथापि 100 मीटर (328 फुट) और कम लंबाई वाले पोतों के लिए, 44 अंश उत्तरी अक्षांश का उत्तरी क्षेत्र शीत-कालीन मौसमी क्षेत्र है।

मौसमी अवधियां :

शीतकालीन 1 दिसम्बर से 28/29 फ़रवरी

ग्रीष्म काल : 1 मार्च से 30 नवम्बर

(3) भूमध्य सागर यह सागर ग्रीष्म जोन में सम्मिलित है। तथापि 100 मीटर (328 फुट) और कम लम्बाई वाले पोतों के लिए,

उत्तर और पश्चिम में फ्रांस और स्पेन के तट और 40 अंश उत्तरी अक्षांश से स्पेन के तट में 3 अंश पूर्व देशांतर के याम्योत्तर दक्षिण में सर्दीनिया के पश्चिमी तट से 3 अंश पूर्व देशांतर से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के समांतर ,

पूर्व में 40 अंश उत्तरी अक्षांश से 9 अंश पूर्व देशांतर से सर्दीनिया के उत्तरी पश्चिमी तट और वहां से 9 अंश पूर्व देशांतर के याम्योत्तर से 9 अंश पूर्व देशांतर के दक्षिण और वहां से कैप सोमिया की रम्ब रेखा से घिरे क्षेत्र शीत कालीन मौसमी क्षेत्र है ।

मौसमी अवधियां .

शीतकालीन . 16 दिसम्बर से 15 मार्च

ग्रीष्मकाल . 16 मार्च से 15 दिसम्बर

(4) जापान सागर . 50 अंश उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में यह समुद्र ग्रीष्म जोन में सम्मिलित है ।

तथापि 100 मीटर (328 फुट) और कम लंबाई वाले पोत के लिये 50 अंश उत्तरी अक्षांश और कोरिया के पूर्व तट से रम्ब रेखा के समांतर का क्षेत्र, जापान, होकैडो के पश्चिमी तट से 38 अंश उत्तरी अक्षांश और 43 अंश 12 उत्तरी अक्षांश पर शरदकालीन मौसमी क्षेत्र।

मौसमी अवधियां

शीतकाल : 1 दिसम्बर से 28/29 फरवरी

ग्रीष्मकाल : 1 मार्च से 30 नवम्बर

8. शीतकालीन उत्तरी अटलांटिक भार रेखा : उत्तरी अटलांटिक के भाग में निम्नलिखित शामिल है :

(क) उत्तरी अटलांटिक शरदकालीन जोन 11 का वह भाग जो 15 अंश पश्चिमी और 50 अंश पश्चिमी के याम्योत्तरों के मध्य स्थित है,

(ख) समस्त उत्तरी अटलांटिक शीतकालीन मौसमी जोन I शैटलैंड द्वीपों को सीमा पर समझा जाता है।

[सं० 5-एम०एस०आर० (4)/75-एम०ए०]

श्रीमती बी० निर्मल, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 25th October, 1977

(MERCHANT SHIPPING)

G.S.R. 423.—The following Draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 311, read with section 436, of the Merchant Shipping Act, 1958 (44o f 1958), and in supersession of the Indian Merchant Shipping (Load Line) Rules, 1934, is hereby published, as required by section 311 of the said Act, for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

PART I—PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application :—

(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Load Line) Rules, 1977.

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply to—

(a) every Indian ship, other than a ship of war, a fishing vessel, a pleasure yacht or a sailing vessel, wherever it is ;

(b) every ship other than an Indian ship, not being a ship of war, a fishing vessel, a pleasure yacht or a sailing vessel which it is at a port or place in India or within the territorial waters of India, which is—

(i) an existing ship of 150 tons gross or more;

or

(ii) a new ship of 24 metres or more in length :

Provided that these rules shall not apply to any ship other than Indian ship by reason of its being at a port or place in India or within the territorial waters of India if it would not have been at any such port or place but for the stress of weather or any other circumstances that neither the master nor the owner or charterer, if any, of the ship could have prevented or forestalled.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) ;

(2) "amidships" means at the middle of the length (L) ;

(3) "approved" means approved by the Central Government or by any other officer appointed by it in this behalf ;

(4) "Assigning Authority" means the Director General or any other person appointed by the Central Government to be the assigning authority for the purposes of these rules by a notification in the Official Gazette ;

(5) "block coefficient" or the symbol (cb) means block co-efficient obtained by the formula $CB = \frac{\nabla}{L\,B.D.}$

Where ∇ is the volume of the moulded displacement of the ship, excluding bossing, in a ship with metal shell or, as the case may be, the volume of displacement to the outer surface of the hull in a ship with a shell or any other material, both taken at a moulded draught of d_1; and d_1 is 85 per cent of the least moulded depth ;

(6) "breadth" or the symbol (B) means the maximum breadth of the ship, measured amidships to the moulded line of the frame in a ship with a metal shell, or as the case may be, to the outer surface of the hull in a ship with a shell of any other material ;

(7) "depth for freeboard" or the symbol (D)—

(a) in relation to a ship other than these referred to in sub-clause (b) means, the moulded depth of the ship amidships plus the thickness of the freeboard deck stringer plate, where fitted, plus the value of the expression $\frac{T(L-S)}{L}$ if the exposed freeboard deck is completely sheathed between superstructures, where 'T' means thickness of the exposed sheathing clear of deck opening ; and 'S' means the total length of superstructures ; and

(b) in relation to a ship having a rounded gunwale with a radius greater than four per cent of the breadth of the ship (B), or in relation to a ship having topsides of unusual form means—the depth for freeboard of a ship having midship section with vertical topsides and with the same round of beam and area of topside section equal to that provided by the actual midship section :

(8) "enclosed superstructure" means a superstructure with enclosing bulk-heads of efficient construction, access opening in such bulkheads being fitted with sills and weathertight doors and all other openings in sides and ends of such superstructures being fitted with efficient watertight means of closing but does not include a bridge or a poop fulfilling these requirements unless access is provided by which the crew can reach machinery and other working spaces within the bridge or poop by alternative means which are available for the purpose at all times when access openings in the bulkheads of the bridge or poop are closed ;

(9) "existing ship" or "existing sailing vessel" means a ship or sailing vessel the keel of which was laid before the 21st day of July 1968 ;

(10) "flush deck ship" means a ship which has no superstructures on a freeboard deck ;

(11) "freeboard" means the distance measured vertically downwards amidships from the upper edge of the deckline described in rule 15 of these rules to the position at which the upper edge of the appropriate load line mark lies ;

(12) "freeboard deck" means the deck from which the freeboard is assigned, being either—

(a) the uppermost complete deck exposed to weather and sea, which has permanent means of closing all openings in the weather part thereof, and below which all openings in the sides of the ship are fitted with permanent means of watertight closing. In a ship having a discontinuous freeboard deck, the lowest line of the exposed deck and the continuation of that line parallel to the upper part of the deck is taken as the freeboard deck ; or

(b) on the application of the owner and subject to the approval of the Director General, a deck lower than that described in paragraph (a), provided it is a complete and permanent deck continuous in the fore and aft direction at least between the machinery space and peak bulkheads and continuous athwartships. When this lower deck is stepped the lowest line of the deck and the continuation of that line parallel to the upper part of the deck is taken as the freeboard deck ;

(13) "height of a superstructure" means the least vertical height measured at side from the top of the superstructure deck beams to the top of the freeboard deck beams ;

(14) "length" or the symbol (L) means ninety-six per cent of the total length on a water line at eighty-five per cent of the least moulded depth measured from top of the keel, or, the length from the fore side of the stem to the axis of the rudder stock on the water line if that be greater ;

(15) "length of a superstructure" means length of the part of the superstructure which lies within the length (L) ;

(16) "moulded depth" in relation to a ship means the vertical distance measured from the top of the keel to the top of the freeboard deck beam at side :

Provided that—

(a) in the case of a wood or composite ship, it shall be measured from the lower edge of keel rabbet. Where the form at the lower part of the midship section is of a hollow character, or where thick gar-boards are fitted, the distance is measured from the point where the line of the flat of the bottom continued inwards cuts the side of the keel ;

(b) in ships having rounded gunwale, it shall be measured to the point of intersection of the moulded lines of the deck and side plating, the lines extending as though the gunwale were of angular design ;

(c) in ships where the freeboard deck is stepped and the raised part of the deck extends over the point at which the moulded depth is to be determined, the moulded depth shall be measured to a line of reference extending from the lower part of the deck along a line parallel with the raised part of the deck ;

(17) "new ship" or "new sailing vessel" means a ship or sailing vessel the keel of which was laid on or after the 21st day of July 1968 ;

(18) "perpendiculars" means the forward and after perpendiculars taken at the forward and the after end of the length (L) ;

(19) "principal officer" means the Principal Officer of the Mercantile Marine Department of the district concerned ;

(20) "sailing vessel" includes all ships provided with sufficient sail area for navigation under sails alone, whether or not fitted with mechanical means of propulsion ;

(21) "Schedule" means a Schedule appended to these rules ;

(22) "superstructure" means a decked structure on the freeboard deck, extending from side to side, plating not being inboard of the shell plating more than four per cent of the breadth (B), and includes a raised quarter deck ;

(23) "timber deck cargo" means a cargo of timber other than wood pulp or similar cargo carried on uncovered part of a freeboard or super-structure deck ;

(24) "type A ship" and "type B ship" mean ship as interpreted in the First Schedule ;

(25) "watertight" in relation to any part of ship below the freeboard deck means capable of preventing the passage in any direction of water under pressure or otherwise as the case may be, having regard to the functional requirement of that part of the ship ;

(26) "weathertight" in relation to any part of ship above the freegoard deck means that water cannot penetrate through that part into the ship under any condition of sea and weather encountered at sea.

PART II—SURVEYS AND CERTIFICATES

3. Application for survey :—Application for the survey of a ship for the purposes of assignment of freeboard and for the issue of a load line certificate to the ship shall be made to the assigning Authority by or on behalf of the owner of the ship. The applicant shall furnish to the Assigning Authority as described hereunder such plans, drawings, specifications and other documents and information relating to the design and construction of the ship as the Assigning Authority may require—

(a) the Principal Officer on behalf of the Director General ; and

(b) any other person appointed by the Central Government to be an Assigning Authority for the purposes of these rules by a notification published in the Official Gazette.

4. Load Line Survey :—(1) After receipt of the application and the documents together with other relevant information required by rule 3, the Assigning Authority shall cause the ship to be surveyed by a surveyor with a view to ascertaining—

(a) whether the ship complies with such of the requirements of Part IV of these rules and the First Schedule ; and

(b) such other data as may be necessary—

(i) for the assignment of freeboard to the ship in accordance with Part V of these rules and the Second Schedule ; and

(ii) to enable the stability information to be supplied to the master of the ship pursuant to Part VI of these rules and the Third Schedule.

(2) In the course of survey of a ship pursuant to the provisions of sub-rule (1), the ship and any of its fittings shall be submitted to such tests as may, in the opinion of the Assigning Authority, be necessary to ascertain that the ship complies with the requirements of sub-rule (1). Any test pertaining to stability of a ship shall be subject to the requirements of rule 31.

(3) The owner or any other person on his behalf applying for the survey of the ship under rule 3, shall afford all necessary facilities for such survey and shall, at the request of the Assigning Authority, furnish, for the Assigning Authority's use, and retention if necessary, such further documents and information as the Assigning Authority may require.

5. Report of Survey :—(1) On completion of the survey, the Surveyor shall submit a report of survey to the Assigning Authority giving the results of the survey and his findings on the condition of the ship with reference to the requirement of rule 4.

(2) The report of survey shall be accompanied by the Record of Conditions of Assignment in the form set out in the Fourth Schedule complying with the requirements of rule 26 and the computations of freeboard complying with the requirement of Part V of these rules and the Second Schedule.

(3) In the case of any ship which is required to comply with the requirements of Part I of the Third Schedule relating to stability the surveyor shall furnish to the Central Government such information as may be necessary to determine whether the ship complies with these requirements.

6. Assignment of freeboards.—(1) The Assigning Authority shall—

(a) if satisfied on scrutiny of report of survey that the ship complies with the applicable requirements of part IV of these rules and the First Schedule, and

(b) on receipt of an intimation from the Director General that it is satisfied that the ship complies with the requirements of Part VI of these rules and the Third Schedule relating to stability—

assign freeboards to the ship in accordance with Part V of these rules and the Second Schedule.

(2) On assignment of freeboards, the Assigning Authority shall furnish to the owner of the ship—

(a) particulars of freeboards so assigned ;

(b) directions specifying—

(i) the load lines to be marked on the ship in accordance with the requirements of Part III of these rules;

(ii) the position in which those load lines, the deck line and the load line mark are to be so marked: and

(c) two copies of the Record of Conditions of Assignment.

7. Issue of Load Line Certificates and forms thereof.—Subject to the provision of rule 12, the Assigning Authority shall, on being satisfied that the ship has been duly marked in accordance with the directions given to the owner of the ship under rule 6, issue either an International Load Line Certificate, (1966) or an India Load Line Certificate, as may be required by section 316 of the Act, in the form set out for such certificates in the Fifth Schedule.

8. Duration of Certificates.—Every Load Line Certificate issued under these rules shall be valid until a date to be determined by the Assigning Authority, not being a date more than five years after the date of completion of survey of the ship under rule 4. Such date shall be specified by the Assigning Authority in every certificate issued by it failing which the certificate shall not be deemed to be valid certificate.

9. Extension of Load Line Certificate.—(1) Where any ship, in respect of which a Load Line Certificate is in force, has been surveyed following an application made by the owner to issue of the fresh certificate to take effect on the expiry of the current certificate, the Assigning Authority may—

(i) if satisfied on scrutiny of report of survey that the ship complies with applicable requirements of Part V of these rules and of the First Schedule relating to conditions of assignment.

(ii) on receipt of an intimation from the Central Government that the ship complies with the requirements of the Third Schedule relating to stability,

extend the validity of the current certificate of the ship by a period not exceeding five months, if he considers that it is not reasonably practicable to issue a fresh certificate. In every such case, a fresh certificate shall be issued after the expiry of the extended date of validity of the current certificate.

(2) No such extension granted under sub-rule (1) shall have effect unless particulars of the date upto which the period of validity of the certificate is extended, together with particulars of place at and date on which extension was granted, are endorsed by the Assigning Authority on the current certificate.

(3) The period of validity of a fresh certificate ultimately issued to a ship under sub-rule (1) shall not exceed five years from the date of completion of survey referred to in sub-rule (1).

10. Cancellation of Load Line Certificates.—(1) Where the Central Government is satisfied, whether by a report from an Assigning Authority or a Surveyor or otherwise, that—

(i) the ship to which the certificate relates does no comply with the conditions of assignment, or

(ii) the structural strength of the ship is lowered to such an extent as to render the ship unsafe, or

(iii) information on the basis of which freeboards were assigned to the ship has proved to be incorrect in matters of material importance,

it may, after giving the owner of the ship a reasonable opportunity of making his representation, cancel or cause to cancel any Load Line Certificate issued under these rules.

(2) Where it comes to the notice of the Central Government that—

(i) the certificate of a ship is not endorsed as required by rule 11; or

(ii) a new certificate is issued in respect of the ship; or

(iii) the ship has ceased to be an Indian Ship within the meaning of the Act,

it may, after giving the owner of the ship a reasonable opopportunity of making his representation, cancel or cause to cancel any Load Line Certificate issued under these rules.

11. Periodical Inspection of Ships.—(1) Every ship in respect of which a Load Line Certificate is in force shall be periodically inspected by a surveyor in accordance with the provisions of this rule in order to ensure that—

(a) the fittings and appliances for the protection of openings, the guard rails, the freeing ports and the means of access to crew's quarters in the ship are in an effective condition; and

(b) no changes have been made or taken place in the hull or superstructures of the ship which may render inaccurate any data on the basis of which freeboards had been assigned to the ship.

(2) Application for the periodical inspection shall be made by or on behalf of the owner of the ship to an Assigning Authority, who shall appoint a surveyor to carry out the inspection.

(3) The surveyor may, in the course of any such inspection, require such tests to be carried as, in his opinion, may be necessary to establish that the ship complies with the requirements of sub-rule (1).

(4) Periodical inspections required by this rule shall be carried out annually within a period of nine to fifteen months commencing on the date three months before and concluding three months after each anniversary of the date of completion of the survey of the ship leading to the issue of its current Load Line Certificate :

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that the circumstances so require permit the annual inspection to be carried out before or after the period specified therefor.

(5) The surveyor, if satisfied after inspection that the ship complies with the requirements of sub-rule (1), shall, in the space provided for this purpose in the Load Line Certificates, endorse a record of such inspection and certify—

(a) in the case of an International Load Line Certificate (1966), that the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention; and

(b) in the case of an India Load Line Certificate, that the ship was found to comply with the relevant provisions of these rules.

Every such endorsement shall be dated and signed by the surveyor carying out the inspection, specifying the Assigning Authority on whose behalf the inspection was carried out.

12 Exemption and Exemption Certificate.—(1) Where the Central Government exempts any ship pursuant to the provisions of Section 316 of the Act, the Director General shall issue in respect of such ship an International Load Line Exemption Certificate in the form set out in the Fifth Schedule.

(2) Save in so far as the nature and terms of any such exemption require to the contrary, the provisions of rules 1 to 6 and of rules 8 to 11 shall apply to any ship so exempted and to any exemption certificate so issued to any such ship in the like manner as they apply to any other ship except that—

(i) reference in the aforesaid rules to Assigning Authority shall be deemed to be references to the Central Government; and

(ii) sub-rule (5) of rule 11 shall be deemed to have been substituted by the following, namely :—

"(5) the surveyor, if satisfied after inspection that the ship continues to comply with the conditions subject to which the exemption was granted shall endorse the exemption certificate to that effect in the space provided and date and sign the endorsement."

PART III—LOAD LINES AND MARKS

13. Appropriate Marks.—For the purposes of this Part, the expression "appropriate marks" in relation to a ship means the load lines required to be marked on the ship under clause (b) of sub-rule (2) of rule 6 and the deck-line and load line mark.

14. Marking.—The owner of a ship, on receipt from the Assigning Authority of particulars and directions referred to in sub-rule (2) of rule 6, shall cause the appropriate marks to be marked on each side of the ship in accordance with the said directions and requirements of this part.

15. Deck-line.—(1) The deck-line shall consist of a horizontal line 300 millimetres in length and 25 millimetres in width. It shall be marked amidships on each side of the ship in accordance with the provisions of this rule so as to indicate the position of the freeboard deck.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3), the deck-line shall be marked in such a position on the side of the ship that its upper edge passes through the point amidships where the continuation outward—

(a) of the upper surface of the freeboard deck, or

(b) of any sheathing of the freeboard deck, intersects the outer surface of the shell of the ship as shown in figure 1.

(3) Where, in the opinion of the Assigning Authority, the design of the ship or any other circumstance renders it practicable to mark the deck-line in accordance with the provisions of sub-rule (2), the Assigning Authority may, in the directions given under sub-rule (2) of rule 6, include a direction that the deck-line may be marked by reference to another point on the side of the ship which is as near as practicable to the position referred to in sub-rule (2).

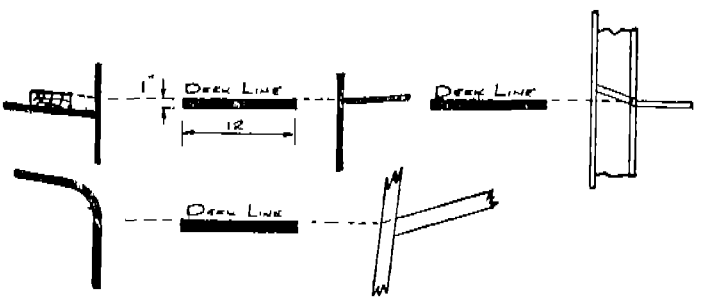

Fig. 1. Deck Line

16. Load Line Mark.—The Load Line mark shall consist, as shown in Figure 2, of a ring 300 millimetres in outside diametre and 25 millimetres wide, intersected by a horizontal line 450 millimetres long and 25 millimetres wide the upper edge of which passes through the centre of the ring. The centre of the ring shall be marked amidships vertically below the deck-line, so that, except as otherwise provided in rule 29, the distance from the centre of the ring to the upper edge of the deck-line is equal to the Summer freebord assigned to the ship.

17. Load Lines.—(1) Load lines as described in sub-rule (2) and rule 18 shall be deemed to indicate the maximum depth to which a ship marked therewith may be loaded

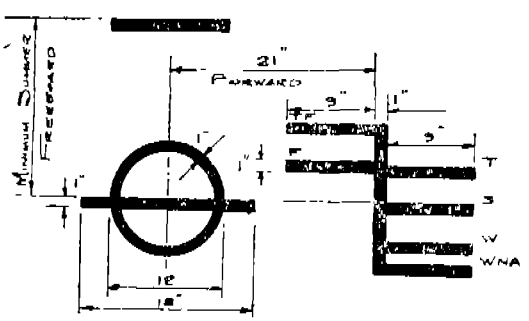

Fig. 2 Load Line Mark and lines to be used with this mark

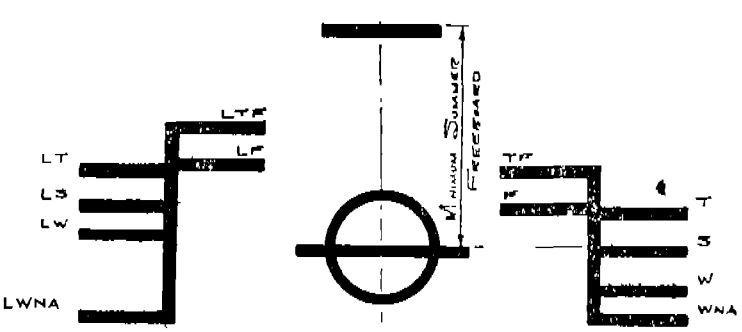

Fig. 3 Timber Load Line Mark and lines to be used with this mark

in the circumstances described in the Sixth Schedule in relation to appropriate load lines, Zones, Areas and Seasonal Periods.

(2) Except as otherwise provided in rule 18 and rule 29, load lines shall consist, as shown in Figure 2, of horizontal lines each 230 millimetres in length and 25 millimetres in width extending forward or abaft of a vertical line 25 millimetres in width marked 540 millimetres forward of the centre of the ring of the load line mark and at right angles to that line. The individual load lines shall be—

(i) the summer load line, which shall extend forward of the aforesaid vertical line and the marked "S"; it shall correspond horizontally with the line passing through the centre of the ring of the load line mark;

(ii) the Winter load line, which shall extend forward of the aforesaid vertical line and be marked "W";

(iii) the Winter North Atlantic load line, which shall extend forward of the aforesaid vertical line and be marked "WNA";

(iv) the Tropical load line, which shall extend forward of the aforesaid vertical line and be marked "T";

(v) the fresh Water load line, which shall extend abaft the aforesaid vertical line and be marked "F".

(vi) the Tropical Fresh Water load line, which shall extend abaft the aforesaid vertical line and be marked "TF".

(3) The maximum depth of loading referred to in sub-rule (1) shall be the depth indicated by the upper edge of the appropriate load line described in sub-rule (2).

18. Timber Load Lines.—(1) Timber load lines, as shown in figure 3, shall consist of horizontal lines of the dimensions specified in respect of such lines in rule 17, extending abaft or forward of a vertical line of the dimensions specified in respect of such a line in that rule, marked 540 millimetres abaft the centre of the ring of load line mark and at right angles of that line. Individual timber Load Lines shall be as follows :—

(i) the Summer Timber Load Line, which shall extend abaft the said vertical line and be marked LS;

(ii) the Winter Load Line, which shall extend abaft the said vertical line and be marked LW;

(iii) the Winter North Atlantic Timber Load Line which shall extend abaft the said vertical line and be marked LWNA;

(iv) the Tropical Timber Load Line, which shall extend abaft the said vertical line and be marked LT;

(v) the Fresh Water Timber Load Line, which shall extend forward of the said vertical line and be marked LF;

(vi) the Tropical Fresh Water Timber Load Line, which shall extend forward of the said vertical line and be marked LTF;

(2) The maximum depth of loading referred to in sub-rule (1) of rule 17 shall be the depth indicated by the upper edge of the appropriate Timber Load Line.

19. Appropriate Load Line.—The appropriate load line in respect of a ship at any particular place and time shall be ascertained in accordance with the provisions of the Sixth Schedule.

20. Position of Load Lines.—Each load line required to be marked on a ship shall be marked in such a position on each side of the ship that the distance measured vertically downwards from the upper edge of the deck-line to the upper edge of the load line is equal to the freeboard assigned to the ship which is appropriate to that load line

21. Methods of Marking.—(1) The appropriate marks shall be marked on each side of the ship in accordance with the requirements of sub-rules (2) and (3) in such a manner as to be plainly visible.

(2) If the sides of the ship are of metal, the appropriate marks shall be cut in, centre punched or welded; if the side of the ship are of wood, the marks shall be cut into the planking to a depth of not less than 3 millimetres; if the sides are of other materials to which the foregoing method of marking cannot be effectively applied, the marks shall be permanently affixed to the sides of the ship by bending or some other effective method.

(3) The appropriate marks shall be painted in white or yellow if the background is dark, and in black if the background is light.

22. Authorisation of removal etc. of appropriate marks.—After the appropriate marks have been marked on a ship, such marks shall not be concealed, defaced or obliterated or they shall not be removed or altered except under the authority of the Assigning Authority.

23. Mark of Assigning Authority.—(1) The mark of the Assigning Authority described in sub-rule (2) shall be marked on each side of the ship in a position alongside the load line mark either above the horizontal line forming part of that mark, or above and below it.

(2) An Assigning Authority's mark shall consist of not more than four initials to identify the Authority's name, each measuring approximately 115 millimetres in height and 75 millimetres in width.

PART IV

CONDITIONS OF ASSIGNMENT

24. Assignment of freeboards.—(1) Except as otherwise provided in sub-rules (2) and (3), every ship to which freeboards are to be assigned under these rules shall comply with the requirements applicable to it under Part I of the First Schedule.

(2) Every ship, being a ship of Type 'A', to which requirements of Part II of the First Schedule apply, every ship, being a ship of Type 'B' to which the requirements of Part III of the First Schedule apply or every ship, being a ship to be assigned with timber freeboards, to which the requirements of Part IV of the First Schedule apply shall comply with the requirements of the respective Part of the First Schedule and also the requirements of Part I of the said Schedule except in so far as the compliance of Part II, III or IV as the case may be, of the said Schedule may otherwise require.

(3) Every existing ship, not being a ship to which freeboards are required to be assigned in accordance with clause (a) of rule 28 read with the proviso to clause (b) thereof, shall comply with such of the requirements relevant to the assignment of freeboards to ships as were applicable to it under the law in force immediately prior to the coming into force of these rules.

25 Compliance with conditions of assignment—(1) Except as otherwise provided in sub-rule (2), a ship shall be deemed to be not complying with the conditions of assignment—

(a) if at any time after the assignment of freeboards to it, there has been any alteration of the hull, superstructures, fittings or appliances of the ship to such extent that either—

(i) any requirement applicable to the ship under rule 24 is not complied with by it; or

(ii) the record of conditions of assignment made in relation to the ship pursuant to rule 26 is rendered inaccurate in a material respect; or

(b) if the record of conditions of assignment is not kept on board the ship in accordance with sub-rule (2) of rule 26.

(2) Notwithstanding any alteration in the ship as described in clause (a) of sub-rule (1), a ship shall be deemed to be complying with the conditions of assignment, if either—

(a) fresh freeboards appropriate to the conditions of the ship after the alterations have been assigned to it and it has been marked with load line and a fresh certificate has been issued to its owner; or

(b) the alteration has been inspected by a surveyor on behalf of the Assigning Authority, and the Assigning Authority is satisfied that the alteration is not such as to require any change in the freeboards assigned to the ship and full particulars of the alternation together with date and place of inspection have been endorsed by the surveyor on the record of conditions of assignment.

26. Record of Conditions of Assignment.—(1) The record of conditions of assignment in respect of the hull, superstructure fittings and appliances of a ship to which freeboards are assigned shall be in the form set out in the Fourth Schedule, or a form as near thereto as circumstances permit, and shall contain the particulars required by that form. Such particulars may be furnished by attaching to the record a copy of report of survey and specifying in the record passages from that report in which the relevant particulars are given.

(2) The record shall be completed by the surveyor carrying out the survey of the ship pursuant to rule 4 and shall be furnished by him to the Assigning Authority in accordance with the provisions of rule 5. Two copies of the record shall be sent by the Assigning Authority to the owner of the ship together with the particulars and directions required to be so furnished by rule 6.

(3) One copy of the record of conditions of assignment particulars and directions furnished by the Assigning Authority to the owner of the ship shall, at all times, be kept on board the ship in the custody of the master of the ship.

PART V

FREE BOARDS

27. Types of freeboards.—The freeboards assignable to any ship under the rules shall be—

(i) Summer freeboard;
(ii) Tropical freeboard;
(iii) Winter freeboard;
(iv) Winter North Atlantic freeboard;
(v) Fresh Water freeboard;
(vi) Tropical Fresh Water freeboard;
(vii) Summer Timber freeboard;
(viii) Winter Timber freeboard;
(ix) Winter North Atlantic Timber freeboard;
(x) Tropical Timber freeboard;
(xi) Fresh Water Timber freeboard; and
(xii) Tropical Fresh Water Timber freeboard

28. Determination of Freeboards.—Except as otherwise provided in rule 29,—

(a) the freeboards to be assigned to a new ship shall be determined in accordance with the provisions of the Second Schedule; and

(b) the freeboards to be assigned to an existing ship shall be determined in accordance with the provisions applicable in that behalf to the ship under the rules in force immediately prior to the coming into force of these rules:

Provided that if an existing ship has been so constructed or altered as to comply with the requirements of the First Schedule applicable to a new ship of its type, and an application is made in respect of such ship for the assignment of freeboards determined in accordance with the provisions of the Second Schedule, such freeboards may be assigned to the ship.

29. Exceptions regarding freeboards.—(1) Greater than minimum freeboard.—Any ship may, on the application of the owner made in that behalf, be assigned greater than the minimum freeboard determinable in accordance with rule 28, subject to the following conditions, namely:—

(a) On survey of the ship pursuant to rule 4, the assigning authority is satisfied that the ship complies with the requirements of—

(i) Part IV of these rules;

(ii) the First Schedule, other than those relating to stability;

(iii) Part VI of these rules in so far as they relate to stability; and

(iv) the Third Schedule in so far as they relate to stability.

(b) The ship is not assigned with timber freeboards.

(c) If the greater than minimum freeboard to be assigned to the ship is such that the position of load lines on the sides of the ship appropriate to that freeboard would correspond to, or be lower than, the position at which the lowest of the load lines appropriate to minimum freeboards for that ship would have been marked,—

(i) load line appropriate to the greater than minimum freeboard and the fresh water freeboard should only be marked on the sides of the ship;

(ii) the load line appropriate to the greater than minimum freeboard shall be called the "All Seasons Load Line" which shall consist of horizontal line intersecting the load line mark and such mark shall be placed accordingly;

(iii) the vertical line described in sub-rule (2) of rule 17 shall be omitted; and

(iv) subject to the provisions of clause (iii), the fresh water loan line shall be as described in sub-rule (2) of rule 17 and shall be marked accordingly.

(2) Lesser than minimum freeboard.—On an application made in this behalf by the owner of a hopper type ship, which is engaged on voyages other than international voyages during the course of which it does not go farther than 20 miles from the nearest land at any time, the Director General of Shipping may, subject to the conditions set out in Part IV of the Second Schedule, assign such ship lesser than minimum freeboard reduced to—

(i) five-eighth of the appropriate minimum freeboard determinable in accordance with the Table B set out in Part V of the Second Schedule; or

(ii) one-half of the appropriate minimum freeboard determinable in accordance with clause (4) or clause (5) of paragraph 4 of the Second Schedule:

Provided that such freeboard shall not in either case be less than 150 millimetres.

30. Special position of deck-line and correction of freeboards.—In any case in which the deck-line is to be marked on the sides of a ship in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 15, the freeboards to be assigned to the ship shall be corrected to allow for the vertical distance by which the position of the deck-line is altered by virtue of the provisions of sub-rule (3) of rule 15. The location of the point by reference to which the deck-line has been so marked and the identity of the deck which has been regarded as the freeboard deck shall be specified in the load line certificate issued in respect of such ship.

PART VI

STABILITY AND LOADING

31. Information as to stability of ships.—(1) The owner of every ship to which freeboards are assigned under these rules shall, for the guidance of the master of the ship, provide information relating to the stability of the ship in accordance with the provisions of this rule.

(2) Such information shall include stability particulars appropriate to the ship in respect of all matters specified in Part II of the Third Schedule and the method of computation and the form of the particulars should be so far as practicable, in accordance with Part III of that Schedule or equivalent thereto. The stability characteristics shall comply with the criteria specified in Part I of the said Third Schedule.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4), the information shall, when first supplied, be based on the determination

of stability by means of an inclining test which shall, unless the Director General otherwise permits, be carried out in the presence of the Surveyor appointed by the Director-General. The information first supplied shall be replaced by fresh information whenever its accuracy is materially affected by alteration of the ship. Such fresh information shall, if the Director General so requires be based on a further inclining test.

(4) The Director General may—

(a) in the case of any ship, permit the information to be based on the determination of stability of a sister ship by means of an inclining test;

(b) in the case of any ship specially designed for the carriage of liquids or ore in bulk dispense with the inclining test if, from the information available in respect of similar ships, he is satisfied that the ship's proportions and arrangements are such as to ensure more than sufficient stability in all probable loading conditions.

(5) The information, and any fresh information to replace the same pursuant to the provisions of sub-rule (3), shall, before issue to the master, be submitted by or on behalf of the owner to the Director General for his approval together with a copy thereof for his record, and shall incorporate such additions and amendments as the Director General may in any particular case require.

(6) Information provided pursuant to the foregoing provisions of this rule shall be furnished by the owner of the ship to the master in the form of a book which shall be kept on board the ship at all times in the custody of the master of the ship.

32. Information as to loading and ballasting of ships.—(1) The owner of any ship, being a ship of more than 150 metres in length specially designed to carry liquids or ore in bulk, to which freeboards are assigned under these rules shall, for the information of the master of the ship, provide information relating to the loading and ballasting of the ship in accordance with the provisions of sub-rules (2) and (3).

(2) Such information shall consist of working instructions specifying in detail the manner in which the ship is to be loaded and ballasted so as to avoid the creation of unacceptable stresses in its structure and shall indicate the maximum stresses permissible for the ship.

(3) The provisions of sub-rule (5) of rule 31 shall apply in the like manner to information required under sub-rule (1). Information duly approved by the Director General shall be contained in the book to be furnished to the master of the ship pursuant to the provisions of sub-rule (6) of rule 31 so however, that information required by rule 31 and rule 32 is separately shown in the book under separate headings specifying the number and heading of each rule.

THE FIRST SCHEDULE

(See rules 4, 6, 9, 24, 28 and 29)

CONDITIONS OF ASSIGNMENT

PART I

GENERAL

1. Interpretations.—(1) Positions 1 and 2.

For the purpose of this Schedule two positions of hatchways, doorways and ventilators are defined as follow :

Position 1 : Upon exposed freeboard and raised quarter decks, and upon exposed superstructure decks situated forward of a point located a quarter of the ship's length from the forward perpendicular.

Position 2 : Upon exposed superstructure decks situated abaft a quarter of the ship's length from the forward perpendicular.

(2) Type 'A' ships.—(i) A type 'A' ship is one which is designed to carry liquid cargoes in bulk, and in which cargo tanks have only small access openings closed by watertight gasketed covers of steel or equivalent material. Such a ship necessarily has the following inherent features :

(a) high integrity of the exposed deck; and

(b) high degree of safety against flooding, resulting from low permeability of loaded cargo spaces and the degree of sub-division usually provided.

(ii) A type 'A' ship, if over 150 metres in length, and designed to have empty compartments when loaded to her summer load line, shall be able to withstand the flooding of any one of these empty compartments at an assumed permeability of 0.95, and remain afloat in a satisfactory condition of equilibrium which unless otherwise required by the Director General of Shipping shall be in accordance with the following clause (iii) Provided that if the ship exceeds 225 metres in length, its machinery space shall also be treated as one of the floodable compartments mentioned above but with a assumed permeability of 0.85.

(iii) The final condition of equilibrium of a flooded type. A ship shall at least comply with the following :

(a) The final waterline after flooding is below the lower edge of any opening through which progressive flooding may take place;

(b) the maximum angle of heal due to unsymmetrical flooding is of the order of 15°;

(c) the metacentric height in the flooded condition is at least 50 mm when calculated by the constant displacement method;

(d) the ship had adequate residual stability in the final flooded condition.

(3) Type 'B' Ships.—All ships which do not come within the purview of type 'A' ships in sub-paragraph (2) above shall be considered as type 'B' ships.

2. Equivalents and Exemption.—The assigning authority may with the approval of the Director General of Shipping—

(1) allow any fitting, material, appliance or apparatus to be fitted in a ship, in place of any fitting, material, appliance, apparatus or provision respectively which is required under any of the provisions of this Schedule, if satisfied by trial thereof or otherwise that it is at least as effective as that so required.

(2) grant in any exceptional case exemptions from the requirements of any of the said provisions of this Schedule on condition that the freeboards to be assigned to the ship are increased to such an extent that the safety of the ship and protection afforded to the crew will be considered no less effective than would be the case if the ship fully complied with those requirements with the usual rule freeboard.

PART II

General conditions of Assignment for all ships

3. Strength of Ship.—The design and the condition of the ship shall be such that her general structural strength shall be sufficient for the freeboard assigned to her.

4. Stability of Ship.—The design and the construction of the ship shall be such as to ensure that her stability in all probable loading conditions will be sufficient for the freeboards to be assigned to her for the intended services in accordance with the criteria of stability and methods of calculations laid down in the Sixth Schedule.

5. Weathertight Doors.—(i) All access openings in bulkheads at ends of enclosed superstructure or on any other bulkheads or sides and ends of casings where such weathertight doors are required to be fitted shall be fitted with doors of steel or other equivalent material, permanently and strongly attached to the bulkhead, and framed, stiffened and fitted so that the whole structure is of equivalent strength to the unpierced bulkhead and weathertight when closed. The means for securing these doors weathertight shall consist of gaskets and clamping devices or other equivalent means and shall be permanently attached to the bulkhead or to the doors themselves and the doors shall be so arranged that they can be operated from both sides of the bulkhead.

(ii) Except as otherwise provided in this Schedule, the height of the sills of access openings in bulkheads at ends of enclosed superstructure shall be at least 380 millimetres above the deck.

6. Superstructure End Bulkheads.—Bulkheads at exposed ends of encolsed superstructures shall be of efficient construction.

7. General Requirements of Hatchways.—(1) The construction and the means for securing the weathertightness of cargo and other hatchways in positions 1 and 2 shall be at least equivalent to the requirements of paragraphs 8 and 9.

(2) Coverings and hatchway covers to exposed hatchways on decks above the superstructure deck shall be of such construction and be fitted with such means for securing the weathertightness of the hatchway as are adequate having regard to its position.

8. Hatchways Closed by Portable Covers and Secured Weathertight by Tarpaulins and Battening Devices.—(1) Hatchway coamings : Every hatchway shall have a coaming of substantial construction. The coaming shall be constructed of mild steel unless otherwise permitted. The height of the coaming above the deck shall be at least—

600 millimetres if the hatchway is in Position 1

450 millimetres if the hatchway is in Position 2.

(2) Hatchway covers :

(a) The width of each bearing surface for hatchway covers shall be at least 65 millimetres.

(b) Where the covers are made of wood, the finished thickness shall be at least 60 millimetres in association with a span of not more than 1.5 metres and the thickness of cover for larger spans shall be increased in the ratio of 60 millimetres to a span of 1.5 metres. The ends of wooden covers shall be protected by galvanised steel bands efficiently secured.

(c) Where the covers are made of mild steel the strength shall be calculated with assumed loads in accordance with the table below and the product of the maximum stress thus calculated and the factor 4.25 shall not exceed the minimum untimate strength of the material. Covers shall also be so designed as to limit the deflection do not more than 0.0028 times the span under these loads.

Table of Loads

(per sq. metre)

Ship's Length (L)	Hatchway in Position 1	Hatchway in Postition 2
24 Metres	1 metric ton	0.75 metric ton
100 Metres or over	1.75 metric ton	1 30 metric ton
Over 24 metres but less than 100 metres	to be ascertained interpolation	by linear

(3) Portable Beams : Where protable beams for supporting hatchway covers are made of mild steel, the strength of such beams shall be calculated with the appropriate assumed load ascertained in accordance with the Table in the sub-paragraph (2) above and the product of the maximum stress thus calculated and the factor 5 shall not exceed the minimum ultimate strength of the material. Further, such beams shall also be so designed as to limit the deflection to not more than 0.0022 times the span under the above assumed loads.

(4) Pontoon Covers.—(a) where pontoon covers of mild steel are used in place of portable beams and covers, their strength shall be calculated with the appropriate assumed load ascertained in accordance with the Table in the sub-paragraph (2) and the product of the maximum stress thus calculated and the factor 5 shall not exceed the minimum ultimate strength of the material. Further such beams shall also be so designed as to limit the deflection to not more than 0.0022 times the span.

(b) Mild Steel plating forming the tops of such covers shall be not less in thickness than 1 per cent of the spacing of the stiffners or 6 Millimetres, whichever is the greater.

(5) Carriers or Sockets.—Carriers or Sockets for portable beams shall be of substantial construction, and shall provide means for the efficient fitting and securing of the beams. Where rolling types of beams are used, the arrangements shall ensure that the beams remain properly in position when the hatchway is closed.

(6) Cleats.—Cleats shall be set to fit the taper of the wedges. They shall be at least 65 millimetres wide and spaced not more than 150 millimetres from the hatch.

(7) Battens and Wedges.—Battens and wedges shall be efficient and in good condition. Wedges shall be tough wood or other equivalent material. They shall have a taper of not more than 1 in 6 and shall be not less than 13 millimetres thick at the toes.

(8) Tarpaulins.—At least two layers of tarpaulin in good condition shall be provided for each hatchway in position 1 or 2. The tarpaulin shall be waterproof and of ample strength. They shall be of a material of at least an Approved standard weight and quality.

(9) Security of Hatchway Covers.—For all hatchways in position 1 or 2 steel bars or other equivalent means shall be provided in order to efficiently and independently secure each section of hatchway covers after the tarpaulins are battened down Hatchway covers of more than 1.5 metres in length shall be secured by least two such securing appliances.

(10) Material.—If the material of construction of any hatchway coamings, covers and beams are made of other than mild steel, the coamings covers and beams made from such materials shall be of equivalent strength and stiffness as those specified in this schedule for mild steel.

9. Hatchways Closed by Weathertight Covers of Steel or other Equivalent Material Fitted with Gaskets and Clamping Devices.—(1) Hatchway Coamings : (a) The coamings of hatchways shall be substantial construction. The height of coamings shall be at least

600 millimetres in Position 1

450 millimetres in Position 2

(b) Provided if the Director General of Shipping so approves, the height of the coaming may be reduced or in exceptional circumstances the coaming may be dispensed with, subject to the condition that the safety of the ship will not thereby be impaired in consequence in the worst sea and weather condition likely to be encountered by the ship in service.

(2) Weathertight Covers : (a) The strength of weathertight covers, made of mild steel shall be calculated with an assumed load in accordance with the Table of Load in paragraph 6(2) and the product of the maximum stress thus calculated and the factor 4.25 shall not exceed the minimum ultimate strength of the material. Further such covers shall be so designed as to limit the deflection to not more than 0 0028 times the span under these loads.

(b) Mild Steel plating forming the tops of covers shall not be less in thickness than one per cent of the spacing of stiffners or 6 milimetres if that be greater.

(3) Means for securing weathertightness : The hatchcovers shall be made weathertight by fitting gaskets and clamping devices. Any equivalent arrangements, if adopted, shall ensure that the tightness can be maintained in any sea conditions and for this purpose tests for tightness shall be required at the initial survey, and may be required at periodical surveys and at annual inspections or at more frequent intervals.

10 Machinery Space Openings.—(1) Machinery Space Openings in position 1 or 2 shall be properly framed and efficiently enclosed by steel casing of ample strength, account being taken of the extent, if any, to which the casing is protected by other structures.

(2) Every doorway in such casing shall be fitted with doors complying with paragraph 5 of this Schedule having sills of at least the following heights :

600 millimetres above the deck if the opening is in position 1.

380 millimetres above the deck if the opening is in position 2.

Other openings in such casing shall be fitted with permanently attached covers of steel, by which it can be closed weathertight and except in the case of a cover consisting of a plate secured by bolts is capable of being operated from both sides.

(3) Coamings of any fidley, finnel or machinery space ventilator in a exposed position on the free-board or superstructure deck shall be as high above the deck as practicable having regard to its position and adequate protection from the sea.

11. Miscellaneous Openings in Freeboard and Superstructure Decks.—(1) Manholes and flush scuttles in position 1 or 2 or within superstructure other than enclosed superstructure shall be closed by substantial covers capable of being made watertight. Unless secured by closely spaced bolts, the covers shall be made permanently attached.

(2) Openings in a deck other than a hatchway machinery space opening, manhole and flush scuttle,—

(a) if situated in the freeboard deck shall be protected by an enclosed superstructure or by a deck-house or companion way equivalent in strength and weathertigtness to an endorsed superstructure;

(b) if situated in an exposed position in a deck over an endorsed superstructure and giving access to space within that superstructure or on top of a deckhouse on the freeboard deck and giving access to space below the freeboard deck, shall be protected by an efficient deckhouse or companionway fitted with weathertight doors;

(c) if situated in an exposed position in a deck above the deck over an enclosed superstructure and giving access to space within that superstructure, shall be protected either in accordance with the requirements of sub-paragraph (b) or to such lesser extent as having regard to its position.

(3) Doorways in such efficient deckhouse, companionway or enclosed superstructure as referred to in sub-paragraph (2) shall be fitted with doors complying with the requirements of paragraph 5 and shall have the following minimum sill heights :—

600 millimetres in position 1

380 millimetres in position 2

12. Ventilators.—(1) Ventilators in position 1 or 2 to spaces below the freeboard deck or decks of enclosed superstructure shall have coaming of steel or other equivalent material, substantially constructed and efficiently connected to the deck.

(2) (i) The height of the ventilator coamings shall be, at least—

(a) 900 millimetres above the deck if the ventilator is in Position 1;

(b) 760 millimetres above the deck if the ventilator is in Position 2 :

Provided that where a ventilator is situated in a position in which it will be particularly subjected to weather and sea the height of the coaming shall be increased sufficiently over the above minimum height so as to provide adequate protection, having regard to its position.

(ii) Where the coaming of any ventilator exceeds 900 millimetres in height it shall be efficiently supported by brackets, stays or other means.

(3) Ventilators in Position 1 or 2 passing through superstructure other than enclosed superstructures shall have coaming of steel or other equivalent material, substantially constructed and connected to the freeboard deck and at least 760 millimetres in height above the deck.

(4) Subject to the subparagraph (5), every ventilator opening in Position 1 or 2 shall be provided with an efficient appliance by which it can be closed and secured weathertight. Every such closing appliance so provided on board a ship of not more than 100 metres in lengtth shall be permanently attached to and in the case of any other ship shall either be so attached or be conveniently stowed near the ventilator to which it is fitted.

(5)(a) A ventilator in Position 1 the coaming of which exceeds 4.5 metres in height above the deck, and a ventilator in Position 2 the coaming of which exceeds 2.3 metres in height above the deck, need not be fitted with a closing appliance unless—

(i) it serves the machinery spaces or a Cargo compartment or

(ii) the fitting of such an appliance is necessary in the circumstances in order to provide adeqaute protection.

(b) A ventilator in Position 1 or 2 leading to space in a battery room shall not be fitted with a closing appliance.

13. Air Pipes.—(1) Where air pipes to ballast and other tanks extend above the freeboard or superstructure decks, the exposed parts of the pipes shall be of substantial construction and the exposed opening of any such air pipe shall be fitted with efficient means of closing weathertight which shall be permanently attached thereto.

(2) (1) The height above the deck of the air pipe opening through which water may gain access below shall be—

(a) at least 760 millimetres if that deck is freeboard deck;

(b) at least 450 millimetres if that deck is above the superstructure of standard height or such greater height not exceeding 760 millimetres as is considered necessary for adequate protection having regard to the lower height of superstrutcure than the standard.

(ii) Provided that the height described in the preceding sub-paragraph 2(i) may in any particular case be lower than the minimum specific therein, if such height may unreasonably interfere with the working of the ship and if the closing arrangements are such as to ensure adequate protection from the sear even with the lower height.

14. Cargo Ports and Other Similar Openings.—(1) The number of cargo ports and other similar openings in the sides of the ship below the freeboard deck or in the sides or ends of superstructure which form continuous part of the shell of the ship shall be as few as compatible with the design and proper working of the ship.

(2) Such Cargo ports and openings shall be provided with doors so fitted and designed as to ensure water-tightness and structural integrity commensurate with surrounding shell plating.

(3) Unless so permitted by the Director General in the circumstances, the lower edge of such openings shall not be below a line drawn parallel to the freeboard deck at side, which has at its lowest point the upper edge of the uppermost load line.

15. Scuppers, Inlets and Discharges.—(1) All discharges led overboard through the shell of a ship from either—

(a) spaces below the freeboard deck, or

(b) spaces within enclosed superstructure, or

(c) spaces within any deckhouses on the freeboard deck fitted with weathertight doors in accordance with paragraph 5,

shall be fitted with efficient and accessible means for preventing water from passing inboard in accordance with the following sub-paragraphs.

(2) (a) Subject to clauses (b) and (c) such means of closing shall consist of a single automatic non-return valve fitted at the shell and having positive means of closing from a position above the freeboard deck. Such position shall be readily accessible and shall be provided with an indicator showing whether the valve is open or closed.

(b) If the vertical distance from the summer load water line to the inboard end of the discharge pipe exceeds 0.0L, the discharge may have two automatic non-return valves without positive means of closing, the inboard one of which should always be easily accessible for examination, where, however, that vertical distance exceeds 0.02L, a single automatic non-return value without positive means of closing may be provided if it will be equally effective in the circumstances. The single valve or the outboard valve where there are two, shall be situated as close to the hull as practicable and substantially connected thereto.

(c) Suppers and discharge pipes originating at any level and penetrating the shell either more than 450 millimetres below the freeboard dock or less than 600 millimetres above the summer load waterline shall be provided with a non-return valve at the shell. This valve, unless required by clause (a), may be dispensed with, if the piping is of substantial construction.

(4) (a) The controls of any valve situated in a manned machinery space, and serving a main or auxiliary sea inlet or discharge or bilge injection system shall be so sited as to be readily accessible at all times under service conditions. Valves referred to in this and the following sub-paragraph shall be equipped with an indicator showing whether the valve is open or closed.

(b) The control of any valve situated in an unattended machinery space and serving a sea inlet or discharge of bilge injection system shall be so sited as to be readily accessible at all times under service conditions, particular attention being paid in this regard to possible delay in reaching or operating the controls. In addition, the machinery space in which the valve is situated shall be equipped with an efficient warning device to give warning at suitable control position of any entry of water into the machinery space other than water resulting from the normal operating of the machinery.

(c) In this sub-paragraph "unattended machinery space" means a machinery space which during normal operation of the ship at sea is unmanned for any period, and "manned machinery space" means a machinery space other than an unattended machinery space.

5. Every scupper leading from a superstructure other than an enclosed superstructure or from a deckhouse not fitted with weathetight doors shall be led overboard.

6. All valves and shell fittings required by the provision of this paragraph shall be of steel, bronze or other suitable ductible material, and all pipes referred to in this paragraph shall be steel or other equivalent material.

16. Side Scuttles.—(1) Side scuttles to spaces below the freeboard deck or to spaces within enclosed superstructures shall be fitted with efficient inside deadlights arranged so that they can be effectively closed and secured watertight.

(2) No side scuttle shall be fitted in a position so that its sill is below a line drawn parallel to the freeboard dock at side and having its lowest point 2.5 per cent of the breadth (B) above the Summer Load Line or 500 millimetres, whichever is the greater distance.

(3) The side scuttles, together with their glasses, if fitted, and deadlights, shall be of substantial and approved constructure.

17. Freeing Ports.—(1) Where bulwarks on weather portions of freeboard deck or superstructure decks form wells, ample provision shall be made for rapidly freeing the deck of water and draining them. The minimum freeing port area (A) on each side of the ship for each well on the freeboard deck shall be given by the following formulae—

(a) On freeboard deck with sheer in way of well being equal to or greater than the standard sheer : where l is 20 metres or less—

$A = 0.7 + 0.035\,l$ (sq. metres)

where l is greater than 20 metres—

$A = 0.07\,l$ (sq. metres).

the length of bul wark ( ) in no case need be taken greater than 0.7L.

(b) If the height of the bul wark (h) is higher than 1.2 metres or less than 0.9 metre, the freeing port areas are to increase or decrease by the following amounts :

Where h is greater than 1.2 metres, A in sub-para (a) above is to increase by

$a = (h - 1.2) \times 0.04 \times l$ sq. metres—

Where h is less than 0.9 metres, A in sub-para (a) above is to decrease by

$a = (0.9 - h) 0.0004 \times l$ sq. metres.

(c) On superstructure decks, the freeing port area shall be only one-half of the area obtained from paragraph (a) as amended by paragraph (b)

(d) In ships with no sheer the calculated area from paragraph (a) and (b) shall be increased by 50 percent. Where the sheer is less than the standard, the percentage shall be obtained by linear interpolation.

(2) In ships having superstructures which are open at either or both ends, adequate provision of freeing the space within such superstructures shall be made to the satisfaction of the Assigning Authority.

(3) Two-thirds of freeing port area required shall be provided in the half of the well nearest the lowest point of the sheer curve.

(4) The lower edges of the freeing ports shall be as near to the deck as practicable.

(5) All such openings in the bulwarks shall be protected by rails or bars spaced approximately 230 millimetres apart. If shutters are fitted to freeing ports, ample clearance shall be provided to prevent jaming. Hinges shall have pins or bearings of non-corrodible material. If shutters are fitted with securing appliances, these appliances shall be of approved construction.

18. Protection of the Crew.—(1) The strength of the deckhouses used for the accommodation of the crew shall be to the satisfaction of the Director-General or any other Assigning Authority as the case may be.

(2) Efficient guard rails or bul warks shall be fitted on the boundaries of all exposed parts of the freeboard decks. The height of the bul warks or guard rails shall be at least one metre. Provided that if this height would interfere with the normal operation of the ship at some particular span, a lesser height over that span may be approved by the Assigning Authority on being fully satisfied that alternative or adequate protection is provided. In specified areas of the exposed decks, the Assigning Authority may also permit the use of guard wire in lieu of guard rails.

(3) The opening below the lowest course of the guard rails or wires shall not exceed 230 millimetres. The other courses shall not be more than 380 millimetres apart. In the case of ships with rounded gunwales, the stanchions shall be secured to the flat boundary of the deck.

(4) Satisfactory and safe means in the forms of guard rails, guard wires, lifelines, gangways or under-deck passages, etc., shall be provided for the protection of the crew in getting to and from their quarters, the machinery span and all other parts used in the necessary work of the ship.

(5) Deck Cargo when carried shall not interfere with the conditions of assignments enumerated in this schedule nor shall it in any way adversely affect the protective measures for the crew.

PART III

Special Conditions of Assignment for Type A ships

19. Machinery Casings.—The Machinery Casing on Type A ships shall be protected by (i) an enclosed poop or

bridge of at least standard height, or (ii) a deckhouse of equal height and equivalent strength and weathertightness :

Provided that this requirement shall not apply and the casing may accordingly be exposed—

(a) if there is no opening in the casing which gives direct access from the freeboard deck to the machinery space, or

(b) if the only opening in the casing has a steel weathertight door complying with paragraph 5 and leads to a space or passageway which is as strongly, constructed as the casing and is separated from the stairway to the machinery space by a second similar steel weathertight door.

20 Gangway and Access.—(1) References in this paragraph to a poop or detached bridge on Type A ships include reference to a deckhouse fitted in lieu of and serving the purpose of a poop or detached bridge.

(2) Access between the poop and the detached bridge shall be by means of either—

(a) gangway complying with the requirements of sub-para (4), or

(b) on underdeck passage complying with the requirements of sub-para (5), or

(c) other equally effective and equivalent approved means of access.

(3) In the case of a ship the crew of which may in the course of their duties be required to go in adverse weather conditions to a position or positions forward of the detached bridge, or forward of the poop in cases where there is no detached bridge and all crew accommodation and machinery spaces are situated at the after end of the ship, access to such positions shall be by means of either—

(a) a gangway complying with the requirements of sub-para (4), or

(b) an underdeck passage complying with the requirements of sub-para (5), or

(c) a walkway complying with the requirements of sub-para (6).

(4) A gangway, connecting the specified superstructure or deckhouse in lieu and required under this Part, shall comply with the following requirements—

(a) The gangway shall be permanently and efficiently constructed at the level of the superstructure deck. Efficient means of access from gangway level to the deck shall be provided at each terminal.

(b) the gangway platform shall be at least 1 metre in width and of non-slip material. The platform shall be fitted at each side throughout its length with guard rails or guard wires supported by stanchions Such rails or wires shall consist of not less than 3 courses, the lowest being not more than 230 mm above the platform and intermediate ones being not more than 380 mm apart, but the uppermost one being not less than 1 metre above the platform. The stanchions supporting the rails or guard wires shall be at intervals of not more than 1.5 metres.

(5) An underdeck passageway connecting and providing unobstructed access between specified superstructures or deckhouses in lieu, and required under this Part, shall comply with the following requirements—

(a) the passage shall be constructed oil-tight and gas-tight immediately below the freeboard deck and shall be well-lighted and adequately ventilated by mechanical ventilation. The passage shall be fitted with efficient gas detection system.

(b) the passage shall be situated throughout its length at distance from the shipside of not less than one fifth of the breadth (B) of the ship Provided that in the case of a ship so designed as to render compliance with this requirement is not practicable, two under-deck passages may be provided, one to port and one to starboard, each of which shall comply with all requirements except the requirement of this clause.

(c) The means of exit from the passage to the freeboard deck shall be so arranged as to be as near as practicable to the working areas of the crew but in no case be more than 90 metres apart and fitted with efficient means of closing capable of quick release and operable from either sides. The companionway or deckhouse on the freeboard deck protecting the exit shall be fitted with steel door complying with paragraph 5 of this schedule.

(6) A walkway providing unobstructed passage if necessary by means of elevated passage over permanent obstruction, and required under this Part, shall comply with the following requirements—

(a) the walkway shall be situated as near as practicable to the centreline of the ship and shall be not less than 1 metre in width and fitted with guard-rails or guardwires complying identifically with those in sub-para (4)(b) of this paragraph;

(b) the walkway shall provide free access to and from freeboard deck, set in such guard rails or guard wires as near as practicable to the working areas, so however, that such openings shall be on the alternate sides of the walkway and be situated not more than 90 metres apart on either side;

(c) if the length of the exposed deck to the traversed exceeds 70 metres, the walkway shall be provided with shelters of substantial constructed set out from the walkway at intervals not exceeding 45 metres, every such shelter being capable of accommodating at least one person and so constructed as to afford weather protection on the forward, port and starboard sides.

21. Hatchway Covers.—The covers of hatchways in an exposed position on the freeboard deck, on a forecastle deck or on the top of an expansion trunk shall be of steel, of efficient construction, and watertight when secured.

22. Freeing Arrangements.—(1) All exposed parts of the freeboard deck and superstructure decks of Type 'A' ships shall be fitted at shipsides for at least half their length with guard rails or guard wires in lieu of bul warks or other equally effective freeing arrangements. Such guard rails or guard wires shall comply with the requirements for them in sub-para (4)(b) of paragraph 20 of this Part and the upper edge of the sheer strake shall be as low as practicable.

(2) If the superstructures of the Type A ships are connected by a trunk, the exposed parts of the freeboard deck in way of the trunk shall be fitted at ship sides with guard rails or guard wires complying with the requirements for them in sub-para (4)(b) of paragraph 20 of this Part.

(3) If the ship is so constructed that notwithstanding the provisions of freeing ports and arrangements it will be particularly subjected under service conditions to the building up of quantities of water on the freeboard deck, efficient breakwater shall be fitted in suitable positions on that deck.

PART IV

Special Conditions of Assignment for Type B ships with reduced Freeboard

23. Gangway and Access.—Unless a Type B ship with reduced freeboard complies fully with requirements of paragraph 20 as if the ship were a Type A ship, such a ship shall comply with the requirements of the following sub-paragraphs :

(1) References in this paragraph to a poop or detached bridge include references to a deckhouses fitted in lieu of and serving the purpose of a poop or detached bridge.

(2) Access between the poop and the detached bridge shall be by means of an efficiently constructed gangway of substantial strength connecting these structures, fitted on or near the centre line of the ship The gangway shall be at least 1 metre in width and shall be fitted at each side throughout its length with guard rails or guard wires com-

plying with the requirements set out in relation to such rails or wires in paragraph 20(4)(b). If the length of the gangway exceeds 70 metres, shelters complying with requirements set out in relation to shelters in paragraph 20(6)(c) shall be provided in way of gangway.

(3) In the case of a ship the crew of which was in the course of their duties are required to go in adverse weather conditions to a position or positions forward of the detached bridge, or forward of the poop in cases where there is no detached bridge and the crew accommodation and machinery spaces are situated at the after end of the ship, access to such positions shall be by means required under sub-paragraph (2) of this paragraph.

Provided that in the case of a ship the hatchway coamings of which are 600 millimetres or more in height from the deck, two walkways giving access to the said positions and complying with the following requirements may be provided:

(i) the walkways shall be efficiently constructed and of satisfactory strength;

(ii) the walkways shall each be at least 1 metre in width and shall be fitted on the free-board deck alongside the outboard structure of hatchway coamings, one to port and the other to starboard of the hatchways;

(iii) each walkway shall be fitted on the side outboard of the hatchways with guard rails or guard wires complying with the requirements set out in relation to such wires or rails in paragraph 20(4)(b).

24. Freeing Arrangement.—The ship shall comply with the requirements of paragraph 22 of this schedule.

PART V

Special Conditions of Assignment for Ships with Timber Freeboard

25. Superstructure.—(1) The ship shall have a forecastle of not less than the standard height of an enclosed superstructure and a length of not less than 0.07L.

(2) If the ship is less than 100 metres in length it shall be fitted with a poop of not less than standard height or a raised quarter deck having either a deckhouse or a strong steel hood, so that the total height thereof is not less than the standard height of an enclosed superstructure.

26. Double Bottom Tanks.—Double bottom tanks where fitted within the midship half-length of the ship shall have satisfactory watertight longitudinal sub-division.

27. Bulwark and Tanks.—(1) The ship shall be fitted with either permanent bulwark at least 1 metre in height, especially stiffened on the upper edge and supported by strong bulwark stays attached to the deck and provided with freeing ports comply with the requirements of paragraph 17 of this Schedule.

(2) Efficient guard rails and stanchions at least 1 metre in height, of comecially strong construction and complying with the requirements of paragraph 18(2).

THE SECOND SCHEDULE

(See rules 4, 5, 6, 28, 29)

FREEBOARDS

PART I

GENERAL

1. Applications.—(1) Except as otherwise provided in sub-paragraphs (2) and (3), the freeboards to be assigned to a ship other than Timber freeboards shall be determined in accordance with the provisions of Part II of this Schedule, and Timber freeboards to be assigned to a ship shall be determined in accordance with Part III.

(2) Freeboards determined as described in sub-paragraph (1) are the freeboards appropriate to ships the structural strength of which complies with the highest standard required by an Assigning Authority; and the freeboards to be assigned to ships the structural strength of which does not comply with that standard shall be freeboards so determined but increased in each case by such amount as the Assigning Authority with the approval of the Director General may determine as appropriate to the ship's structural strength.

(3) Tabular freeboards appropriate to the ship's length are set out in Freeboard Table A for Type A ships and Freeboard Table B for Type B ships in Part V of this Schedule.

(4) The freeboards to be assigned to tugs and unmanned barges having as the freeboard deck only small access closed watertight or ships with unusual constructional features shall be determined in accordance with provisions of Part IV of this Schedule.

PART II

Freeboards other than Timber Freeboards

2. Computation of Freeboards.—(1) The Summer freeboard shall be determined in accordance with the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Schedule :

Provided that the freeboard so obtained but without any correction made for the deck line as provided in paragraph 6 shall not be less than 50 millimetres except in case of a ship having in position 1 hatchways which do not comply with the requirements of paragraphs 8(4), 9 or 21 of the first Schedule, in which case the freeboard shall not be less than 150 millimetres. (2) The Tropical freeboard shall be obtained by deducting from the Summer freeboard applicable to the ship one forty-eight (1/48) of the Summer draft of the ship :

Provided that the freeboard so obtained but without any correction made for the deckline as provided in paragraph 6 shall not be less than 50 millimetres except in case of a ship having in Position 1 hatchways with covers which do not comply with the requirements of paragraphs 8(4), 9 or 21 of First Schedule, in which case the freeboard shall not be less than 150 millimetres.

(3) The Winter Freeboard shall be obtained by adding to the Summer freeboard applicable to the ship one forty-eight (1/48) of the summer draft of the ship.

(4) For ships not more than 100 metres in length, the Winter North Atlantic freeboard shall be obtained by adding 50 millimetres to the Winter freeboard applicable to the ship. For other ships, the Winter North Atlantic freeboard shall be the winter freeboard.

(5) (a) The Fresh Water freeboard shall, subject to sub-paragraph (b) be obtained by deducting from the summer freeboard the quantity—

$$\frac{\Delta}{4T} \text{ millimetres}$$

where Δ is the displacement in salt water in metric tons at summer load waterline and T represents metric tons per centimetre immersion in salt water at that waterline.

(b) In any case in which the displacement at that waterline cannot be ascertained the deduction shall be one forty-eight (1/48) of the summer draft of the ship.

3. Summer Freeboard for Type A ships.—The summer freeboard for Type A ship shall be determined as follows :

(1) (a) There shall first be ascertained the Tabular Freeboard appropriate to the ship's length.

(b) For ships having black co-efficient (Cb) of not exceeding than 0.68, the basic freeboard shall be tabular freeboard and for ships having black co-efficient (Cb) exceeding 0.68, the basic freeboard shall be obtained by multiplying the Tabular freeboard by the factor $\frac{(Cb+0.68)}{1.36}$.

(2) The basic freeboard shall then be duly corrected in accordance with the requirements of paragraphs 5 to 14 of this Schedule.

(3) Subject to the proviso to paragraph 2(1), the basic freeboard so corrected shall be the summer freeboard to be assigned to the Type A ship.

4. Summer Freeboard for Type B ships.—The summer freeboard for Type B ship shall be determined as follows:

(1) There shall first be ascertained the Tabular freeboard appropriate to the ship's length.

(2) (a) If the ship has hatchways in Position 1, the covers of which comply with the requirements of paragraph 8(4) or with those of paragraph 9 of the First Schedule, the tabular freeboard may be corrected in accordance with such of the provisions of sub-paragraphs (3) to (7) of this paragraph as are applicable to the ship.

(b) If the ship has hatchways in Position 1, the covers of which comply with the requirements of paragraph 8 of the First Schedule with the exception of sub-paragraph (4) of that paragraph, the tabular freeboard shall be corrected in accordance with the provision of Sub-paragraph (8) of this paragraph.

(3) The tabular freeboard of a ship to which sub-paragraph (2)(a) applies and which exceeds 100 metres in length may be reduced by an amount prescribed in sub-paragraph (4), if the assigning authority is satisfied that—

(a) the gangway and access are in accordance with paragraph 20 of the First Schedule;

(b) the measures for the protection of the crew comply with the requirements of paragraph 18 of First Schedule;

(c) the freeing arrangements comply with the requirements of paragraph 17 of First Schedule;

(d) all covers of hatchways in Positions 1 and 2 comply with the requirements of paragraph 9 of First Schedule;

(e) the ship when loaded to the Summer load waterline will remain afloat, after the flooding of any single damaged compartment other than the machinery space at an assumed permeability of 0.95 in the condition of equibrium described in sub-paragraph (6);

Provided that if the length of the ship exceeds 225 metres the machinery space shall rank as a floodable compartment with an assumed permeability of 0.85 for the purposes of this requirement.

(4) Subject to sub-paragraph (5), reduction of freeboard pursuant to sub-paragraph (3) shall not exceed 60 per cent of the difference between the Tabular freeboards appropriate to the ship's length under Freeboard Table A and Freeboard Table B.

(5) The reduction of 60 per cent referred to in the preceedin paragraph may be increased to 100 per cent of the assigning authority as satisfied that—

(a) the ship complies with the requirements of paragraphs 19 and 22 of the First Schedule as if it were a Type A ship;

(b) the ship complies with the requirements of sub-paragraph 3(a) to (d); and

(c) the ship when loaded to the summer load waterline and

(i) After the flooding of any two compartments adjacent fore and aft, neither of which is the machinery space, at an assumed permeability of 0.95 and also

(ii) in the case of a ship exceeding 225 metres in length, after the flooding of the machinery space alone, at an assumed permeability of 0.85,

will remain afloat in the conditions of equilibrium described in sub-paragraph (6).

(6) The condition of equilibruim referred to in sub-paragraphs (3) and (5) above is an follows :

(a) the final waterline after flooding is below the top of any ventilator coaming, the lower edge of any air pipe opening, the upper edge of the sill of any access opening fitted with a watertight door, and the lower edge of any other opening through which progressive flooding may take place;

(b) the angle of heal due to unsymmetrical flooding does not exceed 15 degrees;

(c) the metacentric height calculated using the constant displacement method has a positive value of at least 50 millimetres in the upright condition after flooding; and

(d) the ship has adequate residual stability.

(7) The following assumptions shall be made for the purposes of calculations pursuant to sub-paragraphs (3)(d) and (5) (c)—

(a) that the vertical extent of damage is equal to the depth of the ship at the point of damage, measured from the including the freeboard deck to the underside of the keel at ship side;

(b) that the transverse penetration of damage is not more than one fifty of the breadth of the ship (B), this distance being measured in board from ship side to the centre line of the ship at the level of the summer load waterline :

Provided that if damage of a lesser extent results in a more severe condition such lesser extent shall be assumed;

(c) that, except in the case of compartments referred to in sub-paragraph (5) (c) (i), no main fransverse bulkhead is damaged;

(d) that the height of the centre of gravity above the base-line is assessed allowing for homogenous loading of cargo holds and for 50 per cent of the designed capacity of consumable fluids and stores.

(8) The tabular freeboard of a ship to which sub-paragraph (2) (b) of this paragraph applies shall be increased by the amount shown by the following Table to the appropriate ships length—

Freehold at intermediate length shall be obtained by liner interpretation. The increase in the case of ships of more than 200 metres in length shall be such amount as the Director General may determine in each particular case.

(9) (a) This sub-paragraph applies to every Type B ship of not more than 100 metres in length having enclosed superstructures the total effective length of which does not exceed 25 per cent of the ships length (L).

(b) The freeboard calculated in respect of such a ship in accordance with sub-paragraphs (1), (2) and (3) above shall be increased by an amount ascertained in accordance with the formula.

$$7\ 5\ (100-L)\left(0.35-\frac{E}{L}\right) \text{ millimetres.}$$

(10) In the case of a ship the block co-efficient (Cb) of which exceeds 0.68 the freeboard calculated in respect of the ship in accordance with sub-paragraph (1) to (9) above shall be multiplied by the factor $\frac{Cb+0.68}{1.36}$.

(11) The basic freeboard of a Type B ship is that calculated in accordance with sub-paragraphs (1) to (10) above. The basic freeboard duly corrected in accordance with paragraphs 5 to 14 of this Schedule but subject to the proviso to paragraph 2(1) shall be assigned as the Summer freeboard to the ship.

5. Correction for Depth.—(1) If the depth for freeboard D exceeds $\frac{L}{15}$ the freeboard shall be increased by $R\left(D-\frac{L}{15}\right)$ millimetres where R is $\frac{L}{0.48}$ at length less than 120 metres and 250 at 120 metres length and above.

(2) If the depth for freeboard D is less than L/15, no reduction shall be made except in a ship with an enclosed superstructure covering at least 0.6L amidships, with a complete trunk, or combination of detached enclosed super-structures and trunks which extend all fore and aft, where the freeboard shall be reduced at the rate prescribed in sub-paragraph (1) above.

(3) Where the height of superstructure or trunk is less than the standard height, the reduction shall be in the ratio of the actual to the standard height as defined in paragraph 7 below.

6. Correction for Position of Deck Line.—If the actual depth to the upper edge of the deck line is greater or less than the depth for freeboard D, the difference if greater shall be added to or if less shall be deducted from the basic freeboard of the ship.

Standard Superstructure and Correction

7. Standard Height, Length and Effective Lenght of Superstructures. –(1) The standard hight of a superstructure shall be the height appropriate to the ships length L determined in accordance with the following Table :

Ship Length L (metres)	Standard Height (metres)	
	Raised Quarter Deck	All other superstructures
30 or less	0.90	1.80
75	1.20	1.80
125 or more	1.80	2 30

Standard heights for intermediate length of ship shall be obtained by linear interpolation.

(3) (a) Subject to sub-paragraphs (b) and (c), the length of a superstructure (s) shall be the mean length of the parts of the superstructure which lie within the length of the ship (L).

(b) In the case of an enclosed superstructure having an end bulkhead which extends in a fair convex curve beyond its inter section with the superstructure sides, the length of the superstructure (s) may be taken as its length ascertained in accordance with sub-paragraph (a) increased on the basis of an equivalent plane bulkhead by the amount of two-thirds of the fore and aft extent of the curvature :

Provided that the amount of the curvature to be taken into account shall not exceed one half the breadth of the superstructure at the point of inter-section of the curved end of the superstructure with its side.

(c) In the case of an enclosed superstructure having an extension from an end bulkhead, which extension has breadth on each side of the centre at least 30 per cent of the breadth of the ship, the length of the superstructure (s) may be ascertained in accordance with sub-paragraph (b) by assuming an equivalent end bulkhead in the form of a parabola which is completely contained within such a superstructure and the extension thereto.

(a) The effective of length of a superstructure (E) shall be as follows :—

(a) Subject to sub-paragraph (c), E in the case of an enclosed superstructure of standard height shall be either—

(i) its length S, or

(ii) if the superstructure is set in from the sides of the ship, its length S modified in the ratio b/Bs, where—

'b' is the breadth of the superstructure at the middle of its length; and

'Bs' is the breadth of the ship at the middle of the length of the superstructure(s) :

Provided that if the superstructure is so set in fore part of its length, such modification shall be applied only to that part.

(b) Subject to sub-paragraph (c), E in the case of an enclosed superstructure of less than standard height shall be its length S reduced in the ratio of the actual height of the superstructure to its standard height.

(c) E in the case of an encloses superstructure consisting of a raised quarter deck shall, if the deck is fitted with an intact front bulkhead be its length S subject to maximum of 0.6L; and if not so fitted, be ascertained by treating the raised quarter deck as a poop of less than standard height.

(d) A superstructure which is not an enclosed superstructure shall have no effective length.

8. Standard Height and Effective Length of Trunk.—(1) The standard height of a trunk shall be determined in the same manner as that as that applicable to a superstructure other than a raised quarter deck under paragraph 7(1).

(2) The effective length of a trunk shall be determined as follows—

(i) A trunk which is not an efficient trunk as described in sub-paragraph (3) shall have no effective length;

(ii) Except as provided in sub-paragraph (iii), the effective length of an efficient trunk shall be its full length reduced in the ratio of its mean breadth to the breadth of the ship B.

(iii) If the actual height of an efficient trunk is less than the standard height, its effective length shall be the length calculated in accordance with sub-paragraph (ii) reduced in the ratio of the actual to the standard height of the trunk. In addition if the ship is a Type B ship and the height of the hatchway coamings on the trunk deck is less than that required by paragraphs 8(1) or 9(1) of the First Schedule, a reduction from the actual height of the trunk shall be made of an amount corresponding to the difference between the actual height of such coamings and the height so required for them.

(3) A trunk shall be treated as an efficient trunk subject to complying with the following conditions :

(i) that it shall be as strong as an efficient trunk subject superstructure,

(ii) that the hatchway in way of the trunk are in the trunk deck, and the hatchway coamings and covers comply with the requirements of paragraphs 7 to 9 of the First Schedule.

(iii) that the width of the trunk deck stringer in way of the hatchs provides a satisfactory gangway and sufficient lateral stiffness;

(iv) that a permanent working platform fore and aft fitted with guard rails of guard wire complying with the requirements applicable thereto under paragraph 20(4)(b) of the First Schedule is provided by the trunk deck, or by detached trunks concerned to superstructures by efficient permanent gangways;

(v) that the ventilators are protected by the trunk, by watertight covers or by equivalent means;

(vi) that open rails or wires are fitted on the weather parts of the freeboard deck in way of the trunk for at least half their length;

(vii) that the machinery casings are protected the trunk, or by an enclosed superstructure of at least standard height or by a deck-house of the same height and of strength and weathertightness equivalent to those of such a superstructure.

(vii. that the breadth of the trunk is at least 60 per cent of the Breadth of the ship B;

(ix) that where there is no superstructure, the length of the trunk is at least 0.6L.

9. Deduction for superstructure and Trunks.—(1)Where the effective length of superstructures and trunks of a ship is 1.0(L), the basic freeboard of the ship shall be reduced by an amount determined appropriate to the Ship's length in accordance with the following Table :

TABLE

Length of a ship L (metre)	Reduction in freeboard millimetre
24	350
85	860
122	1070

The reduction in freeboard for intermediate lengths of ships shall be obtained by interpolation.

(2) Where the effective length of superstructure and trunks is less than 1.0(L) the basic freeboard of a ship shall be reduced as follows :

(a) in the case of a Type 'A' ship by percentage determined from the following Table, the percentage in the case of a ship having superstructures and trunks of an effeccive length intermediate to those specified in the Table being obtained by linear interpolation—

TABLE

Percentage of Deduction for Type A ships

	Total Effective length of superstructure and trunk										
	0	0.1(L)	0.2L	0.3L	0.4L	0.5L	0.6L	0.7L	0.8L	0.9L	1.0L
Percentage of Deduction for all types of superstructures	0	7	14	21	31	41	52	63	75.3	87.7	100

(b) in the case of a Type B ship, by a percentage determined from the following Table and to such of directions (i) to (iii) appended thereto as apply in the circumstances, the percentage in the cast of a ship having superstructures and trunks of an effective length intermediate to those specified in the Table being obtained by linear interpolation.

TABLE

		Total Effective length of superstructures and trunks										
	Line	0	0.1L	0.2L	0.3L	0.4L	0.5L	0.6L	0.7L	0.8L	0.9L	1.0(L)
Ships with forecastle and without detached bridge	I	0	15	10	15	23.5	3.2	46	63	75.3	87.7	100
Ships with forecastle and Ships with-forecastle and detached bridge .	II	0	6.3	12.7	19	27.5	36	43	63	75.3	87.7	100

(i) Where the effective length of a bridge less than 0.1L before and 0.1L abaft amidships the percentages shall the obtained by linear interpolation.

(ii) Where the effective length of a forecastle is more an 0.4L the percentage shall be obtained from line II.

(iii) Where the effective length of a forecastic is less than 0.07L, the above percentages shall be reduced by $5 \times \frac{(0.7L-f)}{0.7L}$ Where f is the effective length of the forecastle.

Standard Sheer and Corrections

10. Measurement of sheer.—(1) The sheer shall be measured from the deck at side to a line of reference drawn parallel to the keel through the sheer line at amidships.

(2) In ships designed wit ha rake of keel, the sheer shall be measured in relation to a reference line drawn parallel to the design load water line.

(3) In flush deck ships and in ships with detached superstructures, the sheer shall be measured at the freeboard deck.

(4) In ships with topsides of unusual form in which there is a step or break in the topsides, the sheer shall be considered in relation to the equivalent depth amidship.

(5) In ships with a superstructure of standard height which extends over the whole length of the freeboard deck, the sheer shall be measured at the superstructure deck. Where the height exceeds the standard the least difference (z) between the actual and the standard heights shall be added to each end ordinate. Similarly, the intermediate ordinates at distance of 1|6 L and 1|3 L from each parpendicular shall be increased by 0.444Z and 0.111Z respectively.

(6) Where the deck of an enclosed superstructure has at least the same sheer as the exposed freeboard deck, the sheer of the enclosed portion of the free-board deck shall not be taken into account.

(7) Where an enclosed poop or forecastle is of standard height with greater sheer than that of the freeboard deck, or is of more than standard height, an addition to the sheer of the freeboard deck shall be made as provided in paragraph 12(4).

11. Standard sheer Profile .—The ordinate of the standard sheer profile are given in the following Table :

	Station	Ordinate (in millimetres)	Factor
After Half	After perpendicular	25 (L/3+10)	1
	1/6 from A.P.	2.8 (L/3+10)	3
	1/3 L from A.P.	11.1 (L/3+10)	3
	Amidships	0	1
Forward Half	Amidships	0	1
	1/3 from F.P. 7	5.6 (L/3+10)	3
	1/6 L from F.P.	22.2 (L/3+10)	3
	Forward perpendicular	50 (L/3+10)	1

12. Measurement of variation from standard sheer Profile.—(1) Where the sheer profile differs from the standard, the four ordinates of each profile in the forward or after half shall be multiplied by the appropriate factors given in Table of ordinates. The difference between the sums of the respective products and those of the standard divided by 8 measures the deficiency or excess of sheer in the forward or after half. The arithmetical mean of the excess or deficiency in the forward and after halves measures the excess or deficiency of sheer.

(2) Where the after half of the sheer profile is greater than the standard and the forward half is less than the standard, no credit shall be allowed for the part in excess and deficiency only shall be measured.

(3) Where the forward half of the sheer profile exceeds the standard sheer profile and the after half of the sheer profile is not less than 75 per cent of the standard sheer profile, credit shall be allowed for the part in excess.

Where the after half of the sheer profile is less than 50 per cent of the standard sheer profile, no credit shall be given for the excess sheer forward.

Where the sheer in the after half is between 50 per cent and 75 per cent of the standard sheer profile, intermediate allowances may be granted for excess sheer forward.

(4) Where the sheer credit is given for a poop or forecastle the following formula shall be used :

$$S = \frac{Y}{3}\frac{L'}{L}$$

Where S= Sheer credit, to be deducted from the deficiency or added to the excess of sheer.

Y= difference between actual and standard height of superstructure at forward and after perpendicular.

L'= mean enclosed length of poop or forecastle upto a maximum length of 0.5L.

The above formula provides a curve in the form of a parabola tangent to the actual sheer curve at the freeboard deck and intersecting the end ordinate at a point below the superstructure deck a distance equal to the standard height of a superstructure. The superstructure deck shall not be less than standard height above the curve at any point. This curve shall be used in determining the sheer profile for the forward and after halves of the ship.

13. Correction for variations from standard Sheer.—(1) The correction for sheer shall be the deficiency or excess of sheer determined by paragraph 12 multiplied by

$$\left[0.75 - \frac{S}{2L}\right]$$

(2) Where the sheer is less than the standard, the correction for deficiency of sheer determined in accordance with sub-paragraph (1) shall be added to the basic freeboard of the ship.

(3) Subject to sub-pararaph (4), in the case of a ship having an excess of sheer—

(a) if an enclosed superstructure covers (0.1) L before and (0.1) L abaft amidships, the correction for excess of sheer determined in accordance with sub-paragraph (1) shall be deducted from the basic freeboard of the ship ;

(b) if no enclosed superfstructure covers amidships, no deduction shall be made from the basic freeboard of the ship ;

(c) if an enclosed superstructure covers less than (0.1)L before and (0.1)L abaft, amidships, the correction for excess of sheer determined in accordance with sub-paragraph (1) shall be modified in the ratio of the amount of (0.2)L amidships which is covered by the superstructure to (0.2)L.

(4) The maximum deduction for excess sheer shall be at the rate of 125 millimetres per 100 metres of length(L).

14. Correction for Minimum Bow Height.—(1) The bow height of a ship is the vertical distance at the forward perpendicular between the summer load waterline of the ship at the designed and the top of the exposed deck at side ascertained as follows:

(a) Where the bow height is obtained by including sheer, the sheer shall extend for not less than 15 per cent of the ship's length (L) measured from the forward perpendicular.

(b) Where the bow height is obtained by including the height of the superstructure, such superstructure shall :

(i) extend from the stem to a point not less than 0.07 of ship's length(L) measured from the forward perpendicular ;

(ii) if the ship's length (L) exceeds 100 metres or less, be an enclosed superstructure ; and

(iii) if the ship's length (L) is 100 metres in length, be fitted with satisfactory closing appliances,

(2) The minimum bow height for a ship shall be derived from formula 1 in the case of a ship of less than 250 metres in length (L) and from formula 2 in the case of a ship of 250 metre or more in length (L) :

Formula 1

$$56\left(1-\frac{1}{500}\right)\left(\frac{1.36}{C_b+0.68}\right) \text{ millimetres}$$

Formula 2

$$7000\left(\frac{1.36}{C_b+0.68}\right) \text{ millimetres}$$

Provided that in the case of a ship other than a tug of 65 metres or less in length, being based at a port or an open readstead and carrying out ship to shore service, the bow height may be obtained from formula 1 with the figure 56 being replaced by figure 40.

(3) Where the bow height of a ship is less than the minimum bow height appropriate to the ship, the freeboard determined in accordance with the foregoing paragraphs shall be increased by an amount equal to the difference between the bow height and the minimum bow height :

Provided, however, in the case of a ship which is constructed to meet exceptional operational requirements, the corrections to be made pursuant to this sub-paragraph may be reduced or waived if the Director General is satisfied that the safety of the ship will not be impaired in consequence in the worst sea and weather conditions likely to be encountered by the ship in service.

(4) Where an existing ship has been so reconstructed as to comply with all the conditions of assignments in the First Schedule as applicable to a new ship but having

(i) the forecastle of length less than (0.07)L; and/or

(ii) the sheer extending over less than 15 percent of the ship's length measured from the forward perpendicular,

the freeboard determined for the ship in accordance with the foregoing paragraph shall be increased by such amount as the Director General may approve in each particular case.

PART III

TIMBER FREEBOARDS

15. Summer Timber Freeboard.—(1) There shall first be ascertained the freeboard appropriate to the ship under the provisions of sub-paragraphs (1), (2) (a), and (9) to (10) of paragraph, 4, corrected as necessary in accordance with the provisions of paragraphs (5 to 8 of this Schedule).

(2) Deduction for the effective length of super-structures shall be made from the freeboard obtained pursuant to sub-paragraph (1) in accordance with paragraph 9(1) and 9(2) (b) but substituting the following table for the Table "Percentage of Deduction for Type B ships".

Total Effective Length of Super-structure											
	0	0-1L	0.2L	0.3L	0.4L	0.5L	0 6L	0 7L	0.8L	0 9L	1.0L
Percentage of deduction for all types of super-structure	20	31	42	53	64	70	76	82	88	94	100

Percentages at immediate lengths of superstructures shall be obtained by linear interpolation.

(3) The freeboard so far obtained pursuant to the preceeding sub-paragraphs shall then be corrected in accordance with paragraphs 10 to 13 of this Schedule, and the freeboard so corrected shall be the Summer Timber Freeboard to be assigned to the ship.

16. Other Timber Freeboards.—(1) The Winter Timber Freeboard shall be obtained by adding to the Summer Timber freeboard one thirtysixth (1/36th) of the summer timber draught of the ship.

(2) The Winter North Atlantic Timber freeboard shall be same as the Winter North Atlantic freeboard assigned to the ship.

(3) The Tropical Timber freeboard shall be obtained by deducting from the Summer Timber freeboard one forty-eighth (1/48th) of the summer timber draught of the ship.

(4) (a) The Fresh Water Timber freeboard shall, subject to sub-paragraph (b), be obtained by deducting from the Summer Timber freeboard the quantity :—

$\frac{\Delta}{4T}$ millimetres.

Where Δ is the displacement in salt water in metric tons at the waterline which will when load lines have been marked on the ship's side correspond to the Summer Timber load line, and T represents metric tons per centimetre immersion in salt water at that waterline.

(b) In any case in which the displacement at that waterline cannot be ascertained the deduction shall be one forty-eighth (1|48th) of the summer timber draught of the ship.

PART IV

FREEBOARD FOR OTHER SHIPS

17. Tugs.

The freeboard to be assigned to tugs shall be freeboards determined in accordance with provisions of Part II of this Schedule increased by such amounts as the Director General may direct in each case.

18. Unmanned Barges.

The freeboard to be assigned to unmanned barges having on the freeboard deck only small access openings closed by watertight gasketed covers of steel shall be freeboards determined in accordance with provisions of Part II of this Schedule omitting paragraph 4.

19. Ships with special construction features.

The freeboard to be assigned to ships with constructional features such as to render freeboard calculated in accordance with the other Parts of this Schedule unreasonable or impracticable shall be especially determined by the Director General in each particular case.

20. Conditions for assigning freeboards less than minimum freeboard.

The Director-General shall consider applications for the assignment of a freeboard reduced to 5/8 (Table B), 1/2 (Table B—60) or 1/2 (Table B—100) subject to a minimum freeboard of 150 mm (6 inches) and to the following conditions, namely :—

(a) The strength of the ship shall be adequate at the draught associated with the decreased freeboard;

(b) The ships shall be of the "hopper" type, i.e., fitted with bottom doors in the shell or having other similar means capable of quickly jettisoning the cargo under all sea-going conditions and in an emergency. The cargo releasing arrangements on ships assigned a freeboard less than 5|8 (Table B) should be capable of jettisoning sufficient cargo within 4 minutes to enable the requirements of subparagraph (e) below to be complied with. In each case details of the arrangements are to be submitted for examination and approval.

(c) The operational limits shall not normally exceed 20 miles from land.

(d) The intact stability criteria specified in Part I of the Third Schedule should be achieved at the proposed decreased freeboard.

(e) (i) When a freeboard equivalent to 1/2 (Table B—60) is assigned, the ship shall be capable of surviving in a manner stated in paragraph 4(3)(a) of Part II of the Second Schedule after sustaining damage, to the total extent indicated in paragraph 4(6) of Part II of the Second Schedule to any one compartment (including the engine room).

(ii) When a freeboard equivalent to 1/2 (Table B—100) is assigned, the ship shall be capable of surviving in a manner specified in paragraph 4(5)(c) of Part II of the Second Schedule after sustaining damage, to the total extent indicated in paragraph 4(7)(a), 4(7)(b) and 4(7)(c) of Part II of the Second Schedule to the engine room or to any other two adjacent fore and aft compartments.

Note.—In the damage stability calculations it may be assumed that a proportion of the cargo is capable of being jettisoned immediately after the collision provided the cargo releasing arrangements are so designed that they will operate after the ship has sustained the total assumed damage.

(f) Draught indicators shall be fitted to ships requiring freeboard of 1/2 (B—60) or less.

(g) A special working load line mark in RED shall be marked on ship sides with disc 762 mms abaft normal marks, in all such cases.

21. Existing ships from 24 metres to 100 metres in length.—Ships of length range 24 to 100 metres, engaged in harbour maintenance, dredgers, hoppers, barges, tugs and crafts engaged in service between ship and shore, or for domestic voyages along the coasts of India may continue to be assigned freeboards, under the Indian Merchant Shipping (Load Line) Rules, 1934, provided that—

(i) the conditions of assignment, more particularly the ones relating of hatch closing appliances, are brought up to the requirements of these rules as far as is reasonable and practicable ; and

(ii) no increase in the summer draught corresponding to a decrease in the geometric freeboards is made under the terms of these rules.

22. Minimum bow height of coastal ships below 60 metres in length.—Ships engaged on the coasting trade of India of less than 60 metres in length performing voyages during the course of which they are at no time more than 20 miles from the nearest land shall be required to have a minimum bow height which shall not be less than the aggregate of the tabular freeboard and the standard sheer at the forward perpendicular applicable to the ship :

Provided that the Director-General may dispense with the requirement of minimum bow height where exceptional operational requirements are involved.

PART V

TABULAR FREEBOARDS

The following is Freeboard Table A referred to in sub-paragraph (3) of paragraph 1 of part I of this Schedule

TABLE—A

Freeboard Table for the Type "A" Ships

Length of ship (metres)	Freeboards (Millimetres)	Length of ship (metres)	Freeboard (Millimetres)	Length of ship (metres)	Freeboard (Millimetres)
1	2	1	2	1	2
24	200	64	626	104	1196
25	208	65	639	105	1212
26	217	66	653	106	1228
27	225	67	666	107	1244
28	233	68	680	108	1260
29	242	69	693	109	1276
30	250	70	706	110	1293
31	258	71	720	111	1309
32	267	72	733	112	1326
33	275	73	746	113	1342
34	283	74	760	114	1359
35	292	75	773	115	1376
36	300	76	786	116	1392
37	308	77	800	117	1409
38	316	78	814	118	1426
39	325	79	828	119	1442
40	334	80	841	120	1459
41	344	81	855	121	1476
42	354	82	869	122	1494
43	364	83	883	123	1511
44	374	84	897	124	1528
45	385	85	911	125	1546
46	396	86	926	126	1563
47	408	87	940	127	1580
48	420	88	955	128	1598
49	432	89	969	129	1615
50	443	90	984	130	1632
51	455	91	999	131	1650
52	467	92	1014	132	1667
53	478	93	1029	133	1684
54	490	94	1044	134	1702
55	503	95	1059	135	1719
56	516	96	1074	136	1736
57	530	97	1089	137	1753
58	544	98	1105	138	1770
59	559	99	1120	139	1787
60	573	100	1135	140	1803
61	587	101	1151	141	1820
62	600	102	1166	142	1837
63	613	103	1181	143	1853
144	1870	199	2602	254	3036
145	1886	200	2612	255	3042
146	1903	201	2622	256	3048
147	1919	202	2632	257	3054
148	1935	203	2641	258	3060
149	1952	204	2650	259	3066
150	1968	205	2659	260	3072
151	1984	206	2669	261	3078
152	2000	207	2678	262	3084
153	2016	208	2687	263	3089
154	2032	209	2696	264	3095
155	2048	210	2705	265	3101
156	2064	211	2714	266	3106
157	2080	212	2723	267	3112
158	2096	213	2732	268	3117
159	2111	214	2741	269	3123
160	2126	215	2749	270	3128
161	2141	216	2758	271	3133
162	2155	217	2767	272	3138
163	2169	218	2775	273	3143
164	2184	219	2784	274	3148
165	2198	220	2792	275	3153
166	2212	221	2801	276	3158
167	2226	222	2809	277	3163
168	2240	223	2817	278	3167
169	2254	224	2825	279	3172
170	2268	225	2833	280	3176
171	2281	226	2841	281	3181
172	2294	227	2849	282	3185
173	2307	228	2857	283	3189
174	2320	229	2865	284	3194
175	2332	230	2872	285	3198
176	2345	231	2880	286	3202
177	2357	232	2888	287	3207
178	2369	233	2895	288	3211
179	2381	234	2903	289	3215
180	2392	235	2910	290	3220
181	2405	236	2918	291	3224
182	2416	237	2925	292	3228
183	2428	238	2932	293	3233
184	2440	239	2939	294	3237
185	2451	240	2946	295	3241
186	2463	241	2953	296	3246
187	2474	242	2959	297	3250
188	2486	243	2966	298	3254
189	2497	244	2973	299	3258
190	2508	245	2979	300	3262
191	2519	246	2986	301	3266
192	2530	247	2993	302	3270
193	2541	248	3000	303	3274
194	2552	249	3006	304	3278
195	2562	250	3012	305	3281
196	2572	251	3018	306	3285
197	2582	252	3024	307	3288
198	2592	253	3030	308	3292

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
309	3295	320	3331	331	3361	342	3387	353	3412	364	3432
310	3298	321	3334	332	3363	343	3389	354	3414	365	3433
311	3302	322	3337	333	3366	344	3392	355	3416		
312	3305	323	3339	334	3368	345	3394	356	3418		
313	3308	324	3342	335	3371	346	3396	357	3420		
314	3312	325	3345	336	3373	347	3399	358	3422		
315	3315	326	3347	337	3375	348	3401	359	3423		
316	3318	327	3350	338	3378	349	3403	360	3425		
317	3322	328	3353	339	3380	350	3406	361	3427		
318	3325	329	3355	340	3382	351	3408	362	3428		
319	3328	330	3358	341	3385	352	3410	363	3430		

NOTE :—Freeboard at intermediate length of ship shall be obtained by linear interpolation.

The following is Freeboard Table B referred to in sub-paragraph (3) of paragraph 1 of Part 1 of this Schedule.

TABLE—B

Freeboard Table for Type "B" Ships

Length of ship (metres)	Free-board (milli-metres)	Length of ship (metres)	Free-board (milli-metres)	Length of ship (metres)	Free-board (milli-metres)
1	2	1	2	1	2
24	200	77	833	130	1901
25	208	78	850	131	1921
26	217	79	868	132	1940
27	225	80	887	133	1959
28	233	81	905	134	1979
29	242	82	923	135	2000
30	250	83	942	136	2021
31	258	84	960	137	2043
32	267	85	978	138	2065
33	275	86	996	139	2087
34	283	87	1015	140	2109
35	292	88	1034	141	2130
36	300	89	1054	142	2151
37	308	90	1075	143	2171
38	316	91	1096	144	2190
39	325	92	1116	145	2209
40	334	93	1135	146	2229
41	344	94	1154	147	2250
42	354	95	1172	148	2271
43	364	96	1190	149	2293
44	374	97	1209	150	2315
45	385	98	1229	151	2334
46	396	99	1250	152	2354
47	408	100	1271	153	2375
48	420	101	1293	154	2396
49	432	102	1315	155	2418
50	443	103	1337	156	2440
51	455	104	1359	157	2460
52	467	105	1380	158	2480
53	478	106	1401	159	2500
54	490	107	1421	160	2520
55	503	108	1440	161	2540
56	516	109	1459	162	2560
57	530	110	1479	163	2580
58	544	111	1500	164	2600
59	559	112	1521	165	2620
60	573	113	1543	166	2640
61	587	114	1565	167	2660
62	601	115	1587	168	2680
63	615	116	1609	169	2698
64	629	117	1630	170	2716
65	644	118	1651	171	2735
66	659	119	1671	172	2754
67	674	120	1690	173	2774
68	689	121	1709	174	2795
69	705	122	1729	175	2815
70	721	123	1750	176	2835
71	738	124	1771	177	2855
72	754	125	1793	178	2875
73	769	126	1815	179	2895
74	784	127	1837	180	2915
75	800	128	1859	181	2933
76	816	129	1880	182	2952

1	2	1	2
183	2970	213	3475
184	2988	214	3490
185	3007	515	3505
186	3025	216	3520
187	3044	217	3537
188	3062	218	3554
189	3080	219	3570
190	3098	220	3586
191	3116	221	3601
192	3134	222	3615
193	3151	223	3630
194	3167	224	3645
195	3185	225	3660
196	3202	226	3675
197	3219	227	3690
198	3235	228	3705
199	3249	229	3720
200	3264	230	3735
201	3280	231	3750
202	3296	232	3765
203	3313	233	3780
204	3330	234	3795
205	3347	235	3808
206	3363	236	3821
207	3380	237	3835
208	3397	238	3849
209	3413	239	3864
210	3430	240	3880
211	3445	241	3893
212	3460	242	3906

1	2	1	2	1	2
243	3920	284	4433	325	4899
244	3934	285	4455	326	4909
245	3949	286	4467	327	4920
246	3965	287	4478	328	4931
247	3978	288	4490	329	4943
248	3992	289	4502	330	4955
249	4005	290	4513	331	4965
250	4018	291	4525	332	4975
251	4032	292	4537	333	4985
252	4045	293	4548	334	4995
253	4058	294	4560	335	5005
254	4072	295	4572	336	5015
255	4085	296	4583	337	5025
256	4098	297	4595	338	5035
257	4112	298	4607	339	5045
258	4125	299	4618	340	5055
259	4139	300	4630	341	5065
260	4152	301	4642	342	5075
261	4165	302	4654	343	5086
262	4177	303	4665	344	5097
263	4189	304	4676	345	5108
264	4201	305	4686	346	5119
265	4214	306	4695	347	5130
266	4227	307	4704	348	5140
267	4240	308	4714	349	5150
268	4252	309	4725	350	5160
269	4264	310	4736	351	5170
270	4276	311	4748	352	5180
271	4289	312	4757	353	5190
272	4302	313	4768	354	5200
273	4315	314	4779	355	5210
274	4327	315	4790	356	5220
275	4339	316	4801	357	5230
276	4350	317	4812	358	5240
277	4362	318	4823	359	5250
278	4373	319	4834	360	5260
279	4385	320	4844	361	5268
280	4397	321	4855	362	5276
281	4408	322	4866	363	5285
282	4420	323	4878	364	5294
283	4432	324	4890	365	5303

Note : Freeboards at intermediate lengths of ship shall be obtained by linear interpolation.

THE THIRD SCHEDULE

(See rules 4, 5, 6, 7, 29, 31)

Stability and Loading

PART I

Criteria of Stability

1. The stability of the ship in all intended loading conditions shall be adequate at all drafts not submerging the appropriate freeboard marks. Unless otherwise required by the Central Government having regard to the special design features and the service conditions of a ship, the stability of the ship will be considered satisfactory upon compliance with the following criteria:

(i) The area under the righting lever (GZ) curve shall not be less than —

(a) 0.055 metre — radians upto an angle of heel of 30 degrees ;

(b) 0.09 metre—radians to an angle of either 40 degrees or an angle Of if that be less. The angle Of is the angle at which the lower edges of any openings in the hull, superstructures or deckhouses, being openings which cannot be closed weathertight and which are likely to cause progressive flooding are immerged ;

(c) 0.03 metre—radians between the angles of heel of 30 and 40 degrees or between 30 and Of degrees, if Of is less than 40 degrees.

(ii) The righting level (GZ) shall be at least 0.20 metre at an angle of heel equal to or greater than 30 degrees.

(iii) The maximum righting lever (GZ) should occur at an angle of heel not less than 30 degrees.

(iv) The initial transverse metacentric height shall be not less than 0.15 metre.

2. The Central Government may allow a timber deck cargo ship to comply with such lesser criteria of stability than those of the preceding paragraph having fully reviewed the circumstances of cargo stowage and lashing and other service conditions.

3. In addition to complying with the provisions of the above paragraphs 1 and 2, the ship master should also exercise due precaution and discretion as regards navigation, cargo stowage and lashing, etc.

4. To assess if a ship complies with the stability criteria in paragraphs 1 and 2, the stability data shall be based on inclining testing of that ship, as provided by the rule 31 of these rules, unless exempted by the same rule.

PART II

Stability and Loading Conditions

5. The stability characteristics of at least the following loading and ballasting conditions should be duly investigated in order to ensure compliance with the criteria of stability laid down in Part I of this Schedule :—

(1) Light Condition.—If the ship has permanent ballast, the light condition should include two conditions, e.g. (i) light condition with such ballast and (ii) light condition without such ballast.

(2) Ballast Conditions.—These should include two conditions, e.g., (i) ballast departure condition with full stores, fresh water, fuel and other consumable stores but without cargo and (ii) ballast arrival condition with only 10 per cent stores, fresh water fuel and other consumable stores.

(3) Standard Loading Conditions.—These should include (i) the departure condition with the ship laaded to the summer load line with homogenous cargo filling all spaces available for cargo, except cargo spaces where this is clearly inappropriate, for example, in the case of cargo spaces in a ship which are intended to be used exclusively for the carriage of vehicles or of containers and (ii) the arrival condition with the ship similarly loaded but with only 10 per cent stores, fresh water, fuel and other consumable store.

(4) Service Loading Condition.—These should include the departure and arrival conditions of additional loading conditions for which the ship is designed or which service conditions are desired by the shipowners.

6. (1) For passenger ships, the full number of passengers and their luggage should be included in conditions (2) to (4) of paragraph 5 above.

(2) In passenger ships the effect of the movement of passengers and the heeling of the ship during turning manouvres shall also be duly examined having regard to the adverse effect on the stability of the ship.

PART III

Metheod and Form of Stability Calculations

7. For the purposes of Part VI of these rules relating to stability and loading, the method of stability calculations and the form of the stability booklet should, so far as practicable, be in accordance with the following paragraphs.

8. The stability book should include the following particulars.—(1) The ship's name, official number, port of registry, gross and register tonnages, principal dimensions, displacement, deadweight and draught to the summer load line, suitably stated in the beginning of the stability booklet.

(2) A profile view and if praticable, plan views of the ship drawn to scale showing with their names outlines of

all main compatments, tanks, store rooms and accommodation spaces.

(3) The capacity and the positions of the vertical and longitudinal centres of gravity of compartments available for the carriage of cargo, fuel, stores, feed water, fresh water and water ballast.

In the case of a vehicle ferry, the vertical centre of gravity of compartments for the carriage of vehicles shall be based on the estimated centres of gravity of the vehicles and not on the volumetric centres of compartments.

(4) The estimated total weight of (a) passengers and their effects and (b) crew and their effects, and the centres of gravity (longitudinal and vertical) of each such total weight. In determining such centres of gravity, passengers and crew shall be assumed to be distributed about the ship in the spaces they will normally occupy including the highest decks to which either or both have access.

(5) The estimated weight and the disposition and the centres of gravity of the maximum amount of deck cargo which the ship may reasonably be expected to carry on an exposed deck. The estimated weight shall include in the case of deck cargo likely to absorb water the estimated weight of water likely to be so absorbed and allowed for in arrival conditions, such weight in the case of timber deck cargo being taken to be 15 per cent by weight.

(6) The effect on stability of free surface in tanks in the ship in which liquids may be carried, including an example on how to correct the metacentric height for the free surface effect.

9. The following diagrams or approved tabular statements in lieu thereof should be provided in the stability booklet.—(1) A diagram of the deadweight-displacement scale illustrating load line mark and the load lines with particulars of the corresponding freeboards, displacement, metric tons per centimetre immersion, and deadweight tons corresponding to a range of mean draughts extending between the waterline representing the deepest load line and the water line of the ship in light condition.

(2) A diagram or tabular statement showing the hydrostatic particulars of the ship, including :—

(i) the heights of the transverse and longitudinal metacentres above base line.

(ii) the positions of the centres of buoyancy, both vertical and longitudinal.

(iii) the positions of the longitudinal centres of floatation.

(iv) the values of the moments to change trim by one centimetre.

(v) the values of the cross-sectional areas (Bonjean's Curves) and the waterplane areas,

for a range of mean draughts extending at least between the water line representing the deepest load line and the waterline of the ship in light condition.

Where a tabular statement is used the intervals between such draughts shall be sufficiently close to permit accurate interpolation. In the case of ships having raked keels, the same datum for the height of centres of buoyancy and metacentres shall be used as for the centres of gravity referred to in paragraph 8.

(3) (i) A diagram of cross-curves of stability showing clearly the keel point on the inclined axis from which the righting levers are measured and the trim which has been assumed. In the case of ships having raked keels, where a datum other than the top of the keel has been used, full information is to be provided as to its position.

A sufficient number of cross-curves for an adequate range of the angles of inclination and each such curve extending over the displacement range from the light condition of the ship to be deepest load line, should be provided so that the statical stability curve of righting levers over all positive ranges could be obtained with sufficient accuracy by interpolation.

(ii) An illustrative example shall be given showing how to obtain a curve of righting levers (GZ) from the cross curves.

10. The stability characteristics of each of the loading conditions required to be investigated in Part II of this schedule shall be represented in the stability booklet by the following diagrams and statements :

(i) A profile diagram of the ship drawn to a suitable small scale showing the dispositions of the main components of the deadweight ;

(ii) Suitable tabular statements including the lightweight, the disposition and moments of components of the deadweight, the final displacement, the corresponding position of the centres of gravity, the metacentre, the free surface effects and the metacentric height duly corrected for free surface effect ;

(iii) A diagram of statical stability curve of righting levers (GZ). Where credit is given for the buoyancy of timber deck cargo, the curve of Righting levers (GZ) must be drawn both with and without this credit. The curve of righting lever shall be duly corrected for free surface effect.

11. (1) In deriving the cross-curves of stability account may be taken of the stability and buoyancy provided by enclosed superstructure and efficient trunks, such structures being described in paragraphs 7 and 8 of Second Schedule.

(2) The stability and buoyancy provided by the following structures may also be taken into account in deriving the cross-curves if the Director General of Shipping so approves, in each particular case, having regard to their location, integrity and means of closure.

(i) Superstructure located above the superstructure deck ;

(ii) Deckhouses on the freeboard deck, whether wholly or in part only ;

(iii) Hatchway structure on or above freeboard deck.

Additionally, if the Director General so approves, in the case of a ship carrying timber deck cargo, the volume of timber deck cargo or part thereof, may be taken into account in deriving a supplementary curve of stability appropriate to the ship when carrying such cargo.

(3) Where the buoyancy of a superstructure or any other structure is taken into account in the calculations of stability, suitable endorsement shall always be made on the cross-curves clearly indicating the extent of such inclusion. Notices shall also be conspicuously displayed near weathertight doors or any other special openings to the effect that these openings must be closed weathertight at sea on account of stability.

FORM LL INDIA

THE FOURTH SCHEDULE

(See rules 5 and 26)

International Convention on Load Lines, 1966

RECORD OF CONDITIONS OF ASSIGNMENT LOAD LINE SURVEY

Ship's Name.....Port and Date of Survey.....

Official Number.....Surveyor's Signature.....

Nationality and Port of registry.....Surveying Organisation.....

Builder and Yard No.....Building Year.....

Owner.....

Ship Type (existing/type A/type B).....

Freeboard length.....Gross Tonnage.....

1. SUPERSTRUCTURE BULKHEADS (Paragraph 6)

Forecastle Bulkhead	Material and Scantlings	Details of openings	Closing appliances
Bridge Ford Bulkhead			
Bridge Aft. Bulkhead			
Poop Bulkhead			

Is the construction of superstructure efficient ?

2. HATCHWAYS ON FREEBOARD AND SUPERSTRUCTURE DECKS (Paragraph 8 & 9)

Description of	Hatch Nos.	Hatch Nos.	Hatch Nos.	Hatch Nos.	Hatch Nos.	Hatch Nos.
Dimension of Opening						
Coaming						
Hatchbeam : Scantlings & Bearing Surface						
Fore-and-Aft. Scantlings						
Hatchboards/Pantoon Covers						
Weathertight Hatchcovers.						

Are the closing devices of hatches strong and efficient in accordance with the rule requirements?

3. MACHINERY SPACE OPENINGS (Paragraph 10)

Details of materials and scantlings of fidling funnel, skylight and casings	Details of sill and openings	Details of Closing Appliances

Are ventilators fitted on the machinery casings well protected ?

4. MISCELLANEOUS OPENINGS ON FREEBOARD AND SUPERSTRUCTURE DECKS (Paragraph 11)

(a) Give details of openings and closing appliances of manholes and flush scattles. Are such constructions efficient ?

(b) Details of companion ways.

VENTILATORS IN EXPOSED POSITIONS ON FREEBOARD AND SUPERSTRUCTURE DECKS (Paragraph 12)

Positions of ventilators	Size of openings	Height and thickness of ceamings	Ventilated space	Closing appliances

Are any ventilators situated in space particularly subjected to weather and sea? If so, how are they protected?

6. AIR PIPES IN EXPOSED POSITIONS ON FREEBOARD AND SUPERSTRUCTURE DECKS (Paragraph 13)

Position	Nos. and type of air pipe	Diameter and height	Closing appliances

(a) Give particulars of any air pipe situated on the deck of a superstructure of less than standard height.

(b) Are all the air pipes substantially constructed ?

7. CARGO PORTS AND SIMILAR OPENINGS ON SHIPSIDE (Paragraph 14)

(a) State the longitudinal locations, sizes and numbers of Cargo ports and similar openings below the freeboard deck.

(b) State the vertical distance of the lower edge of any such cargo port or similar openings with respect to a line parallel to the freeboard deck at side and passing the upper edge of the deepest load line.

(c) State particulars of closing appliances of such opening and if such closing appliances ensure structural and watertightness.

8. SCUPPERS, INLETS AND DISCHARGES (Paragraph 15)

Vertical position of inboards end of pipe	Compartment/Deck being drained	Nos. and diameter of pipes and type of closing appliance and material	Outboard end of discharge
Keel to 0.01 L above SLWL			
0.0IL to 0.02 L above SL WL			
More than 0.02 L above SLWL			

(a) State particulars of location and accessibility of controls of valves in ;

(i) manned machinery space and (ii) unattended machinery space.

(b) State particulars of the devices giving warning of entry of water into unattended machinery space.

9. SIDE SCUTTLES (Paragraph 16).

(a) State locations and particulars of construction of side scuttles, deadlights and flasses.

(i) 2.5 per cent of B above summer load line, or

(ii) 500 millimetres above the summer load line.

10. FREEING PORTS AND ARRANGEMENTS (Paragraph 17).

(a) Freeing Arrangement on weather Deck :

	Length and height of bulwark	Number and sizes of freeing ports.	Area each side	Rule each	Area side
Forward Well					
After Well					

(b) State particulars of provisions made for freeing water from superstructures other than enclosed superstructure. Are such provisions efficient ?

11. PROTECTION OF CREW (Paragraph 18).

(a) State particulars, including spacing and height of guard rails, guard wires and stanchions fitted at the perimeters of exposed freeboard and supersturucture decks.

(b) State particulars of the gangways, underdeck passages and other means of access enabling the crew to pass between their quarters, the machinery space and other working spaces.

(c) State particulars of lifelines, access ladders, guard rails, guard wires, handrails and others safety fittings.

SPECIAL REQUIREMENTS APPLICABLE TO TYPE A SHIPS OR TYPE B SHIPS WITH REDUCED FREEBOARD

12. MACHINERY CASING (Paragraph 19).

If casings enclosing machinery space openings in Position 1 or Position 2 are not protected by a Roop, Bridge or a deckhouse, state reasons thereof or any equivalent protection measures employed.

13. GANGWAY AND ACCESS (Paragraphs 20 and 23).

Where access between Roop and detached bridge or the forward part of a ship where there is no detached bridge is obtained by means other than by a permanent gangway or on underdeck passage, state the equivalent arrangement provided.

14. FREEING ARRANGEMENTS (Paragraphs 22 and 24).

(a) Where guard rails, guard wires and Stanchions are not provided for at least a half of the length of the freeboard and superstructure decks, state the equivalent freeing arrangement.

(b) State the numbers, type and positions of breakwaters fitted if such fittings are efficient.

SPECIAL REQUIREMENTS APPLICABLE TO SHIPS TO BE ASSIGNED TIMBER FREEBOARDS

15. BULWARKS, GUARD RAILS AND STANCHIONS (Paragraph 27).

(a) State particulars of stiffening and support of bulwarks. Are such arrangement adequately strong and efficient ?

(b) Where bulwarks are not fitted, state particulars of guard rails and stanchions provided in lieu and if they are adequately strengthened.

Note :—Reference to paragraphs in this record are reference to paragraphs of First Schedule to these rules.

FORM LLI (India) THE FIFTH SCHEDULE Certificate No

[See rules 7 and 12]

International Load Line Certificate (1966)

Issued under the provisions of the International Convention of Load Lines, 1966, under the authority of the Government of India by the Director General of Shipping

Name of the Ship	Distinctive Nos or letters	Port of Registry	Length (L) as defined in Article 2(8)

Freeboard assigned as :

*(A new Ship

(

(An existing ship

*Delete whatever is inapplicable

Freeboard from deck line

Tropical	mm (T)	
Summer	mm (S)	
Winter	mm.(W)	
Winter North Atlantic	mm. (WNA)	
Timber tropical	mm (LT)	
Timber Summer	mm (LS)	
Timber winter	mm. (LW)	
Timber winter North Atlantic	mm (LWNA)	

Type of ship :

*(Type 'A'

(Type 'B'

(Type 'B' with reduced freeboards

(Type 'B' with increased freeboard

Load Line

. .	mm above(S)
Upper edge of line through centre of ring	
. . .	.mm. below(S)
	mm. below(S)
	mm. above (LS)
	mm above (S)
	mm below (LS)
	. mm below(LS)

Note :—Freeboard and load line which is not to be entered on the certificate

Allowance for fresh water for all freeboards other than timber mm For timber freeboards mm.

The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is mm deck at side.

Date of initial or periodical survey

This is to certify that this ship has been surveyed and that the freeboards have been assigned and load lines shown above have been marked in accordance with the International Convention of Load Lines, 1966.

This certificate is valid until subject to periodical inspections in accordance with Article 14(1)(c) of the Convention

Issued at on the day of 19

The undersigned declares that he is duly authorized by the said Government to issue this certificate

Director General of Shipping,
Ministry of Shipping and Transport

This is to certify that at a periodical inspection required by Article 14 (1)(c) of the Convention, this ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

Place ..... Date .....

.....

Surveyor

Place ..... Date .....

.....

Surveyor

Place ..... Date .....

.....

Surveyor

Place ..... Date .....

.....

Surveyor

The provisions of the Convention being fully complied with by this ship, the validity of this certificate is, in accordance with Article 19((2) of the Convention, extended until .....

Place ..... Date .....

.....

Surveyor.

Note:—(1) When a ship departs from a port situated on a river or inland waters, deeper loading shall be permitted corresponding to the weight of fuel and all other materials required for consumption between the point of departure and the sea.

(2) When a ship is in fresh water of unit density the appropriate load line may be submerged by the amount of the fresh water allowance shown above. Where the density is other than unity, an allowance shall be made proportional to the difference between 1.025 and the actual density.

FORM LL (India) Certificate No .....

India Load Line Certificate
Issued by the Government of India

Name of Ship	Distinction Number of Letters	Port of Registry	Length(L) as defined by rules made under section 311 of the Merchant Shipping Act, 1958	Gross Tonnage

Freeboard assigned as:

{ *(A new ship
  An existing ship.

Type of ship:

* { Type 'A'
  Type 'B'
  Type B with reduced freeboard.
  Type B with increased freeboard.

*Delete whichever is inapplicable.

Freeboard from Deck Line

Tropical .....mm. (T)
Summer .....mm. (S)
Winter .....mm. (W)

Allowance for fresh water for all freeboards .....mm.

Load Line

.....mm. above (S)
Upper edge of line through centre of ring.
.....mm. below (S)

Note:—Freeboard and load line which is not applicable need not be entered on the certificate.

The upper edge of the deck line from which freeboards are measured is .....mm. .....deck at side.

This is to certify that this ship has been surveyed and the freeboards and load lines shown above have been assigned in accordance with the rules made under section 311 of the Merchant Shipping Act, 1958.

This certificate is valid until .....subject to periodical inspections in accordance with the provisions of the rules made under section 311 of the Merchant Shipping Act, 1958.

Issued at .....on the .....day of .....19.....

Director General of Shipping

Ministry of Shipping and Transport

This is to certify that at a periodical inspection required by the rules made under section 311 of the Merchant Shipping Act, 1958, this ship was found to comply with the relevant provisions of the said rules.

Pla o.. Date..

....
Surveyor

Place.. Date..

....
Surveyor

Place.. Date..

....
Surveyor

Place.. Date..

....
Surveyor

Place..

Note:—(1) When a ship departs from a port situated on a river or inland waters, deeper loading shall be permitted corresponding to the weight of fuel and all other materials required for consumption between the point of departure and the sea.

(2) When a ship is in fresh water of unit density the appropriate load line may be submerged by the amount of the fresh water allowance shown above. Where the density is other than unity, an allowance shall be made proportional to the difference between 1.025 and the actual density.

FORM LL (India) Certificate No................

International Load Line Exemption Certificate

Issued under the provisions of the International Convention on Load Lines, 1966, under the authority of the Government of India by the Director General of Shipping

Name of Ship	Distinction Number of Letters	Port of Registry

This is to certify that the above mentioned ship is exempted from the provisions of the 1966 Convention, under the authority conferred by Article 6(2)/Article 6(4) of the Convention referred to above.

The provisions of the Convention from which the ship is exempted under Article 6(2) are:

....

....

The voyage for which exemption is granted under Article 6(4)* is:

From....................

To......................

Conditions, if any, on which the exemption is granted under article 6(2) or article 6(4):

....

....

....

This certificate is valid............subject, where appropriate, to periodical inspections in accordance with Article 14(1)(c) of the Convention.

Issued at.......................... on the............................ day of............................ 19........

The undersigned declares that he is duly authorised by the said Government to issue this certificate.

*Delete whichever is inapplicable.

Director General of Shipping
Ministry of Shipping and Transport.

This is to certify that this ship continues to comply with the conditions under which this exemption was granted.

Place..... Date.....

.....

Surveyor

Place..... Date.....

.....

Surveyor

Place..... Date.....

.....

Surveyor

Place..... Date.....

.....

Surveyor

This ship continues to comply with the conditions under which this exemption was granted, and the validity of the certificate is, in accordance with Article 19(2)(a) of the Convention, extended until.....

Place..... Date.....

.....

Surveyor

THE SIXTH SCHEDULE

(See rules 17 and 19)

ZONES, AREAS AND SEASONAL PERIODS

1. The Zones and areas in this Schedule are, in general based on the following criteria :

Summer—not more than 10 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more.

Tropical—not more than 1 per cent winds of force 8 Beaufort (34 knots) or more. Not more than one tropical storm in 10 years in an area of 5 degree square in any one separate calendar month.

In certain special areas, for practical reasons, some degree of relaxation has been acceptable.

A charat is attached to this Schedule to illustrate the zones and areas defined below.

Northern Winter Seasonal Zones and Area.

2. (1) North Atlantic Winter Seasonal Zones I and II :—

(a) The North Atlantic Winter Seasonal Zone I lies within the meridian of longitude 50°W from the coast of Greenland to latitude 45°N, thence the parallel of latitude 45°N to longitude 15°W, thence the meridian of longitude 15°W to latitude 60°N, thence the parallel of latitude 60°N to the Greenwich Meridian, thence this meridian northwards.

Seasonal periods :

WINTER : 16 October to 15 April.

SUMMER : 16 April to 15 October.

(b) The North Atlantic Winter Seasonal Zone II lies within the meridian of longitude 68°30'W from the coast of the United States to latitude 40°N, thence the rhumb line to the point latitude 36°N, longitude 73°W, thence the parallel of latitude 36°N to longitude 25°W and thence the rhumb line to Cape Torinana.

Excluded from this zone are the North Atlantic Winter Seasonal Zone I and the Baltic Sea bounded by the parallel of the latitude of the Skaw in the Skagerrak.

Seasonal periods :

Winter : 1 November to 31 March

Summer : 1 April to 31 October

(2) North Atlantic Winter Seasonal Area.—The boundary of the North Atlantic Winter Seasonal Area is.—the meridian of longitude 68.30°W from the coast of the United States to latitude 40°N, thence the rhumb line to the southernmost inter-section of the meridian of longitude 61°W with the coast of Canada and thence the east coasts of Canada and the United States.

Seasonal Periods :

For ships over 100 metres (328 feet) in length :

Winter : 16 December to 15 February

Summer : 16 February to 15 December

For ships of 100 metres (328 feet) and under in length :

Winter : 1 November to 31 March

Summer : 1 April to 31 October

(3) North Pacific Winter Seasonal Zone.—The southern boundary of the North Pacific Seasonal Zone is :—the parallel of latitude 50°N from the east coast of the USSR to the west coast of Sakhalin, thence the west coast of the Sakhalin to the southern extremtiy of Kurilion, thence to rhumb line to Wakkanai, Hokkaido, Japan, thence the east and south coasts of Hokikaido to longitude 145°E, thence the meridian of longitude 145°E to the latitude 35°N, thence the parallel of latiude 35°N to longitude 150°W and thence the rhumb line to the southern extremity of Dall Island Alaska.

Seasonal periods :

Winter : 16 October to 15 April

Summer : 16 April to 15 October

Southern Winter Seasonal Zone

3. The northern boundary of the Southern Winter Seasonal Zone is.—the rhumb line from the east coast of the American continent at Cape Tres Flintas to the point latitude 34°S, longitude 50°W, thence the parallel of latitude 34°S to longitude 17°E, thence the rhumb line to the point latitude 35°10'S, longitude 20°E, thence the rhumb line to the point latitude 34°S, longitude 28°E, thence along the rhumb line to the point latitude 30°30'S, longitude 118°E, and thence the rhumb line to Cape Grim on the northwest coast of Tasmania; thence along the north and east coasts of Tasmania to the southernwest point of Bruny Island, thence the rhumb line to Black Rock Point on Stewart Island, then the rhumb line to the point latitude 47°S, longitude 170°E, thence along the rhumb line to the point latitude 33°S, longitude 170°, thence along the rhumb line to the point latitude 33°S, longitude 170°W, and thence the parallel 33°S to the west coast of the American continent.

Seasonal periods :

Winter : 16 April to 15 October

Summer : 16 October to 15 April

4. Regulation 48 Tropical Zone

(1) Northern Boundary of the Tropical Zone.—The northern boundary of the Tropical Zone is—the parallel of latitude 13°N from the east coast of the American continent of longitude 60°W, thence the rhumb line to the point latitude 10°N. longitude 58°W, thence the parallel of latitude 10°N to longitude 20°W, thence the meridian of longitude 20°W to latitude 30°N and thence the parallel of latitude 30°N to the west coast of Africa; from the east coast of Africa the parallel of latitude 8°N to lognitude 70°E, thence the meridian of longitude 70°E to latitude 13°N, thence the parallel of latitude 13°N to the west coast of India; thence the south coast of India to latitude 10°30′ N on the east coast of India, thence the rhumb line to the point latitude 9°N, longitude 82°E, thence the meridian of longitude 82°E to latitude 8°N, thence the parallel of latitude 8°N to the west cost of Malaysia, thence the coast of South-East Asia to the east coast of Viet-Nam at latitude 10°N. thence the parallel of latitude 10°N to longitude 145°E, thence the meridian of longitude 145°E to latitude 13°N and thence the parallel of latitude 13°N to the west coast of the American continent.

Saigon is to be considered as being on the boundary line of the Tropical Zone and the Seasonal Tropical Area.

(2) Southern Boundary of the Tropical Zone—The southern boundary of the Tropical Zone is—the rhumb line from the Port of Santos, Brazil, to the point where the meridian of longitude 40°W intersects the Tropic of Capricorn; thence the Tropic of Capricorn to the west coast of Africa; from the east coast of Africa the parallel of latitude 20°S to the west coast of Madagascar, thence the west and north coasts of Madagascar to longitude 50°E, thence the meridian of longitude 50°E to latitude 10°S, thence the parallel of latitude 10°S to longitude 98°E, thence the rhumb line to Port Darwin, Australia, thence the coasts of Australia and Wessel Island eastwards to Cape Wessel, thence the parallel of latitude 11°S to the west side of Cape York from the east side of Cape York the parallel of latitude 11°S to longitude 150°W, thence the rhumb line to the point latitude 26°S, longitude 75°W, and thence the rhumb line to the west coast of the American continent at latitude 30°S.

Coquimbo and Santos are to be considered as being on the boundary line of the Tropical and Summer Zones.

Areas to be included in the Tropical Zone.

The following areas are to be treated as included in the Tropical Zone:

(a) The Suez Canal, the Red Sea and Gulf of Aden, from Port Said to the meridian of longitude 45°E.

Aden and Berbera are to be considered as being on the boundary line of the Tropical Zone and the Seasonal Tropical Area.

(b) The Persian Gulf to the meridian of longitude 59°E.

(c) The area bounded by the parallel of latitude 22°S from the east coast of Australia to the Great Barrier Reef, thence the Great Barrier Reef to latitude 11°S. The northern boundary of the area is the southern boundary of the Tropical Zone.

Seasonal Tropical Areas

5. The following are Seasonal Tropical Areas :

(1) In the North Atlantic.—An area—bounded on the north by the rhumb line from Cape Capoche, Yucatan, to Cape San Antonio, Cuba, the north coast of Cuba to latitude 20°N and thence the parallel of latitude 20°N to longitude 20°W :

on the west by the coast of the American continent ;

on the south and east by the northern boundary of the Tropical Zone.

Seasonal periods :
Tropical : 1 November to 15 July.
Summer : 16 July to 31 October

(2) In the Arabian Sea.—An area bounded—on the west by the coast of Africa, the meridian of longitude 45°E in the Gulf of Aden, the coast of South Arabia and the meridian of longitude 59°E in the Gulf of Oman ;

On the north and east by the coasts of Pakistan and India ;

On the south by the northern boundary of the Tropical Zone.

Seasonal periods :
Tropical : 1 September to 31 May
Summer : 1 June to 31 August.

(3) In the Bay of Bengal.—The Bay of Bengal north of the northern boundary of the Tropical Zone.

Seasonal Periods.
Tropical : 1 December to 30 April
Summer : 1 May to 30 November.

(4) In the South Indian Ocean.—(a) An area bounded—on the north and west by the southern boundary or the Tropical Zone and the east coast of Madagascar;

on the south by the parallel of latitude 20°S;

on the east by the rhumb line from the point latitude 20°S, longitude 50°E, to the point latitude 15°S, longitude 51°30′E, and thence by the meridian of longitude 51°30′E to latitude 10°S.

Seasonal periods :
Tropical : 1 April to 30 November
Summer : 1 December to 31 March

(b) An area bounded.—on the north by the southern boundary of the Tropical Zone;

on the east by the coast of Australia;

on the south by the parallel of latitude 15°S from longitude 51°30′ E, to longitude 120°E and thence the meridian of longitude 120°E to the coast of Australia ;

on the west by the meridian of longitude 51°30′ E.

Seasonal periods :
Tropical : 1 May to 30 November
Summer : 1 December to 30 April.

(5) In the China Sea.—An area bounded—on the west and north by the coasts of Viet-Nam and Port of Sual (Luzon Island) and the west coasts of the Islands of Luzon, Samar and Leyto to latitude 10°N ;

on the south by the parallel of latitude 10°N.

Hong Kong and Sual are to be considered as being on the boundary of the Seasonal Tropical Area and Summer Zone.

Seasonal periods :
Tropical : 21 January to 30 April
Summer : 1 May to 20 January

(6) In the North Pacific.—(a) An area bounded—on the north by the parallel of latitude 25°N;

on the west by the meridian of longitude 160°E;

on the south by the parallel of latitude 13°N ;

on the east by the meridian of longitude 130°W.

Seasonal periods :
Tropical : 1 April to 31 October
Summer : 1 November to 31 March

(b) An area bounded.—on the north and east by the west coast of the American continent;

on the west by the meridian of longitude 123°W from the coast of the American continent to latitude 33°N and by the rhumb line from the point latitude 33°N, longitude 123°W to the point latitude 13°N, longitude 105°W ;

on the south by the parallel of latitude 13°N

Seasonal Periods
Tropical : 1 March to 30 June and
1 November to 30 November
Summer : 1 July to 31 October and
1 December to 28/29 February.

(7) In the South Pacific.—(a) The Gulf of Carpentaria south of latitude 11°S.

Seasonal periods :
Tropical : 1 April to 30 November
Summer : 1 December to 31 March

(b) An area bounded,—on the north and east by the southern boundary of the Tropical Zone;

on the south by the Tropic of Capricon from the east coast of Australia to longitude 150°W thence by the meridian of longitude 150°W to latitude 20°S and thence by the parallel of latitude 20°S to the point where it intersects the southern boundary of the Tropical Zone;

on the west by the boundaries of the area within the Great Barrier Reef included in the Tropical and by the east coast of Australia.

Seasonal periods:

Tropical : 1 April to 30 November
Summer : 1 December to 31 March

6. Summer Zones.—The remaining areas constitute the Summer Zones.

However, for ships of 100 metres (328 feet) and under in length, the area bounded—

on the north and west by the east coast of the United States;

on the east by the meridian of longitude 68°30'W from the coast of the United States to latitude 40°N and thence by the rhumb line to the point latitude 36°N, longitude 73°W;

on the south by the parallel of latitude 36°N; is a Winter Seasonal Area.

Seasonal periods:

Winter: 1 November to 31 March
Summar: 1 April to 31 October

7. Enclosed Seas.—(1) Baltic Sea:

This sea bounded by the parallel of latitude of the Skaw in the Skagerrak is included in the Summer Zones.

However, for ships of 100 metres (328 feet) and under in length, it is a Winter Seasonal Area.

Seasonal periods:

Winter: 1 November to 31 March

Summar: 1 April to 31 October

(2) Black Sea:

This sea is included in the Summer Zones. However, for ships of 100 metres (328 feet) and under in length, the area North of latitude 44°N is a winter Seasonal Area.

Seasonal periods:

Winter: 1 December to 28/29 February

Summer: 1 March to 30 November

(3) Mediterranean.—This sea is included in the Summer Zones.

However, for ships of 100 metres (328 feet) and under in length, the area bounded:—

on the north and west by the coasts of France and Spain and the meridian of longitude 3°E from the Coast of Spain to latitude 40°N;

on the south by the parallel of latitude 40°N from longitude 3°E to the west coast of Sardinia;

on the east by the west and north coasts of Sardinia from latitude 40°N to longitude 9°E, thence by the meridian of longitude 9°E to the south longitube 9°E and thence by the rhumb line to Cape Sicie;

is a Winter Seasonal Area.

Seasonal periods:

Winter: 16 December to 15 March.

Summer: 16 March to 15 December

(4) Sea of Japan.—This sea south of latitude 50°N is included the Summer Zones.

However, for ships of 100 metres (328 feet) and under in length, the area between the parallel of latitude 50°N and the rhumb line from the east coast of Korea at latitude 38°N to the west coast of Hokkaido, Japan, at latitude 43°12'N is a Winter Seasonal Area.

Seasonal periods:

Winter: 1 December to 28/29 February

Summer: 1 March to 30 November

8. The Winter North Atlantic Load Line.—The part of the North Atlantic comprises:

(a) that part of the North Atlantic Winter Seasonal Zone II which lies between the meridians of 15° W and 50°W;

(b) the whole of the North Atlantic Winter Seasonal Zone I, the Shetland Islands to be considered as being on the boundary.

[No. 5-MSR(4)/75-MA]

MRS. B. NIRMAL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978